Tuesday, 13 March, 1973

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र
Seventh Session]

[खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

PARLIAMENT LIBRARY
No. 71(25)
24.7.73

विषय सूची/CONTENTS

अंक 17—मंगलवार, 13 मार्च 1973/22 फाल्गुन 1894(शक)

No. 17—Tuesday, March 13, 1973/Phalguna 22, 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता०प्र०संख्या *S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
301	रेलवे में खान पान व्यवस्था में सुधार करना	Improvement of Catering on Railwavs	1
302	बंगलौर तक के लिए विशेष कोयला गाड़ियों का चलाया जाना	Running of Special Coal Trains to Bangalore . . .	4
303	रेलवे स्टोर्स और उपकरणों के मामलों में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in the matter of Railway Stores and Equipment	4
304	विभिन्न देशों द्वारा रेलवे संबंधी ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र	International Centre for sharing Railway knowledge among countries	5
305	सिंचाई क्षमता का उपयोग	Utilisation of Irrigation Potential	6
306	आसाम में लकवा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल के कुएं संख्या 109 में आग लग जाना	Fire in O & NGC Well No. 109 at Lakwa Assam . .	12
307	भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों के घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा	Houses of Directors of F. C. I. Raided by C. B. I. . .	13
308	ट्राम्बे उर्वरक परियोजना का विस्तार	Expansion of Trombay Fertiliser Project	15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र०संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
309	चम्बल परियोजना क्षेत्र में सिंचाई	Irrigation in Chambal Project Area	15
310	प्लास्टिक उद्योग के लिये अधिक घनत्व वाली पौलिथलीन बनाने की परियोजना की स्थापना	Setting up of a Project to Manufacture High Density Polyethylene for Plastic Industry	17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—3 L.S.S. (ND)/73

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
311	लोहिया नगर नागरिक परिषद्, पटना द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum by Lohia Nagar Nagrik Parishad Patna .	17
312	न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों और उपलब्धियों में सुधार करने के सम्बन्ध में विधि आयोग का प्रतिवेदन	Law Commission's Report on the Improvement in the Service Conditions and Emoluments of Judges . . .	18
313	कोसी नदी के पश्चिमी तटबन्धों के विस्तार के लिए सर्वेक्षण	Survey for Extension of Western Embankments of River Kosi	18
314	पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बिहार में रेलवे लाइनों का विकास	Development of Railway Lines in Bihar during Fifth Five Year Plan Period . . .	18
315	जल संसाधनों के प्रशासन के बारे में नई दिल्ली में हुई संयुक्तराष्ट्र अन्त-र्क्षेत्रीय गोष्ठी	U. N. Inter Regional Seminar on Water Resources Administration held in New Delhi .	19
316	तेल कम्पनियों द्वारा विभिन्न राज्यों में वसूल किए जाने वाले मूल्यों में अन्तर	Variance in prices charged by Oil Companies in States .	21
317	बड़े जंक्शन स्टेशनों पर खान-पान ट्रालियों का बन्द करना	Withdrawal of Catering Trolleys from Big Junction Stations	21
318	पूना (महाराष्ट्र) की चस्कामन परि-योजना को स्वीकृति	Clearance of Chaskaman Project Poona (Maharashtra) .	21
319	भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा ट्राम्बे यूनिट के तत्कालीन महा प्रबन्धक और वर्तमान निदेशक (उत्पादन और विपणन) के विरुद्ध मैथेनोल बेचे जाने के बारे में प्रतिवेदन	Report by Former Chairman and Managing Director of F. C. I. on Sale of Methanol by the then General Manager of Trombay, now Director (P & M)	22
320	विदेशी फार्मेस्यूटिकल फर्मों द्वारा जाली दवाइयां बना कर बड़े पैमाने पर धन-लाभ कमाया जाना	Huge Profits by Foreign Pharmaceutical Firms by Conjuring Fake Manufacture . .	22
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2990	पूर्वी रेलवे के बर्दवान-हावड़ा-कोर्ड लाइन के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchement of Burdwan-Howrah Chord Lines Staff (Eastern Railway) . .	23
2991	पीने के पानी के नल की सुविधा से रहित पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का स्टेशन	Stations on N. E. F. Railway not provided with Drinking Water Taps . . .	24
2992	सलैया से मथुरा तक पाइपलाइन का निर्माण	Construction of Pipeline from Salaiya to Mathura . .	24
2993	राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के लिये रेल सुविधायें	Railway Services for Tribal Areas in Rajasthan . .	25

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2994	चौथी योजना में विद्युत उत्पादन के लक्ष्य	Target of Power Production in Fourth Plan	25
2995	प्रत्येक राज्य में कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित किया जाना	Setting up of Coal Based Power Projects in each State . .	25
2996	राजस्थान में ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Rajasthan	26
2997	उत्तर भारत में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Northern India	27
2998	पठानकोट रेलवे स्टेशन से स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats from Pathankot Railway Station .	27
2999	जगदलपुर और दांतेवाड़ा (दक्षिण पूर्व रेलवे) में लदान की सुविधाएं देने का अनुरोध	Request for Loading Facilities at Jagadalpur and Dantewara (South Eastern Railway) .	28
3000	गंडक परियोजना पर काम शीघ्र चलाने के लिए नेपाल का अनुरोध	Nepal Governments Request for Expediting Gandak Project .	28
3001	'इडिक्की' परियोजना के निर्माण के दूसरे चरण का केन्द्रीय सेक्टर में सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Second Stage Construction of Idikki Project in Central Sector . . .	29
3002	चौथी और पांचवीं योजना के दौरान भारतीय रेलवे की आत्मनिर्भरता और उसका आधुनिकीकरण	Self sufficiency and Modernisation of Indian Railways during Fourth and Fifth Plan Periods	30
3003	रेलवे स्टेशनों पर सैलून सुरक्षित रखने के लिए भूतपूर्व राजाओं से लिया जाने वाला किराया	Fare charged from Former Princes for keeping Saloons at Railway Stations . . .	30
3004	लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिये ग्राहकों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Customers for Liquified Petroleum Gas	30
3005	अजनी शेड (मध्य रेलवे) के इलैक्ट्रिकल विभाग के अन्तर्गत बिजली के सामान की देखभाल के लिए कर्मचारी	Staff for Maintenance of Electrical Store under Electrical Department Ajni Shed (Central Railway) . . .	31
3006	कुछ सैनिकों द्वारा पठानकोट एक्सप्रेस के ड्राइवर के साथ झांसी स्टेशन पर मारपीट	Manhandling of Driver of Pathankot Express at Jhansi Station by Military Personnel .	31
3007	पश्चिम बंगाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्यकरण	Functioning of O & N. G. C. in West Bengal . . .	32
3008	रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा सोलह वर्षीय लड़की के साथ कथित बलात्कार	Alleged Rape of a 16 year Old Girl by R. P. F. Personnel .	32

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3009	कोयले के मूल्य के बारे में रेलवे बोर्ड और कोयला उत्पादकों तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बीच मत-भेद	Differences between Railway Board and Coal producers and N. C. D. C. on price of Coal	32
3011	पदोन्नतियों और स्थानान्तरणों के बारे में अनियमितताओं की जांच करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति	High Power Committee to Investigate Irregularities in regard to Promotions and Transfers in the Railway Department	33
3012	गोग्राघाट और चौकघाट रेलवे स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के मध्य रेल पुल का निर्माण	Construction of Railway Bridge between Gograghat and Chowkaghat Railway Stations (N. E. Railway) . .	33
3013	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की विद्-युत परियोजना	D. E. S. U. Power Project .	33
3014	औशियानिक पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा नेफ्था का निर्यात	Export of Naphtha by Oceanic Petroleum Co. . . .	34
3015	गैस से बिजली का उत्पादन	Generation of Power by Gas	34
3016	उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए राज्यों द्वारा स्वीकृति मांगना	Approval sought by States for setting up Fertilizer Factories	35
3017	सोवियत संघ के सहयोग से विद्युत संयंत्रों का निर्माण	Construction of Power Plants in Collaboration with Soviet Union	35
3019	कलकत्ता लाइसेंस्ड मैज़र्स कलकत्ता को सरकारी अधिकार में लिया जाना	Taking over of Calcutta Licenced Measures, Calcutta .	36
3020	स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्टस् लि० कलकत्ता	Steel and Allied Products Ltd. Calcutta	37
3021	वीयको लारी लिमिटेड, कलकत्ता	V. I. E. C. C. O. Lawrie Ltd. Calcutta	37
3022	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम में संशोधन	Amendments to Monopolies and Restrictive Trade Practices Act	37
3023	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दिये जाने वाले अनुषंगी लाभों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए अनुदेश	Instructions for Ceiling on Fringe Benefits to Employees of Public Sector Undertakings	38
3024	दुर्घटनाओं की संख्या में कमी	Reduction in Number of Accidents	38
3025	चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप मजदूर संघ को मान्यता देने संबंधी निर्णय	Decision about Recognition of Union of Chittaranjan Locomotive Workshop . .	38
3026	मैसूर में उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वित किया जाना	Execution of Lift Irrigation Projects in Mysore . .	39
3027	कृष्णा और भीमा नदियों के साथ साथ पावरलाइनों का असंतोषजनक प्रबन्ध	Unsatisfactory Arrangements of Power Line along Krishna and Bhima Rivers . .	39

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3028	त्रिवेन्द्रम-नगरकोयल-कन्याकुमारी रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Trivandrum Nagarcoil Cape Comorin Railway Line . . .	39
3029	कुवैत के तेल संसाधनों का उपयोग करने के लिये उसके साथ सहयोग	Co-operation with Kuwait for Utilising their Oil Resources	40
3030	जजों की सेवानिवृत्ति की आयु	Retirement Age of Judges .	40
3031	एल० पी० जी० की निर्धारित अवधि के लिये एजेंसियाँ दिया जाना	Grant of Dealership for L. P. G. for specific Period . .	40
3032	रसायन उद्योगों के विकास की योजना	Scheme to develop Chemical Industries	41
3033	वर्ष 1972-73 में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में माल की चोरी	Goods Pilfered on N. E. F. Railway during 1972-73 .	41
3034	पूर्णिया जंक्शन, ठाकुरगंज, डलकोला, फार्बिसगंज और किशनगंज (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) से पटसन की गांठों के लिए माल डिब्बों की मांग और उनकी पूर्ति	Demand and Supply of Wagons for Jute Bales from Purnea Jn., Thakurgunj, Dalkola, Forbesgunj and Kishangunj (North East Frontier Railway)	42
3035	तटीय और तट-दूर क्षेत्रों में तेल की संभावनाओं का मूल्यांकन	Assessment of Oil Prospects in On-shore and Off Shore Areas	43
3036	विदेशों की अपेक्षा भारत में किराया-भाड़ा अधिक होना	Fares and Freight in India as Compared to Foreign Countries	43
3037	गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages .	44
3038	पूर्व रेलवे दानापुर और साहेबगंज के लोको शेडों के कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान के विरुद्ध लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Loco Mechanical Staff Association against Break in Service of Employees of Danapur and Sahebganj Loco Sheds (Eastern Railway) . .	44
3039	फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे का बन्द होना	Closure of Fatwa-Islampur Light Railway . . .	45
3040	पूर्वोत्तर रेलवे के कमतौल रेलवे स्टेशन पर बिजली और टेलीफोन की व्यवस्था करना	Provision of Electricity and Telephone at Kamtaul Railway Station, North Eastern Railway	45
3041	बिहार में बागमती धांस नदी में आई बाढ़ से हुई क्षति	Damages caused due to Floods in River Bagmati Dhans in Bihar	45
3042	बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई सम्बन्धी अधवाड़ा परियोजना, उत्तर बिहार का क्रियान्वित किया जाना	Adhwara Project of North Bihar as a flood Protection-*cum*-irrigation Project . .	46
3043	राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में रेलवे विकास का पुनर्विलोकन	Review of Railway Development in relation to National Development	46
3044	वर्ष 1972-73 में कोचीन तेल शोधक कारखाने में लाभ	Profit in Cochin Oil Refinery during 1972-73 . . .	47

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3045	कोचीन तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों को बढ़े हुए बोनस की अदायगी	Payment of Increased Bonus to Employees of Cochin Oil Refinery	47
3046	पश्चिम रेलवे द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में नियमित रूप से अध्यापकों की नियुक्ति	Appointment of Regular Teachers in Schools run by Western Railway . . .	47
3047	तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर बमों का पाया जाना	Bombs found at Tughlakabad Railway Station . . .	48
3048	रेलवे बुकिंग तथा आरक्षण पद्धति की जांच करने वाले संसद्-सदस्यों के पेनल की रिपोर्ट	Report of M. Ps' Panel on Railway Booking and Reservation system . . .	48
3049	गुजरात में बिजली की कमी	Shortage of Power Supply in Gujarat	48
3050	लोको संगचल स्टाफ की शिकायतें	Grievances of Loco Running Staff	49
3051	अधिक स्थान वाली लम्बी रेल गाड़ियां	Longer Trains with more seating Capacity . . .	49
3052	रेलवे लाइनों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Railway Tracks	49
3053	बिजली की कमी दूर करने के लिए उड़ीसा सरकार का सहायता हेतु अनुरोध	Orissa Governments request for help to solve Power Shortage	50
3054	नवम्बर, 1972 में रेल यात्रियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Rail Passenger Traffic November, 1972 .	50
3055	205 रुपये से 280 रुपये के (उत्तर रेलवे) सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रम के संबंध में अभ्यावेदन	Representation Regarding Promotion Course for A. S. M. Grade Rs. 205—280 (North Railway)	51
3056	कोचीन के पास इरिम्बानम के रेलवे कर्मचारियों को आवास भत्ता देना	Grant of House Rent Allowance to Railway Employees of Irimbanam near Cochin .	51
3057	अहमदनगर जिले में एक रेल इंजन और लारी ट्रेलर के बीच टक्कर	Collision between a Railway Engine and a Lorry Trailer in Ahmednagar District. . .	51
3058	कर्मचारी रहित रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाएं	Accidents at Unmanned level Crossings	52
3059	बारगोपाल और दिगवाड़ा स्टेशनों के बीच यात्रियों का लूटा जाना	Passengers robbed between Baragopal and Digwara .	52
3060	तापीय बिजली घर, ट्राम्बे (बम्बई) का बंद होना	Closure of Thermal Power Station Trombay (Bombay) .	53
3061	हल्दिया तेल शोधक कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार	Employment of Local People in Haldia Refinery . . .	53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3062	आयातित विद्युत उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब	Delay in construction of Power Projects due to Non-availability of Imported Power Equipment	53
3063	आयातित तैयार औषधियों की तुलना में आयातित कच्चे माल की लागत का अधिक होना	Higher Cost of Imported Raw Material than Imported Finished Drugs . . .	54
3064	हल्दिया और बड़ाडवार के बीच पाइपलाइन को पूरा करना	Completion of Pipeline between Haldia and Baradabar .	54
3065	स्टेशन मास्टरों को उच्च वेतनमान देना	Higher Scale of Pay for Station Masters	55
3066	पोलीथीन का उत्पादन कर रहे उद्योग	Industries manufacturing Polythin	56
3067	गुजरात में तेल के भंडार	Oil Reserve in Gujarat . .	56
3068	आगामी पांच वर्षों में देश में बिजली की अनुमानित आवश्यकता	Estimated Power Requirement in the country in next Five Years	57
3069	गुजरात में साबरमती और गांधी नगर को बड़ी लाइन से जोड़ना	Broad gauge link between Sabarmati and Gandhi Nagar in Gujarat	57
3070	गया, बिहार में वर्ष 1973–74 में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Gaya district (Bihar) during 1973-74	57
3071	1971 और 1972 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States by R. E. C. during 1971 and 1972	58
3072	गत तीन वर्षों में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travellers during the last three years	59
3073	नई दिल्ली से पठानकोट तक नई गाड़ी चलाने का अनुरोध	Request for starting a new Railway train from New Delhi to Pathankot.	60
3074	जगाधरी-पांवटा रेल लाइन का सर्वेक्षण	Survey for Jagadhari-Paonta Rail Link	61
3075	अम्बिकापुर तक रेलवे लाइन का विस्तार	Extension of Railway Line upto Ambikapur . .	61
3076	दक्षिणी क्षेत्र और शेष भारत के बीच रेल यातायात	Rail Movement between Southern Region and the rest Country	61
3077	आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी के कारण 13,000 व्यक्तियों के बेरोजगार होने की संभावना	Power cut likely to render 13,000 Jobless in Andhra .	62
3078	एकाधिकार आयोग का विभाजन	Bifurcation of Monopolies Commission.	62
3079	हावड़ा को "निर्यात स्पेशल" गाड़ी चलाना	Export Special to Howrah	63
3080	केरल में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of Fertilizer Factory in Kerala	63

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3081	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के कर्मचारियों द्वारा प्रशासन के विरुद्ध धरना भूख हड़ताल आदि	Dharna, Hunger strike etc. by Staff on Delhi Division (N.R.) against Administration .	63
3082	रंगवन नहर परियोजना	Rangwan Canal Project. .	64
3083	गंगा को कावेरी से मिलाने वाली परियोजना पर कलकत्ता में हुई गोष्ठी	Seminar on Ganga Cauvery Linking Project in Calcutta .	64
3084	गुजरात से मिले अशोधित तेल की मात्रा और खोदे गए कुओं की संख्या	Quantity of Crude obtained from Gujarat and Number of Wells drilled . . .	65
3085	चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा किए गये खर्च का ब्यौरा	Statements of Expenditure incurred by Political Parties on Election	65
3086	कलकत्ता के सियालदह रेल टर्मिनस को पूर्वी रेलवे की बी० ए० के० लूप लाइन से जोड़ने के लिए भागीरथी पर ऊपरी पुल का निर्माण	Bridge over River Bhagirathi to Link up Sealdah Railway Terminus of Calcutta with B. A. K. Loop Line of Eastern Railway . . .	66
3087	पूर्व रेलवे के सियालदह-लालगोला सेक्शन की पटरी का नवीकरण	Renewal of Sealdah-Lalgola Section Track (Eastern Railway)	66
3088	दिल्ली में हुआ विधि सम्मेलन	Law Conference held in Delhi	67
3089	पिछले तीन वर्षों में गुजरात को अशोधित तेल के लिये अदा की गई रायल्टी	Royalty for Crude Oil paid to Gujarat during last Three Years	67
3090	पांसकुडा-हल्दिया रेलवे परियोजना के कर्मचारियों को काम पर लगाना	Absorption of Pansukra-Haldia Railway Project Employees	67
3091	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में निर्मित विद्युतचालित इंजन	Electric Locomotive produced in Chittaranjan Locomotive Works	68
3092	मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जाना	Utilization of irrigation potential in Madhya Pradesh .	68
3093	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पिछले 12 महीनों में किय गए तथा आगामी 12 महीनों में किये जाने वाले ड्रिलिंग आपरेशन्स (खुदाई कार्य)	Drilling operations carried out during last 12 months and to be carried out in next 12 months by O & N. G. C. . .	69
3094	प्रत्येक राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को तेल, पेट्रोल तथा गैस की बिक्री हेतु दी गई एजेंसियां	Agencies for Sale of Oil, Petrol and Gas to *Ex*-Servicemen allotted in each state . .	69
3095	भारतीय उर्वरक निगम के महानिदेशक तथा निदेशक (पी० एण्ड एम०) के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Managing Director and Director (P& M) of F. C. I.	69
3096	दुर्गापुर के लिए सिटी बुकिंग आफिस	City Booking offices for Durgapur	70
3097	दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के एकक के चालू होने में विलम्ब के कारण हुई हानि	Loss caused of Durgapur Fertilizer Plant by delay in Commissioning the Unit . .	70

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3098	पटना में रेलवे सेवा आयोग की स्थापना की मांग	Demand for Railway Service Commission at Patna . .	70
3099	कोयले की अनुपलब्धता के कारण दक्षिण में गाड़ियों का बन्द होना	Discontinuance of trains in South due to non-availability of coal	71
3100	आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कम्पनियों के निदेशकों की नियुक्ति	Appointment of Directors of Companies on the basis of proportional representation .	71
3101	भूतपूर्व कम्पनी के कर्मचारियों को पेंशन और उपदान संबंधी लाभ	Pensionary and Gratuity benefits to Employees of *Ex*-Company	71
3102	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के लिये ट्रेक्शन मोटर का आयात	Import of Traction Motor for Chittaranjan Locomotive works	72
3104	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्टाफ काउंसिलों की बैठकें	Meeting of Staff Councils of Chittaranjan Locomotive Works	72
3105	लोको शेडों में लगे कुलियों को स्थायी दर्जा देना	Permanent status to porters engaged in Loco Sheds .	73
3106	असिस्टेंट कमर्शियल इन्सपैक्टर (दक्षिण पूर्वी रेलवे) के वेतनमानों का पुन-रीक्षण	Revision of scale of pay of Assistant Commercial Inspectors (South Eastern Railway) .	73
3107	पश्चिम बंगाल और सुन्दरबन में रेलों का विस्तार	Expansion of Railways in West Bengal and Sunderbans .	74
3108	बिजली के उत्पादन तथा वितरण के लिए पूंजी निवेश	Investment for generation and distribution of power . .	74
3109	जम्मू में खुदाई कार्य का असफल होना	Failure of drilling operations in Jammu	75
3110	व्यापारियों को उनके अपने डिवीजन के भीतर ही बैगनों की सप्लाई	Supply of Wagons of Traders from within the Division .	76
3111	कायमगंज स्टेशन के 'वेटिंग रूम्स' (प्रतीक्षालयों) में 'एटेन्डैन्टस' (परि-चारकों) की नियुक्ति	Posting of Attendants in Waiting Rooms at Kaimganj Station	76
3112	नंगल उर्वरक कारखाने के विस्तार के लिए विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for expansion of Nangal Fertilizer Factory	76
3113	1972-73 के दौरान राज्यों में हरिजन गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Harijan villages in States during 1972-73	77
3114	नदियों के किनारों पर पम्प लगा कर नदियों के जल का उपभोग	Utilization of water resources of rivers by installing pumps on rivers banks . . .	78
3115	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में अस्थायी रुप से कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करना	Employees Working in Temporary Capacity in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs and their confirmation . . .	78

2—3 L.S.S.(ND)/73

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3116	यांत्रिक गड़बड़ी वाले रेल के इंजनों और खराब ब्रेकों के कारण दुर्घटनाएं	Accidents due to Defective Locomotives and Lack of Adequate Brake Power .	79
3117	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों द्वारा अदालतों के दायर किये गये मुकदमों को लड़ने के लिए सरकार द्वारा किया गया व्यय	Expenditure incurred by Goverment to contest Cases in Court of Law Filed by Staff of Chittaranjan Locomotive Works	79
3118	खंडवा-अजमेर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Khandwa-Ajmer Metre Gauge Line into Broad Gauge	80
3119	खिड़कियां रेलवे स्टेशन पर ऊपरि पुल का निर्माण	Construction of Over-Bridge at Khirkia Railway Station .	80
3120	भुसावल और झांसी सैक्शनों पर जंजीर खींचे जाने की घटनाएं	Incident of Chain Pulling on Bhusawal and Jhansi Sections	80
3121	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच तापी नदी के जल का उपभोग करने के प्रश्न पर विवाद	Dispute on the Utilisation of Water of Tapti River between Maharashtra and Madhya Pradesh	81
3122	जजों को सेवा निवृति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution to Ban Judges from starting Practice in Supreme Court after Retirement . .	81
3123	खरची (मारवाड़ जंक्शन) पर शेड की व्यवस्था	Provision of Shed over Kharchi (Marwar Junction) . .	82
3124	यात्रियों के साथ रेलवे कर्मचारियों के आचार में सुधार	Improvement in the Conduct of Railway Employees towards passengers	82
3125	आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये उर्वरक कारखाने का विस्तार	Expansion of Fertilizer Factories to achieve self-sufficiency .	82
3126	130 रुपये से 240 रुपये और 205 रुपये से 280 रुपये के वेतनमान में सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों को स्थायी करना	Confirmation of A. S. Ms. and S.Ms. Grade Rs. 130—240 and Grade Rs. 205—280. .	83
3127	सहायक स्टेशन मास्टरों से जमानत राशि जमा कराय जाने के आदेश को लागू करना	Introduction of Security Deposit by Asstt. Station Masters	84
3128	दिल्ली डीविजन (उत्तर रेलवे) में 1957 से पूर्व नियुक्त किये गये सहायक स्टेशन मास्टरों का स्थायी न किया जाना	Non-Confirmation of Asstt. Station Masters appointed before 1957, in Delhi Division (Northern Railway) . .	84
3129	रेलवे अधिकारियों के लिए सैलूनों पर किया गया व्यय	Expenditure on Railway Officers Saloons . . .	84
3130	दिल्ली डीविजन (उत्तर रेलवे) में रेस्ट गिवर स्टेशन मास्टरों की व्यवस्था करना	Provision of Rest Giver Station Master, Delhi Division (Northern Railway) . . .	85

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3131	वेस्ट कोस्ट रेलवे पर आने वाली लागत	Cost of West Coast Railway	85
3132	तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालयों और डिब्बों की स्थिति	Condition of Third Class Waiting Rooms and Compartments	86
3133	केरल में पज्जाशी परियोजना का निर्माण कार्य	Work on Pazzassi Project in Kerala	86
3134	ब्रह्मपुत्र और गंगा को कावेरी नदी से मिलाकर भूमि की सिंचाई	Irrigation of Land by Linking up of Brahmaputra and Ganga with Cauvery . . .	87
3135	मेरठ शटल को डीजल इंजन से चलाना	Dieselisation of Meerut Shuttle	87
3136	उर्वरक कारखानों की स्थापना के बारे में नीति	Policy regarding setting up of fertiliser Plants . . .	87
3137	अन्य देशों की तुलना में भारत में पारेषण व्यवस्था के कारण बिजली का नष्ट होना	Transmission loss of power supply in India as compared to other countries . .	88
3138	1962 के पश्चात् स्वतंत्र रूप से तथा सहयोग से स्थापित हुए औषध उद्योगों की संख्या	Number of Drug Industries set up after 1962 Independently or with foreign collaboration	88
3139	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे बोर्ड के अंतर्गत जलपाईगुडी जिले के दोमोहिनी-लतागुरी रेलवे लिंक लाईन का निर्माण	Construction of Domohini-Lataguri Railway Link Line of Jalapaiguri District (North Frontier Railway) . .	89
3140	उत्तर प्रदेश के बेरेली जिले में तेल, पैट्रोल तथा गैस की बिक्री के लिए भूतपूर्व सैनिकों को एजेन्सियां देना	Agencies for sale of Oil, Petrol and Gas allotted to *ex*-servicemen in Bareilly District of U. P.	89
3141	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के साथ सम्बन्ध	Relation of Ministry of Petroleum and Chemicals with Indian Petroleum Institute, Dehradun	90
3142	उत्तर प्रदेश और पंजाब में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Fertiliser Plants in U. P. and Punjab in Co-operative Sector . . .	90
3143	गुजरात में भावनगर और तारापुर के बीच रेलव लाइन	Railway line between Bhavnagar and Tarapur in Gujarat	91
3144	इंडेन गैस की सप्लाई स्थिति में सुधार	Improvement in the supply of Indanee Gas . . .	91
3145	खुर्दा रोड़ रेलवे स्टेशन पर एक सवारी रेलगाड़ी को आग लगाना	Setting on fire a passeneger train at Khurda Road Railway Station	91
3146	सामान्य उपयोग में आने वाली औषधियों के मूल्यों में कमी करना	Reduction in prices of medicinal preparations of common use	92
3147	केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा बिजली परियोजनाओं का निर्माण	Construction of power projects by C. W. P. C. . . .	92
3148	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा होना	Completion of major irrigation projects	92

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3149	पतरातु तापीय बिजली घर की एक यूनिट का बन्द होना	Closure of unit of Patratu Thermal Power Station .	93
3150	पांडिचिरी में तापीय बिजलीघर की स्थापना	Setting up of a Thermal Power Station at Pondicherry .	94
3151	महानदी बेसिन में हसदियों (बांगों) परियोजना की तकनीकी जांच	Technical examination of Hasdeio (Bango) Project in Mahanadi Basin . . .	94
3152	गोदावरी बेसिन विवाद	Godavari Basin dispute .	94
3153	दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों के हैल्थ इंस्पेक्टरों को साप्ताहिक छुट्टी/समयोपरि भत्ता	Weekly rest/O.T. allowance to Health Inspectors of Delhi and New Delhi Station. .	95
3154	अजमेरी डिविजन (पश्चिम रेलवे) में सेवावधि के आधार पर टी० ए० जी० सी० क्लर्कों आदि की नियुक्ति	Posting of T. A. G. C., Assistant Goods Clerks etc. on Tenure Basis in Ajmer Division in Western Railway . .	95
3155	दक्षिण पूर्व रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण समिति के बारे में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट	Reserve Bank Report on S. E. Railway Employees Co-operative Credit Society . .	95
3156	कलकत्ता में भूमिगत रेलवे की व्यवस्था के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता	Foreign Exchange required for construction of Underground Railway in Calcutta . .	96
3157	वेस्ट कोस्ट फर्टीलाइजर प्लांट के लिए स्थान की खोज	Search for site for West Coast Fertilizer Plant . . .	96
3158	कम्प्यूटर लगाने के कारण कर्मचारियों की छंटनी को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to avoid Retrenchment due to Installation of Computers	97
3160	पंजाब के मंसा स्टेशन से मक्का की ढुलाई	Transportation of Maize from Mansa Station in Punjab .	97
3161	पश्चिम बंगाल में गांवों में बिजली लगाया जाना	Electrification of Villages in West Bengal . . .	98
3162	उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये न्यायाधीशों के पदों का आरक्षण	Post of Judges Reserved for Scheduled Caste and Scheduled Tribes in High Courts .	98
3163	दातेवास रेलवे स्टेशन पर पानी की सप्लाई का प्रबन्ध	Arrangement of Water Supply at Datewas Railway Station	99
3164	यात्रियों की भीड़ कम करने के लिये हावड़ा तथा समस्तीपुर के बीच एक्सप्रेस रेल गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of Express Train between Howrah and Samastipur to ease overcrowding .	99
3165	इन्डियन रेलवेज टिकट चैकिंग स्टाफ एसोसियेशन का संकल्प	Resolution by Indian Railways Ticket Checking Staff Association	99
3166	तूतीकोरिन उर्वरक उद्योग समूह	Tuticorin Fertilizer Complex	100

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3167	वर्ष 1972-73 के दौरान रेल कर्मचारियों को पेंशन लाभ	Pensionary Benefits to Railway Employees During 1972-73 .	101
3168	सिंचाई कार्यों के लिये त्रिपुरा को सहायता	Assistance to Tripura for Irrigation Work . . .	101
3169	मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर रेल सम्पत्ति की चोरियां	Theft of Railway Property at Mughal Sarai Railway Station	102
3170	कक्काडाव तथा पयास्विनी सिंचाई परियोजनाओं के अनुमान	Estimates of 'Kakkadave and 'Payaswini' Irrigation projects	103
3171	कलकत्ता के पेट्रोलियम श्रमिकों पर हमले	Assault on Petroleum Workers in Calcutta . . .	103
3172	राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण की असमान प्रगति	Uneven progress of Rural Electrification in States .	103
3173	वाराणसी में आफीसर्स क्लब का निर्माण	Construction of Officers' Club in Varanasi. . .	104
3174	सिम्लुगुरी स्टेशन के समीप रेलवे सुरक्षा दल द्वारा एक युवक की कथित हत्या	Alleged killing of a Young Man by R.P.F. near Simulguri Station . . .	105
3175	अमरीका में अध्ययन हेतु लम्बी अवधि के लिये गए यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा अंशकालिक रोजगार प्राप्त करना	Part-time jobs taken up by Officers of Mechanical Engineering Department on long leave in U.S.A. . .	105
3176	बाम्बे हाई में छिद्रण कार्यों के लिये फ्लोटिंग प्लेटफार्म का परीक्षण	Testing of Floating Platform for Drilling Operations in Bombay High . . .	106
3177	बिजली बनाने वाली परियोजनाओं के लिये उपकरणों का उत्पादन	Manufacture of Equipments for Power Generating Projects .	106
3178	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुम्डिग डिवीजन में कामर्शियल क्लर्कों की कमी	Shortage of Commercial Clerks over Lumding Division (Northeast Frontier Railway)	107
3179	आल इण्डिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स एसोसियेशन के जोनल सेक्रेटरी द्वारा कर्मशियल सुपरिन्टेंडेंट पूर्वोत्तर रेलव को दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Zonal Secretary, All Indian Railway Commercial Clerks Association to Chief Commercial Supdt. North Eastern Railway	107
3180	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में बिजली विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश रद्द किये जाने के बारे में जांच	Enquiry into cancellation of Transfer orders of Employees of Electric Department, Ajmer Division (Western Railway) .	108
3181	केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा उड़ीसा की आनन्दपुर बांध परियोजना को अनापत्ति पत्र देना	Clearance of Anandpur Barrage Projects, Orissa by C.W.P.C.	109
3182	उड़ीसा द्वारा तल्चर तापीय बिजली घर के बारे में प्रतिवेदन	Report of Talchar Thermal Power Station by Orissa .	109

2—3 L. S. S. (ND)/73

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3183	45 अप हावड़ा हैदराबाद एक्सप्रेस में खतरे की जंजीर खींचने के मामले	Cases of Alarm Chain pulling in 45 UP Howrah-Hyderabad Express	109
3184	खुरदा रोड डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के डिवीजनल सुपरिटेंडेन्ट को जटनी यूथ कांग्रेस द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Jatni Youth Congress sent to Divisional Superintendent Khurda Road Division (South Eastern Railway). . .	110
3185	पौंग बांध क्षेत्र से विस्थापित हुए लोगों को पुन: बसाना	Rehabilitation of oustees from Pong Dam Area . . .	110
3186	किसी सेक्शन पर रेल गाड़ी के यात्री के रूप में चलने पर भी एक्सप्रैस गाड़ी का किराया लिया जाना	Charging of Express fare even when Train runs as Passenger train on a Section . .	110
3187	छोटे व्यापारियों को माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons to Small Traders	111
3188	रेलवे द्वारा 15-20 वर्षीय योजना बनाना	Formulation of 15—20 Years plan by Railway. .	111
3189	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अपने हाथ में लेना	Taking over of D.E.S.U.	111
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance	112
	गोमिया स्थित इंडियन एक्सप्लोजिव बारुद कारखाने में विस्फोट का समाचार	Reported Explosion in the Indian Explosives Factory at Gomia	
	डा० हरी प्रसाद शर्मा	Dr. H. P. Sharma	112
	श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subra Maniam .	
	मंत्री द्वारा दिये गये कथित गलत वक्तव्य के बारे में	Re. Alleged wrong statement by Minister	115
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	118
	सभापतियों की नामिका के लिए नियुक्ति	Appointment to Panel of Chairman	119
	(श्री० एस० ए० कादर)	(Shri S. A. Kader)	
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
	71 वां प्रतिवेदन	Seventy-first Report . .	119
	राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवदनों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. submission of Interim Report by the National Commission on Agriculture	120
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	
	कम्पनी (संशोधन) अधिनियम	Companies (Amendment) Bill	
	संयुक्त समिति में एक सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to appoint a Member to Joint Committee .	125

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
पाकिस्तान को शस्त्रों को सप्लाई पुनः शुरू करने के प्रश्न पर अमरीका द्वारा विचार करने के समाचार के बारे में	Re. reported consideration by U.S. of resumption of arms supply to Pakistan . .	126
सूती और नायलान धागों के मुल्यों में वृद्धि के समाचार के बारे में	Re. reported rise in prices of cotton and Nylon yarns .	126
सामान्य बजट, 1973-74—सामान्य चर्चा	The General Budget, 1973-74— General Discussion . .	127
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	127
श्री बी० ि० मौर्य	Shri B. P. Maurya . .	129
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty .	129
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	Shri Narendra Singh Bisht	131
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta . .	132
श्री रघुनंदन लाल भाटिया	Shri Raghunandan Lal Bhatia	133
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	134
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	136
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम	Shri S. A. Muruganantham	137
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi .	138
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody .	139
श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushok Bakula . .	141
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar .	142
श्री अप्पालानायडू	Shri Appalanaidu .	142
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	143
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman	145
श्री रामसहाय पाण्डे	Shri R. S. Pandey . .	146
श्री पी० गंगादेव	Snri P. Gangadeb . .	147
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel .	148
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh .	149
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	·50

4—3 L. S. S. (N.D.)/73

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 13 मार्च, 1973/22 फाल्गुन, 1894 (शक)
Tuesday, March 13, 1973/Phalguna 22, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रेल्वे में खान-पान व्यवस्था में सुधार करना

*301. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाड़ियों में खान-पान व्यवस्था में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सभी रेलों में विभागीय खान-पान व्यवस्था प्रारम्भ की जायगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग) विभागीय खान-पान व्यवस्था सभी रेलों पर सीमित रूप में पहले से ही मौजूद है ।

विवरण

(क) भोजनयान खान-पान व्यवस्था के परम्परागत तरीके में सुधार करने के उद्देश्य से नयी दिल्ली और बम्बई सेंट्रल के बीच 3 डाउन/4 अप फ्रंटियर मेल पर में परीक्षण के तौर पर एक नया तरीका अपनाया गया है । भोजन स्थैतिक भोजनालयों में पका कर वहाँ से उठा लिया जाता है और पैंट्रिकार में गरम पेटियों में इकट्ठा कर लिया जाता है । यह चलती गाड़ियों में उपयुक्त समय पर यात्रियों को परोसा जाता है । इस तरीके के लाभ ये हैं कि पट्रीकार स्वच्छ रखी जा सकती है, चलती हुई गाड़ी में धुलाई नहीं करनी पड़ती और बेयरे तथा बावर्ची स्वच्छ वर्दी में रह सकते हैं । इस प्रकार की सेवा मद्रास-नयी दिल्ली ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में हाल ही में शुरू की गयी है । यात्रियों ने इस व्यवस्था को व्यापक रूप से सराहना की है । इस व्यवस्था को अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियों में भी निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर शुरू करने का विचार किया जा रहा है ।

Shri Onkar Lal Berwa : It would have been better if Question No. 317 is also taken up with this question.

Mr. Speaker : That is a different question altogether.

Shri S. M. Banerjee : We have usually noticed that the quality of the sweets to be sold on the railway platforms has been deteriorating day by day and it is alleged that the charges realised from the contractor are so high that he cannot supply sweets of good quality. On a previous occasion I had drawn the attention of the Minister of Railways that the quality of sweets continues to deterriorate *i.e.*, **Laddus** and **Pedas** of very low quality are available and **Laddus** are so hard that they will not break even if struck against the earth. What efforts are being made to improve their quality ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Efforts are made every time for improving Departmental Catering. Considerable attention will be paid to the particular complaint made by the hon. Member about the sweets. However, I would like to tell that in every case the Departmental Checking staff check the sweets before they are brought at the platform for sale. If there is any specific case, as the hon. Member has referred, I shall definitely look into that.

Shri S. M. Banerjee : The hon. Minister assured the House yesterday that the food packets were being prepared for the passengers of Class III. May I know whether this system will be introduced on all the railways and what will be the minimum price of that food packet ?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : There is no question of class in it. We want to minimise the varieties of food articles to the maximum possible exetent. The sale of so many food articles and that too not in a proper way causes the to accumulation on them. Therefore, one packet will contain 8 pure, good and hot **Puris** and potato sabzi and a sweet piece and it will be our effort to supply such packets at the rate 75 paise per packet. Souterners may take such food as in generally available in South India. We are trying to minimise the varieties in order to have cleanliness.

श्री पीलू मोदी : अनेक ऐसा कहने से हमारे मुंह में पानी आ गया है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Is it a fact that the unauthorised contractors supply mostly dirty food on the Eastern Railway. When I asked the railway catering they replied that the **unauthorised contractors did not allow them** to provide food. What the Govrenment is doing in this direction ?

Mr. Speaker : It is a general question, it does not arise out of it.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : No such case has come to our notice. Whatever the hon. Member has said will be looked into.

Shri D. N. Tiwary : While the departmental catering was introduced following the unresignation by a contractor and that is earning profit of the order of Rs. two to three thousand per month., Why the negotiations are on for giving contract to the contractor on the North-Eastern railway between Pahalejaghat and Mahendrughat ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There is nothing like that. Usually it happens that when a contract expires the contractor seeks stay order from the Court. We do not contemplate to bring about any change where the performance of departmental catering is satisfactory.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हाल ही में रेलवे विभागीय खान-पान व्यवस्था को निजी ठेकेदारों को सौंप रही है । उस संदर्भ में क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि पिछले एक वर्ष के दौरान कितन भोजनाल और भोजनयानों को विभागी खान-पान व्यवस्था से नीजि ठेकेदारों को सौंपा गया ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह सरकार की नीति नहीं है कि विभामीय खान-पान व्यवस्था को निजी ठेकेदारों को सौंपा जाये । परन्तु कई परिस्थितियों में जहां विभागीय खान-पान

व्यवस्था चल रही होती है तो हमारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है कि किसी विशेष प्लेटफार्म पर समूची खान-पान व्यवस्था विभाग द्वारा ही की जाये । मेरे विचार से एक ऐसा मामला है जिसमें एक गाड़ी का ठेका ठकेदार को इसलिये दे दिया गया क्योंकि विभाग को उससे घाटा हो रहा था । अतः यह ठेका ठेकदार को दिया गया जिससे हम घाटा कम कर सके हैं और यात्रियों को दिये जाने वाले भोजन में सुधार भी ध्यान में आया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह पूछा था कि क्या नीजि ठेकेदारों के हाथ में कोई भोजनालय भी है ? रेलवे में खान-पान व्यवस्था में सुधार इसलिये संभव नहीं है क्योंकि यह निजी लोगों के हाथों में है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह प्रश्न खान-पान व्यवस्था में सुधार करने से सम्बन्धित है । क्या हाल ही में एक महत्वपूर्ण गाड़ी कालका-हावड़ा मेल में खान-पान व्यवस्था का ठेका एक नीजी ठेकेदार को दिया गया था । चार-पांच दिन पहले मैं इस गाड़ी में यात्रा कर रहा था । दोपहर में एक बजे जब मैंने भोजन के लिये कहा तो आदमी आया और उसने बताया कि भोजन इसलिये नहीं दिया जा सकता कि कई चीजें खत्म हो गई हैं । निजी ठेकेदारों की यह व्यवस्था है जिन्हें आप खान-पान व्यवस्था सौंप रहे हैं । क्या सरकार समझती है कि इससे खान-पान व्यवस्था में सुधार होगा ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : यदि उसका कार्य संतोषजनक नहीं है तो हमारे लिय यह आवश्यक नहीं है कि उसका ठेका चलने दें । उसे किसी भी समय बंद किया जा सकता है ।

Shri Narendra Singh Bisht : Will the Government pay attention to the catering on the metre-gauge line from Kathgodam-Tanakpur to Ram Nagar because it is not satisfactory ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The hon. Minister has said that this facility will be extended to every place and every railway. There is no need to give any assurance about it.

श्री मोहम्मद खुदा बक्श : क्या भोजनालयों और भोजनयानों में यूरोपीय पद्धति से मदीरा बेचने की अनुमति से खान-पान व्यवस्था में सुधार होगा ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : जी, नहीं । रेलवे में उसकी खान-पान सेवा के अन्तर्गत मदीरा नहीं बेची जाती है ।

श्री राम रतन शर्मा : मंत्री महोदय ने बताया है कि यात्रियों द्वारा इसकी व्यापक रूप से सराहना की गई है । रेल्वे द्वारा रेलवे में दिये जाने वाले भोजन की किसने सराहना की है । यदि उनको इस सम्बन्ध में यात्रियों से कोई पत्र मिले हों तो क्या वह उन पत्रों को सभा-पटल पर रखने को तैयार हैं ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : जिन्होंने यह भोजन किया है उन्होंने सराहना की है । हमें कई प्रमाण-पत्र और सराहना पत्र मिले हैं । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन पत्रों को और सारे आंकड़ों को सभा-पटल पर रख सकता हूँ । संख्या 15 और संख्या 16 गाड़ियों में खान-पान की नई व्यवस्था आरंभ की गई है । ऐसा 1-4-73 से किया गया है । स्टेशनों पर स्थित रसोई-घरों से भोजन ले लिया जाता है और उसे गाड़ी में यात्रियों को दे दिया जाता है और इस विशेष प्रकार की खान-पान व्यवस्था के बारे हमें यात्रियों से सराहना पत्र मिले हैं और इसी कारण हम यह व्यवस्था 25 डाउन तथा 26 अप गाड़ियों में भी आरंभ कर रहे हैं । यह व्यवस्था इसी महीने से दिल्ली से बम्बई सेंट्रल तक जाने वाली वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ी में भी आरंभ की जायगी । मैंने आरंभ में जिस भोजन के बारे में बताया है उसकेलिये जन-साधारण ने जो सराहना की है उसको ध्यान में रख कर मैंने ऐसा कहा है ।

बंगलोर तक के लिए विशेष कोयला गाडीयों का चलाया जाना

*302. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने रेलवे अधिकारियों से अनुरोध किया है कि बंगलोर तक के लिये कुछ विशेष कोयला गाड़ियां चलाई जाये ताकि उस राज्य में सामान्य रूप से और उस नगर में विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट को रोका जा सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के आन्दोलन के कारण दक्षिणी क्षेत्र में रेल परिचालन गम्भीर रूप से अस्त व्यस्त हो गया था । इसके परिणामस्वरूप मैसूर राज्य के लिये कोयले और कोक की धुलाई पर बुरा प्रभाव पड़ा । फरवरी, 1973 के अन्त में स्थिति में सुधार होने के साथ साथ मैसूर राज्य के लिये कोयले के परिवहन में वृद्धि हुई है । बंगलुरु कैंट के लिये 25-2-72 को हार्ड कोक का एक रेक भी आबंटित किया गया है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : समय समय पर अनपेक्षित परिस्थितियों और उद्योगों को पेश आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय रेलवे बोर्ड को कोयले की अधिक सप्लाई के लिये सलाह देंगे ताकि इस प्रकार की स्थिति में सुधार करने के लिये पर्याप्त स्टार तैयार किया जा सके । क्या कमी को दूर करने हेतु हार्ड कोक की अधिक सप्लाई की जायेगी ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : वैगनों की उपलब्धता की सीमा में हार्ड कोक तथा स्लैक कोल दोनों की सप्लाई बढ़ा दी जायेगी ।

रेलवे स्टोर्स और उपकरणों के मामलों मे आत्म निर्भरता

*303. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रेलवे की स्टोअर्स और उपकरणों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये लगभग आत्मनिर्भर हो गया है; और

(ख) यदि नहीं तो देश इस सम्बन्ध में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां, 1971-72 के दौरान 413 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद में से 40 करोड़ रुपये का आयात किया गया जो 1951-52 में लगभग 30 प्रतिशत की तुलना में 10 प्रतिशत से भी कम है ।

(ख) आत्मनिर्भरता की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है । अधिक से अधिक देशी मदों का सुधार करने के ज़ोरदार प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या वर्तमान दर के अनुसार आयात किये बिना ही रेलवे को आधुनिक बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : देशी साधनों से 'ट्रैक्शन' और 'रोलिंग स्टाक' दोनों को ही आधुनिक बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं । यह सुनिश्चित करने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं कि आयात में कटौति की जाय और आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाए ।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या यह सच है कि अमरीका से बिक्री संवर्धन दल यहां पर उपकरण बेचने के लिए आ रहा है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : समाचार पत्रों में ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ था कि एक दल भारत आ रहा है परन्तु यह सरकारी दल नहीं है। यह नीजी व्यक्तियों का एक दल है जो यह सुनिश्चित करने के लिये आ रहा है कि किन किन वस्तुओं की बिक्री की जा सकती है।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने रेल बजट पर अपने भाषण में इस बात पर बल दिया था कि रेलवे के माल की निर्यात की आत्यधिक संभावना है। स्टोअर्स और उपकरण जैसीं मदों का निर्यात किन किन देशों को किया गया है जिनके लिये संभवतया मंत्री महोदय को निर्यात में अत्यधिक संभावना उपलब्ध हुई ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्रा) : वे मुख्यतया वैगन है, हमें युगोस्लोवाकिया से आदेश मिले हैं और सप्लाई आरम्भ हो गई है। इस से पहले हमें रूस से आदेश मिले थे। हमें पोलंड से भी आदेश मिलने की आशा है।

विभिन्न देशों द्वारा रेलवे सम्बन्धी ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र

*304. **श्री बी० के० दास चौधरी :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों के रेलवे सम्बन्धी ज्ञान के आदान-प्रदान के लिये देश में निकट भविष्य में कोई अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्रा) : (क) भारत में इस प्रकार का कोई अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि विदेशों से रेलवे उपकरणों की मांग को ध्यान में रखते हुए वे निर्यात के विक्रय में वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहे है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या में मंत्रीमहोदय से जान सकता हूँ कि क्या वे हर दृष्टि से भारतीय रेलवे के सराहनीय विकास को ध्यान में रखते हुये यदि केन्द्र नहीं तो, एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्टी के आयोजन सम्बन्धी प्रस्ताव पर पुन: विचार करेंगे ताकि हम अधिक रेलवे माल तकनीकी जानकारी अन्य देशों को बेचकर विदेशी मुद्रा कमा सकें।

श्री एस० एन० मिश्रा : भारत, अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे कांग्रेस संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे संघ नामक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य है। ये दो संस्थाओं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ है और भारत उनका सदस्य है और यह नये विचारों, नई गतिविधियों तथा नयी तकनीक के आदान प्रदान के लिये है। जहाँ तक निर्यात का सम्बन्ध है, यह एक विभिन्न विषय है, निर्यात की मांग के बार में मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि इसकी कोई कमी नहीं। प्रश्न विदेशों की मांगों को पूरा करने से सम्बन्धित हमारी क्षमता का है।

श्री पी० एम० मेहता : क्या जुलाई में रेलवे संबंधी ज्ञान मिलजुल कर ग्रहण करने संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय ग्रुप की कोई बैठक हुई थी ? यदि हां, तो इसमें कितने दशों ने भाम लिया और

बैठक के निष्कर्ष क्या हैं ? क्या जून के महीने में पेरिस में हुई बैठक की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु मशीनरी का गठन करने सम्बन्धी कोई निर्णय लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस अनुपूरक प्रश्न को मूल प्रश्न से कैसे जोड़ सकते है ?

श्री पी० एम० मेहता : पी० टी० आई० के अनुसार.......

अध्यक्ष महोदय : पी० टी० आई० का कोई प्रश्न नहीं । प्रश्न रैलवे संबंधी ज्ञान को मिलजुलकर ग्रहण करने का था । इन्होंने उत्तर में नहीं कहा ।

श्री पी० एम० मेहता : मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या रेलवे ज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय ग्रुप की कोई बैठक दिल्ली में हुई थी । उन्हें इसका उत्तर देने दें क्योंकि कहा जाता है कि विभिन्न देशों द्वारा रेलवे ज्ञान को मिलजुलकर ग्रहण करने के सम्बन्ध में अन्तराष्ट्रीय ग्रुप की बैठक का सुझाव दिया गया था...

अध्यक्ष महोदय : मैं तर्कों में नहीं पड़ना चाहता। इसमें उत्तर से भी अधिक समय लगेगा।

श्री एल० एन० मिश्रा : सन् 1922 में बने रेलवे के अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने 1972 में पेरिस में अपनी स्वर्ण जयंती मनायी । एक तदर्थ समिति का गठन किया गया जिसकी बैठक फरवरी में दिल्ली में हुई रलव बोर्ड के अध्यक्ष श्री बालिगा ने इसकी अध्यक्षता की । उन्होंने विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया । यदि आप चाहे तो मैं इसकी चर्चा कर सकता हूँ यह एक पूरा पृष्ठ है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे मूल प्रश्न सम्बन्धित नहीं ।

श्री राम सहाय पांडे : क्या रेल मंत्री उन देशों के नाम जानते है जो रेलवे की गति, एलैक्ट्रानिक्स आदि के मामले में बहुत प्रगतिशील हैं, यदि मंत्री महोदय नहीं जानते तो हमें सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बहुत कुछ जान सकते है यह सब प्रश्न से संबद्ध होना चाहिये ।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या अन्य देशों विशेषकर जापान, बेलजियम अथवा संयुक्त राज्य अमरीका में रेलवे ज्ञान को मिलजुलकर ग्रहण करने सम्बन्धी कोई अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र हैं ?

श्री एल० एन० मिश्रा : मैं कह चुका हूँ कि दो अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं जिनकी भारतीय रेलवे भी सदस्य है, जापान भी शायद उसका सदस्य है, लेकिन पेरिस में हुए सम्मेलन में, एशिया के देशों में से भारत ने भाग लिया । मलेशिया तथा पाकिस्तान उपस्थित नहीं हुए । हो सकता है कि जापान ने भी भाग लिया हो लेकिन इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं । यह अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं उन अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरह है जिसके सम्मेलन समय समय पर होते हैं और जिनमें अनेक देश भाग लेते हैं ।

सिंचाई क्षमता के संबंध में अप्रयुक्तता

*305. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में पैदा की गई ऐसी सिंचाई क्षमता के संबंध में जो अप्रयुक्त पड़ी है कोई अध्ययन किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लियें क्या कार्यवाही की है कि उत्पन्न सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग हो ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) प्रायः सभी नई परियोजनाओं में सिन्चाई शक्यता के समुपयोजन में हमेशा कुछ विलम्ब हो जाया करता है—विशेष रूप से उसके अंतिम चरण में । इन क्षेत्रों को विकसित करने में अभी कुछ वर्ष लगेंगे तभी समस्त परिकल्पित शक्यता को उपलब्ध किया जा सकेगा ।

स्वतंत्रता के पूर्व पूर्ण समुपयोजन के लिए दस वर्षों का समय दिया जाता था । अतिरिक्त खाद्यान उत्पादन के दृष्टिकोण से राज्य सरकारों ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिये कई प्रकार के उपाय किये । इनमें मुख्य नहर और शाखाओं सहित 40 हेक्टेयर खंड को सेवित करने वाली छोटी नहरों का समन्वित निर्माण कार्य, क्षेत्रीय चैनलों के निर्माण के लिये किसानों को ऋण सुविधा का उपबन्ध तथा तकनीकी सलाह, नालियों और भूमि का सुधार, क्षेत्रीय चैनलों का निर्माण तथा लाभभोगियों से उसकी लागत को प्राप्ति जहां भी इसके निर्माण में विलम्ब हुआ हो, बीज, उर्वरक, आदि की पूर्ति की सुविधाओं की वृद्धि, अनुसंधान, प्रदर्शन और किसानों का प्रशिक्षण जैसे कार्य, सम्मिलित हैं । कुछ बृहद परियोजनाओं पर व्यापक आयाकट विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें नियमित बाजार सुविधाओं का विकास, पक्की सड़कों और भंडारों का निर्माण शामिल है । किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप सिंचाई शक्यताओं के समुपयोजन में गत अवधि के दौरान यथेष्ट वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :—

के अन्त तक	शक्यता	समुपयोजन
	(मिलियन हैक्टरों में)	
पहली योजना	2.48	1.58
दूसरी योजना	4.63	3.34
तीसरी योजना	6.46	5.47
चौथी योजना के शुरू में	8.45	7.06
1969-70	8.93	7.49
1970-71	9.30	7.76
1971-72	9.81	8.11
1972-73 (प्रत्याशित)	10.71	8.86

गत वर्षों के उत्पन्न शक्यता के समुपयोजन का राष्ट्रीय औसत लगभग 90 प्रतिशत है । इतने पर भी उत्पन्न की गई शक्यता के पूर्ण उपयोग के लिये हर प्रयत्न किए जा रहे हैं । सिंचाई के राज्य मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है जिसके द्वारा देश में क्षेत्र अनुसार और परि-योजना अनुसार समुपयोजन के वर्तमान ढंग का विश्लेषण, समुपयोजन में विलम्ब तथा त्रुटि के कारणों का विश्लेषण तथा ऐसे क्षेत्रों या परियोजनाओं की पहचान जहां इस संबंध में तुरत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, नियोजन के विभिन्न चरणों में सुधार के उपायों की सलाह-समुचित और शीघ्र समुयोजन को संभव बनाने के लिए कार्यान्वियन और प्रचालन के संबंध में सलाह दी जाएगी । इनकी रिपोर्ट अगले दो महीनों के अन्तर्गत प्राप्त होने की संभावना है ।

श्री रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने कहा है कि लगभग 90 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया है । यह बहुत अच्छी बात है । कुछ क्षेत्र जो कमी क्षमता का अच्छा उपयोग करते थे अब इसका पूरा उपयोग नहीं कर रहे । क्या ऐसे क्षेत्र इसमें शामिल नहीं किये गये ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मेरे विचार में माननीय सदस्य निज़ाम-सागर परियोजना की चर्चा कर रहे हैं । वहां इस वर्ष पानी की कमी के कारण सिंचाई से पानी सप्लाई नहीं किया जा सका । इस सूची में इस प्रकार की परियोजनाएँ शामिल नहीं । आंकड़े केवल बिलकुल नई सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, क्षमता तथा उसके उपयोग के बारे में दिये गये हैं ।

श्री रामगोपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से राज्य इसका शत प्रतिशत उपयोग कर रहे है और कौन कौन से राज्य इसमें पीछे है ।

डा० के० एल० राव : 33 बड़ी बड़ी परियोजनाओं और 97 मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं के जल का उपयोग 85 प्रतिशत से कम है । हम शुरू की गयी परियोजनाओं के आधार पर इसका अनुमान नहीं लगाते । जिन राज्यों और परियोजनाओं में विभिन्न कारणों से क्षमता का उपयोग नहीं हो सका उनके नाम इस प्रकार हैं :—

आंध्र—कुछ सीमा तक पोचमपद और पानी की नहर II के कारण; मैसूर—तुंगभद्रा परियोजना; महाराष्ट्र—हाल में शुरू की गई माये, पद्मा तथा अन्य परियोजनायें; गुजरात—काकरपारा, माहली आदि आदि । इसके बाद बिहार जहा कोसी की तरह सिंचाई की व्यवस्था बुरी है ।

एक माननीय सदस्य : केरल की स्थिति क्या है ?

डा० के० एल० राव : केरल की स्थिति ठीक है ।

श्री के० लकप्पा : यदि नदियों के सभी प्राकृतिक साधनों का उपयोग देश के बड़े हितो के लिये किया जाता, तो हमें इस सूखे तथा दुर्भिक्ष की प्राकृतिक विपदाओं का सामना न करना पड़ता । यह बात दुर्भाग्य की है कि प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग नहीं किया गया है । गंगा और कावेरी के जोड़ने का प्रश्न भी वर्षों से चल रहा है । मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि इस पर कब विचार होगा तथा मैसूर को इस में शामिल किया जायेगा । इस बारे में एक बड़ा विवाद चल रहा है । क्या कारण है कि कावेरी नदी क्षेत्र में सारी परियोजनाएँ अभी विचाराधीन ही है और उनके लिये इस मंत्रालय की अनुमति नहीं मिल सकी जिसके फलस्वरूप मैसूर के दुर्भिक्ष क्षेत्रों के विकल्प के लिये पानी का पूरा उपयोग नहीं हो सका है । हम योजना से बाहर तथा राज्यों की राशि का ही उपयोग कर रहे है । केन्द्र अनुमति न दिये जाने के कारण एक पाई भी नहीं द रही । यह प्रश्न काफी समय से विचाराधीन क्यों है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनने के लिये भी कुछ अवसर रखें। (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : ये प्रश्न मेरे राज्य तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। मंत्री महोदय बार बार यह कहते आये हैं कि इन परियोजनाओं को अनुमति नहीं दी गयी।

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि हमारी फावली भूमि के लिये केवल 25 प्रतिशत सिंचाई की सुविधाएँ हैं। यदि हम भूमिगत तथा भूमि के उपर की सभी परियोजनाओं को पूरा करें तो आशा है कि सिंचाई क्षमता 50 प्रतिशत होगी और यदि हम विचाराधीन राष्ट्रीय जल ग्रिड, के आधार पर पानी एक घाटी से दूसरी घाटी में ले जायें तो यह उपयोगिता की प्रतिशतता 50 से बढ़ा कर 66 प्रतिशत तक की जा सकती है। कावेरी परियोजना के बारे में केरल, मद्रास और मैसूर राज्यों के बीच मतभेद रहे है, उनके बीच बातचीत हुई और वे इस बात पर सहमत हो गए ह कि वे इसका निर्णय न्यायालय द्वारा चाहेंगे। अतः हमने तथ्य जानने वाली एक समिति का गठन किया है जिसमें एक न्यायाधीश तथा दो विशेषज्ञ होंगे। उनका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है यह प्रकाशित हो चुका है और राज्यों को भेज दिया गया है, हमें आशा है कि इस समस्या को शांति से हल करने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि हिमालय खंड में लिफ्ट इरिगेशन की बहुत क्षमता है और फिर भी सरकार इन क्षेत्रों के लिये टियूब वेल स्वीकार कर रही है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि पांचवीं योजना के दौरान यह प्रणाली समाप्त कर दी जायेगी और तराई क्षेत्र के लिये विशेष प्रकार के बर्मे दिये जायेंगे ताकि वहां सिंचाई के लिये पानी सप्लाई किया जा सके ?

डा० के० एल० राव : हम लिफ्ट इरिगेशन पर बहुत निर्भर करते है और वास्तव में हिमाचल क्षेत्र के लिये यह बहुत जरूरी है। मुझे आशा है कि अधिक से अधिक योजनायें शुरू की जायेंगी।

श्री बीरेंद्र सिंह राव : एक दूसरे राज्यों के बीच जल विवादों के कारण देश में कितनी सीमा तक सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो सका और यदि किसी क्षमता का उपयोग नहीं हो सका तो इन विवादों को निपटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है ?

डा० के० एल० राव : जब हम क्षमता को उपयोग न करने की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य केवल उन्हीं परियोजनाओं से है जो स्वीकार की जा चुकी है और उनकी उत्पादन क्षमता बन गयी है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा। मैं नहीं समझता कि क्या माननीय सदस्य भी इस पर विचार कर रहे है अथवा शुरू न हुई या स्वीकृत न हुई परियोजनाओं की सैद्धांतिक बातों के बारे में विचार कर रहे है... (**व्यवधान**)

Shri Jharkhande Rai : On the basis of experience gained during last four five year plans, do Government propose to give more emphasis on canal waters and on drawing canals from the rivers than on tube wells ?

डा० के० एल० राव : टियूब वेल का पानी बहुत अच्छा होता है लेकिन टियूब वैल में पानी तो होना चाहिये। पानी न होने के कारण स्थिति गंगा तथा नर्मदा घाटी क्षेत्रों की तरह हो जाती है। यदि उपलब्ध हो तो भूमिगत पानी भूमि के ऊपर के पानी की अपेक्षा अच्छा होता है, जिसे निकाला जाना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister stated that the water of Gandak remains unutilised. Is it not a fact that the Government has not so far constructed distributories and also not made alternative arrangements? Is the Government or the people to blame for the non-utilisation of the potential created? Is the hon. Minister prepared to make available necessary resources so that peaple can utilise the water ?

डा० के० एल० राव : यह बात सच है कि गंडक परियोजना के कारण बिहार में क्षमता का उपयोग संतोषजनक नहीं क्यों कि जैसा कि माननीय सदस्य कहत हैं कुछ खेत की नहरें नहीं दी जा रही है। कुछ क्षेत्रों में नालियां बनाने के प्रश्न की और ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं बिहार के मुख्य मंत्रियों के साथ इन समस्याओं के बारे में बातचीत की है ओर उन्होंने वचन दिया है कि वे अधिक सक्रिय कदम उठायेंगे ताकि क्षमता का और अच्छी प्रकार से उपयोग किया जा सके। उपयुक्त परियोजनाओं के सम्बद्ध में मंत्रियों की एक समिति का भी गठन किया गया है और हम उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। म माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि गंडक सरीखी परियोजनाओं का उपयोग करने के लिये अधिक प्रयत्न करना जरुरी है।

श्री पीलू मोदी : हर वर्ष तथा हर महीने के बाद हमें बताया गया कि नर्मदा परियोजना संबंधी निर्णय आ रहा है। गत वर्ष यह वचन दिया गया कि एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है और उसे भंग किया गया और मामला प्रधान मंत्री पर छोड़ा गया और निर्णय आने की गत वर्ष सम्भावना थी। लेकिन अब दूसरा बजट अधिवेशन है और निर्णय आने के कोई संकेत नहीं दिखते . . . (**व्यवधान**)। क्या यह मार्च का महीना है? मझे खुशी है कि ये महीनों के नाम भी जानते हैं। यदि प्रधान मंत्री को इसके लिये समय नहीं तो इसे किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा क्यों नहीं निपटाया जाता और विभिन्न आयोगों द्वारा दिये गयें निर्णयों को न मानने के क्या कारण हैं ?

डा० के० एल० राव : न्यायाधिकरण भंग नहीं किया गया। यह अब भी चल रहा है। जो कुछ भी हुआ वह यह था कि मुख्य मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि दो प्रश्नों संबंधी निर्णय प्रधान मंत्री पर रखा जाये। प्रधानमंत्री ने इस मामले में काफी परिश्रम किया है। उन्होंने विभिन्न राज्यों को अपने अपने विचार पेश करने के अवसर दिये। जो कुछ वे कहना चाहते थे उन्हें भेज दिया है अथवा व्यक्तिगत रूप से कह दिया है। मेरे विचार में निर्णय शिघ्र ही दिया जायेगा।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय ने चीन की उस सींचाई प्रणाली का अध्ययन किया है जिसमें लोग चलते पानी को पम्प करते है ताकि बांध बनाने आदि की समस्या न रहे।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

श्री डी० डी० देसाई : यह एक सुझाव नहीं है। मैं नर्मदा के लिये नहरें बनाने की स्वीकृति चाहता हूँ।

डा० के० एल० राव : परियोजना बहुत पहले स्वीकार की जा चुकी है। बाँध की ऊंचाई जानने के बाद वे परियोजना का काम शुरु करेंगे।

श्री बी० के० दासचौधरी : विशेषज्ञों की इस राय कि कम लागत वाले गंगा-ब्रम्हपुत्र लिंक से कावेरी गंगा लिंक की अपेक्षा अधिक सिंचाई सुविधायें प्राप्त होंगी, को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय बता सकेंगे कि क्या उन्होंने गंगा-ब्रम्हपुत्र के लिंक के लिये कोई कम उठायें है और यदि हां, तो क्या कदम उठाये हैं ?

डा० के० एल० राव : ये सब राष्ट्रीय वाटर ग्रिड के भाग है। बहुत से लिंक चल रहे हैं जिनमें से छे कि चर्चा माननीय सदस्य ने की है। इस परियोजना का सर्वेक्षण योजना आयोग के विचाराधीन है। राशि उपलब्ध होने पर सर्वेक्षण कार्य शुरु किया जायेगा जिसमें 5,7 वर्ष लगने की संभावना है। गंगा—ब्रम्हपुत्रा के लिंक के लिये हमें बंगालादेश के सहयोग कि आवश्यकता होगी।

श्री भोगेन्द्र झा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोसी-गंडक परियोजना का स्वरुप और अन्तर्राष्ट्रीय योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा पटना में दिये गये वक्तव्य को भी ध्यान में रखते हुए क्या साधनों के उचित उपयोग के लिये केन्द्रीय सरकार कोसी और गंडक परीयोजनाओं को अपने हाथ में लेने के लिये तैयार है ताकि उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके और संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सके।

डा० के० एल० राव : यह प्रश्न सदन में कई बार उठाया जाता है। इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में चलाने के बारे में एक नीति संबंधी निर्णय लेना होगा। वह मांग पूरी नहीं की गयी। राज्य इसे स्वयं कर सकते हैं। अभी तक किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में नहीं चलाया गया है। राजस्थान नहर तथा बहुत सी अन्य परियोजनाओं के के लिये भी इसी प्रकार की मांग हुई जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जहां तक इन नदियों के अन्तर्याष्ट्रीयचरित्र का संबंध है, बहुत सी नदियां अन्तर्राष्ट्रीय चरित्र की है। केन्द्र द्वारा इन परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने के लिये यही एक कारण नहीं। यह एक कठिन समस्या है जिस पर अभी नीती संबंधी निर्णय लिया जाना है।

श्री नवल किशोर सिंह : योजना आयोग के एक सदस्य ने कहा बताते हैं कि पिछले बीस वर्ष में अबतक हमने 5,000 करोड़ रुपए अथवा ठीक रूप में 4,770 करोड़ रुपए व्यय किए हैं और प्रति वर्ष हमें 140 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ती है। यह योजना आयोग के एक सदस्य ने कहा है। क्या मंत्री महोदय इस अत्यन्त गम्भीर मामल पर विचार करते हुये समूचित कार्यवाही करेंगे। विशेष रूप से तीन मामलों में नीति निर्णय लेने के बारे में, पहले सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ खेतों के लिए नालिया भी एक ही समय में बनाई जायें, दूसरे उनके उपयोगकर्ताओं से कम से कम दो वर्ष तक के लिए कर न लिया जाये जिससे कि वे उसके आदी हो जाए और तीसरे जल विभंजन की समस्या के बारे में श्री मंत्री महोदय विशेष रूपसे देश के पूर्वोत्तर भाग में सिंचाई परियोजनाओं के लिये नहरों में जल की सप्लाई बढायेंगे ?

डा० के० एल० राव : सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता हैं। हमें गर्व है कि हमने सिंचाई की महत्वपूर्ण श्रृंखला तैयार कर ली है। पिछले 25 वर्ष में पहले की उपलब्धि व्यवस्था से दुगनी व्यवस्था की गई है। सिंचाई के क्षेत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है तो भी मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

सिंचाई साधनों के उपयोग के बारे में जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है प्रथम योजना में उपयोग 60 प्रतिशत था दूसरी योजना में 70 प्रतिशत तीसरी में 80 प्रतिशत और अब 90 प्रतिशत है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि हमें सिंचित भूमि के प्रत्येक इंच का उपयोग करना चाहिए। हम इस बारे में चिंतित हैं। इसी लिए हमने महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री के सभापतित्व में एक समिति का गठन किया है। वे इसमें पर्याप्त रूचि ले रहे हैं और सभी स्थानों की यात्रा कर रहें हैं। माननीय सदस्य द्वारा दिए गये विचित्र सुझाओं को मैं उनके पास भेज दुंगा वे सिफारिश देंगे कि सिंचित क्षमता के प्रत्येक इंच के उपभोग के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जाए।

आसम में लकवा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल के कुआ संख्या 109 में आग लग जाना

+
*306. **श्री राम सहाय पाण्डे :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में शिवसागर के निकट लकवा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल के कुएं संख्या 109 में काफी समय तक आग लगी हुई है जिससे करोड़ों रुपये की हानि हो रही है;

(ख) क्या उक्त कुएं में आग लगने के कारणों तथा उससे हुई हानि के बारे में कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) कुएं में आग लगने के लिए उतरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी नहीं। आग की कोई दुर्घटना नहीं हुई थी किन्तु कुए में कोई बहिर्धमन (ब्लैक आउट) आई थी जिस के परिणामस्वरुप दाब के अन्तर्गत तेल एवं गैस कुएं में से बेकाबू होकर बाहर निकल आई।

(ख) और (ग) बहिर्धमान के कारणों की जांच के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने एक उच्चस्तरिय जांच समिति का गठन किया है। यदि यह घटना किसी अधिकारी की और से असावधानी के कारण हुई थी तो समिति उसको उत्तरदायी ठहरायेगी ? बेशक ऐसी दुर्घटनाएं तेल आयोग में कही नहीं घटी।

Shri R. S. Pandey : Mr. Speaker, Sir one of the purposes of asking this question is that apart from Madhya Pradesh I am interested in Assam as well. Oil well caught fire and caused damage of crores of rupees and a high power committee was appointed which did not yield any results. Whether it was fire or blow up or anything else. I want to know the extent of the damage caused, the circumstances in which it happened and when would the report of the high power commission be available.

Shri D. K. Barua : The statement of hon. Member that it caught fire, it was not so. When there is blow up and gas and oil come out, then to prevent it from turning into fire air-steam is formed and humidity is made out of it. So it was stopped with water steam and air. It started on 9th and ended on 22nd. So it was not a case of fire. It cannot be stated that so far how much loss has occured as it was not a production well. It was an exploratory well. So it is not possible to reply to this question at present. What does an exploratory well contains is not a matter of investigation. When it comes under production it is calculated as to how much oil or gas it contains.

Shri R. S. Pandey : When we operate natural gas with drilling machine and explore, we know that there is the possibility of fire or blow up and what precautions are taken by us for that ?

Shri D. K. Barua : It is very difficult to say whether it contains oil or gas. When we have explored 3 thousand 8 hundred meters then only we know whether there is gas or oil. When it is bored gas can come out of it. For that there is a machine for blow up prevention which is used for that. Secondly in order to prevent it from catching fire humidity is created by use of a hose pipe. The hon. Member should remember that even earlier in 1966 fire was caused by blow out process which resulted in heavy loss. This time there was no loss as precautions were taken.

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री महोदय ने रक्षात्मक उपायों का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि वह "क्रिस्मस ट्री" का उल्लेख कर रहे हैं। हमारे पास जो रूसी टाइप का "क्रिसमस ट्री" है को चलाने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है-क्योंकि यह भारी है। हम ऐसा क्रिस्मस ट्री लगाने की क्यों नहीं सोचते जो भूमि से कुछ ही फुट ऊँचा हो तथा जिसे आग लगने की दिशा में शीघ्र ही सील किया जा सके। इस बारे में हमारा चयन दोषपूर्ण रहा है। क्या मंत्री महोदय रूसी डिजाइन से अमरीकी डिजाइन बदलने पर विचार करेंगे।

श्री डी० के० बरुआ : "क्रिस्मस ट्री" का उपयोग "ब्लो आउट" को रोकने के लिए नहीं किया जाता। इस का उपयोग कुएं को सील करने के लिए किया जाता है जबकि कुएं से उत्पादन होना बंद होता है। "क्रिसमस ट्री" बिलकुल अलग वस्तु है। "ब्लो आउट" का रोकने से उसका कोई संबंध नहीं है।

Shri Lalji Bhai : What was the quantum of loss suffered because the fire continued for a long time.

Mr. Speaker : Please sit, there was no fire.

भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों के घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा

+

*307. **श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान :**

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने संसद सदस्यों की शिकायतों पर भारतीय उर्वरक निगम के कुछ निदेशकों के घरों पर छापा मारा था, और यदि हां, तो उन निदेशकों के नाम क्या हैं और किन-किन तारीखों को तथा किन-किन स्थानों पर छापा मारा गया और क्या-क्या दस्तावेज तथा कितना धन बरामद किया गया ;

(ख) क्या नई दिल्ली, कलकत्ता और सिंदरी स्थित निवास स्थानों पर एक-साथ छापे नहीं मारे गए थे; और

(ग) इस बारे में क्या अनुवर्ति कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Shri Muhammed Jamilurrehman : Sir, During War we heard of Allied forces, Axis forces etc. but what the trio of forces in the Fertilizer Corporation have done to put back the Green Revolution, I shall state tomorrow during the Calling Attention dicussion. I now want to know why one of the two officials, *viz.*, the Managing Director (Fertilizer) and Director of Production have been appointed chairman by your Ministry, though there are serious charges of corruption against them ? What is the progress regarding the C.B.I. enquiry and why action has not been taken against them under the Defence of India Rules ?

Shri D.K. Borooah : Some allegations were made by Members of Parliament in writing. One of them was the accummulation of 20 lakh rupees as Suspense Account in Trombay. I sent a Joint Secretary there to enquire into the matter and he reported that the amount is 13 lakh rupees not 20 lakhs. I immediately referred the matter to C.B.I. for enquiry and allowed the G.M. and Marketing Director to proceed on leave. The C.B.I. enquiry going on.

Shri Mohd. Jamilurrehman : Sir, a very large number of private traders have been engaged on distribution of fertilizers in the name of giving employment to the educated unemployed. Will the hon. Minister enquire into it and find out whether the agencies have been given to actual educated unemployed persons or whether they have infiltrated with the help of corruption ?

Shri D. K. Borooah : The above suspense Account money is the result of doing business with the private traders. This will be enquired into. Regarding giving agencies to the educated unemployed, some mischief was there and this will also be enquired into and I shall pay special attention to this aspect.

श्री आर० पी० यादव : क्योंकि भारतीय उर्वरक निगम की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है, इसलिए संसद-सदस्य सदा ही सरकार से सभी संदिग्ध परियोजना ठेकों की सी० बी० आई० द्वारा जांच की मांग करते रहे हैं। सरकार को यह करने में क्या कठिनाई है?

क्या सरकार को पता है कि निगम के प्रबन्ध निदेशक ने हाल में अपनी पुत्री के विवाह पर 5 लाख रुपये खर्च किए थे और सभी बर्तन जो दहेज में दिए गए शुद्ध सोने के थे? क्या यह भी सच है कि निगम के सभी उच्च अधिकारी सरकारी दौरों के नाम पर इस विवाह में शामिल हुए और इसीलिए कलकत्ता में उसी तारीख को अनेक बठकें रखी गई?

Shri D. K. Borooah : I have also received similar reports and have ordered an enquiry. After establishing a *prima facie* case, it shall be handed over to the C.B.I. These very reports contained complaint re. 20 lakh rupees which proved to be a fact.

Shri Bhogendra Jha : When this *prima facie* case is expected to be established ?

Shri D. K. Borooah: I am sorry I did not mean what I said because I am weak in Hindi—the matter is referred to the C.B.I. in case of suspicions. They would establish a *prima facie* case. . . . (*Interruption*). Three-four days back a Member of Parliament wrote to me in this regard and I have initiated action at once. First the department enquiry would be done and then it would be referred to the C.B.I.

Shri Ramavtar Shastri : I want to know the number of those who have been given licences for fertilizer distribution by the F.C.I.—The educated employed and private traders, separately.

Shri D. K. Borooah : I have ordered enquiry into this also because it is also related to that.

Shri Damodar Pande : I want to know what is the difficulty in canalising fertilizer distribution through cooperative marketing ? Because when you entrust this to private traders it results in bungling. Secondly, when this matter is constantly being brought to the notice of his Ministry since 1971, why the bungling not being stopped ?

Shri D. K. Borooah : This is precisely my difficulty also. I also want that this should be handled by cooperatives. I am trying for that and I am contacting the Minister of Agriculture also because that Ministry should take this responsibility. F.C.I. should be concerned with production only not marketing.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, in reply to a previous question, the hon. Minister had stated that the two officials were allowed to proceed on leave. I want to know why they were not suspended ?

Shri D. K. Borooah : When C.B.I. report is received and they are found to be guilty, only then they would be punished or put under suspension. C.B.I. has been asked to submit its report early to find out which officials are suspects. We have allowed them to proceed on leave because they were senior and responsible officers and this bungling is with their knowledge. On receipt of C.B.I. Report, action would be taken thereon.

ट्राम्बे उर्वरक परियोजना का विस्तार

+
*308. श्री विरेन्द्र सिंहराव:
श्री एम० वी० कृष्णप्पा:

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच ट्राम्बे उर्वरक परियोजना के प्रस्ताविक विस्तार पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ) : (क) और (ख) : ट्राम्बे प्रायोजना का विस्तार कार्य सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में विभिन्न योजनाओं का सुझाव दिया गया है उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं जानना चाहता हूँ कि प्रस्ताविक विस्तार योजना पर कुल कितनी लागत आएगी और संयंत्र की स्थापित उत्पादन क्षमता क्या है और इस वर्ष वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है, और यदि इन दोनों में काफी अन्तर है तो क्यों ?

श्री डी० के० बरुआ : योजनाएं कई हैं। अन्त में स्वीकृत योजनाओं पर 37.5 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें 13.8 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में हैं। बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित परियोजना मंजूर करके सरकार को भेज दी गई है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक को भी भेजी गई है। यह परियोजना जून 1973 में आरंभ हो कर लगभग 30 मास में पूरी होगी। मेरे पास ट्राम्बे परियोजना की उत्पादन क्षमता के आंकड़े नहीं हैं जो इस परियोजना का मुख्य अंग है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

चम्बल परियोजना क्षेत्र में सिंचाई

*309. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल परियोजना पर भारी धनराशि व्यय किये जाने पर भी उस क्षेत्र में, सिंचाई की गति बहुत धीमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) : विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख): राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रत्येक में राजस्थान में कृषि योग्य कमान क्षेत्र से ऊपर 76%और मध्य प्रदेश में 61%की तीव्रता के साथ वार्षिक सिंचाई के लिए चम्बल परियोजना का आयोजन किया गया था ।

5—3 LSS(ND)/73

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा निर्मित नहरें कृषि योग्य कमान क्षेत्र के कुल 2.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सेवित कर सकता है और इस समय 1.74 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई हो रही है। मूलरुप से परिकल्पना का लगभग 61 प्रतिशत है।

मध्य प्रदेश में उत्पन्न शक्यता लगभग 2.62 लाख हेक्टेयर है। अब तक की गई अधिकतम सिंचाई लगभग 1.29 लाख हेक्टेयर या मूलरुप में परिकल्पित का लगभग 45 प्रतिशत रही है।

सिंचाई के विकास की धीमी गति निम्न प्रकार से बताई गई है :––

(1) खरीफ सिंचाई करने में किसानों को अरुचि

यह अपेक्षा की गई थी कि राजस्थान में कृषि योग्य कमान क्षेत्र का 21 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 12 प्रतिशत में खरीफ को पूरा कर लेगी। बहरहाल, वास्तविक खरीफ सिंचाई बहुत कम रही है। अब बताया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों से खरीफ में चावल की खेती अच्छी हो रही है।

(2) घासपूस के जमने और अभिधार छोड़ने देने के कारण दायों तट नहर की वाहन क्षमता में कमी

घासपूस जमने आदि के कारण दायीं तट नरह की क्षमता 2780 क्यूसेक तक कम हो गई। एक विशेषज्ञ समिति ने समस्या की जांच की है और उनकी सिफारिशें क्रियान्वित की जा रही है। अब नहर की क्षमता 5500 क्यूसेक तक हो गई है।

(3) बाधित विकास और कुछ क्षेत्रों में खारापन

राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किसानों द्वारा बाधित विकास और पानी के अधिक प्रयोग के कारण संकट उत्पन्न हो गया। निकास के लिये कुछ परियोजनाएं पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी है और अधिक कार्यान्वयनाधीन है।

(4) क्षेत्र नालियों और जल मार्गों का धीमी गति से निर्माण और किसानों द्वारा भुमि समतलन

चूंकि किसान इस कार्य में देरी कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार ने जलमार्गों का निर्माण 1968 में हाथ में लिया और पहले ही 1.39 लाख हेक्टेयर पूरा कर लिया है। पंचायत क्षेत्रों के एक क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने भूमि समतलन और भूमि को स्तर में लाने के लिये तथा जलमार्गों, क्षेत्र नालियों और निकास नालियों के निर्माण के लिये 11.8 करोड़ रुपये की लागत से एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है और कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसी ही एक परियोजना तैयार की है।

(5) उचित पूर्व–सिंचाई विस्तार / प्रदर्शन–कार्यक्रमों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी

चम्बल कमान को अब कृषि मंत्रालय के क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय सेक्टर में शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत ग्राम सड़कों और काम्पलेक्सेस के निर्माण पर व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राजस्थान में 150 लाख रुपये की लागत की और मध्य प्रदेश के लिये 144 लाख रुपये की लागत की स्कीमें स्वीकृत हो चुकी हैं।

कृषिकों के खेतों के सुधरे तरीकों की प्रभावोत्पादकता को प्रदर्शित करने के लिये और अध्ययन करने के निमित्त कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय सेक्टर-परियोजना के रुप में एक भू तथा जल प्रबन्धक पायलाट परियोजना को भी हाथ में लिया है।

(6) ग्राम शजारों के आधार पर राजस्थान में कृष्यगत कम्मान क्षेत्र में कमी होना

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि जैसा कि परियोजना में अपेक्षित है, वितरण प्रणाली के अंतर्गत किसानों को दी जा रही जल प्रबन्ध की तकनीक से कृष्यगत कमान क्षेत्र केवल 2.29 लाख हक्टयर है। उन्होंने परिकल्पना की है कि वार्षिक सिंचाई लक्ष्य पूरा होने पर सिंचाई 12% तक हो जाएगी, अन्यथा वे प्रवाह अथवा लिफ्ट के द्वारा कमान के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने के प्रस्ताव रखते है ।

प्लास्टिक उद्योग के लिए अधिक घनत्व वाली पोलिथिन बनाने की परियोजना की स्थापना

***310. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या पेट्रोलियिम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिक घनत्व वाली पोलिथीन, जो प्लास्टिक उद्योग के लिये मूल कच्चा माल है, की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये इस कच्चे माल को सरकारी क्षेत्र में बनाने हेतु देश में एक परियोजना की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्रीदेवकान्त बरुआ) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

हाई डैसिटी पालीएथिलीन देश में प्लास्टिक उद्योग द्वारा प्रयोग किये जा रहे बहुतेरे प्लास्टिक कच्चे मालों में से एक है । इस वर्ष में लग भग 2000–3000 मी० टन हाई डैसिटी पालीएथिलीन के कमी होने की आशा है ।

वर्तमान में, सरकारी क्षेत्र में हाई डैसिटीपालीएथिलीन निर्माण के लिये कोई योजना नही है । गैर सरकारी क्षेत्र में इस वस्तु के निर्माता को उसकी 20,000 टन प्रति वर्ष वर्तमान क्षमता को बढ़ा कर 30000 टन प्रतिवर्ष करने की अनुमति दे दी गई है । सरकारी क्षेत्र में पालीप्रापिलीन का 30,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाला एक यूनिट कार्यान्वियनाधीन है । हाई डैसिटी पालीएथिलीन और पालीप्रापिलीन विभन्न प्रकार के प्रयागों के लिये एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती है ।

हाई डैसिटी पालीएथिलीन की कमी अन्य थर्मोप्लास्टिक कच्चे मालों की जो कि कुछ हद तक एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती है, साथ-साथ कमी के कारण महसूस की जा रही है फिर भी, सरकारी क्षेत्र में 80,000 टन लो डैसिटी पालीएथिलीन और 30,000 टन पालीप्रापिलीन के निर्माण के लिये एककों की स्थापना की जा रही है । 1975 में इन एककों के उत्पादन आरम्भ करने पर, थर्मोप्लास्टिक कच्चे मालों की कुछ कुलस्थिति के आसान होने की आशा की जाती है ।

Memorandum by Lohia Nagar Nagrik Parishad, Patna

***311. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether a memorandum was submitted to him by Lohia Nagar Nagrik Parishad of Patna when he visited Patna during the month of February last ;

(b) If so the gist thereof; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों और उपलब्धियों में सुधार करने के संबंध में विधि आयोग की रिपोर्ट

***312. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**
श्री मूलचन्द डागा :

क्या विधि **न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में सरकार से यह सिफारिश की है कि शीघ्र एवम् कुशल न्याय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिये अधिक अनुभवी और योग्य वकीलों को न्यायिक सेवा की ओर आकर्षित करने की दृष्टि से न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों और उनकी उपलब्धियों में पर्याप्त सुधार किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां। विधि आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पर अपनी चौअनवीं रिपोर्ट में ऐसा सुझाव दिया है ।

(ख) प्रस्ताव पर अभी तक सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

कोसी नदी के पश्चिमी तटबन्धों के विस्तार के लिए सर्वेक्षण

***313. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी नदी के पश्चिमी तटबन्धों को दक्षिण की ओर बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में और बढाने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और इस परियोजना के कार्य को पूरा करने के लिये क्या लक्ष निर्धारित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : कोसी, कमला और बागमती के वर्तमान तटबंधों से नीचे के क्षेत्रों को जल प्लावन से सुरक्षा के संबंध में बिहार राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण किया गया है। ऐसा निर्णय लिया गया है कि पश्चिमी कोसी तटबंध को धोगपुर से नीचे तक बढाने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सुरक्षित-किए जाने वाले क्षेत्र को कमला और बागमती की बाढ से प्लावन का भय रहेगा। इसलिये राज्य सरकार का पश्चिमी कोसी तटबंध को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

धुगरी (कमला और बागमती के संगम स्थल के पहले कोसी का नाम) के दायें किनारे पर बदला-घाट और नगरपारा के मध्य मन्सी-सुपाल रेलवे लाइन के नीचे तथा कुर्सेला और पिरमोहन घाट के मध्य तटबंध का निर्माण-कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

Development of Railway lines in Bihar during Fifth Five Year Plan Period

***314. Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the broad outlines of the schemes for the development of Railway lines in Bihar during the Fifth Five Year Plan period; and

(b) whether any proposal in regard to the doubling of Gaya-Patna Railway line is under the consideration of Government ?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : (a) Proposals for new lines to be taken up have not yet been finalised as yet. It is therefore too early to say which new lines in Bihar would be taken up in this plan period.

(b) No, Sir, not at present. However it could be considered on merit.

जल संसाधनों के प्रशासन के बारे में नई दिल्ली में हुई संयुक्त राष्ट्र अन्तर्क्षेत्रीय गोष्ठी

***315. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री बक्शी नायक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1973 के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में जल संसाधनों के प्रशासन से सम्बन्धित वर्तमान मामलों पर एक संयुक्त राष्ट्र अन्तर्क्षेत्रीय गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने गोष्ठी में भाग लिया था; और

(ग) इस गोष्ठी की महत्वपूर्ण सिफारिशें और उसमें व्यक्त किये गये विचार क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। यह गोष्ठी नई दिल्ली में 22 जनवरी और 2 फरवरी, 1973 के बीच हुई थी और इसके कुछ सत्रों में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने भाग लिया था;

(ग) गोष्ठी में हुए विचार-विमर्श से निम्नलिखित सारांश प्रकाश में आए :—

(1) विश्व के स्वच्छ चल-संसाधन एक निश्चित मात्रा में है और साथ ही जल की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि विश्व के अनेक भागों में जल-संसाधन सतत रूप में दुर्लभ होते जा रहे हैं। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि जल-प्रशासन की कार्य-कुशलता और जल-उपयोग में सुधार किया जाए तथा इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को सर्वोत्तम लाभ के लिए उपयोग किया जाए;

(2) जल-उपयोग के आयोजन, विकास और प्रचालन को इष्टतम बनाने के लिये यह उपयुक्त है कि प्रत्येक देश में, जहां तक परिस्थितियों के अनुकुल हो, सभी स्रोतों से जल संसाधनों के विकास को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर एक अभिकरण के अधीन रखा जाए, अन्यथा मंत्रालयों के अध्यक्षों के उच्चाधिकार प्राप्त बोर्डों को इन कार्यों का समन्वय करना चाहिए तथा मतभेद होने पर, अंतिम निर्णायक अधिकार मुख्य राजनैतिक प्राधिकारी में निहीत हो;

(3) सिंचाई एक व्यापक क्रिया होनी चाहिये जिसमें अभियांत्रिक और कृषीय—दोनों पहलु सम्मिलित हों; नये कार्य क्षेत्रों के विस्तार करने में, जल-प्रशासन को जल-प्रबंध के अतिरिक्त अन्य पहलुओं की व्यवस्था करने के लिये तैयार किया जाना चाहिये ।

(4) अपेक्षित प्रावधिक सुधार करने में जल उपभोक्ताओं की सहायता करने की आवश्यकता के साथ-साथ भू-गत जल-संसाधनों का विस्तृत मूल्यांकन करने, तल तथा भू-गत जल

का संयुक्त उपयोग करने, राष्ट्रीय स्तर पर जल-उपयोग नियंत्रण के लिए मानक तथा मार्गदर्शन तैयार करने के महत्व पर बल दिया गया ;

(5) जल-संसाधनों के विकास के लिये राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन तथा आर्थिक सहायता आवश्यक है। बाद में अर्थ-व्यवस्था के पर्याप्त विकसित होने पर कार्यक्रमों को शनैः शनैः स्वावलम्बी होने के लिये प्रोत्साहन दिया जा सकता है;

(6) ऐसे जल-कानूनों की आवश्यकता है जिनसे जल-प्रशासकों को अधिकतम ढील दी जा सके ताकि वे जल उपयोग के बदलते हुए आदर्शों और जल की बढ़ती हुई दुर्लभता से निपटने के लिए कार्यवाही कर सके ;

(7) क्षेत्रीय बाढ़ पूर्व-सूचना, बाढ़ बीमा और बाढ़-सुरक्षा सहित व्यापक बाढ़ की सुस्पष्ट व्यवस्था की आवश्यकता है। जहां आवश्यक हो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा संयुक्त आयोजन किया जाना चाहिये।

इन विषयों के संबंध में भारत की स्थिति नीचे दी जाती है :—

(1) भारत में, उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद तथा नदी बेसिन आयोगों के गठन की आवश्यकता पहले से ही अभिज्ञात की जा चुकी है। देश के जल संसाधनों के बढ़ते हुए उपयोग तथा भविष्य में बृहत्तर समुपयोजन के कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जलनीति के विकास करने की आवश्यकता को मान लिया गया है ताकि जल के लिए आवश्यकताओं के सतत मूल्यांकन तथा विभिन्न उपयोगों के लिए उपलब्ध जल का समग्र देश के हित में सर्वाधिक लाभकारी तथा समान आबंटन किया जा सके;

(2) प्रथम प्रयत्न के रूप में, संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधित करना आवश्यक होगा ताकि जल के एक राष्ट्रीय संपत्ति होने की अवधारणा सुस्पष्ट हो सके तथा समझौते, पंचनिर्णय या अन्य तरीकों से अंतर्राज्यीय नदी विवादों को हल करने के लिए प्रावधान किए जा सकें। प्रस्तावित संशोधनों पर राज्य सरकारों के विचार मांगे गये हैं ;

(3) देश में बृहद् परियोजनाओं पर आयाकट विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ कर दिया गया है, जहां विभिन्न विभागों की गतिविधियों के उचित समन्वय के लिये प्रावधान किया जाता है;

(4) केन्द्रीय भू-गत जल बोर्ड ने भू-गत जल का विस्तृत मूल्यांकन करने का कार्य आरंभ कर दिया है और जल दूषण-अवरोधन के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय एक बिल तैयार कर रहा है;

(5) दीर्घ अवधि-ऋणों, व्याज की रियायाती दरों तथा जल लाभ होने प्रारंभ हो जाएं एक उपयुक्त अदायगी अनुसूची के प्रश्न की ओर सिंचाई आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(6) भारतीय कानून संस्थान से राज्यों के उपयोग के निमित्त सिंचाई अधिनियम तथा संहिता के लिये आदर्श विधान तैयार करने के लिए कहा जा रहा है ;

(7) राष्ट्रीय बाढ़ पूर्व–सूचना कार्यक्रम पहले से ही तैयार किया जा चुका है। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ चेतावनी और बाढ़ सुरक्षा के महत्व को राज्य सरकारों के सतत ध्यान में लाया जा रहा है। बाढ़-बीमें के लिए विचाराधीन फसल-बीमें के अनुभवों की प्रतीक्षा करनी होगी। बंगला देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा संयुक्त आयोजन पहले ही से किया जा रहा है।

तेल कम्पनियों द्वारा विभिन्न राज्यों में वसूल किये जाने वाले मूल्यों में अंतर

***316. श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के लिये वसूल किये जाने वाले मूल्य विभिन्य राज्यों में भिन्न भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में वसूल किये जाने वाले मूल्यों का ब्यौरा क्या है और मूल्यों में अंतर के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) और (ख) मोटर स्पिट या पेट्रोल हाई स्पीड डीजलायल, लाइट डीजलायल इत्यादि जैसे प्रपुंज शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तेल मूल्य समितियों की सिफारिशों के आधार पर, सरकार समय समय पर नियत करती है। मूल उच्चतम मल्य नियत करने के विचार से देश को 12 'प्राइसिंग क्षेत्रों' में विभक्त किया गया है। ये देश में स्थित आठ मुख्य बंदरगाहों और 4 अन्तर्देशीय शोधनशालाओं पर आधारित है। 'प्राइसिंग क्षेत्र' राज्यों की सीमाओं के आधार पर स्थिर नहीं है। जब कि किसी 'प्राइसिंग क्षेत्र' में मूल अधिकतम विक्रय मूल्य एक ही होगा 'प्राइसिंग क्षेत्र' के अन्दर फुटकर विक्रय मूल्य में मूल अधिकतम विक्रय मूल्य और संबंधित 'प्राइसिंग प्वाइंट' से भाड़ा और अन्य चुंगी विक्रीय कर इत्यादी जैसे स्थानीय प्रभार सम्मिलित होगा। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर फुटकर विक्रय मूल्य भिन्न भिन्न हो सकता है। वर्तमान 'प्राइसिंग प्रबंध' के अन्तर्गत उसी राज्य में विभिन्न स्थानों पर या देश में कहीं पर भी उत्पादों के फुटकर मूल्य एक समान करने का विचार नहीं है।

Withdrawal of Catering Trolleys from Big Junction Stations

***317. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has decided to withdraw catering trolleys from certain big junction stations ;

(b) if so, the names of the stations and the loss likely to be suffered by the Railways as a result thereof ; and

(c) the type of employment proposed to be provided to those persons who will be rendered jobless as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

पूना (महाराष्ट्र) की चासकमान परियोजना की स्वीकृति

***318. श्री अनन्तराव पाटिल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूना जिले की चासकमान परियोजना को स्वीकार करके उसका अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) इसकी अनुमानित लागत क्या होगी तथा इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) 9.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की चासकमान परियोजना की जो कृष्णा बेसिन में एक नई परियोजना है और जो 1970 में प्राप्त हुई थी, स्वीकृति के प्रश्न पर कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट प्राप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा। एक वर्ष या इसके समान अवधि में इसके उपलब्ध हो जाने की आशा है।

भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा ट्राम्बे यूनिट के तत्कालिन महाप्रबन्धक और वर्तमान निदेशक (उत्पादन और विपणन) के विरुद्ध मैथनोल बेचे जाने के बारे में प्रतिवेदन

*319. श्री अचल सिंह :
श्री चन्द्र शैलानी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिये गय प्रतिवेदन और निदेशक (उत्पादन और विपणन) द्वारा मैथनोल बैचे जाने तथा अन्य सौदों के बारे में 14 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस प्रतिवेदन की जांच कर ली है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकलाऔर;

(ख) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकात बरुआ) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम के भतपूर्व चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक की रिपोर्ट तथा अन्य सम्बंधित कागजात पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने परामर्श दिया है कि न ही डा० एस० के० मुखर्जी निदेशक (विपणन) को और न ही श्री वी० चन्द्रशखरन, विपणन प्रबन्धक, ट्राम्बे को किसी भी हालत में दोषी ठहराया जाना चाहिये और कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

विदेशी फ़ार्मेस्युटिकल फर्मों द्वारा जाली दवाइयां बना कर बड़े पैमाने पर धन लाभ कमाया जाना

*320. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन से यह बात और भी पुष्ट हो गई है कि भारत स्थित विदेशी फार्मेस्युटिकल फर्मे आयातित तत्वों से जाली दवाइयां बना कर बड़े पैमाने पर लाभ कमा रही हैं;

(ख) क्या फर्मे इन तत्वों का अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर आयात कर रही हैं और भारत में उनके उत्पादन के लिये कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं; और

(ग) ऐसी विदेशी फर्मों पर निर्भरता को कम करने के लिये और ऐसी दवाइयां बनाने के सिलसिले में क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि विदेशों को भेजे जाने वाले भारी लाभ को कम किया जा सके ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) से (ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) "फारन टैकनोलोजी इन इण्डियन फारमास्युटिकल्स इण्डस्ट्री" शोर्षक के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के श्री रंगा राव द्वारा किये गए अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में विदेशी फार्मास्युटिकल्स फर्मों द्वारा आयातित मध्यवर्ती पदार्थों से नकली औषधियां तैयार करके बहुत अधिक लाभ कमाया जा रहा है। श्री रंगा राव ने उल्लेख किया है कि कई विदेशी फर्में ऊंचे मूल्यों पर उपान्त्य (पेन्यूल्टीमेट) मध्यवर्ती पदार्थ के आयात द्वारा पेन्यूल्टीमेट स्टेज से कुछ औषधियों के उत्पादन को प्रारम्भ कर देती है और केवल एक साधारण वन स्टैप्स प्रोसेस पूरा करती है और इस प्रोसेस (प्रक्रिया) को उन्होंने एक 'फेक मैन्युफैक्चर' का नाम रखा है। इस सम्बन्ध में उन्होंने क्लौरएम्फेनिकोल एवं फ्लोरोक्विन को फेक मैन्युफेक्चर के दो ज्वलन्त उदाहरणों के रूप में पेश

किया है। श्री रंगा राव द्वारा दी गई सूचना ठीक प्रतीत नहीं होती है। सरकार ने उसी अवधि के दौरान जो यह सूचित करती है कि रंगा राव द्वारा उद्धृत मामलों में क्लोर-एम्फेनीकोल एवं क्लोरो-क्विन के विनिर्माण से देश की विदेशी मुद्रा में बचत हुई है और कि आयातित मध्यवर्ती कच्चे माल के मूल्य की तुलना में आयातित सज्जित उत्पाद का मूल्य कम है; आयातित औषधियों एवं मध्यवर्ती पदार्थों के मूल्यों की तुलना की है। इसके अतिरिक्त क्लोर-एम्फेनिकोल, आयातित बैंजल डिहाइड से तैयार की जा रही है और पेन्युल्टीमेट इण्टरमीडियेट अर्थात नाइट्रो-एमिनोडियोल के आयात की अनुमति दी गई है ताकि देशीय उपलब्धता को पूरा किया जा सके किन्तु उसे देशीय औषधि के स्थान पर प्रयुक्त न किया जाए। क्लोरोक्विन का उत्पादन 4–हाइड्रोक्सी-7 क्लोरोक्विनोलाइन से जो पेन्युल्टीमेट स्टेज में नहीं है, से क्लोराक्विन का उत्पादन भी आरम्भ हो चुका है। कुछ यूनिट, इन दो औषधियों को बेसिक स्टे जिस से तैयार कर रहे हैं और अन्य यूनीटों को, अधिक आधारभूत चरणों से अपने उत्पादन का परिवर्तन करने के लिए कह गया है। यहां पर यह भी उल्लेख करना है कि किसी औषधि के विनिर्माण के लिये मध्यवर्ती पदार्थ या कच्चे माल के आयात पर विचार करते समय, इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाए कि स्थानीय उत्पादन से पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत एवं प्रयुन्ज औषधियों के आयात में भी बचत सुनिश्चित हो। विदेशी साम्य पूंजी सहित औषधि निर्माण करने वाली फर्मों, जो प्रयुन्ज औषधियां कच्चे माल को, तुलनात्मक मूल्यों पर अन्य स्रोतों से उपलब्ध करने की बजाय ऊंच मूल्यों पर आयात करती हैं, के कुछ मामले सरकार के नोटिस में आए हैं। इन सभी मामलों में तुलानत्मक स्तरों पर मुल्यों को कम करने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है। अधिकतम मूल्यों जिन पर कुछ औषधियों का आयात किया जा सकता है, का इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल पालिसी बुक में पहले ही उल्लेख किया गया है। राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कई औषधियों के आयात का सारणीबद्ध किया गया है तथा इस सारणीबद्ध योजना के अन्तर्गत औषधियों का समय समय पर यह जानने के लिए पुनरीक्षण किया जाता है कि क्या कोई परिवर्तन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सबंधित निर्माण करने वाले यूनिटों को अपने देश में ऐसे मध्यवर्ती पदार्थों के उत्पादन को यथाशीघ्र प्रारम्भ करने के लिए भी मनवाया जा रहा है। अतः सरकार की जांच ने श्री रंगाराव द्वारा तैयार किये गए निष्कर्ष को सिद्ध नहीं किया है।

(ग) उद्योग के इस क्षेत्र में विदेशी फर्मों के शे र का विनियमन करने और उद्योग के भारतीय क्षेत्र का भी निर्माण करने के लिये सरकार द्वारा अपनाए गये कुछ उपायों निम्न प्रकार हैं :—

(1) उद्योग के भारतीय क्षेत्र को निर्माण करने वाली योजनाओं के अनुमोदन में तरजीही व्यवहार किया जा रहा है;

(2) सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं के माध्यम से विनिर्माण करने वाले प्रयुन्ज औषधियों के यूनिटों की वृद्धि ;

(3) अत्यावश्यक किस्म की दवाइयों का निर्माण करने वाली विदेशी फर्मों के सिवाय, सामान्यतः विदेशी फर्मों को कोई औद्योगिक लाइसेंन्स जारी नहीं किया जाता है; और इस प्रकार लाइसैन्स वहां भी जारी नहीं किया जाता है जहां पर प्रस्तावित फारमूलेशन एक्टिविटी प्रयुन्ज औषधियों के उत्पादन के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है;

(4) क्षमता के विस्तार अथवा नई संक्रिया को आरंभ करने के लिए एक पूर्व निर्णय के रूप में उचित निर्यात प्रतिबन्धों का प्रवर्तन; और

(5) जब कभी विदेशी फर्मों को अपने विनिर्माण की गतिविधियों के विस्तार की अनुमति दी जाती है तब विदेशी साम्य साझेदारी के उत्तरोत्तर कमी के साथ भारतीय शेयर हिस्सेदारी की तदनुरूपी वृद्धि।

पूर्वी रेलवे के बर्दवान–हावड़ा कोर्ड लाइन के कर्मचारियों की छंटनी

2990. डा० सरदीश राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्दवान-हावडा कोर्ड लाइन (पूर्वी रेलवे) के पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारियों में से अनेक की छंटनी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस छंटनी के क्या कारण है;

(ग) क्या अनेक नये कर्मचारियों की नियुक्ति इस बीच पी० डब्ल्यू० डी० के उसी सेक्शन में की गई है; और

(घ) यदि हां, तो छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुन: काम पर न रखने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) विशिष्ट निर्माण कार्यों पर लगे नैमित्तिक श्रमिकों को निर्माण-कार्य समाप्त हो जाने पर यदि उस क्षेत्र में उनके लिए कोई वैकल्पिक काम उपलब्ध न हो तो हटा दिया जाता है। सबसे कनिष्ठ व्यक्तियों को पहले हटाया जाता है। वैकल्पिक नियोजन के लिये भी वरिष्ठ व्यक्तियों को कनिष्ठ व्यक्तियों से प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Stations on N.E.F. Railway not provided with Drinking Water Taps

2991. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway stations on the North East Frontier Railway where drinking water taps have not been provided ; and

(b) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) There are 397 stations on Northeast Frontier Railway where water taps are not provided.

(b) Drinking water taps are provided only at stations where piped water is available. At other stations alternative arrangements like hand-pumps, shallow tube wells, supply of water through tankers etc. are made according to the requirements at each station. Such arrangements exist at stations mentioned in reply to part (a) above.

Construction of pipeline from Salaiya to Mathura

2992. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Indian Oil Corporation has decided to construct oil pipeline from Salaiya (Gujarat) to Mathura ;

(b) the time by which the work thereon will be completed ; and

(c) the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) To transport crude for the Mathura Refinery, Indian Oil Corporation propose to construct a pipeline from Salaiya in the Gulf of Kutch to Mathura.

(b) The pipeline project is expected to be completed by 1977.

(c) The pipeline project is estimated to cost about Rs. 92 crores.

राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के लिए रेल सुविधाएं

2993. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन आदिवासी क्षेत्रों में 10 मील से भी अधिक दूरी पर रेलवे स्टेशन उपलब्ध है; और

(ख) क्या इन क्षत्रों में रेल सुविधायें उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

चौथी योजना में विद्युत उत्पादन के लक्ष्य

2994. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीनतम संकेतों के अनुसार 230 लाख किलोवाट की अधिष्ठापित विद्युत् क्षमता का लक्ष्य चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अंत तक प्राप्त होने की संभावना नहीं है और कम से कम 30 लाख किलोवाट की कमी अपरिहार्य है और क्या वर्ष 1972 में बनाई जाने वाली अतिरिक्त क्षमता प्रस्तावित अतिरिक्त 1560 मेगावाट के स्थान पर 1038 मेगावाट होने की संभावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विधुत परियोजना के संबंध में अब तक कितना विलम्ब हो चुका है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस कमी को कम से कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) अंतिम पुनरावलोकन से ज्ञात होता है कि, हो सकता है, चौथी योजना अवधि के अन्त तक प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में 3 से 3.5 मिलीयन किलोवाट की कमी रह जाए। 1972–73 के दौरान, प्रस्तावित 1560 मेगावाट के योग के प्रति 1000 मेगावाट क्षमता के चालू होने की संभावना है।

(ख) 1973–74 तक पीछे डालने वाली परियोजनाओं तथा इसके कारणों का विवरण उपाबंध-एक में संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4480/73]

(ग) परियोजनाओं की प्रगति का सतत पुनरावलोकन करने तथा बाधाएं, यदि कोई हों, तो उन्हें दूर करने के लिए प्रबोधन दलों की नियुक्ति कर दी गई है, परियोजनाओं के लिए संयंत्र तथा उपस्करों की सप्लाई में शीघ्रता की जा रही है, परियोजना के लिए अपेक्षित इस्पात, सीमेंट तथा अन्य दुर्लभ सामग्री की सप्लाई में शीघ्रता की जा रही है और अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध की जा रही है ताकि परियोजनाएं शीघ्र पूरी की जा सकें।

प्रत्येक राज्य में कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित किया जाना

2995. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाओं का जाल बिछा देने संबंधी निर्णय के अनुसरण में आगामी वर्ष में प्रत्येक राज्य में आरंभ की जाने वाली ऐसी विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और तत्संबंधी रूप रेखा क्या है; और

(ख) विभिन्न परियोजनाओं की लागत कितनी होगी और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और उन परियोजनाओं के लिए कितने और किस प्रकार के उपकरण आयात किये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) कोयले पर आधारित ऐसे बिजली घरों के विवरण और उनकी अनुमानित लागत उपाबंध में दी जाती है, जिनकी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त अनुसाशित/स्वीकृत हो चुकी है और उन्हें आगामी वर्ष के दौरान निर्माण के लिए हाथ में लेना संभावित है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4481/73**]

(ख) इन बिजलीघरों में अधिकतर स्वदेशी संयंत्र तथा उपस्कर उपयोग किए जाएंगे। अभी तक इन संयंत्रों को आयात करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राजस्थान में ग्रामों का विद्युतीकरण

2996. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अब तक कितने प्रतिशत ग्रामों में बिजली लग चुकी है; और राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनता अब भी बिजली के लाभ से वंचित है और राजस्थान तथा अखिल भारतीय तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या राजस्थान सरकार से वर्ष 1973-74 के लिए कोई ग्राम्य विद्युतीकरण योजना प्रारंभ हुई हैं; यदि हां, तो इस योजना के अधीन आगामी वर्ष में कितनी अतिरिक्त ग्रामों में बिजली लगायी जायेगी और कितने सिंचाई पम्पों के लिए बिजली दी जाएगी तथा इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) राजस्थान में 32,241 ग्रामों में से 4,648 ग्राम, जोकि 14.6 प्रतिशत हैं, जनवरी, 1973 के अंत तक विद्युतीकृत किए गए हैं, 4648 ग्रामों के विद्युतीकृत होने से यह अनुमान लगाया गया है कि राजस्थान की 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या बिजली के लाभों से वंचित है। अन्य राज्यों में विद्युतीकरण ग्रामों की प्रतिशतता और बिजली के लाभों से वंचित ग्रामीण जनसंख्या की अनुमानित प्रतिशतता नीचे दी जाती है :—

क्र० सं०	राज्य का नाम	31-12-72 तक विद्युतीकृत ग्रामों की प्रतिशतता	बिजली के लाभों से वंचित ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	34.9	40.40
2	असम	3.3	92.14
3	बिहार	17.9	76.00
4	गुजरात	27.4	49.70
5	हरियाणा	100.0	..
6	हिमाचल प्रदेश	26.7	56.20
7	जम्मू और काश्मीर	11.2	82.40
8	केरल	83.9	11.50
9	मध्य प्रदेश	13.2	74.80
10	महाराष्ट्र	40.1	41.30

1	2	3	4
11	मणिपुर	10.3	62.50
12	मेघालय . . .	1.7	95.40
13	मैसूर . .	41.4	41.50
14	नागालैंड . . .	10.90	79.70
15	उड़ीसा . . .	10.7	80.00
16	पंजाब	54.6	34.00
17	तमिलनाडू	96.4	2.50
18	त्रिपुरा	1.9	92.00
19	उत्तर प्रदेश	23.00	61.10
20	पश्चिम बंगाल	12.1	76.20

31-12-72 को ग्राम विद्युतीकरण की अखिल भारतीय प्रतिशतता 23.2 है।

(ख) राज्य योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार ने अब तक वर्ष 1973-74 के लिए कोई ग्राम विद्युतीकरण स्कीम प्रस्तुत नहीं की है। ग्राम विद्युतीकरण निगम, जिसे केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित किया गया है, राज्य बिजली बोर्डों को उनकी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए योगात्मक धन की व्यवस्था करता है। निगम ने अब तक राजस्थान की 29 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकार किया है, जिसमें 1734 ग्रामों के विद्युतीकरण, 37034 पम्पसेटों के उर्जन और 3987 लघु तथा कृषि उद्योगों को विद्युत की सप्लाई के लिए 1535.837 लाख रुपये की ऋण सहायता शामिल है। ये स्कीमें 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण होनी अनुसूचित हैं।

जैसाकि राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने बताया था, वर्ष 1973-74 के दौरान 1,000 बस्तियों में बिजली लगाने, 15,000 सिंचाई पम्पसेटों का उर्जन करने और 2000 लघु तथा कृषि उद्योगों को बिजली कनेक्शन देने का कार्यक्रम है।

उत्तर भारत में कोयले की कमी

2997. **श्री अम्बेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला भेजने के लिए मालगाड़ियों की कमी के कारण उत्तर भारत में कोयले की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो कोयला भेजने के लिए रेलवे ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पठानकोट रेलवे स्टेशन से स्थानों का आरक्षण

2998. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तावी से चलने वाली श्रीनगर एक्सप्रेस और काश्मीर मेल में पठानकोट रेलवे स्टेशन से स्थानों आरक्षण के लिए यात्रियों को कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं की जाती है। और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : पठानकोट स्टेशन पर जम्मू तावी से चलने वाली 60 डाउन श्रीनगर एक्सप्रेस और 34 डाउन काश्मीर मेल में पहले दर्जे और तीसरे दर्जे की शायिकाओं आरक्षण की व्यवस्था है। अभ्यावेदन मिलने के बाद इन गाड़ियों में 20-3-1973 से पठानकोट में तीसरे दर्जे की सीटों के आरक्षण के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।

जगदलपुर और दांतवाड़ा (दक्षिण पूर्व रेलवे) में लदान की सुविधाएं देने का अनुरोध

2999. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन विभाग ने पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से रेलवे को सप्लाई की जाने वाली इमारती लकड़ी की दरें इस शर्त पर कम करने की पेशकश की थी कि कियानदूल-कोटवासला रेल लिंक पर जगदलपुर और दातवाड़ा स्टेशन पर लदान की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी और मुख्य प्रवर्तन अधीक्षक दक्षिण पूर्व रेलवे, कलकत्ता ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी जिसके परिणामस्वरुप समस्त इमारती लड़की 800 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर, मध्यप्रदेश को भेजनी पड़ी थी; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। चूंकि जगदलपुर और दातवाड़ा स्टेशन माल यातायात के लिए नहीं खुले हैं इसलिए, मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र से इमारती लकड़ी रायपुर, धमता धल्लीराजहार जैसे स्टेशनों से, जिनकी औसत दूरी 300 कि० मी० है, बाहर भेजी जाती है।

(ख) किरंदुल-कोटुवलासा रेल सम्पर्क खंड की लाइन-क्षमता केवल लोह अयस्क यातायात की ढुलाई के लिए पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में जगदलपुर और दांतवाड़ा स्टेशनों को इस समय सामान्य माल यातायात बुक करने के लिए खोलना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। फिर भी, इस खंड की लाइन क्षमता अनुकूलतम बनाने और दांतवाड़ा और धल्लीराजहार के बीच वैकल्पिक रेल-सम्पर्क की व्यवस्था करने के बारे में अध्ययन शुरू किया गया है और उनकी रिपोर्ट अभी विचाराधीन हैं।

गंडक परियोजना पर काम शीघ्र चलाने के लिए नेपाल का अनुरोध

3000. **श्री रणबहादुर सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि गंडक परियोजना पर काम शीघ्रता चलाया जाए ताकि दोनों देशों में रबी फसलों को सिंचाई का लाभ मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के संबंध में भारत ने कितनी प्रगति की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) गंडक परियोजना में तेजी लाने के लिए, ताकि दोनों देशों में रबी की फसलों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सके, नेपाल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, नेपाल सरकार ने जितना शीघ्र संभव हो सके नेपाल पूर्वी नहर में सिंचाई के लिए जल देने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) गंडक परियोजना के निर्माण की प्रगति नीचे दी जाती है :—

गंडक बराज

गंडक बराज और आनुषंगिक कार्य 1969-70 तक काफी मात्रा में पूर्ण कर दिए गए थे और बराज से जल को जून, 1969 तक मुख्य पूर्वी नहर में तथा दिसम्बर, 1969 तक मुख्य पश्चिमी नहर में सिंचाई के लिए छोड़ दिया गया था। बराज को जनवरी, 1971 में सभी प्रकार से पूर्ण कर दिया गया है।

मुख्य पश्चिमी नहर

नेपाल क्षेत्र में पड़ने वाली मुख्य पश्चिमी नहर दिसम्बर, 1969 में पूर्ण कर दी गई थी और जल उत्तर प्रदेश में पुरानी नारायणी नहर की कमान में तथा नई देवरिया नहर प्रणाली में भी सिंचाई के लिए सप्लाई किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नहर के भाग के सभी प्रकार से जून, 1973 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। बहरहाल, नहर को, रबी की सिंचाई के लिए बिहार में सारण नहर प्रणालो को जल की सप्लाई करने के लिए दिसम्बर, 1972 में खोला गया था। बिहार में मुख्य नहर का भाग भी मील 81.5 से 107 तक पूर्ण हो गया है और रबी की सिंचाई के लिए दिसम्बर, 1972 से जल दे दिया गया था। सारण नहर पर कार्य के जून, 1976 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

मुख्य पूर्वी नहर (त्रिहुत नहर)

130 मील तक कार्य पूर्ण हो गया है और 130 मील से 141 मील तक कार्य निर्माण की प्रौढ़ावस्था में है। नहर पर कार्य के जून, 1977 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

नेपाल पूर्वी नहर

नेपाल पूर्वी नहर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है परन्तु अब तक नेपाल सरकार द्वारा 20 क्यूसेक्स से नीचे वितरण प्रणाली के पूर्ण न होने के कारण नेपाल में कोई सिंचाई शक्यता उत्पन्न नहीं हुई है। बहरहाल, अप्रैल, 1973 के पहले सप्ताह से नहर में जल छोड़ना प्रस्तावित है।

'इडिक्की' परियोजना के निर्माण के दूसरे चरण का केन्द्रीय सेक्टर में सम्मिलित किया जाना

3001. **श्री वयालार रवि** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडिक्की परियोजना के निर्माण के दूसरे चरण को केन्द्रीय सेक्टर में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) क्योंकि इडिक्की जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन सुदृढ़ करने के लिए केवल अपेक्षित अधिकतम क्षमता की वृद्धि ही आती है अत: केरल सरकार ने यह परियोजना केंद्रीय क्षेत्र में लेने के लिए सुझाव दिया है।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत 17.5 करोड़ रुपये की लागत से 3 × 130 मैगावाट की यूनिटों का प्रतिष्ठापन आता है। केरल सरकार का यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

चौथी और पांचवी योजना के दौरान भारतीय रेलवे की आत्मनिर्भरता और उसका आधुनिकीकरण

3002. **वयालार रवि :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय रेलवे में आत्मनिर्भरता लाने और इसके आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में हुई उपलब्धियों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) पांचवीं योजना के दौरान इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे उपस्कर सम्बन्धी सभी प्रमुख मदें देश में बनायी जा रही है। अब केवल कुछ आवश्यक विशिष्ट मदों, कच्चे सामान और स्वामित्व पूरक मदों का ही आयात होता है। इसके अलावा, कुछ कलपुर्जों जिनकी देश में बनाने की क्षमता संस्थापित की जा चुकी है का आयात भी इन यूनिटों में उत्पादन गिर जाने के फलस्वरुप आवश्यक हो गया है। अपनी आधुनिकीकरण योजनाओं का अनुपालन करते हुए भारतीय रेलवे ने, अब परिवहन के आधुनिक साधनों, जैसे सिगनल-व्यवस्था की परिष्कृत विधियों के साथ-साथ डीज़ल और बिजली कर्षण को अपना लिया है। आत्मनिर्भरता के लिए किये गये प्रयासों के परिणामस्वरुप रेलों द्वारा की जाने वाली खरीद में आयात का अंश 1951-52 के वर्ष में 30 प्रतिशत से गिरकर 1971-72 में 10 प्रतिशत से कम रहा गया है।

(ख) आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण का अभियान एक सतत प्रक्रिया है और इसे पांचवीं योजना अवधि में और आगे बढ़ाया जायेगा।

Fare Charged from former Princes for keeping Saloons at Railway Stations

3003 **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the former princes for whom reserved Railway saloons are kept waiting at Railway Stations now-a-days also!

(b) whether fare is charged from them therefor;

(c) if so, the amount of fare charged from each of them during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd Shafi Qureshi) : (a) There are at present no reserved railway saloons which are kept waiting at railway stations for former princes,

(b) & (c) Do not arise.

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए ग्राहकों की संख्या में वृद्धि

3004. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में भारतीय तेल निगम द्वारा उत्पादित लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की मांग करने वाले ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार में भारतीय तेल निगम और बर्मा-शैल का कितना कितना हिस्सा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1972 के दौरान भारतीय तेल निगम तथा बर्मा-शेल द्वारा बेची गई एल० पी० जी० की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

भारती तेल निगम	74,400 मीटरी टन (सभी वितरक तेल कम्पनियों की कुल बिक्री का 30.9 प्रतिशत)
बर्मा-शैल	72,166 मीटरी टन (सभी वितरक तेल कम्पनियों की कुल बिक्री का 30.0 प्रतिशत)

अजनी शैड (मध्य रेलवे) के इलैक्ट्रिकल विभाग के अन्तर्गत बिजली के समान की देखभाल के लिए कर्मचारी

3005. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजनी (मध्य रेलवे) के इलेक्ट्रिकल फोरमैन के कार्यालय में अप्रयुक्त सागौन की लकड़ी सहित कितने मूल्य का सामान पड़ा है; और

(ख) क्या अजनी शैड में इलेक्ट्रिकल विभाग के अन्तर्गत बिजली के सामान की उचित देखभाल तथा नियंत्रण के लिए न तो उचित प्रबन्ध ही है और न ही आवश्यक कर्मचारी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) अजनी में दो बिजली फोरमैन है—एक अनुरक्षण-कार्य का इंचार्ज है और दूसरा निर्माण-कार्य का । उनके अधीन रहने वाले भण्डार का अनुमानित मूल्य क्रमशः 5·5 लाख रुपये और 6.53 लाख रुपये है।

(ख) भण्डार के अनुरक्षण और नियंत्रण की समुचित व्यवस्था विद्यमान है।

Manhandling of Driver of Pathankot Express at Jhansi Station by Military Personnel

3006. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some soldiers had manhandled the Driver of the Pathankot Express at Jhansi station in January 1973;

(b) whether the train was stopped several times by pulling the alarm chain from Bombay to Jhansi on route; and

(c) if so, the facts of the incident and the measures being adopted to check recurrence of such incidents in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes ;

(b) Yes;

(c) On 6-1-1973, military personnel travelling by 57 Dn. Pathankot Express (in the bogie next to the engine) pulled the alarm chain at Babina Railway station but the train did not stop. This infuriated the military men and they, on arrival at Jhansi, assaulted the driver who sustained inmury on his head. After rendering first-aid, tne driver was sent to Railway hospital. The bogie was detached at Jhansi to avoid further detention to this and other following trains. A case was registered against the military personnel by G.R. P Jhahsi. The military authorities have been asked to take departmental action against the personnel concerned.

For affording protection to the running staff, most of the passenger trains in areas affected by lawlessness, are escorted by G.R.P. Also, the cash collecting trains are escorted by armed R.P.F. personnel, thereby affording indirect protection to the Railway staff on trains.

पश्चिम बंगाल मे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्यकरण

3007. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्धकरण वहां पर तेल सम्भावी खोज का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहे है; और

(ख) इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय को युवा अथवा कनिष्ठ विशेषज्ञों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

पैट्रोलियम औय रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी नहीं। यह कहना ठीक नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्धकरण वहां पर तेल सम्भावी खोज का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहे है।

(ख) जितना हम जानते हैं कि इस सम्बन्ध में इस मंत्रालय को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वरिष्ठ प्रबन्धकों के विरुद्ध युवा अथवा कनिष्ठ विशेषज्ञों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु पश्चिम बंगाल में सोनपुर नामक स्थान पर स्थित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की यूनियन के प्रधान ने उपर्युक्त विषय पर स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के भूतपूर्व राज्य मंत्री को 15 नवम्बर, 1972 को एक अभ्यावेदन भेजा था। इस अभ्यावेदन की एक प्रति पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को भी पृष्ठांकित (एण्डोरसड) की गई थी तथा यह प्रति तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के चेअरमन को विचारार्थ भेजी गई थी।

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा सोलह वर्षीय लड़की के साथ कथित बलात्कार

3008. **श्री रोबीन ककोटी : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल के 6 सशस्त्र कर्मचारियों ने, 21 जनवरी की रात को 19 अप रेलगाड़ी से अपने भाइयों के साथ मरियानी से सदिया से जाते हुए, एक सोलह वर्षिय लड़की के साथ कथित बलात्कार किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री (मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कुमारी मुरूली देवड़ी नाम की एक 17 वर्षीय लड़की 21-1-1973 को नं० 19 अप सवारी गाड़ी के तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में मरियानी से तिनसुकिया जा रही थी। उसके साथ 14 और 12 वर्ष की उम्र के उसके दो भाई थे। कुछ वर्दीधारी सशस्त्र कार्मिक मरियानी में उस डिब्बे में चढ़े। गाड़ी के सिमलगुडी पहुंचने पर, कुमारी मुरूली देवड़ी के एक भाई ने रिपोर्ट की कि उक्त वर्दीधारी कार्मिकों ने उसकी बहिन के साथ बलात्कार किया है। उस लड़की को इलाज के लिए तुरन्त रेलवे अस्पताल तथा बाद में शिबसागर टाउन के सिविल अस्पताल ले जाया गया। सरकारी रेलवे पुलिस, सिमलगुड़ी, एक मामला दर्ज कर लिया है। रेलवे सुरक्षा विशेष दल के चार रक्षकों को, जो कि उस गाड़ी में ड्युटी पर थे, गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उनकी पहचान परेड की गयी थी और उनमें से विश्वनाथ पटेल नामक एक रक्षक को गवाहों ने पहचान लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

कोयले के मूल्य के बार में रेलवे बोर्ड और कोयला उत्पादको तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बीच मतभेद

3009. **श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले के मूल्य के बारे में रेलवे बोर्ड और निजी क्षेत्र के कोयला उत्पादकों तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बीच मतभेद था; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

High-Power Committee to Investigate Irregularities in regard to Promotions and Transfers in the Railway Department

3011. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government set up a high-power Committee to look into the irregularities in the Railway Department in regard to promotions and transfers; and

(b) if so, the broad outlines of the report submitted by the Committee?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise.

गोग्राघाट और चौकघाट रेलवे स्टेशनों (पर्वोत्तर रेलवे) के मध्य रेल पुल का निर्माण

3012. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के गोग्राघाट और चौकघाट रेलवे स्टेशनों के मध्य मीटरगेज रेल लाइन को ब्राड गेज में बदलते समय गोग्रा नदी पर एक नया रेल पुल बनाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग वर्तमान पुल को सड़क यातायात के लिए राज्य सरकार को सौंप देगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) नयी पुल बनाने या उपयुक्त रूप से मजबूत बनाकर इसे कायम रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इस पुल को लेने के लिए राज्य सरकार से कोई दृढ़ अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी हालत में इस तरह के अनुरोध पर, जब और जैसे प्राप्त होगा, तभी विचार किया जा सकेगा जब रेलवे के लिए एक नया पुल बनाना आवश्यक होगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की विद्युत परियोजना

3013. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री राम भगत पस्वान :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पडौसी राज्यों से विद्युत् प्राप्त करने के लिए 220 किलोवाट की पारेषण लाइनें बिछाने हेतु दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा विद्युत् परियोजना पर किया जा रहा कार्य निर्धारित समय से पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप ंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) दिल्ली विद्युत् प्रणाली 220 के० वी० पर उत्तर प्रदेश विद्युत् प्रणाली और भाखड़ा नंगल विद्युत् प्रणाली से पहले ही आपस में जुड़ी हुई है। राजस्थान में जयपुर को बदरपुर से जोड़ने वाली एक 220 के० वी० लाइन निर्माणाधीन है। संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत् के पारेषण और वितरण के लिए बढ़ी हुई क्षमता की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक 220 के० वी० रिंग मेन भी निर्माणाधीन है।

(ख) और (ग) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि देरी के लिए मुख्य कारण, कुछ जगहों पर अधिग्रहण के द्वारा उपकेंद्रों के लिए भूमि प्राप्त करने में देरी, माग के लिए स्वीकृत मार्ग संरेखण के साथ-साथ अवैध संरचनाओं द्वारा पैदा की गई कठिनाइयां, 'सर्किट ब्रेकर्स' आदि जैसे कुछ उपस्करों को डिलीवरी में अधिक समय और इस्पात और सीमेंट जैसी मुख्य सामग्री की सामान्य कमी रही हैं।

केन्द्रीय सरकार ने कार्यों के लिए इस्पात और सीमेंट की आवश्यक आवश्यकता का प्रबंध किया। दिल्ली प्रशासन उपकेन्द्रो के लिए भूमि अधिग्रहण करने के प्रश्न पर भी आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। विद्युत सप्लाई और वितरण के लिए जो उचित हो, ऐसी संभावना है कि लाइन विभिन्न चरणों में पूरी की जाएगी।

Export of NaPhtha by Oceanic Petroleum Co.

3014. Dr. Laxminarayan pandeya : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Indian Oil Corporation has assigned the job of export of Naphtha to Oceanic Petroleum Company;

(b) whether Robert Mclean Company Limited has offered higher rates; and

(c) if so, the rates offered by the Oceanic Petroleum Company and Robert Mclean Company?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Only during the years 1967 to 1971 some naphtha was exported from India to Japan. Some of these exports were made by the Cochin Refinery direct, some by the IOC through STC and some through M/s. Oceanic Petroleum Company. All these export arrangements were finalised on a competitive basis.

(b) No quotation appears to have been received from this party.

(c) It is not in the commercial interest of the Indian Oil Corpn., to divulge the rates offered by M/s. Oceanic Petroleum Company. The question of M/s. Robert Mclean Company offering a rate does not arise in view of the answer given at item (b) above.

गैस से बिजली का उत्पादन

3015. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैस से बिजली का उत्पादन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) विद्युत् उत्पादन के लिए गैस का उपयोग करने वाले गैस टर्बाइन विद्युत् संयंत्र असम में नामरूप और गुजरात में धुवरण में पहले से ही प्रतिष्ठापित कर दिए गए हैं।

गैस से फायर किए गए बायलरों से 30 की० वा० के एक वाष्प विद्युत् संयंत्र का नामरूप में निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, गुजरात में धुवरण और ट्राम्बे में उबन के वाष्प विद्युत् संयंत्र भी अधिक रूप में गैस को ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। गैस की सीमित उपलब्धता और औद्योगिक उपयोगार्थ तथा उर्वरक बनाने के लिए इसकी मांग में वृद्धि के कारण यह प्रस्तावित किया गया है कि विद्युत् उत्पादन के लिए इसका उपयोग भविष्य में किया जाए। जहां तक संभव हो, विद्युत् उत्पादन के लिए इसके वर्तमान उपयोग को कम करके अन्य कोयलों के इस्तेमाल का प्रस्ताव है।

उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए राज्यों द्वारा स्वीकृति मांगना

3016. **श्री मोहम्मद शेरीफ :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये केन्द्र सरकार को स्वीकृति देने के लिये लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारों से इस बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

सोवियत संघ के सहयोग से विद्युत संयंत्रों का निर्माण

3017. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ के सहयोग से पूरी की गई अथवा निर्माणाधीन विद्युत् परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना की वास्तविक या अनुमानित कुल लागत कितनी है और सोवियत संघ ने प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की है; और

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएँ निर्धारित समय में पूरी नहीं हो सकी या नहीं हो सकेंगी और प्रत्येक परियोजना में हुए विलम्ब का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : रूस के सहयोग से पूर्ण की गई/निर्माणाधीन परियोजनाओं के नाम और उनकी अनुमानित लागत, लाभों तथा रूसी तकनीकी सहायता की का विवरण संलग्न है।

(ग) नैवेली, ओबरा, कोर्बा और भाखड़ा दक्षिण तट परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। लोअर, सिलेरू जल-विद्युत परियोजना के दो यूनिटों को पांचवीं योजना की प्रारंभिक अवधि में चालू किया जाना था। अंतिम पुनरावलोकन के अनुसार, यह प्रत्याशा की जाती है कि ये यूनिटें 1975-76 तक चालू कर दी जायेंगी।

विवरण

क्रम सं०	पहले से पूर्ण तथा चालू की गई/अब भी निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के नाम	उत्पादन यूनिटों की संख्या और क्षमता	परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	रूसी ऋण की राशि (करोड़ रुपयों में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	नैवेली लिगनाइट विद्युत केंद्र (तमिलनाडु केन्द्रीय क्षेत्र)	6× 50+ 3× 100	74.03	49.50	पूर्ण कर दी गई
2	कोर्बा तापचरणन्दो (मध्य प्रदेश)	4× 50	30.28	17.46	पूर्ण कर दी गई
3	ओबरा ताप चरण एक (उत्तर प्रदेश)	5× 50	37.76	22.72	पूर्ण कर दी गई
4	भाखड़ा दक्षिण तट विद्युत केंद्र (पंजाब/हरियाणा/राजस्थान)	5× 130	28.66	10.80	पूर्ण कर दी गई
5	लोअर सिलेरू जल-विद्युत (आंध्र प्रदेश)	2× 100	77.50	2.75	परियोजना में 100–100 मैगा-वाट की 4 यूनिटों का प्रतिष्ठापन सम्मिलित है। इनमें से 100–100 मैगावाट की दो यूनिटें रूस द्वारा प्रदाय की जा रही हैं।

कलकत्ता लाइसेंस्ड मेजर्स का कलकत्ता की सरकारी अधिकार में लिया जाना

3019. **श्री सी० जनार्दनन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल वाणिज्य और उद्योग मण्डल द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित कलकत्ता लाइसेंस्ड मेजर्स कलकत्ता मूलभूत और सामरिक महत्व का उपक्रम है तथा यह जनोपयोगी सेवा करती है;

(ख) क्या 1968 से यह वित्तीय संकट में है तथा बन्द होने वाला है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उपक्रम को अपने अधिकार में लेने अथवा उसका राष्ट्रीयकरण करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) से (ग) : सूचना संग्रह की जा रही है वह सदन के पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

स्टील एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स लि०, कलकत्ता

3020. **डा० रानेन सेन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित स्टील एंड एलाइड प्रोडक्टस लि० ने सरकार को विस्तार हेतू कोई योजना अथवा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबं ी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या उक्त कम्पनी ने आज तक मिलें लाइसेंसों का पूरी तरह से उपयोग कर लिया है और यदि नहीं तो क्या लाइसेंसों को अब तक पूरी तरह उपयोग न किये जाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ग) भारत के निवासियों, गैर-निवासियों निगमों कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थानों द्वारा खरीदे गए उक्त कम्पनी के शेयरों की संख्या तथा अनुमान क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कम्पनी के निदेशक बोर्ड में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का है; और

(ङ) क्या उक्त कम्पनी विदेशी सहयोग करार के लिए किसी देशके साथ बातचीत कर रही है अथवा उसने किसी देश के साथ ऐसा करार कर लिया है ?

विधि, न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डो० आर० चव्हाण) : (क) से (ङ) सूचना संग्रह की जा रही है वह सदन के पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

वीयको लारी लिमिटेड, कलकत्ता

3021. **डा० रानेन सेन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीयको लारी लिमिटेड, कलकत्ता के अंश भारतीय निवासी, गैर निवासी तथा सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों, कम्पनियों तथा वित्तीय संस्थानों के पास कितने और किस अनुदान में हैं;

(ख) निदेशक बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या कम्पनी के वर्तमान निदेशक मंडल का कोई सदस्य ऐसा भी है जिसका सम्बन्ध वामेर लारी लिमिटेड अथवा इन्डोबर्मा पेट्रोलियम या किसी अन्य कम्पनी अथवा वित्तीय संस्थानों से है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन नाम निर्देशित सदस्यों में से किसी को कम्पनी के निदेशक बोर्ड में नियुक्त करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना संग्रह की जा रही है वह सदन के पटल पर प्रस्तत कर दी जायेगी ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन

3022. **श्री ई० वी० विखे पाटिल: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएँ अधिनियम में संशोधनों के बारे में 8 दिसम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3544 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकरण के कुछ देशों में सुधार करने हेतु एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाये अधिनियम में संशोधन करने के लिये दिये गए सुझावों पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उन पर क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) मामला अभी भी परीक्षान्तर्गत है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दिये जाने वाले अनुषंगी लाभों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए अनुदेश

3023. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आपत्कालीन स्थिति के दौरान अनुषंगी लाभों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये अनुदेश दिया है;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने चिकित्सा अवकाश के बदले में भुगतान तथा पदों का दर्जा बढ़ाने के मामलों में आदेश का उल्लंघन किया है ;

(ग) यदि हां, तो 1972-73 के दौरान वास्तविक तथा अनुमानित रूप से कितनी कितनी वित्तीय हानि हुई ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

दुर्घटनाओं की संख्या में कमी

3024. श्री एस० एन० बनर्जी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के अपेक्षा 1972 में छोटी-बड़ी दुर्घटनाएँ कम हुई; और

(ख) इनको और कम करने के लिए क्या नए उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारत की सरकारी रेलों पर टक्टर, पटरी से उतरने, समपार को दुर्घटना और गाड़ियों में आग लगने की दर्घटनाओं की कुल संख्या 1972 में 778 रही जब कि 1971 में 897 थी ।

(ख) रेलों पर स्थापित संरक्षा संगठन गाड़ियों के चालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पदा करने और यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि उन्हें विहित संरक्षा नियमों की ठीक-ठीक जानकारी हो की इसके अलावा यह दखने के लिए मौके पर जांच की जाती है कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें और सुगम तरीके न अपनाएँ । सभी दुर्घटनाओं की जाँच की जाती है और जिम्मेदार पाये जाने वालों पेश उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । इसके अतिरिक्त, यदि किसी जांच से कोई अन्य कमी या चुका का पता चलता है तो उसकी पुनरावृति को रोकने के लिये कारवायी की जाती है । संरक्षा में सुधार के लिए, सुधरे हुए सिग्नल और अंतपर्शि, रेल-पथ परिपथ आदि के रूप में यथाशक्य तकनीकी सुधार भी किये गये हैं ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप मजदूर संघ को मान्यता देने संबंधी निर्णय

3025. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **रेल** मंत्री चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप के मजदुर संघों को मान्यता देने के बारे में 12 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 407 की उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन वर्कशाप में किसी संघ को मान्यता दी गई है; और

(ख) क्या किसी भी संघ को मान्यता न देने का पक्का निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो किन नियमों के अधीन ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) तारांकित प्रश्न 407 के उत्तर में बतायी गयी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

मैसूर में उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वित किया जाना

3026. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) मैसूर राज्य में कितनी उठाऊ सिंचाई परियोजनाए क्रियान्वित की जा रही हैं और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकारने कुल कितनी धनराशी मंजुर की है; और

(ख) इन परियोजनाओं से कितने एकड भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जाएेगी और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) मैसूर सरकार ने सचित किया है कि राज्य में 70 नयी लिफ्ट स्कीमों का (कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित लघु सिंचाई सैक्टर के अंतर्गत) कार्यान्वियन शुरू किया गया है और इन्हें मार्च, 1973 तक पूर्ण करना निदेशित है । इन स्कीमों तथा 51 चालू लिफ्ट सिंचाई स्कीमों को पूर्ण करने के लिये केन्द्र ने कुल 2.2 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है । इन स्कीमों द्वारा 76,500 एकड़ क्षेत्र भूमि को सिंचित किए जाने की संभावना हैं ।

कृष्णा और भीमा नदियों के साथ साथ पावर लाइनों का असंतोषजनक प्रबंध

3027. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कृष्णा और भीमा नदियों के साथ-साथ पावर लाइनो का प्रबंध संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कृष्णा और भीमा नदियों के समानान्तर विद्युत पारेषण और वितरण के संबंध में पहले से ही संतोष प्रद व्यवस्था विद्यमान है । फिर भी, जल उपयोग के वांछित प्रतिमान के हित में यदाकदा विद्युत आपूर्ति को नियंत्रित करना पड़ता है ।

त्रिवेन्द्रम-नगरकोयल-कन्याकुमारी रेलवे लाइन का निर्माण

3028. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेंद्रम-नगरकोयल-कन्याकुमारी रेलवे लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यह लाइन कब तक तैयार हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : : (क) अन्तिम स्थान निर्धारण संबंधी सर्वेक्षण पुरा होनेवाला है। अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई की जा रही है। मिट्टी डालने का काम खंड I में शरू हो गया है।

(ख) आशा है यह लाइन 1975-76 में तयार हो जायेगी।

कुवैत के तेल संसाधनों का उपयोग करने के लिए उसके साथ सहयोग

3029. **श्री एस० ए० मरुगनन्तम : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या कुवैत के तेल संसाधनों का पारस्परिक लाभ के लिये उपयोग करने हेतु अधिक सहयोग करने के लिये भारत और कुवैत में कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विदेशी मंत्री के कुवैत के हाल ही के दौरे के दौरान, पेट्रोलियम और रसायन के क्षेत्र में भारत तथा कुवैत के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग किये जाने के बारे में अन्वेषणात्मक विचार विमर्श हुआ है। इस अवस्था में कोई ब्यौरे बताना कठिन है।

न्यायाधिशों की सेवानिवृत्ति की आयु

3030. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिशों की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में संविधान में संशोधन करने का है;

(ख) क्या सरकार का यह भी विचार है कि सेवानिवृत्त न्यायाधिश को पुनः बार में आने से तथा अन्य नौकरी पर आने से वर्जित किया जाये और उन्हें अच्छी पेन्शन दी जाये; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

एल० पी० जी० की निर्धारित अवधि के लिए एजेंसियां दिया जाना

3031. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस की एजेंसियां चिरस्थायी आधार पर दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार एकाधिकार को रोकने और एजेंटों के कुप्रबंधक को रोकने के लिये ये एजसियां निर्धारित अवधि के लिये देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तरल पैट्रोलियम गैस की डीलरशीप तेल कंपनियों द्वारा बिना किसी समय सीमा के इस शर्त पर दी जाती है कि

करार की शर्तों के अनुसार डीलरशिप समाप्त करने का अधिकार संबंधित तेल कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा।

(ख) कुप्रबंध आदि के विशिष्ट मामले तरल पैट्रोलियम गैस के वितरकों के साथ हुये करारों की वर्तमान शर्तों के अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा उचित ढंग से निपटाये जा सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रसायन उद्योगों के विकास की योजना

3032. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी योजना में देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रसायन उत्पादन हेतु देश के रसायन उद्योगों के विकास की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में रसायनों के उत्पादन, मांग, निवेश, इत्यादि की उन्नति के पुनरीक्षण करने के लिये और पंच वर्षीय योजना अवधि में रसायन और उससे सम्बद्ध उद्योगों के विकास की आवश्यकताओं के ब्यौरे तैयार करने के लिये योजना आयोग ने एक संचालन दल की नियुक्ति की है। अकार्बनिक रसायनों, कार्बनिक रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों, इत्यादि जैसे व्यक्तिगत उत्पाद 'ग्रुपों' के बारे में क्षेत्रवार चित्र की परीक्षा करने के लिये परिचालन दल ने कई कार्यकारी दलों की नियुक्ति की है। परिचालन दल के द्वारा सभी व्यक्तिगत कार्यकारी दलों के कार्यों के पुनरीक्षण और पंचम पंच वर्षीय योजना अवधि में विभिन्न रसायनिक उत्पादों की मांगों को पूरा करने के लिये कार्यक्रम बनाने के बाद, योजना आयोग पंचम पंच वर्षीय योजना अवधि में रसायनों के उद्योग के विकास के लिये एक योजना बनायेगी।

तत्पश्चात्, चतुर्थ पंच वर्षीय योजना अवधि में की गई उन्नति और पंचम पंच वर्षीय योजना अवधि में उत्पन्न होने वाली सम्भावित मांगों को ध्यान में रख कर, रसायनिक उद्योग के विकास के लिये एक योजना तैयार की जायेगी।

वर्ष 1972-73 में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में माल की चोरी

3033. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर कुल कितने मूल्य के माल की चोरी हुई; और

(ख) उक्त रेलवे में माल की चोरी रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1972-73 (फरवरी तक) के दौरान पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेलवे सुरक्षा दल के पास दर्ज कराये गये मामलों में चोरी/उठाये गये माल का मूल्य 4,33,893 रु० है।

(ख) रेलों पर माल की चोरी/उठाईगीरी को रोकने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे है :—

(i) अनाज, चीनी, लोहा और इस्पात आदि के पूरे गाड़ी भार के लिए सशस्त्र मार्ग-रक्षिय की व्यवस्था।

(ii) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर परेषणों के चढ़ाने उतारने के काम का निजी पर्यवेक्षण ।

(iii) भेद्य क्षेत्रों में कीमती माल ले जाने वाली माल गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिक तैनात करना ।

(iv) पैकेजों को पैक करने, उन पर निशान लगाने और मालडिब्बों पर लेबल लगाने के काम को ठीक/समुचित रूप से करने पर जोर देना ताकि पैकज/मालडिब्बे भटक न जायें अथवा उन्हें परिवहन की विलम्ब न हो ।

(v) मालडिब्बों के कटे हुए पेनलों/खोलों की मरम्मत के काम में तेजी लाना ।

(vi) यथासंभव अधिक से अधिक मामलों में कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित करना ।

(vii) चोरी और उठाईगिरी की रोकथाम के लिये उपाय सुझाने, निर्देश देने और समन्वय करने के लिये राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, रेल अधिकारियों और व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधियों की संयुक्त समितियों का गठन करना ।

(viii) अपराधियों/चोरी का माल खरीदने वालों के बारे में आसूचना एकट्ठी करने पर जोर देना और उन पर छापे मारना ।

पूर्णिया जंक्शन ठाकुरगंज, डलकोला, फाबिसगंज और किशनगंज (पर्वोत्तर सीमा रेलवे) से पटसन की गांठों के लिए माल डिब्बों की मांग और उनकी पूर्ति

3034. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्णिया जंक्शन ठाकुरगंज , डलकोला फाबिसगंज और किशनगंज (सभी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के स्टेशन) से पटसन की गांठों की ढुलाई के लिए वर्ष 1971-72 और 1972-73 में कितने माल डिब्बों की मांग की गई और कितने मालडिब्बों की सप्लाई की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

स्टेशन का नाम	1971-72		1972 73 (फरवारी तक)	
	माल डिब्बों की कुल संख्या		माल डिब्बों की कुल संख्या	
	जिनकी मांग की गयी	जिनका लदान किया गया	जिनकी मांग की गयी	जिनका लदान किया गया
पूर्णिया	1,394	1,283	756	756
ठाकुरगंज	426	420	310	310
डलकोला	831	686	390	386
फारबसगंज	3,212	2,485	2,364	2,359
किशनगंज	2,668	2,451	2,385	2,374
	8,531	7,325	6,205	6,185

तटीय और तट-दूर क्षेत्रों में तेल की संभावनाओं का मूल्यांकन

3035. श्री एम० बी० कृष्णप्पा :
श्री समर गुहु :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय और तटदूर दोनों क्षेत्रों में तेल की संभावनाओं के बारे में सरकार ने अब तक कोई तकनीकी सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत के विभिन्न भूमि क्षेत्रों की तल संभावनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है जिसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भूगर्भीय, गुरुत्व, चुम्बकीय तथा भूकम्पीय सर्वेक्षणों से करता है । इन सर्वेक्षणों से संरचनाएँ तथा तेल पाये जाने के लिये अनुकूल अन्य ट्रैप ढूंढ़ने में सहायता मिलती है । तत्पश्चात् तेल भण्डारों का पता लगाने तथा समुपयोजन करने के लिये अनुकूल ट्रैप्स का व्यधन द्वारा परीक्षण किया जाता है ।

इन प्रक्रियाओं के परिणामों पर आधारित होते हुए, आयोग ने अब तक गुजरात तथा असम के विभिन्न भूमि क्षेत्रों में 100 मिलियन मीटरी टन से अधिक के प्राप्त तेल भांडार स्थापित किये हैं, जिसमें इस समय प्रतिवर्ष 4.13 मिलियन मीटरी टन की दर से कच्चा तल उत्पादित किया जा रहा है । इस के अतिरिक्त, आयल इंडिया लिमिटेड तथा आसाम आयल कंपनी ने भी उत्तर-पूर्व के उन कुछ क्षेत्रों में जो उनके पास लाइसेंस/पट्टे पर हैं, तेल के भंडार स्थापित किय हैं । उन के क्षेत्रों में लगभग 42 मिलियन मीटरी टन के शेष प्राप्य भंडार है और उनकी वर्तमान उत्पादन दर प्रतिवर्ष 3 मिलियन मीटरी टन से कुछ ऊपर हैं । आयल इंडिया लि० का उन क्षेत्रों में, जो उसे गत समय में दिये जा चुके है, और अन्वषी कार्य करने का विचार है ।

इसी विशेषज्ञों के एक दल की सहायता से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत में हाइड्रो-कार्बन के संसाधनों के आगामी विकास का तकनीकी-आर्थिक संभाव्य अध्ययन किया था । इस अध्ययन पर आधारित होते हुए, आयोग ने एक पंचवर्षीय कार्यान्वियन योजना बनाई है और इसे सरकार के विचारार्थ भेजा है । परिचालन की पांच वर्ष की अवधि में 64 मिलियन मीटरी टन के अतिरिक्त प्राप्य भंडारों की खोज करना इस योजना का एक उद्देश्य है ।

आयोग ने कुछ अपतटीय क्षेत्रों में भी भूकम्पीय सर्वेक्षण किये हैं । उनके परिणामों पर आधारित होते हुए, खम्भात की खाड़ी में अल्यिबेट क्षेत्र में एक अपतटीय कुआ खोदा गया था किन्तु उसमें मिला तेल वाणिज्यिक स्तर का नहीं पाया गया था । मोबाईल प्लेटफार्म "सागर सम्राट" जिस के तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दिये जाने से पहले जापान में इस समय समुद्री-परीक्षण किये जा रहे है की सहायकता से 1973-74 के बाद बम्बई हाई तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में व्यधन शुरू करने का प्रस्ताव है । देश के कान्टिनेन्टल शेल्फ के ऐसे क्षेत्रों में, जहां पर अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुए हैं, में भी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का अग्रेतर सर्वेक्षण करने का विचार है ।

विदेशों की अपेक्षा भारत में किराया-भाड़ा अधिक होना

3036. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी रेलों की अपेक्षा भारत में यात्री किराये और माल भाडे अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गावों में विद्युतीकरण

3037. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में भारी पूंजी निवेश के बावजूद देश के केवल 20 प्रतिशत गांवों में ही बिजली पहुंचाई जा सकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) चौथी योजनावधि के दौरान ग्राम विद्युतीकरण में पर्याप्त प्रगति हुई है । 31-3-1969 को विद्युतीकृत 73,722 ग्रामों की तुलना में 31-12-72 तक 132,419 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके थे और विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है । ग्राम विद्युतीकरण का अखिल भारतीय औसत 23.4 प्रतिशत है । ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों/सरकारों द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जाती है और राज्य योजना परिव्ययों और जीवन बीमा निगम, बैंक आदि जैसी वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर इनके लिये वित्त व्यवस्था की जाती है । इसके अतिरिक्त ग्राम विद्युतीकरण निगम, जिसकी स्थापना केन्द्रीय सेक्टर में 1969 में की गई थी, द्वारा योगात्मक धन दिया जाता है । इस प्रकार ग्राम विद्युतीकरण को ऋण ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमो के एक भाग की ही वित्त व्यवस्था करता है । ग्राम विद्युतीकरण निगम से धन केवल चौथी पंचवर्षीय योजना में ही उपलब्ध हुआ है । निगम ने अब तक 208.97 करोड़ रूपये ऋण सहायता से 35,957 ग्रामों के साथ साथ विद्युतीकरण के लिये 394 स्कीमें स्वीकृत की हैं । इन स्कीमों पर अभी कार्य चल रहा है क्योंकि इनका 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण होना अनुसूचित है ।

Memorandum by Loco Mechanical staff association against break in service of employees of Danapur and Sahebganj Loco Sheds (Eastern Railway)

3038. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether break in service has been ordered in respect of 120 employees working in Danapur and Sahebganj Loco Sheds on the Eastern Railways;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether the Loco Mechanical staff Association has submitted a memorandum to protest against the break in service of the employees and if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd Shafi Qureshi): (a) and (b) Since the staff concerned numbering 120 in Danapur Shed and 220 in Sahebganj shed were held to have taken part in an illegal strike, there was an automatic break in their service.

(c) A memorandum has been received and is receiving consideration.

Closure of Fatwa Islampur Light Railway

3039. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Fatwa-Islampur Light Railway is proposed to be closed down;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Quresi) : (a) The Fatwah-Islampur Light Railway is run by M/s. Martin Burn Ltd. Government have received no intimation from the Company that the Light Railway is proosed to be closed down.

(b) & (c) Do not arise.

पूर्वोत्तर रेलवे के कमतोल रेलवे स्टेशन पर बिजली और टेलीफोन की व्यवस्था करना

3040. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या समस्तीपुर डिविजन में पूर्वोत्तर रेलवे के कमतोल रेलवे स्टेशन पर बिजली और टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या ब्लाक पंचायत परिषद्व तथा अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा गत तीन वर्ष से इनके लिए मांग की जा रही है; और

(ग) क्या कमतोल स्टेशन पर बिजली और टेलीफोन की व्यवस्था कर दी जाएगी, यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) ब्लाक पंचायत परिषद् से 23-9-1972 को अभ्यावेदन मिला था ।

(ग) कमतोल रेलवे स्टेशन पर 1973-74 में बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया जा चुका है। कमतोल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के क़ार्यालय में डाक-तार टेलीफ़ोन की व्यवस्था करने की मंजूरी भी दे दी गयी है और इसे जल्दी लगाने के लिये डाकतार अधिकारियों से अनुरोध, किया जा रहा है ।

बिहार मे बागमती धावस नदी में आई बाढ से हुई क्षति

3041. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी जिले के माधवपुर, भोमपट्टी और बिस्फी ब्लाकों और दरभंगा जिले के केवटो, जोगिआरा, सिंधबरा, सदर और हया घाट ब्लाकों से बहने वाली बागमती धावस नदी की बाढ़ से दूर-दूर तक विनाश होता है;

(ख) क्या इस नदी पर बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई योजना अंग के रूप में, दोनों किनारों पर तटबंध बनाने और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर निकासी द्वारा तथा नालियां बनाने के लिए क़ोई सर्वेक्षण किया गया है या किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है, और यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि धावस नदी जो कि दरभंगा की एक सहायक नदी है, तीव्र

बाढों के दौरान खासकर दायें किनारे पर क्षति पहुँचाति है । बाढ़ समस्या की अधवारा तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने जांच की है जिसने धाव्स नदी के लिये निम्नलिखित कार्यों की सफारिश की है :—

(1) रधौली पर प्रस्तावित नियामक के रधौली और सौलीघाट प्रतिप्रवाह के मध्य दोनों तरफ तट बंधों का निर्माण ।

(2) वरहनाद नदी के दायें किनार के साथ-साथ सौलीघट और आगरा पट्टी के मध्य प्रति प्रवाह में दायें तटबंध का विस्तार ।

(3) रधौली पर प्रस्तावित नियामक से धौस नदी से पुराना कानला कोर्स तक व्यस्ततम में निस्सार के भाग का व्यपवर्तन ।

राज्य सरकार ने अन्वेषण किया है परन्तु स्कीम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

बाढ नियंत्रण एवं सिंचाई संबंधी अधवाडा परियोजना, उत्तर बिहार का क्रियान्वित किया जाना

3042. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार की बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई संबंधी अधवाड़ा परियोजना के बारे में सभी ब्यौरे पर विचार कर लिया गया है और उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित करने का कार्यक्रम क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) बिहार की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अधवारा परियोजना के ब्यौरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) राज्य सरकार ने अधवारा बाढ़ नियंत्रण स्कीम को पांचवी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वियन के लिए शामिल करने का प्रस्ताव किया है ।

राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में रेलवे विकास का पुनर्विलोकन

3043. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में रेलवे के विकास का पुनर्विलोकन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) किसी क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित नए रेल सम्पर्कों के निर्माण के लिए निम्नलिखित तरीकों के आधार पर एक नए दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है जैसा कि 20-2-1973 को 1973-74 का बजट प्रस्तुत करते समय रेल मंत्री के भाषण के पैरा 41 से स्पष्ट है :—

(i) लाइन के निर्माण की अवधि में और उसके पूरा हो जाने तथा यातायात के लिए खुल जाने के बाद कुछ निर्दिष्ट वर्षों तक सामान्य राजस्व को लाभांश दायिता के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट;

(ii) भूमि देकर और निर्माण-कार्य के लिए निःशुल्क श्रम की व्यवस्था करके निर्माण की लागत कम करने में राज्य सरकारी और स्थानीय प्राधिकारियों का सहयोग;

(iii) नवनिर्मित लाइन के लिए लागू किराये और मालभाड़े के ढांचे में उपयुक्त ऊर्ध्वगामी समायोजन, जिसे आम भाषा के प्रभार्य मीलन्दूरी में स्फ़ीति कहा जाता है ;

(iv) विछिन्न आधार पर किराया और माल भाड़ा लगाना ताकि मानक किराये और भाड़े की अधिक दूरी-कम-किराया-वाली संरचना के विरूध्द संतुलन बनाया जा सके ।

वर्ष 1972–73 में कोचीन तेल शोधक कारखाने में लाभ

3044. **श्री वयालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1972-73 में कोचीन तेल शोधक कारखाने में कुल कितना लाभ होने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का 1972-73 का वित्तीय वर्ष 31 अगस्त, 1973 को समाप्त होता है । इस कम्पनी के 1972-73 के लिए लाभ की मात्रा कई मुख्य तथ्यों पर निर्भर है जिसके बारे में अभी कुछ अनिश्चितता है । ये है : यू० एस० डालर के अवमूल्यन के कारण कच्चे तेल की मूल्यवृद्धि, रुपये और डालर के मध्य विनिमय दर इत्यादि । इस अवस्था में इन तथ्यों के प्रभाव का ठीक ठीक मूल्यांकन करना और लाभ का अनुमान प्रस्तुत करना संभव नहीं है ।

कोचीन तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों को बढ़े हुए बोनस की अदायगी

3045. **श्री वयालार रवि** : **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों ने प्राधिकारियों को बढ़े हुए बोनस की राशि देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) शोधनशाला के प्रबंधकों और कर्मचारियों की युनियन के बीच इस विषय पर बातचीत जारी है ।

Appointment of Regular Teachers in Schools run by Western Railway

3046. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Teachers in schools run by the Western Railway working on an ad hoc basis against the posts of trained Graduates for the last three years or more; and

(b) the reasons for which the Teachers selected on a regular basis have not been appointed against the posts on which ad hoc Teachers have been working for such a long period?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर बमों का पाया जाना

3047 **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1973 में, दो बार तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर भारी विस्फोट करने वाले बम पाए गए ; और

(ख) क्या वहा पर बम रखे जाने का कारण रेलव सुरक्षा दल द्वारा पर्यवेक्षण में शिथिलता नहीं है और यदि हों, तो सुरक्षा प्रबन्ध और सुदृढ़ करने और रेलवेज सुरक्षादल की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन फरवरी, 1973 में दो बार प्रकाश देने वाले हथगोले, जो सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाते है, तुगलकाबाद यार्ड में पाए गए थे। यह सन्देह किया जाता है कि ये हथगोले तुगलकाबाद से गुजरने वाली किसी मिल्टरी स्पेशल से या शंटिंग के समय सैनिक सामान ले जाने वाले थानों से गिर गये।

माल डिब्बों के शंटिंग का पर्यवेक्षण यार्ड कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, रेलवे सुरक्षा दल के कार्मिकों द्वारा नहीं। इन घटनाओं में किसी शरारत का संदेह नहीं है। सम्बन्धित कर्मचारियों को हम्प शंटिंग के दौरान अधिक सावधान रहने की हिदायत कर दी गई है।

रलवे बुकिग तथा आरक्षण पद्धति की जांच करने वाले संसद्–सदस्यों के पेनल की रिपोर्ट

3048. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे बुकिंग और आरक्षण व्यवस्था की जांच करने वाले संसद-सदस्यों के पैनल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य शिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो उनकी रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) आरक्षण और बुकिंग पर संसद-सदस्यों की समिति ने अभीतक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) समिति ने आगली गर्मी की ऋतु में होने वाली भीड़-भाड़ के समय कुछ परीक्षण करने का स्ताव रखा है और उन परीक्षणों के पूरा हो जाने तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद समिति अपनी सिफारिशों को सूत्रबद्ध करे गी।

गुजरात में बिजली की कमी

3049. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण बड़ौदा में लगभग सभी उद्योग बन्द होने की स्थिति में है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पडोसी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे तत्काल बिजली सप्लाई करके गुजरात राज्य की सहायता करें ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार पड़ोसी राज्यों से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती रही है । बहरहाल, अन्यत्र विद्युत को कमी होने के कारण भी अधिक दीर्घकालीन राहत संभव नहीं हुई है ।

लोको संगचल स्टाफ की शिकायतें

3050. श्री माधुर्य हालदार :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोको सगंचल स्टाफ की शिकायतों और मांगों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन हाल भी में प्राप्त हुआ है ; और

(ग) उनकी मांगें मानने और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए है और या अब उठाएगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ;

(ख) जी हां ;

(ग) लोको रनिंग कर्मचारियों की शिकायतों के विषय में मान्यता प्राप्त यूनियनों और फेडरेशनों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अभ्यावेदन किये गये है और यथाविधि गठित स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र के जरिये उनके साथ बातचीत करके अपेक्षित कार्यवाही की गयी है और की जा रही है ।

अधिक स्थान वाली लम्बी रेल गाड़ियां

3051. श्री पी० गंगा देब : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका मंत्रालय ऐसी लम्बी रेल गाड़ियां चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें प्रति डिब्बा बैठने के अधिक स्थान हों, और यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : लम्बी दूरी की भीड़-भाड़ वाली गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर इनका डीजलीकरण किया जाता है । यह काम डीजल रेल इंजनों, जिनकी आवश्यकता प्रथमतः माल यातायात की निकासी के लिए पड़ती है की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

रेलवे लाइनों का आधुनिकीकरण

3052. श्री पी० गंगादेब :

श्री प्रसन्न भाई मेहता:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देशभर में रेल लाइनों के आधुनिकीकरण का काम आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या शोवेल-पैकिंग वाली जोडी गई लम्बी पटरियों को कंक्रीट के स्लीपरों पर लचकदार बन्धनों द्वारा और रबड़ पैडों का प्रयोग करके बिछाने पर विशष बल दिया जा रहा है; और

(ग) इस सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किन संसाधनों से की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां, रेलपथ का आधुनिकीकरण जो एक सतत प्रक्रिया है, रेल मंत्रालय की एक स्वीकृत नीति है और इस दिशा में यथाशक्य उत्तरोत्तर प्रगति की जा रही है ।

(ख) आधुनिकरण योजना में अनुरक्षण तकनीक के विभिन्न पक्ष निहित हैं जिनमें मैजर्ड शावल, पैकिंग, लम्बी झली हुई पटरियों जैसी सुधरी हुई रेलपथ संरचनाएं, कंक्रीट और अन्य स्वीपरों के साथ लचीले स्थिरकों और रबड पैडों का उपयोग शामिल है।

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सामान और उपस्कर सामान्यत: देशी स्त्रोतों से प्राप्त किय जा रहे हैं?

बिजली की कमी को दूर करने के लिए उड़ीसा सरकार का सहायता हेतु अनुरोध

3053. श्री गिरीधर गोमांगो : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वहां बिजली की कमी दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : (i) तालचिर में विद्युत् उत्पादन में सुधार लाने के लिए फालतू पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा विमुक्त करके तथा ताप-विशेषज्ञों को तकनीकी सहायता प्रदान करके,

(ii) पारेषण लाइनों के कार्य में तीव्रता लाने के लिए इस्पात आदि की व्यवस्था करके;

विद्युत् प्रदाय में सुधार करने के लिये उड़ीसा सरकार की सहायता की गई है।

नवम्बर 1972 में रेल गाड़ियों की संख्या में वृद्धि

3054. श्री गिरीधर गोमांगो :
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1972 में, गतवर्ष के इसी मास की तुलना में अधिक लोगों ने रेल द्वारा यात्रा की ;

(ख) यदि हां, तो रेल यातायात में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) क्या नवम्बर, 1972 के बाद से फरवरी, 1973 तक रेल द्वारा यात्रा करने वालों की संख्या काफी कम हो गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 7.80 प्रतिशत

(ग) 1 दिसम्बर 1972 से 20 फरवरी, 1973 तक की अवधि में—जिसके नवीनतम आकड़े उपलब्ध है, यात्रियों द्वारा की गयी यात्रा में वृद्धि की दर, नवम्बर 1972 में हुई वृद्धि की दर की अपेक्षा थोड़ी कम रही है। इस वृद्धि का प्रतिशत 7.27 प्रतिशत रहा है। इसके दो कारण है। पहला, नवम्बर 1971 की तुलना में 1972 में वृद्धि का कारण है देश के पूर्वी भाग में कानून और व्यवस्था को खराब स्थिति का होना जिससे नवम्बर, 1971 में पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर यात्री यातायात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। दूसरा, दिसम्बर, 1972 से 20 फरवरी तक की अवधि में उ० प्र० राज्यबिजली बोर्ड के इंजीनियरों को हड़ताल और मुल्की नियम विरोधी तथा आंध्र प्रदेश में पृथकतावादी आन्दोलन के कारण यात्री यातायात में थोड़ी कमी हुई इन सभी कारणों से भारी संख्या में यात्री गाड़ियों को रद्द करना पड़ा।

205 रुपये से 280 रुपये के (उत्तर रेलवे) सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रम के संबंध में अभ्यावेदन

3055. **श्री हुकुम चन्द कछवाय :**

श्री इसहाक संभली :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को सहायक स्टेशन मास्टर ग्रेड 205 से 280 रुपये की स्टेशन मास्टर ग्रेड 205 रुपये से 280 रुपये में पदोन्नति के लिये पदोन्नति पाठ्यक्रम के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी): (क) और (ख) : उत्तर रेलवे ने 13-11-1972 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें 205–280 रुपये के ग्रेड के सहायक स्टेशन मास्टरों की 205–280 रुपये के ग्रेड के स्टेशन मास्टरों के पद पर पदोन्नति से सम्बन्धित प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। इन अनुदेशों के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

कोचीन के पास इरिम्बानम के रेलवे कर्मचारियों को आवास भत्ता देना

3056. **श्री के० कत्तामुत्तु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के पास इरिम्बानम के रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो यह भत्ता उन्हें किस तिथि से देना शुरू किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 21-2-1973 से।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदनगर जिले में एक रेल इंजन और लारी ट्रैलर के बीच टक्कर

3057. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर जिले में 6 जनवरी 1973 को एक बिना चौकीदार वाले फाटक पर एक रेल इंजन और लारी ट्रैलर के बीच टक्कर होने से चार व्यक्ति मारे गए थे; और

(ख) उक्त घटना के तथ्य क्या हैं और मतकों के आश्रितों को कितना मुआवजा अदा किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी): (क) जी हां। लेकिन यह दुर्घटना 26-1-1973 को हुई थी, 6-1-1973 को नहीं। इस दुर्घटना में चार व्यक्ति मरे और पांच घायल हुए।

(ख) 26-1-1973 को जब एक खाली इंजन कोपरगांव से येवला स्टेशन को जा रहा था तो चौकीदार रहित समपार नं० 70-सी पर एक मोटर ट्रक उससे टकरा गया। यह दुर्घटना मोटर ट्रक ड्राइवर के कारण ई जो आते हुए इंजन के सामने से इंजन की सीटियों और समपार के पास सड़क के किनारे लगे चेतावन पट्टों की परवा न करके, रेल लाईन पार करने का प्रयास कर रहा था।

अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

कर्मचारी रहित रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाएं

3058. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश भर में उन रेलवे फाटकों पर कुल कितनी दुघटनाएं हुई जहां कर्मचारी नियक्त नहीं है तथा उनके परिणामस्वरूप जान-माल की कितनी हानि हुई; और

(ख) क्या सरकार का विचार है कि भूमि हीन परिवारों को रेलवे फाटकों के निकट भूमि अलाट की जाए तथा उन्हें रेलवे फाटक की देखरेख का काम सौंपा जाए ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) भारत की सरकारी रेलों में वर्ष 1971-72 और चालू वष के प्रथम 10 महीनों अर्थात अप्रैल 1972 से जनवरी 1973 तक की अवधि में बिना चौकीदार वाले समपारों पर जितनी दुर्घटनाएं हुई उनकी कुल संख्या से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है। इन दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों तथा रेल सम्पत्ति को हुई क्षति का मूल्य भी बताया गया है।

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की सख्या	क्षति का मूल्य
1971–72	80	40	12,500,00
1972–73 . . . . (अप्रैल 1972 से जनवरी 1973 तक)	73	45	42,300,00

(ख) जी नहीं ।

बारसगोपाल और दिगवाड़ा स्टेशनों के बीच यात्रियों का लूटा जाना

3059. **श्री सुखदेव प्रसाद बर्मा :**
श्री फुल चन्द वर्मा :

या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 फरवरी 1973 को उत्तर पूर्व रेलवे के बारसगोपाल और दिगवाडा रेलवे स्टेशनों के बीच डाउन जनता फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों को लुटेरों ने लूट लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितना मल्यवान सामान लटा गया; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकारने क्या उपाय करने का विचार किया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी नहीं । लेकिन 4/5–2–1973 की रात को पूर्वोत्तर रेलवे के बड़ागोपाल और गोल्डेनगंज स्टेशनों के बीच 33 अप जनता एक्सप्रेस गाडी में लूट पाट हुई थी ।

(ख) किसी की मृत्यु नहीं हुई। बदमाशों ने लगभग 2040 रुपये के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली।

(ग) हाल में पूर्वी राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बगाल में गाड़ियों और रेलवे परिसरों में डकती, लूट और हत्याओं आदि की घटनाओं में हो रही वृद्धि से चिन्तित हो कर रेल मन्त्री ने इन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखकर उनसे अनरोध किया है कि वे सभी मह वपूर्ण गाड़ियों में विशेषकर गम्भीर रूप से दुष्प्रभावित क्षत्रों में सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था करें ताकि यात्री जनता और

रेल कर्मचारियों को और अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे प्रस्ताव पर अमल भी शुरू कर दिया है और अन्य राज्य इस पर विचार कर रहे हैं।

इस मामले पर सविस्तर विचार-विमर्श करने तथा उपचारात्मक कारवाई करने के लिए रेल मन्त्री ने 21-3-1973 को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम राज्यों के गृह मंत्रियों और पुलिस के महानिरीक्षकों की एक बैठक भी बुलायी है।

तापीय बिजली घर, ट्राम्बे (बंबई) का बन्द होना

3060. **श्री हरि सिंह** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय बिजली घर, ट्राम्बे (बम्बई) 25 दिसम्बर 1972 को बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बिजली घर को बन्द करने का क्या कारण था; और

(ग) इसके बन्द होने से परियोजना को कितनी हानि हुई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां। ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र (बम्बई) को 26 दिसम्बर 1972 को बन्द कर दिया गया था।

(ख) जब एक खारा पानी पाइप लाईन फटने की दुर्घटना हुई तो उ पादन यनिटों को क्षति होने से बचाने के लिए विद्युत घर को उपचारात्मक रूप में बन्द करना पड़ा।

(ग) केन्द्र का उत्पादन कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ था।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार

3061. **श्री हरि सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कलकत्ता में हुए प्रेस सम्मेलन में यह कहा था कि हल्दिया तेल शोधक कारखाने में रोजगार देने के मामले में स्थानीय लोगों को उचित प्राथमिकता दी जाएगी जैसा कि 15 फरवरी, 1973 के "पेट्रोआट" में छपा था; और

(ख) यदि हां, तो हल्दिया तेल शोधक कारखाने में कुल कितने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मुकम्मत हो जाने पर, शोधनशाला में लगभग 715 व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने का अनुमान है। सरकार की नीति के अनुसार 500 रुपये या इस से कम के वेतन वाले पदों में भर्ती के लिए स्थानीय एम्पालयमेंट एक्सचेंज को लिखा जाएगा। शोधनशाला में पदों की भर्ती सरकार की नीति के अनुसार की जाएगी जिस में स्थानीय एम्पलायमेंट एक्सचेंज में पंजीकृत व्यक्तियों को तरजीह दिये जाने की व्यवस्था है।

आयातित विद्युत उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब

3062. **श्री हरि सिंह** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) क्या आयातित विद्युत उपकरणों की अनपलब्धता के कारण कुछ विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, उन्हें पूरा करने और उनके निर्माण में विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वे विद्यत परियोजनाए कान कान सी है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : भारत में चतुर्थ योजनाके दौरान आयातित विद्युत उपस्कर की अनुपलभ्यता के कारण जिन परियोजनाओं में देरी हुई है वे उपाबन्ध में दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	संख्या और क्षमता (मेगावाट)	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	ब्यास यूनिट एक (देहर) . .	1×165	165
2	रामगंगा जल-विद्युत् (उत्तर प्रदेश) .	2×60	120
3	शारावथी जल-विद्युत् चरण-3 (मैसूर) . .	2×89.1	178.2
4	यमुना जलविद्युत् चरण-4 (उत्तर प्रदेश) . .	1×10	10
5	उकई जल-विद्युत् (गुजरात) (दूसरा, तीसरा और चौथा यूनिट)	3×75	225
6	अपर सिंध जल विद्युत् (जम्मू व कश्मीर) (दूसरा यूनिट)	1×11	11
7	उकई ताप (गुजरात) . . .	1×120	120
8	चन्द्रपुरा ताप विस्तार (दामोदर घाटी निगम)	1×120	120
9	नामरुप ताप विस्तार (असम) . .	1×30	30
10	कुंडाह जल-विद्युत् चरण-4 (तमिलनाडु) . .	1×50 1×60	110
		कुल .	1089.2

आयातित तैयार औषधियों की तुलना में आयातित कच्चे माल की लागत का अधिक होना

3063. श्री हरि किशोर सिंह : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या कुछ विदेशी फर्मों द्वारा कुछ औषधियां बनाने के लिए विदेशों से आयात किए गए कच्चे माल पर उसी प्रकार की आयातित तैयार औषधियों के मूल्य से अधिक लागत आई; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ऐसा कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया और बड़ाडबार के बीच पाइपलाइन को पूरा करना

3064. श्री राजदेव सिंह : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया और बड़ाडबार के बीच तेल पाइपलाईन का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर प्रति किलो मीटर कितनी लागत आई और इसके पूरा होने में कितना समय लगा; और

(ग) क्या यह कार्य हमारे अपने इंजीनियरों ने ही किया है अथवा विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पाइप लाइन बिछाने की लागत (लाइन-पाइपों और सामग्री की लागत को सामिल न करते हुए) 62,000 रुपये है। बड़ी लाइन का निर्माण कार्य फरवरी 1972 में शुरु हुआ था और अगस्त 1972 में लाइन को चालू किया गया था।

(ग) यह कार्य केवल भारतीय तेल निगम के इंजीनियरों द्वारा किया गया है और कोई विदेशी जानकारी नहीं मांगी गई थी।

स्टेशन मास्टरों को उच्च वेतन मान देना

3065. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री रेलगाड़ियों में टक्कर होने तथा टक्कर बचाने के लिए जिम्मेदार ठहराये गये ड्रायवर, स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर तथा गार्ड के बारे में 15 दिसम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4642 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायक स्टशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों का वेतन मान समान अर्थात् 205–280 रु० होने के क्या कारण है;

(ख) बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले स्टेशन मास्टरों का वेतन धिक निर्धारित न करने के क्या कारण है;

(ग) क्या इस पक्ष को प्रशासन ने वेतन आयोग के सम्मुख सही ढंग से रखा है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतन मान और उनके पदों का प्रतिशत विभाजन इस प्रकार है :—

	वेतनमान	पदों के विभाजन का प्रतिशत
	रु०	
स्टेशन मास्टर	205–280	88
	250–380 335–425 370–475 450–575	12
सहायक स्टेशन मास्टर .	130–240	75
	205–280	23
	250–380 335–425	2

इस विवरण से प्रकट है कि जहां सहायक स्टेशन मास्टरों का न्यूनतम वेतनमान 130–240 रुपये है, वहां स्टेशन मास्टरों का न्यनतम वेतनमान 205–280 रुपये है। इसके अलावा, जिन स्टेशनों पर

सहायक स्टेशन मास्टर 205-280 रुपये के वेतन मान में है वहां स्टेशन मास्टर प्राय: और भी ऊंचे अर्थात् 250-380 रुपये और ऊपर के वेतनमान में होंगे। अत: एक ही स्टशन पर स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतनमानों के बीच का अन्तर साधारणतया कायम रखा जा रहा है। कुछ थोड़े से मामलों में हो सकता है कि स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर एक ही ग्रेड में होंगे। परन्तु इसका कारण यह है कि ऊंचे ग्रेड के पदों का सृजन सर्वथा ऊपर दी गयी प्रतिशतता के आधार पर किया जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में वरिष्ठ व्यक्ति ही स्टेशन मास्टर होता है और कनिष्ठ कमचारी सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में काम करते है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पोलीथीन का उत्पादन कर रहे उद्योग

3066. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के नाम क्या है जो भारत में पोलीथीन का उत्पादन कर रहे है; और

(ख) उन उद्योगों द्वारा प्रतिवर्ष किस्मवार कितना उत्पादन किया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख)

(मीटरी टन)

एकक का नाम	उत्पादन 1970	1971	1972
लो डैंसिटी पोलिथिलीन			
1. मैंसर्स एलकली एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन आफ इडिया लि०, रिशरा .	10978	12391	12595
2. मैंसर्स यूनियन कारबाइड इंडिया लि०, बम्बई .	12237	15106	15346
कुल एल० डी० पोलिथिलीन .	23215	27497	27941
हाई डैंसिटी पोलिथिलीन			
1. मैंसर्स पोलिआलिफिन्ज इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई .	18346	24059	19098
जोड़ . .	41561	51556	47039

गुजरात में तेल के भंडार

3067. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अनुमानत: कुल कितने तेल के भंडार हैं; और

(ख) वसूली की वर्तमान दर से वे कितने समय और चलेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1-1-1972 को गुजरात के ज्ञात क्षत्रों में लगभग 50 मिलियन मीटरी टन तेल के शेष प्राप्त भण्डार हैं।

(ख) तेल के उत्पादन की वर्तमान दर से ज्ञात भण्डार लगभग 14 वर्षों तक और चलेंगे।

आगामी पांच वर्षों में देश में बिजली की अनुमानित आवश्यकता

3068. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री बेकारियां :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-78 तक देश की राज्यवार बिजली की अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी ?

(ख) बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन कौन सी परियोजना चालू की जायेंगी ; और

(ग) उक्त अवधि में कितनी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) वांछित सूचना उपाबंध पर विवरण में दी जाती है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4482/73]

(ख) और (ग) : पांचवीं योजना के लिए विद्युत विकास कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए अंतरिम कार्यक्रम के अनुसार यह परिकल्पना दी गई है कि 21.8 मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के प्रतिष्ठापन की आवश्यकता होगी। अत: देश में चौथी योजना के अन्त तक कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता, जिसकी लगभग 20 मिलियन किलोवाट की आशा है, पांचवीं योजना के अन्त तक 41.8 मिलियन किलोवाट हो जाएगी।

गुजरात में साबरमती और गांधीनगर को बड़ी लाइन से जोड़ना

3069. रामभगत पश्वान : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में साबरमती और गांधी नगर का बडी लाइन से जोडने का प्रस्ताव है; **और**

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन के निर्माण पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : साबरमती और गांधी नगर के बीच 27.05 किलोमीटर लम्बी बडी लाइन रेल संपर्क के निर्माण की मंजूरी 12-1-1973 को दी गयी है जिसकी अनुमानित लागत 2.85 करोड रुपया है और यह काम किया जा रहा है।

Electrification of villages in Gaya District (Bihar) during 1973-74

3070. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state the number of villages programmed to be electrified in Ga y: I trict during 1973-74?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Bal Govind Verma) : As intimated by the Bihar State Electricity Board, it is programmed to electrify about 300 villages in Gaya District during the year 1973-74.

1971 और 1972 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता

3071. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1971 और 1972 में राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी;

(ख) प्रत्येक राज्य में कुल व्यय का कितने प्रतिशत धन पूर्ण रूप से हरिजनवासी गांवों के विद्यतीकरण पर व्यय किया गया और क्या प्रत्येक राज्य में ऐसे गांवों के विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी गई थी ; और

(ग) क्या कुछ ऐसे राज्य है जिनमें स्वीकृत धन व्यय नहीं किया गया और उसे व्ययगत हो जाने दिया गया और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) 1971-72 पंचांग वर्ष के दौरान, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा विभिन्न राज्य बोर्डों को उसके द्वारा स्वीकृत स्कीमों के लिए दी गई वित्तीय सहायता निम्न लिखित हैं :

क्र० सं०	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	1971 पंचांग वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण की राशि	1972 पंचांग वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण की राशि
1.	आंध्र प्रदेश	2,91,36,000	5,39,56,000
2.	असम	86,36,000	2,88,86,600
3.	बिहार	4,78,17,000	6,84,43,000
4.	गुजरात	2,44,67,800	3,28,90,600
5.	हरियाणा	2,89,33,000	2,21,43,900
6.	हिमाचल प्रदेश	97,88,300	1,95,41,400
7.	केरल	1,14,56,600	2,35,50,000
8.	मध्य प्रदेश	2,74,21,000	6,09,42,000
9.	महाराष्ट्र	3,18,86,900	6,82,03,800
10.	मैसूर	2,55,54,000	4,38,56,000
11.	मेघालय	..	24,45,500
12.	उडीसा	2,88,29,700	5,45,18,000
13.	पंजाब	3,63,81,400	5,18,17,700
14.	राजस्थान	4,55,89,000	6,46,83,900
15.	तामिलनाडु	..	4,59,43,200
16.	उत्तर प्रदेश	9,38,94,800	10,75,60,200
17.	पश्चिम बंगाल	6,80,79,900	10,17,62,500
18.	जम्मू और काश्मीर	..	64,30,600
	कुल योग	50,78,71,400	87,75,74,900

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमें समूह-धारणा पर आधारित होती है तथा उसके पूर्ण होने पर स्कीम में सभी ग्राम विद्युती कृत कर दिए जाते हैं। अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्वीकृती के लिए स्किमों को तैयार करते समय विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित ग्रामों के निकटवर्ती हरिजन बस्तीयों के विद्युतीकरण को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 1971 में सरकार द्वारा पहले से विद्यूतीकृत ग्रामों के निकटवर्ती हरिजन बस्तीयों के विद्युतीकरण के लिए एक विशेष स्किम लागू की गयी थी। इस स्किम का कार्यान्वियन ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा किया जाता है। 3,390 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए, अब तक, निगम द्वारा 27 स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी है जिनमें 156.585 लाख रूपये की ऋण सहायता परिकल्पित है। राज्यवार स्वीकृत धन राशियाँ इस प्रकार हैं।

क्रम सं०	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	1972 पंचांग वर्ष के दौरान हरिजन बस्तीयों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत ऋण-राशि (रूपये लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	20.575
2.	बिहार	11.948
3.	गुजरात	4.370
4.	हरियाणा	13.635
5.	केरल	1.727
6.	मध्य प्रदेश	15.891
7.	महाराष्ट्र	14.782
8.	मैसूर	11.504
9.	पंजाब	12.271
10.	राजस्थान	9.298
11.	तामिल नाडु	18.303
12.	उत्तर प्रदेश	18.392
13.	पश्चिम बंगाल	3.890
		कुल योग : 156.585

टिप्पणी : (हरिजन बस्तीयों के विद्यूतीकरण के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान की स्कीमें दिसम्बर, 1971 के अंत में लागू की गई थी अतः 1971 पंचांग वर्ष में कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया था)

(ग) हरिजन बस्तीयों के विद्युतीकरण के लिए ऋण सहायता निगम द्वारा, राज्य बिजली बोर्डों को एक मुश्त अवमुक्त की जाती है। इसलिए धनराशि के व्यपगत होने का प्रश्न नही उठता।

गत तीन वर्षों में बिना टिकट यात्रा

3072. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में प्रत्येक रेलवे में रेलवे अधिकारियों ने कितने बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति पकडे; और

(ख) वर्ष 1970 और 1971 के तुलनात्मक आंकडे क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : 1970, 1971 और 1972 में रेल प्राधिकारियों द्वारा पकडे गये बिना टिकट यात्रियों की संख्या रेलवेवार नीचे दी गयी है :–

	पकडे गये बिना टिकट यात्रियों की संख्या		
	जनवरी से दिसंबर 1970	जनवरी से दिसंबर 1971	जनवरी से दिसंबर 1972
मध्य	2,34,313	2,32,499	2,47,494
पूर्व	1,87,404	2,10,725	3,34,665
उत्तर	1,94,274	1,90,825	2,05,738
पूर्वोत्तर	1,09,177	1,19,778	1,44,489
पूर्वोत्तर सीमा	83,784	48,171	67,965
दक्षिण	2,00,766	2,30,322	1,93,911
दक्षिण मध्य	1,37,680	1,42,026	1,38,691
दक्षिण पूर्व	1,67,338	1,73,295	1,70,762
पश्चिम	2,61,732,	2,50,754	2,80,564
कुल	15,76,468	15,98,395	17,84,279

नई दिल्ली से पठानकोट तक नई गाड़ी चलाने का अनुरोध

3073. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :**
श्री आर० बी० बड़े :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान गाडियों को पठानकोट से जम्मू तक बढा दिए जाने के बाद उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों को होने वाली असुविधा ों को दूर करने के लिए दिल्ली से पठानकोट को एक नई गाडी चलान के लिए रेलवे अधिकारियों को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली और पठानकोट के बीच अतिरिक्त गाडी चलाना इस समय परिचालन दृष्टि से व्यावहारिक नही है क्योंकि मार्गवर्दी खण्डों पर पर्याप्त लाइन क्षमता का अभाव है तथा दिल्ली/ नयी दिल्ली मे आवश्यक टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ।

जगाधरी, पांवटा रेल लाइन का सर्वेक्षण

3074. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने प्रस्तावित जगाधरी पांवटा रेलवे लाइन का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है और क्या सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जगाधरी और पावंटा के बीच में बडे आमान के रैल सम्पर्क के लिए इस समय एक टोह इंीनियरी व यातायात सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार की लागत पर किया जा रहा है और नवम्बर, 1973 के अन्त तक उसके पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अम्बिकापुर तक रेलवे लाइन का विस्तार

3075. श्री मनोरंजन हाजरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलव लाइन को अम्बिकापूर तक बढाने के कार्य को, जिसे मूलत: स्वीकृति दे दी गई थी, रोकने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या रेलवे लाइन को विशषकर बोमकी और सुरकचार खानों, जो गेउडा रोड से केवल तीन मील दूर है, तक बढाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अम्बिकापूर के रास्ते बरवाडीह और चिरीमरी के बीच रेल संपर्क का निर्माण 1947 में प्रारंभ किया गया था लेकिन अर्थोपाय की कठिन स्थितिके कारण तथा इस बात का पता लगने से भी कि इस खंड पर प्रत्याशित यातायात नहीं आ पायेगा, यह काम बाद में बंद कर दिया गया। इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में तभी विचार किया जायगा जब इस क्षेत्र में कोयलाखानों के विकास के बारे में निश्चित योजना उपलब्ध हो जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिणी क्षेत्र और शेष भारत के बीच रेल यातायात

3076. श्री पी० ए० सामिनाथन :
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल बम्बई मद्रास के टढे-मेढे मार्ग के अलावा उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और दक्षिण के बीच यात्री और माल यातायात अभी ही बन्द पडा है;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों ने यह कहा है कि दक्षिणी क्षेत्र और शेष भारत के के बीच रेल सम्पर्क एक प्रकार से टूट गया है और इसके शीघ्र चालू होने की कोई आशा नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार दक्षिणी क्षेत्र से सामान्य रेल सम्पर्क कब तक स्थापित करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कुछ समय के लिए एक और उत्तर और पूर्व तथा दूसरी ओर दक्षिणी क्षेत्र के बीच सीधे रेल मार्गों पर थ्रू यात्री और माल यातायात अस्त व्यस्त हो गया था। किन्तु अब इन रेल मार्गों पर चलने वाली अधिकांश गाडियां फिर से पूर्ववत चल रही है।

आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी के कारण 13000 व्यक्तियों के बेरोजगार होने की संभावना

3077. श्री पी० ए० सामिनाथन :

श्री सी० टी० दंडपाणि :

क्या **सिंचाई ओर बिद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 फरवरी, 1973 के "टाइम्स आफ इंडिया" (अहमदाबाद संस्करण) में "पावर कट लाइकली टू रेन्डर 13000 जोब लेस इन आंध्र" (आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी के कारण 13000 व्यक्तियों के बेरोजगार होने की संभावना) शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश में कुछ हद तक विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए ताप विद्युत उत्पादन को बढाने हेतु ताप सेटों की मरम्मत करने में तेजी लाई जा रही है। कोठागुण्डम मे ताप सेटों के चालू करने मे भी तेजी लाई जा रही है

एकाधिकार आयोग का विभाजन

3078. डा० रानेन सेन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग के विभाजन के प्रस्ताव पर सरकार फिर से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत यथा स्थापित आयोग एक एकाकी निकाय है।

"हावड़ा को निर्यात स्पेशल" गाड़ी चलाना

3079. **डा० रानेन सेन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा को 'निर्यात स्पेशल' माल गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। उत्तर रेलवे से हावड़ा के लिए 'निर्यात स्पेशल' चलाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) इस गाड़ी को अमृतसर से चलाने का विचार है। इस प्रकार की एक गाड़ी 21-2-73 को अमृतसर से चलायी गयी थी। चूंकि पर्याप्त यातायात उपलब्ध नहीं हो रहा था, इस लिए फिलहाल इस स्पेशल गाडी को बन्द कर दिया गया है। जब पर्याप्त यातायात उपलब्ध होगा, तब इसे फिर चालू कर दिया जायेगा।

केरल में उर्वरक कारखाने की स्थापना

3080. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** क्याः **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973-74 के दौरान केरल राज्य में कोई उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य बातें क्या है और क्या केरल सरकार राज्य ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में कर्मचारियों द्वारा प्रशासन के विरुद्ध धरना, भूख हड़ताल आदि

3081. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डिवीजन, उत्तर रेलवे के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के कारण प्रशासन के विरुद्ध हुए धरने भूख हड़ताल और प्रदर्शन अव्यवस्था की सीमा पार कर चुके है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों की भावनाओं को शान्त करने के लिए कोई कार्यवाही करना चाहती है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

8—3 L. S. S. (ND)/73

Rangwan Canal Project

3082. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Jamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state:

(a) whether Central Government have approved inclusion of Rangwan Canal Project in the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) Yes, Sir.

(b) The scheme, estimated to cost Rs. 186.35 lakhs, envisages the construction of Rangwan Canal system in Madhya Pradesh taking off from Rangwan Dam. The length of the main canal would be 38.4 Km. with a head discharge of 8.205 cumec and the scheme would provide annual irrigation to an area of 15182 hectares in Chhaptarpur district of Madhya Pradesh.

गंगा को कावेरी से मिलाने वाली परियोजना पर कलकत्ता में हुई गोष्ठी

3083. **श्री समर गुह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गंगा को कावेरी से मिलाने वाली प्रस्तावित परियोजना के बारे में फरवरी, 1973 के पूर्वार्ध में कलकत्ता में हुई गोष्ठी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजना की वांछनीयता के विरुद्ध उक्त गोष्ठीं में क्या क्या मुख्य तर्क पेश किए गए; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, 'इंस्टिटयुशन आफ इंजीनियर्स' (भारत) के बंगाल केंद्र द्वारा १०–2–1973 को हुए सामूहिक विचार विमर्श में राष्ट्रीय जल ग्रिड में प्रस्तावित ब्रम्हपुत्रा–गंगा सम्पर्क को समर्थन मिला था। जैसा कि प्रैस रिपोर्ट में कहा गया हैं, राष्ट्रीय जल ग्रिड में सुझाये गए गंगा कावेरी सम्पर्क के विरुद्ध दिए गए मुख्य तर्क ये हैं कि प्रथमत: उत्तरी क्षेत्र में सामान्य रूप से तथा गंगा बेसिन में मुख्य रूप से जलाधिक्य के तथा दक्षिण क्षेत्र में जलाधाव के अन्वेषण किए जाने चाहिए; कि इस सम्पर्क से गंगा बैसिन में, विशेषकर फरक्का नहर में जल का अत्यंत अभाव हो जाएगा, कि जल की जिस मात्रा को अधिक समझा गया है हो सकता है कि वह, विशेषकर ज्वारीय बहाव के साथ डेल्टा नदी प्रणाली में नदी के सम्प्रावहन के लिए अनिवार्य हो; कि हो सकता है कि जब एक बार नहर का निर्माण हो चुका हो तो व्यपवर्तन को वर्ष म केवल कुछ ही महीनों तक सीमित न रखा जाए और मानसूनी वर्ष रहित मौसम के दौरान व्यपवर्तन का कलकत्ता-पत्तन तथा निम्नवर्ती क्षेत्रों की आवश्यकता प्रभावित हो; कि गंगा में 300 दिनों तक 10,000 क्यूसक्स जल की गंगा बेसिन के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सप्लाई के प्रस्ताव का कलकत्ता पत्तन तथा निम्न घाटी पर भी इसी प्रकार का प्रभाव पड सकता है; कि देश में जिस दर पर विद्युत् विकास होता है उसके संदर्भ में, सम्पर्क के लिए विद्युत की आवश्यकता बहुत अधिक हो; कि आवश्यक विद्युत् के लिए देश के सुदूर कोने में अरुणाचल तथा नेपाल में कार्णाली परियोजना पर निर्भर किया जा रहा है जो कि निश्चित प्रतीत नहीं होता; कि पटना तथा

फरक्का के बीच विस्तार से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी यद्पि ब्रह्मपुत्र–गंगा सम्पर्क भी कर दिया जाता है; कि नहर, जब तक यह पूर्ण नहीं हो जाती, अलाभकारी रहेगी और इस पर भारी लागत के कारण मुद्रा स्फीति हो जाएगी; और कि इस लिंक के अंतर्गत निर्माण के लिए प्रस्तावित बांधों से एक बड़ा फसली भूभाग नष्ट हो जाएगा; और कि कावेरी तक जल के स्थानांतरण करने में बाष्पीकरण के कारण बहुत हानि हो जाएगी।

(ग) देश के अन्य बहुत से अभियंताओं ने केवल गंगा कावेरी लिंक का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जल ग्रिड के अन्य संघटक सम्पकों के विकास का भी समर्थन किया है। राष्ट्रीय जल ग्रिड का अभिप्राय देश के समुपयोजन जल संसाधनों को सम्पूर्ण करना तथा समस्त देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को अतिरिक्त जल का स्थानांतरण करना, इसका अभिप्राय नहीं है, जो कि अपने मूल क्षेत्र में, निकट भविष्य में, उपयोग किया जा सकता है या आवश्यक है। इस विचार विमर्श में रखे गए तर्क अस्पष्ट आशंकाएं है। फिर भी इन सब पर प्रस्तावित अन्वेषणों और अध्ययनों में, सतर्कतापूर्वक विचार किया जाएगा।

गुजरात से मिले अशोधित तेल की मात्रा और खोदे गये कुओं की संख्या

3084. **श्री बेकारिया :**

श्री अरविन्द पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पिछले तीन वर्षों में गुजरात में कुल कितने कुए खोदे;

(ख) उक्त अवधि में इन कुओं से कितना अशोधित तेल मिला और ;

(ग) कुओं से निकले अशोधित तेल की क्या लागत है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख): तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में वर्ष 1971–72 एवं 1972–73 के प्रथम 10 महिनों (अर्थात् अप्रेल 1972 से जनवरी 1973 तक) के दौरान 162 नये कुओं का व्यधन किया। चालू वित्तीय वर्ष के शेष दो महिनों के दौरान अन्य 12 कुओं के व्यधन की योजना बनाई गई थी।

इस अवधि के दौरान गुजरात तेल क्षेत्रों से लगभग 0.47 मिलियन मीटरी टन अतिरिक्त अशोधित तेल का उत्पादन हुआ जो मुख्यत: इन नये व्यधित कुओं से प्राप्त किया गया।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भारतीय तेल निगम से प्राप्त मूल्य निश्चय किया जा रहा है तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रखा जायेगा।

Statements of Expenditure incurred by Political Parties on Election

3085. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any proposal under which political parties may be required to submit statements of expenditure incurred by them on Election;

(b) whether the Election Commissioner has also given some suggestions in this regard and

(c) if so, the salient features thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) Io, Sir.

(b) & (c) The salient features of the suggestions made by the Election Commission in his regard are as under:

(i) Every political party should be required to file a true return of election expenses in the prescribed form, containing detailed statements of the total expenditure incurred or authorised by it in a particular state with a view to promoting or procuring the election of the candidates set up by it, any expenditure incurred by it exclusively for promoting or procuring the election of any particular candidate or candidates and the amount of such expenditure in respect of each candidate.

(ii) Every such return filed should be signed, for and on behalf of the political party by its secretary or any responsible officer. The return shall be accompanied by a declaration in the prescribed form by such Secretary or other responsible officer made on oath or soleman affiimation before a stipendiary presidency magistrate or a stipendiary magistrate of the first class.

(iii) For making any false return of expenses or declaration, the secretary or other officer of the political party shall be guilty of corrupt practice.

The above suggestions of the Election Commission along with other proposals for mendment of the Election law were referred to a Joint Committee of both Houses of Parliaient constituted for the purpose. In Part I of its report, the Joint Committee on Amendients to Election Law has made the following observations in regard to the filing of return f election expenditure by Political Parties:—

"17.3 The Committee have also considered the recommendations made by the Election Commission in their Reports to the effect that the political parties might also be called upon to account for the expenses incurred by them for the election campaign of their candidates. After careful scrutiny, the committee have come to the conclusion that due to various practical difficulties, it is not possible to pursue such a course."

The recommendations contained in the Report of the Joint Committee on Amendients to Election Law are still under consideration.

कलकत्ता के सियालदह रेल टर्मिनस को पूर्वी रेलवे की बी० ए० के० लप लाइन से जोड़ने के लिए भागिरथी पर ऊपरी पुल का निर्माण

3086. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सियालदह रेल टर्मिनस को भागीरथी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित बी० ए० के० लूप लाइन से सियालदह-लालगोला सेक्शन के जियागंज और वनपुर रोड स्टेशनों और नदी के दाहिने किनारे पर स्थित अजीमगंज जंक्शन के बीच नदी आर-पार पुल बना कर जोड़ने के प्रस्ताव की, जो पूर्वी भारत से कलकत्ता बंदरगाह को रेलवे यातायात के लिए नई रेलवे लाइन उपलब्ध कराने के लिए दो वर्ष र्व रखा गया था पूरी तरह छान-बीन कर ली गई है और अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय मामला किस अवस्था पर है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। इस प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व रेलवे के सियालदह-लालगोला सेक्शन की पटरी का नवीकरण

3087. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व हाथ में लिए गये पूर्व रेलवे सियालदह-लालगोला सेक्शन की पटरी के नवीकरण का कार्य पूरा हो गया है ताकि इस सेक्शन पर लालगोला तक तेज रफ्तार एक्सप्रैस और सवारी गाडियां चलाने की अनुमति दी जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो कार्यक्रम के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) सियालदह-रानाघाट (7 कि० मी०) खण्ड मुख्य लाइन खण्ड है और रानाघाट से लालगोला (152 कि० मी०) तक के खण्ड को शाखा लाइन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस शाखा लाइन के 3 कि० मी० में पटरी के नवीकरण का काम पूरा हो चुका है और 69 किलोमीटर में यह काम जारी है शेष पटरी के नवीकरण के काम को 1974–75 के कार्यक्रम में शामिल किया जायगा।

(ख) 1976–77 तक काम पूरा हो जाने की आशा है।

दिल्ली में हुआ विधि सम्मेलन

3088. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 दिसम्बर, 1972 को दिल्ली में एक विधि सम्मेलन हुआ था; औ

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछले तीन वर्षों में गुजरात को अशोधित तेल के लिए अदा की गई रायल्टी

3089. **श्री अरविन्द पटेल :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछ तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में गुजरात सरकार को राज्य में तेल के कुओं से मिले अशोधित तेल वे लिए कुल कितनी रायल्टी अदा की गई;

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : पिछले तीन वर्षों के दौरा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात सरकार को कच्चे तेल के लिये रायल्टी के रूप में कुल 1076.17 लाख रुपये की रकम दी।

वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

	(लाख रुपये में)
1969–70	338.16
1970–71	366.16
1971–72	371.85

पासकुड़ा हल्दिया-रेलवे परियोजना के कर्मचारियों को काम पर लगाना

3090. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासकुड़ा-हल्दिया परियोजना का काम पूरा हो गया है ;

(ख) उसके लिए कितने लोगों को काम पर लगाया गया था ; उनमें से कितने लोगों को (रख-रखाव) के लिए काम पर रख लिया गया है ;

(ग) उनमें से कितने लोगों को अन्य स्थायी विभागों और उक्त परियोजना से संबंधित सहयोगी कार्यों में काम पर लगा दिया गया है; और

(घ) कितने लोगो की छंटनी की गई?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) लगभग 3000 को इस काम पर लगाया गया है लेकिन समय समय पर इनकी संख्या घटती-बढ़ती रही है। आशा है कि लगभग 500 व्यक्तियों को अनुरक्षण-कार्य में स्थायी रूप से आमीलित कर लिया जाएगा। इस समय छंटनी में आए 500 व्यक्तियों के अलावा सभी व्यक्ति सर्जित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण-कार्य पर और शेष निर्माण-कार्यों को पूरा करने के लिए बरकरार रखे जा रहे है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में निर्मित विद्युत चालित इंजन

3091. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1972 से दिसम्बर, 1972 की अवधि में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने कितने विद्युत चालित इंजनों का निर्माण किया;

(ख) इस अवधि का उत्पादन लक्ष्य क्या था और क्या उसे पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अप्रैल, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक की अवधि में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में बिजली के 35 रेल इंजन तैयार हुए।

(ख) 1972–73 में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा बिजली के 59 रेल इंजन तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष के लिए निर्धारित उत्पादन की तुलना में अप्रैल, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक की अवधि में उत्पादन में कुछ कमी रही है।

(ग) बिजली रेल इंजनों के उत्पादन में कमी के मुख्य कारण इस प्रकार है :—

बेहतर और परिशोधित डिजाइन का कर्षण मोटरों के निर्माण। अभिप्राप्ति में विलम्ब के कारण कर्षण मोटरों की अनुपलब्धता, विदेशी और स्वदेशी दोनों स्रोतों से टैप-परिवर्तकों और मेसर्स हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल से ट्रांसफार्मर, मास्टर कण्ट्रोलर, रेग्युलेटर और हाई स्पीड सर्किट-ब्रेकर की अपर्याप्त सप्लाई और बिजली अवरोध।

Utilization of Irrigation potential in Madhya Pradesh

3092. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the irrigation potential created in Madhya Pradesh during the last twenty years has not been fully utilised;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the measures being taken for full utilisation of the potential?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) Yes Sir. The Government of Madhya Pradesh have reported that out of the potential of 17.16 lakh acres created by Plan works up to 1971-72, utilisation was 10.64 lakh acres.

(b) The main shortfall was in Chambal project mainly due to :

(i) Low carrying capacity of Right Main Canal due to weed growth.

(ii) Higher losses in the canal system than envisaged in the project report.

(iii) Inadequate construction of water courses and field channels, below one cusec capacity.

(iv) Water logging and inadequate drainage system.

(v) Operating Gandhisagar reservoir at a lower level than designed to keep storage for flood absorption.

(vi) Absence of night irrigation due to dacoit menace.

(c) The State Government have reported that Ayacut Development Schemes are being prepared and construction of field channels which is the responsibility of cultivators is being expedited. Agriculture Department is also taking steps to develop irrigation works in accordance with projected crop pattern as early as possible. Due to introduction of high yielding varities of wheat more quantity of water is being needed than that provided in the scheme resulting reduction of area. They have stated that designed acreage therefore needs to be revised and with that the gap between utilisation and potential will further get reduced.

Drilling operations carried out during last 12 months and to be carried out in next 12 months by O & N. G.C.

3093. Shri Shri Krishna Agarwal : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state.

(a) the number of drilling operations carried out by Oil and Natural Gas Commission during the last 12 months and the outcome thereof; and

(b) the broad outlines of the scheme for the next 12 months in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) During the first ten months of the financial year 1972-73, i.e. from April 1972 to January, 1973, the Oil & Natural Gas Commission completed the drilling of 52 wells in various parts of the country. During the remaining two months i.e. February and March 1973, it is planned to drill 18 wells. Of the 52 completed wells, 16 have proved to be oil/gas bearing, 12 were dry and the remaining 24 were on test as on the 31st January, 1973.

(b) During the financial year 1973-74, the Commission has planned to drill 99 wells of an aggregate depth of 204,470 meters in the various parts of the country (including 4 wells and 16,000 metres in off shore areas).

Agencies for Sale of Oil, Petrol and Gas to Ex-Servicemen allotted in each State

3094. Shri Nawal Kishore Sharma : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the total number of ex-servicemen who have been given agencies for sale of oil, petrol and gas during the last two years, State-wise;

(b) whether minimum number of agencies have been given to ex-servicemen of Rajasthan; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

भारतीय उर्वरक निगम के महानिदेशक तथा निदेशक (पी० एंड० एम०) के विरुद्ध शिकायतें

3095. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री भारतीय उर्वरक निगमके महानिदेशक तथा निदेशक (पी० एंड एम०) के विरुद्ध शिकायतों के बारे मे 19 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4988 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच कार्य इस बीच पूरा हो गया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले है; और

(ख) इस पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धकों के विरुद्ध लगाए गये आरोपों की एक प्रारम्भिक जांच से पता लगा है कि इन आरोपों में से अधिकांश सारहीन है, तथा कुछ अन्य आरोपों के सम्बन्ध में और जांच करना आवश्यक समझा गया है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति पर है।

दुर्गापुर के लिए सिटी बुकिंग आफिस

3096. श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में बढ़ती हुई आबादी तथा इस बात को देखते हुए दुर्गापुर रेलवे स्टशन से इस दूरस्थ, नगर के विभिन्न सेक्टर बहुत दूरी पर है, दुर्गापुर में रेलव सिटी बुकिंग आफिस खोले जाने वाले है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खोल दिये जायेंगे ; और

(ग) बुकिंग आफिस किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, दुर्गापुर इस्पात नगर में उपयक्त स्थान पर ठेकेदार द्वारा परिचालित एक नगर बुकिंग एजेन्सी खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) : एजेन्सी खोलने की तारीख अगर उसके स्थान के बारे में अभी विनिश्चय नहीं किया गया है।

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के एकक के चालू होने में विलम्ब के कारण हुई हानि

3097. श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर स्थित भारतीय उर्वरक निगम के एकक में वास्तव में कब तक उत्पादन शुरू हो जायगा; और

(ख) एकक को चालू करने में हुए विलम्ब के कारण उत्पादन में कितनी हानि हुई?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आशा है कि संयंत्र में अप्रेल, 1973 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जायेगा।

(ख) क्षमता के 50 प्रतिशत प्रयोग किये जाने के आधार पर संयंत्र के चालू किये जाने में प्रत्येक मास के विलम्ब के लिये लगभग 15,000 मीटरी टन यूरिया।

Demand for Railway Service Commission at Patna

3098. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Members of Parliament from Bihar have been demanding since long the setting up of a Railway Service Commission at Patna; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) The work of recruitment of staff is distributed Railway-wise and not State-wise There are four Railway Service Commissions with headquarters at Allahabad, Bombay, Calcutta and Madras each of which recruits staff for two contiguous Railways. Though the Commissions are headquartered at these places, they hold written tests and interviews at all

important centres in the region so that candidates who are far away from the headquarters are not put to difficulty. In the case of Bihar, as an additional facility for local candidates, a branch office of the Railway Service Commission has been opened at Danapur.

कोयले की अनुपलब्धता के कारण दक्षिण में गाड़ियों का बंद होना

3099. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने कोयले की अनुपलब्धता के कारण दक्षिण में कई गाड़िया बंद करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां। "मुल्की आंदोलन" के कारण कोयले के संचलन में बाधा पड़ने के कारण फरवरी 1973 के दौरान छोटी मोटी कई यात्री गाड़ियां रद्द कर दी गयीं थीं ताकि अनिवार्य यातायात की ढ़लाई के लिए दक्षिण रेलवे में इंजन कोयला संरक्षित रखा जा सके। अब यह सभी गाड़ियां पुन: चालू कर दी गयी हैं।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कम्पनियों के निदेशकों की नियुक्ति

3100. **श्री सी०जनार्दनन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थोड़े शेयर रखने वालों (माइनारिटी शेयर होल्डर) को अधिक सुरक्षा देने की दृष्टि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कम्पनियों के निदेशकों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण): (क) तथा (ख) आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति पर कम्पनियों के लिये निदेशकों की नियुक्ति के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 265 एक विकल्प प्रदान करती है। विभिन्न वासगृहों से इस उपबन्ध को अधिदेशक बनाने के लिए प्राप्त सुझाव का परीक्षण किया जा रहा है।

भूतपूर्व कम्पनी के कर्मचारियों को पेंशन और उपदान संबंधी लाभ

3101. **श्री दिनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर की स्टेशन समिति के स्टाफ की नियुक्ति 1940 और 1944 के बीच भूतपूर्व कम्पनी के दिनों में रेलवे अधिकारियो द्वारा की जाती थी ;

(ख) क्या वे भी भूतपूर्व कम्पनी के कर्मचारियों की भांति, यदि उनकी सेवाएं दूसरी के साथ-साथ सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली जाती है, तो उपदान के हकदार थे ;

(ग) क्या उनकी पूरी सेवा को ध्यान में रखकर उन्हें पेंशन के पूरे-पूरे लाभ दिए जाते है, यदि नहीं तो क्यों; और

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है, और यदि हाँ तो सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) 13–4–1940 से 31–3–1950 तक के बीच नियुक्त स्टेशन समिति के कर्मचारी इस अवधि में की गयी सेवा के लिए उपदान या पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं।

(घ) जी हां 25-2-1942 को नियुक्त स्टेशन समिति के एक कर्मचारी से अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वह उन कर्मचारियों में से नहीं था जो 12–4–40 से पहले से राजकीय रेलवे भविष्य निधि में अंशदान कर रहे थे और इसलिए जिन्हें राजकीय रेलवे भविष्य निधि में अंशदान करते रहने की अनुमति दी गयी थी। 1–4–1950 के बाद से ही उसकी सेवा को सेवानिवृत्त लाभ के लिए गिने जाने की अनुमति दी जा सकी क्योंकि स्टेशन समितियों के कर्मचारी केवल इसी तारीख से रेल कर्मचारी माने गये थे।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के लिये ट्रैक्शन मोटर का आयात

3102. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फ्रांस से अथवा किसी अन्य देश से चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के लिये ट्रैक्शन मोटरों का आयात किया है और यदि हाँ, तो उनकी संख्या, लागत तथा देश का लाभ क्या है;

(ख) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कोई ट्रैक्शन मोटरें बनाई गई थी और यदि हां तो [उनकी संख्या और लागत कितनी थी;

(ग) क्या आयात की गई मोटर और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाई गई मोटरें दोषपूर्ण थीं और उपयोग में नहीं लाई जा सकी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मोटरें दोषपूर्ण पाई गई और उनकी लागत कितनी थी; और दोषपूर्ण मोटरों की सप्लाई और निर्माण के कारण कितनी हानि हुई है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। अनुबन्ध 'क' के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें उनकी संख्या, लागत और देश का उल्लेख है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 448373**]

(ख) जी हां। दिसम्बर, 1972 तक चित्तरंजन रेल इंजग कारखाने में 2 अलग-अलग अभिकल्पों की 406 कषण मोटरें निर्मित की गयी। इन मोटरों की लागत लगभग 7.6 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) आयातित मोटरों का उपयोग चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा निर्मित बिजली रेल इजनों में किया गया था। फिर भी, कुछ महीनों के उपयोग के पश्चात आयातित नवीनतम किस्म के कर्षण मोटरों में अभिकल्प सम्बन्धी कुछ कमियां पायी गयी। सम्बन्धित फर्म, अपने प्रतिश्रुति दायित्वों के अधीन अभिकल्प सम्बन्धी इन कमियों को तथा उन मोटरों की कमियों को भी जो उपयोग में नहीं है, और फेल नहीं हुई, दुरुस्तकर रही है। इन त्रुटियों को ठीक करने पर रेलों द्वारा किये गये खर्च का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की "स्टाफ काउंसिलों" की बैठकें

3104. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिरंत्तजन लोकोमोटिव वर्क्स में मान्यता प्राप्त संघों के अभाव में "स्टाफ काउंसिलें" कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 में काउंसिलों की कितनी बैठकें हुई और यदि कोई बैठक नहीं हुई, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार कोई वर्क्स कमेटी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) (क) जी हां।

(ख) 1972 में "सेन्ट्रल स्टाफ कौंसिल" की एक बैठक, तथा "एरिया स्टाफ कौंसिल" की दो बैठकें हुईं।

(ग) चूंकि "स्टाफ कौंसिल" जिनमें कर्मचारियों का पूर्णरूप से प्रतिनिधित्व है, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में पहले से ही कार्य कर रही हैं, इसलिए वहां कर्मकार समिति बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

लोको शेडो में लगे कुलियों को स्थायी दर्जा देना

3105. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोको शेडों में कोयला उतारना, इंजनों पर कोयला रखना और राख के गड्ढों से राख हटाना रेलवे के स्थायी काम हैं और क्या प्रत्येक लोको शेड/स्टेशन के काम की मात्रा का मूल्यांकन किया गया है और लक्ष्य निर्धारित किये हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कामों के लिये स्थायी श्रमिकों को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण के साथ, भापकर्षण के स्थान पर धीरे-धीरे अधिक कुशल किस्म के कर्षण अर्थात् डीजल और बिजली कर्षण की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए भाप कर्षण से सम्बधित परिचालन कार्य जैसे कोयले की उतराई इंजन टेंडर मे कोयले का लदान और गड्ढों से राख हटाने का कार्य स्थायी नहीं कहा जा सकता। जहां भाप कर्षण इस समय चल रहा है वहां उपर्युक्त परिचालन सम्बन्धी कार्यों का निस्संदेह रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) सरकार ने ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत एक केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम मण्डल का गठन किया है जो उन क्षेत्रों को निर्धारित करेगा जहां ठेके पर मज़दूरों को लगाना निषिद्ध है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों का पालन रेलों द्वारा किया जायेगा। बहुत से स्थानों पर श्रम सहकारी समितिओंद्वारा काम किया जाता है और इसे प्रोत्साहित किया जाता है।

असिस्टेंट कमर्शियल इन्सपेक्टर (दक्षिण पूर्वी रेलवे) के वेतनमानों का पुनरीक्षण

3106. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त परमर्शदात्री व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित किये गये न्यायाधिकरण के पंचाट के कारण असिस्टेन्ट कमर्शिअल इन्सपेक्टर के वर्तमानों का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे में उक्त असिस्टेन्ट कमर्शियल इन्सपैक्टरों के एक सैक्शन को इन लाभों से वंचित रखा गया है;

(ग) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां, कर्मचारी पक्ष की यह मांग कि सहायक वाणिज्यिक निरीक्षकों (दावा और दर) का वेतन मान 205–280 रुपये (प्रा०) से बढ़ाकर 210–320 रुपये (प्रा०) कर दिया जाय, संयुक्त वार्ता तंत्र के अधीन मध्यस्थ मण्डल को विचारार्थ सौंपी गयी थी, जिसने उसे स्वीकार कर लिया था। तदनुसार, सम्बन्धित आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये थे। मांग विशिष्ट रूप से सहायक वाणिज्यिक निरीक्षकों (दावा और दर) के सम्बन्ध में थी, इसलिए दूसरे सहायक वाणिज्यिक निरीक्षकों, अर्थात् सहायक वाणिज्यिक निरीक्षक (रिफंड), सहायक वाणिज्यिक निरीक्षक (बकाया), सहायक वाणिज्यिक निरीक्षक (सामान्य) आदि पर यह अधिनिर्णय लागू नहीं होता है।

(ग) जी हां।

(घ) उक्त अधिनिर्णय के क्षेत्र विस्तार के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल और सुन्दरबन में रेलों का विस्तार

3107. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में सामान्य रूप से तथा उत्तर बंगाल में विशेष रूप से रेलों के विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ग) उत्तर बंगाल और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित लाइनों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार हो रहा है :

(i) पुराना माल्दा-बेलूरघाट वरास्ता गजल (ii) हवड़ा-शियाल्डा को बड़ी लाइन के रूप में फिर से चालू करना (iii) हवड़ा आमता को बड़ी लाइन के रूप में फिर से चालू करना (iv) लक्ष्मीकांतपुर से काकद्वीप वरास्ता कुलपी (v) केनिंग से गोलावाड़ी	सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।
(vi) हसनाबाद से केनिंग वरास्ता प्रतापादित्यनगर (vii) बड़गाछिया-चम्पाडांगा को बड़ी लाइन के रूप में फिर से चालू करना	1973-74 में सर्वेक्षण शुरू किया जायेगा।

इन सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने के पश्चात इन प्रस्तावों पर आगे और विचार किया जायेगा।

बिजली के उत्पादन तथा वितरण के लिए पूंजी निवेश

3108. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत सरकार ने बिजली के उत्पादन तथा वितरण के लिए रुपयों में कितनी पूंजी लगाई;

(ख) पांचवीं योजना के अन्त तक भारत में आवश्यकता के अनुसार बिजली का उत्पादन करने के लिए कितनी पूंजी लगाने की आवश्यकता है; और

(ग) बिजली की कमी के कब तक बने रहने की संभावना है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): देश में बिजली के उत्पादन और वितरण पर जिसमें ग्राम विद्युतीकरण भी शामिल है, निम्नलिखित प्रकार से कुल व्यय किए गए :—

(करोड़ रु० में आंकड़े)

वर्ष		उत्पादन	वितरण	कुल
1969-70		243.58	255.24	498.82
1970-71		245.31	287.15	532.46
1971-72		280.75	348.52	629.27
	योग	769.64	890.91	1660.55

इन आंकड़ों में वे कार्यक्रम भी शामिल है जिनकी वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त-व्यवस्था की गई है।

ख) 1972-73 और 1973-74 के वर्षों के दौरान 1456 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा तयार किए गए प्रस्तावों के अनुसार पांचवीं योजना के दौरान विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए 7600 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है।

(ग) यह प्रत्याशित है कि विद्युत की कमी की स्थितियां 1973-74 के दौरान जारी रहेंगी और पांचवीं योजना की प्रारम्भिक अवधि में जारी रहेंगी।

जम्मू में खुदाई कार्य का असफल होना

3109. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में सूरीनसर कुएं का खुदाई कार्य असफल हो गया है और क्या अग्रेतर खुदाई स्थगित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो खुदाई स्थगित करने के क्या कारण है ;

(ग) क्या उक्त कुएं पर अब तक लगभग चार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार परियोजना की असफलता के कारणों और चार करोड़ रुपये के निष्फल व्यय की पूरी जांच करने का है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जम्मू तथा काश्मीर में सुरिनसार कुआें संख्या 1 का व्यधन कार्य बन्द कर दिया गया है।

(ख) भूमिगत भूगर्भीय असामान्य कठिन परिस्थितियों जिन के कारण व्यधन कार्यों का सफलतापूर्वक जारी रखा जाना संभव नहीं हो सका था, को ध्यान में रखते हुए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस का निर्णय किया था।

(ग) 31-12-1972 तक सुरिनसार कुआं संख्या 1 पर 386.26 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

(घ) जी नहीं।

Supply of wagons to traders from within the Division

3110. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether sometimes Railway wagons are supplied to the wagon users from other Divisions instead of from their own Divisions as a result of which wagon users have to suffer in the form of additional expenditure and more time; and

(b) if so, the remedial measures taken by Government in this regard?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) On certain Divisions where outward traffic is more than inward traffic, it becomes necessary to move empties from other Divisions to meet the demands of outward traffic. Sometimes it is also more convenient to move empty wagons to a Division from an adjacent section of another Division. These movements are ordered, depending on circumstances and also on the quantum of traffic offering on individual sections and the availability of empties on those sections. Wagon users do not incur any additional expenditure on account of empty wagons having to be brought from outside the Division. Normally the time they have to wait for empty wagons will also be more if wagons were to be supplied only from within the Division.

(b) Does not arise.

Posting of Attendants in Waiting Rooms at Kaimganj Station

3111. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Kaimganj Station (District Farukhabad in Uttar Pradesh) on the North-Eastern Railway is a 'B' Class Station ;

(b) whether there are two separate waiting rooms for male and female passengers but there is no attendant there ; and

(c) if so, the reasons therefor and whether Government would make arrangements to post an attendant there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) : Yes.

(c) Waiting Rooms are attended by the Class IV staff on duty at the station. There is no proposal to post an Attendant separately for these Waiting Rooms.

नंगल उर्वरक कारखाने के विस्तार के लिये विश्व बैंक से ऋण

3112. **श्री अर्जुन सेठी :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से संबद्ध आई० डी० ए० ने नंगल उर्वरक कारखाने के विस्तार के लिए ऋण की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशी को मंजूरी दी गई है; और विस्तार से वर्तमान संकट किस प्रकार दूर होगा; और

(ग) प्रस्तावित विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख) : जी हां विश्व बैंक ने नंगल विस्तार योजना के लिए 58 मिलियन डालर का एक ऋण मंजूर किया है।

विस्तार योजना जो संभरण सामग्री के रुप में ईंधन तेल/हैवी फ्रैक्शन पर आधारित होगी, के कार्यान्वयन से बिजली की आवश्यकता जो इस समय इच्छित उत्पादन के लिए 164 मेगावाट है, उत्तरोत्तर कम हो जायेगी।

(ग) लगभग 1975 के अन्त तक।

Electrification of Harijan villages in State During 1972-73

3113. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the State-wise number of Harijan villages electrified during 1972-73 ;

(b) whether the progress of electrification of Purnea and North Bhagalpur District of Bihar has been very slow ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma)

(a) Harijan villages are not indicated separately in the statistics of electrified villages, A scheme was introduced in December, 1971, to extend electricity to the Harijan Bastis adjacent to villages already electrified. On the basis of information received so far, the number of Harijan/Tribal Bastis electrified during 1972-73 in each of the State is given below:

1. Andhra Pradesh	632
2. Bihar	600
3. Haryana	188
4. Gujarat	490
5. Madhya Pradesh	253
6. Maharashtra	762
7. Manipur	4
8. Mysore	7
9. Orissa	52
10. Punjab	38
11. Rajasthan	250
12. Tamil Nadu	3,144
13. Tripura	8
14. Uttar Pradesh	3,315
15. West Bengal	Nil
TOTAL	9,743

In Assam, Himachal Pradesh and Meghalaya Harijan/Tribal live side by side with other communities, and general programmes benefit Harijan/Tribal and other communities equally. In Jammu and Kashmir, Kerala and Nagaland, there is no specific locality inhabited by Harijans alone, and while electrifying villages, localities inhabited by Harijans are also covered.

(b) & (c) About 13% villages have been electrified in Bihar. It has been reported by Bihar State Electricity Board that the percentage of electrification in North Bhagalpur and Purnea is 34% and 2% respectively. The progress of electrification in Purnea is slow due to the absence of high tension transmission and distributions system.

Utilization of water resources of rivers by installing pumps on river banks

3114. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased state :

(a) whether Government have approved any comprehensive irrigation scheme to utilise the water resources of rivers by installing pumps on river banks with a view to properly irrigate the land on the sides of the river; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the action taken by Government in this regard State-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) & (b) : Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, formulated and implemented by tne State Governments.

The following lift irrigation projects were sanctioned for implementation in the major and medium irrigation Sector since 1968 :

State	Name of Scheme	River	Annual Benefits (lakh acres)
1. U.P.	1. Dalmau Pump Canal	Ganga	1.54
	2. Bhopali Pump Canal	Ganga	0.60
	3. Zamania Pump Canal	Ganga	0.60
	4. Tons Pump Canal	Tons	0.82
	5. Narainpur Pump Canal	Ganga	0.60
	6. Pateora Pump Canal ..	Yamuna	0.076
	7. Sarauli Bazurg P.C.	Yamuna	0.078
	8. Dalmau Stage II	Ganga	2.774
2. J. & K.	1. Lethpora	Jhelum	0.07
	2. Ravi Tawai Lift Scheme.	Tawai	0.34

The State Governments also have small pumping schemes in the minor irrigation sector administered by the Ministry of Agriculture. Details of such small schemes are not available at the Centre.

Employees working in Temporary Capacity in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs and their Confirmation

3115. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees in his Ministry who have been working continuously in temporary capacity for the last ten years;

(b) whether any scheme to confirm them is under consideration; and

(c) if so, the salient features thereof?

The Minister of state in the Ministry of Law, justice and company affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) 62

(b) and (c) : There is no specific scheme under consideration for their confirmation. These temporary persons will be confirmed in accordance with the existing orders of the Government of India as and when permanent posts are available and persons within the zone of confirmation qualify for confirmation.

यांत्रिक गड़बड़ी वाले रेल के इंजनों और खराब ब्रेकों के कारण दुर्घटनायें

3116. **श्री रोबिन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान यांत्रिक गड़बड़ी वाले रेल के इंजनों और खराब ब्रेकों के कारण कोई दुर्घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं की आवृति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1970-71, 1971-72 1972-73 (जनवरी, 1973 तक) के तीन वर्षों के दौरान खराब रेल इंजनों और ब्रेक शक्ति के अपर्याप्त होने के कारण भारत की सरकारी रेलों पर टक्कर होने, पटरी से उतरने तथा गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 98 दुर्घटनाएं हुई।

(ग) प्रत्येक यात्रा के पहले और बाद में तथा निरीक्षण और मरम्मत के निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार नियमित अन्तराल पर भी सभी रेल इंजनों तथा चल स्टाक के निरीक्षण कार्य में कड़ाई बरती जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हुए हैं जबकि खराब सामान के कारण जिनका पता ज्ञात साधनों से न लगाया जा सका, दुर्घटनाएं हुई अथवा कुछ दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों के कारण हुई। इनको व्यापक प्रशिक्षण तथा लापरवाही के मामलों में कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था करके न्युनतम किया जा रहा है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है इन मामलों की संख्या का प्रतिशत भारतीय रेलों पर चलने वाली गाड़ियों की कुल संख्या से बहुत ही कम बैठता है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों द्वारा अदालतों में दायर किये गये मुकदमों को लड़ने के लिए सरकार द्वारा किया गया व्यय

3117. **श्री राबिन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों ने, जिन्हें अन्य रेलवे में स्थानान्तरण के आदेश दिये गये थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध मामला दायर किया था तथा उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि स्थानान्तरण आदेश गलत इरादे से जारी किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने मुकदमे पर कितना व्यय किया तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की यात्राओं पर कितना व्यय किया गया ?

9—3 L S S(ND)/73

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) इस निर्माण के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। इस बीच महाप्रबन्धक द्वारा स्थानान्तरण के प्रत्येक मामले की समीक्षा की जा रही है।

(ग) 6,246 रुपये ।

Conversion of Khandwa-Ajmer metre gauge line into Broad gauge

3118. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to convert Khandwa-Ajmer Railway line into broad gauge line; and

(b) if so, the time by which this work would be completed and the funds sanctioned for this project

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) (a) & (b) : The question of providing a parallel B.G. line between Ajmer and Chittorgarh (186 Kms.), out of a total length of 632 Kms between Ajmer & Khandwa, is under investigation as a part of the surveys for the Delhi-Ahmedabad M.G. to B.G. conversion. Similarly, in another portion between Indore and Mhow (21.01 Kms.) the question of providing a parallel B.G. line is separately under consideration and the report of a reconnaissance survey just completed for this proposal is under examination. Conversion or provision of parallel B.G. line in the remaining portions of the Ajmer-Khandwa M.G. link is not being considered for the present.

Construction of Over-Bridge at Khirkia Railway Station

3119. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether population of a place is taken into consideration while deciding about the construction of over-bridges on Railway Stations; and

(b) if so, the reasons for which over-bridges have been constructed at Ninbhora and Raver Railway Stations but not at Khirkia Railway station?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Foot over bridges for the facility of passengers to go from one platform to another are provided not on the basis of population but on other considerations like scheduled crossings, height of platform, extent of traffic, importance of station, availability of funds etc. The proposals for provision of a foot over bridge at all stations where it is not existing including Khirkia, will be considered in accordance with this policy and progressively implemented on a programmed basis.

Incident of Chain Pulling on Bhusawal and Jhansi Sections.

3120. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of chain pulling incidents on Bhusawal and Jhansi sections of Central Railway during the years 1970-71 and 1971-72;

(b) the number of cases in which chain pulling was necessary and the number of cases in which it was not necessary; and

(c) the number of persons punished in this regard?

The Dy. Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) It is presumed the Hon'ble Member desires to know the position in Bhusawal and Jhansi

Divisions. The information asked for is given in the table below :

Bhusawal Division	1970-71	1971-72
(1) Total No. of incidents of alarm chain pulling .	1,112	678
(2) Number unjustified	*334	*356
(3) Number justified	778	322
(4) Number of persons punished	*Nil	*Nil
Jhansi Division		
(1) Total No. of incidents of alarm chain pulling . .	7,241	9,201
(2) No. unjustified	6,218	8,077
(3) No. justified	1,023	1,124
(4) No. of persons punished	10 (excluding 34 cases pending)	10 (excluding 15 cases pending)

*No persons responsible for unjustified pulling of the alarm chain were punished, as none could be traced.

Dispute on the utilisation of water of Tapti River between Maharashtra and Madhya Pradesh

3121. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state : (a) whether any dispute has arisen between the State of Maharashtra and Madhya Pradesh on the question of utilisation of water of the Tapti river;

(b) if so, whether the dispute has since been resolved; and

(c) if not, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of irrigation and power (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) The Government of Maharashtra have reported that no dispute has arisen between Maharashtra & Madhya Pradesh on the utilisation of Tapi waters, and that on the other hand, a complete accord has been reached in respect of planning and execution of several projects in the basin.

Amendment of Constitution to Ban Judges from Starting Practice in Supreme Court after Retirement

3122. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Law, justice and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1153 on 21st November, 1972 regarding amendment of Constitution to ban judges from starting practice in Supreme Court after retirement and state :

(a) whether any decision has since been taken in the matter; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Law, justice and company affairs (Shri H.R. Gokhale) : (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise.

Provision of Shed over Kharachi (Marwar Junction)

3123. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the platform of Kharchi (Marwar Junction) at which the train for Udaipur waits for hours, is absolutely uncovered and there are no benches for passengers to sit on and no arrangement for drinking water; and

b) whether Government propose to provide a shed there and if so, the time by which it would be provided ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) There is no station named Kharchi. Presumably, the Hon'ble Member is referring to Marwar Junction. If so, it is stated that there is no cover over the platform No. 4 from where the trains for Udaipur originate at present. However, adequate benches and drinking water srrangements exist.

(b) Cover over the platforms are provided on a progrmmed basis in consultation with Railway Users' Amenities Committee and in accordance with the availability of funds. Accordingly, the work regarding provision of cover over the platform will be considered for inclusion in future years' Works Pogramme.

Improvement in the conduct of Railway employees towards passengers

3124. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any measures have been adopted to improve the attitude and conduct of Railway employees towards third class passengers; and

(b) if so, what?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) Yes. The Railway staff who come into contact with the public are educated to be courteous and helpful to the passengers.' Courtesy Seminars,' 'Courtesy weeks' and 'No Complaint weeks' are organised by the Railway Administrations from time to time to make them alive to their rsponsibilities towards the pssengers.

Expansion of fertilizer factories to achieve self sufficiency

3125. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the time by which India would become self-sufficient in respect of fertilizers;

(b) whether the existing fertilizer factories are being expanded and their production capacity being increased; and

(c) if so, the names thereof and the time by which the expansion would be done and the amount involved therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Petrolium and Chemicals (Shri Dalbir Singh) On present indications, it is expected that the country is likely to achieve near self-sufficiency in fartilizer production by about the end of the Fifth Plan, This is on the basis that the proposals made for inclusion in the Fifth Plan are approved well in time.

(b) & (c) : Yes, Sir, Some plants are being put through expansions bottelnecking programmes as indicated below :—

Name of the plant,	Likely date of completion,	Estimated amount involved (Rs, in crorres)
1. Nangal Exp n .	End of 1975	75.60
2. Namrup Expansion .	Jan., 1974	50.69
3. Gorakhpur Expansion .	April, 1975	11.82

Name of the plant	Likely date of completion	Estimated amount involved (Rs. in crores)
4. Kota Expansion	March, 1974	8.70
5. FACT (IVth Stage Expansion) .	October, 1973	6.73
6. FACT Cochin II Expansion . . .	September, 1974	45.00
7. Trombay Expansion	Beginning of 1976	37.50
8. Sindri Rationalisation . .	Middle of 1974	34.99
9. Sindri Modernisation	Ist half of 1976	93.36

130 रुपये से 240 रुपये और 205 रुपये से 280 रुपये के वेतनमान में सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों को स्थायी करना

3126. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 205 रुपये से 280 रुपये के वेतनमान में कितने स्टेशन मास्टरों को स्थायी किया जाना है और दिल्ली डिवीज़न में कितने स्टेशन मास्टरों को स्थायी किया गया है;

(ख) 205 रुपये के वेतनमान में कितने सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थायी किया जाना है और दिल्ली डिवीज़न में कितने सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थायी किया गया है;

(ग) 130 रुपये से 240 रुपये के वेतनमान में कितने सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थायी किया जाना है और दिल्ली डिवीज़न में कितने सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थायी किया गया है; और

(घ) उन स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थायी न करने के क्या कारण हैं जिनकी स्थायी होने की बारी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क)	जिनको स्थायी किया जाना है	167
	जो स्थायी कर दिये गये हैं	159
(ख)	जिनको स्थायी किया जाना है	159
	जो स्थायी कर दिये गये हैं	कोई नहीं
(ग)	जिनको स्थायी किया जाना है	543
	जो स्थायी कर दिये गये हैं	238

(घ) कुछ स्टेशन मास्टरों को स्थायी नहीं किया जा सकता क्योंकि या तो वे अनुशासनिक नियमों के अधीन सज़ा भुगत रहे हैं या उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा मामले चलाये जा रहे हैं। सहायक स्टेशन मास्टरों का स्थायीकरण रोक लिया गया है क्योंकि उन्होंने निर्धारित जमानत जमा नहीं करायी है जो स्थायीकरण की एक शर्त है।

सहायक स्टेशन मास्टरों से जमानत राशि जमा कराये जाने के आदेश का लागू करना

3127. श्री इसहाक सम्भली :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायक स्टेशन मास्टरों से जमानत राशि जमा कराये जाने के आदेश कब से लागू किये गये थे, और

(ख) इन आदेशों को लागू करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कदाचार आदि के कारण सरकार को होने वाली हानि के रक्षोपाय के रुप में रोकड़ और भंडार के काम पर लगे कर्मचारियों से जमानत ली जाती है। संहिता निगमों में इसकी व्यवस्था है और यह पद्धति एक लम्बे अर्से से प्रचलित है। लेकिन वाणिज्यिक कर्मचारियों से 300 रुपये की जमानत लेने के सम्बन्ध में विशिष्ट अनुदेश बोर्ड द्वारा 2-5-1955 को जारी किये गये थे। सहायक स्टेशन मास्टरों का भी वर्गीकरण वाणिज्यिक कर्मचारियों के अन्तर्गत किया जाता है।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) 1957 से पूर्व नियुक्त किये गये सहायक स्टेशन मास्टरों का स्थायी न किया जाना

3128. श्री इसहाक सम्भली : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन में 1957 के पूर्व नियुक्त किये गये सहायक स्टेशन मास्टरों से 300 रुपये की जमानत राशि जमा नहीं कराई गई थी क्योंकि उस समय एसा आदेश लागू हीं था, और

(ख) यदि हां, तो उनको स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1957 से पूर्व नियुक्त किये गये सहायक स्टेशन मास्टरों से जमानत राशि जमा कराई गयी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे अधिकारियों के लिए सैलूनों पर किया गया व्यय

3129. श्री इसहाक सम्भली : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में रेलवे अधिकारियों के लिए 4, 6 और 8 पहियों वाले सैलूनों की संख्या कितनी है और रेलवे इन पर] कितना व्यय करता है; और

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों के विशेषाधिकारों को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अब निरीक्षण-यानों का उपयोग कार्य सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए ही सीमित कर दिया गया है और उनकी संख्या में उतनी सीमा तक कमी की जायगी जो क्षमता पर विपरित प्रभाव न डाले।

विवरण

रेल कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण यानों का उपयोग कार्य सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। 31-3-1972 को भारतीय रेलों पर ऐसे यानों की संख्या नीचे बतायी गयी है :—

	4-पहिया वाले	6-पहिया वाले	8-पहिया वाले
बड़ी लाइन	448	..	132
मीटर लाइन	191	38	162
छोटी लाइन	17	..	36

इन यानों के अनुरक्षण पर होने वाले खर्च का हिसाब अलग नहीं रखा जाता।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में रेस्ट गिवर स्टेशन मास्टरों की व्यवस्था करना

3130. **श्री इसहाक सम्भली:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या ई० (एल० एल०)/71/ एच० ई० आर०।20 दिनांक 15 सितम्बर, 1972 द्वारा भारतीय रेलवे में रेस्ट गिवर स्टेशन मास्टरों की व्यवस्था करने की लिए आदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या दिल्ली डिवीज़न में सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा अनेक स्टेशन मास्टरों को रेस्ट (विश्राम) दिया जाता है;

(ग) क्या उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को दिल्ली डिवीजन में रेस्ट गिवर स्टेशन मास्टरों की व्यवस्था करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो रेस्ट गिवर स्टेशन मास्टरों की व्यवस्था न करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां। आदेश ये थे कि सामान्यत: विश्राम विश्रामदाता स्टेशन मास्टरों द्वारा दिया जाना चाहिए। अपवादिक मामलों में जैसे कि शाखा लाइनों पर, विश्राम सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा भी दिया जा सकता है।

(ख) सामान्यत: स्टेशन मास्टरों को विश्रामदाता स्टेशन मास्टर विश्राम देते हैं। दिल्ली मण्डल में 150 में से केवल 25 मामलों में विश्राम दाता सहायक स्टेशन मास्टर, 205-280 रुपये के पदक्रम के स्टेशन मास्टरों को विश्राम दे रहें हैं।

(ग) जी हां।

(घ) रेलवे बोर्ड के 16-9-1972 के पत्र संख्या ई० (एल एल)/71/एच० ई० आर० 20 निबन्धकों के अनुसार 19 स्टेशन मास्टरों के लिए, 130-240 रुपये के प्राधिकृत वतनमान वाले विश्रामदाता सहायक स्टेशन मास्टरों के वर्तमान पदों की जगह 205-280 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान वाले विश्रामदाता स्टेशन मास्टरों के पद बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

वेस्ट कोस्ट रेलवे पर आने वाली लागत

3131. **श्री बी० पी० नायक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्ट कोस्ट रेलवे उर्फ कोंकण रेलवे के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी।

(ख) इस रेलवे का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा।

(ग) निर्माण कार्य कितने स्थलों पर शुरू किया जायेगा ; और

(घ) इन स्थलों के क्या नाम हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लगभग 213 करोड़ रुपये।

(ख) इसके अनुमोदित हो जाने के पश्चात लगभग 8 वर्ष में।

(ग) और (घ) यह परियोजना विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में है। सुखा से राहत के रुप में, आप्ता-दसगांव खण्ड (लगभग 106 कि० मी०) पर मिट्टी सम्बन्धी काम किया जा रहा है। दसगांव से मंगलूर तक के शेष खण्ड (लगभग 800 कि० मी०) के सम्बन्ध में एक विस्तृत सर्वेक्षण भी किया जायेगा।

तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालयों और डिब्बों की स्थिति

3132. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालयों की वर्तमान स्थिति को सुधारने तथा तीसरी श्रेणी के डिब्बों के यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) स्टेशनों पर और गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए की गयी वतमान सुविधाओं में सुधार के लिए सभी प्रयास किय जा रहे है। इस दिशा में जो कदम उठाये गये है उनमें निम्नलिखित शामिल है :—

(1) 1971–72 के निर्माण कार्यक्रम में 34 स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के नये प्रतीक्षालय और 53 स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के मौजदा प्रतीक्षालओं में सुधार/विस्तार की व्यवस्था की गयी है।

(2) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1972–73 और 1973–74 में क्रमश: 24.54 लाख और 19.77 लाख रुपये की रकम की भी व्यवस्था की गयी है।

(3) स्टेशनों, तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों आदि का विद्यतीकरण एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है और 95 प्रतिशत स्टेशनों पर, जहां आस-पास में उचित दर पर बिजली उपलब्ध है पहले से ही बिजली लगाओी जा चुकी है।

(4) सवारी डिब्बों में सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से हल्के वजन वाले नये किस्म के उच्चतर क्षमता वाले डायनमों के परीक्षण किये जा रहे है।

(5) उन सभी स्टेशनों पर जहां आगत और निर्गामी यात्रीयों की संख्या प्रतिदिन 1000 से अधिक है और जहां बिजली और नल द्वारा जल की सप्लाई उपलब्ध है, विद्युत चालित जलशीतकों की व्यवस्था की जा रही है।

(6) तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों के समुचित अनुरक्षण पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है ताकि उसकी स्वच्छता और सुविधा फिटिंगों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

केरल में पंज्जाशी परियोजना का निर्माण कार्य

3133. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पंज्जाशी परियोजना पर निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस परियोजना का निर्माण कार्य किस चरण पर है और यह कब तक पूरा हो जाएगा?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) केरल सरकार ने सूचित किया है कि पझासो परियोजना कार्य नियत समय से पीछे नहीं है और इसकी प्रगति तेजी से हो रही है। चिनाई बांध बायें तटशीर्ष भाग पर 24.75 मीटर तक और दो ब्लाकों में 25 मीटर तक पूर्ण हो गया है। मुख्य नहर और माहे शाखा नहर पर कार्य प्रगति पर है। उन्होने बताया है कि परियोजना का 1980 में पूर्ण होना संभावित है।

ब्रह्मपुत्र और गंगा को कावेरी नदी से मिलाकर भूमि की सिंचाई

3134. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र और गंगा को कावेरी से मिलने के परिणामस्वरूप कितनी भूमि की सिंचाई होगी; और

(ख) प्रत्येक राज्य में इस योजना से जहां से यह नहर गुजरेगी कितनी भूमि की सिंचाई होगी?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र को गंगा से जोड़ने का विचार . राष्ट्रीय जल ग्रिड की मुख्य अवधारण का एक भाग है जिस पर अभी कारवाई की जानी है। राष्ट्रीय जल ग्रिड के संबंध में अभी तक कार्यालय अध्ययन किए गए है; जिसके संघटको में से एक होगा गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी विभिन्न नदियों को जोड़ने वाला सम्पर्क। विस्तृत ब्यौरा क्षेत्र अन्वषणों के पूर्ण होने पर म.लूम होगा जिन पर पांच से सात वर्ष लगेंगे।

मेरठ शटल को डीज़ल इंजन से चलाना

3135. **श्री राम प्रकाश** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रात: नौ बज कर नौ मिनट पर ग़ाजियाबाद से नई दिल्ली को छुटने वाली मेरठ शटल में डिजल इंजीन और कुछ अतिरिक्त डिब्बे लगाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) फालतू डीजल इंजन उपलब्ध न होने और दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशनों पर लम्बी गाड़ियों को सम्हालने में टर्मिनल सम्बन्धी कठिनाइयो के कारण यह प्रस्ताव परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

उर्वरक कारखानों की स्थापना के बारे में नीति

3136. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) गैस, नेपथा, ईंधन तेल और कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न कच्चे माल पर आधारित उर्वरक कारखानों के आर्थिक लाभ का तुलनात्मक अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां तो उसके अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) गैस और नेफथा जो दोनों अधिकांश तौर पर उर्वरकों के लिए तरजीही सम्भरण माल है की पर्याप्त मात्राओं में

अनुलब्धि के संदर्भ में सरकार ने लाभप्रद एवं अन्य तथ्यों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि नये उर्वरक कारखाने जहां तक सम्भव हो इंधन तेल हैवी पेट्रोलियम फ़्रेशिनस जिनके देश में उपलब्ध होने की आशा है जैसे सम्भरण माल पर आधारित होने चाहिए। उर्वरक सम्भरण सामग्रियों में अधिकतम आत्म निर्भरता को प्राप्त करने के लिए कोयले पर आधारित तीन सन्यन्त्र भी योजना के एक अंश के रूप में स्थापित किये जा रहे हैं।

अन्य देशों की तुलना में भारत में पारेषण व्यवस्था के कारण बिजली का नष्ट होना

3137. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य विद्युत बोर्डों को पारेषण व्यवस्था के कारण बिजली की जितनी हानि उठानी पड़ती है, अन्य देशों की तुलना में उसकी औसत प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या इस देश में पारेषण व्यवस्था के कारण बिजली अधिक नष्ट होती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) भारत में विद्युत सप्लाई में पारेषण और वितरण हानि पारेषण की गई कुल ऊर्जा का 17.5 प्रतिशत है। कुछ उन्नत देशों में विद्युत प्रणालियों में इस प्रकार की हानियां 8 से 12 प्रतिशत तक होती है।

(ख) और (ग) बिजली के पारेषण परिगमन और वितरण में हानियां बिल्कुल समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ हद तक हानि अपरिहार्य है लेकिन ध्यानपूर्वक आयोजन और प्रणाली अभिकल्प पर्याप्त पारेषण सुविधाओं की व्यवस्था और प्रणाली को ठीक ढंग से प्रचालन करके हानियों को काफी निम्न स्तर पर रखना होगा। प्रत्यक्ष बड़ी हानियों कुछ मामलों में बिना मीटर की सप्लाई और ग्राम्य विद्युत भारों के विस्तृत बिखराव के कारण है। चोरी दोषपूर्ण मापन और पारेषण में स्राव के कारण हुई हानियों को पर्याप्त उपाय करके समाप्त किया जा सकता है। इस समस्या की जांच करने के लिए अभियंताओं की एक समिति का गठन किया गया है। विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर भी क्षेत्र अध्ययन और प्रयोग कर रहा है। ज्यों-ज्यों हानियों को कम करने के उपायों को अभिज्ञात कर लिया जाता है, अपेक्षित उपाय करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है।

1962 के पश्चात् स्वतंत्र रूप से तथा सहयोग के स्थापित हुए औषध उद्योगों की संख्या

3138. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हमारे देश में औषधियों के कितने नये कारखानों तथा भेषज उद्योग स्थापित हुए है और इनमें से कितने पूर्णतया स्वदेशी है और कितनों को विदेशी एककोंके सहयोग प्राप्त है;

(ख) क्या पूर्णतया स्वदेशी कंपनी द्वारा बनाई गई किसी औषधि का अफ़्रीकी देशों को निर्यात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान संगठित क्षत्र में औषधि एवं भषजों के निर्माण के लिए नये उपक्रमों की स्थापना के संबंध में 4 एककों को लाइसंस दिये गये हैं। इन चार एककों में से तीन भारतीय कंपनियां है और एक-एकक एक विदेशी कंपनी है; इसके अतिरिक्त गत तीन वर्षों के दौरान तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत चार नये औषधि एककों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है। इनमें से एक पूर्णतया भारतीय कंपनी है और अन्य तीन एककों में विदेशी साझेदारी है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत जलपाईगुड़ी जिले के दोमोहिनी-लतागुरी रेलवे लिंक लाइन का निर्माण

3139. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के दोमोहिनी-लतागुरी रेलवे लिंक लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए पुन: कोई प्रयास अभी आरम्भ किया गया है जो कि वर्ष 1968 के तीस्ता नदी की बाढ़ में नष्ट हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक कार्य कब आरम्भ होगा?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) लतागुड़ी-दोमुहानी-चंग्रबांध लाइन को फिर से चालू करने का प्रश्न तिस्ता के आर-पार रेल और सडक पुलों के विस्तार कार्य से घनिष्टरूप से जुड़ा है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार द्वारा निर्मित बाढ़ प्रतिरक्षा निर्माणों की जिनसे रेलवे लाइन की सुरक्षा रहती है, बाढों से टूटने की सम्भावना तब तक बनी रहेगी जब तक तिस्ता पुल का जल निकास द्वार चौड़ा न कर दिया जाय। वर्तमान रेलवे पुल में 150 फुट के 7 स्पेन बढ़ाने के काम को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। सड़क-पुल को चौड़ा करने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इसके अलावा रेलवे के संसाधनों का पूर्ण उपयोग बंगला देश की रेलवे लाइनों को फिर से चालू करने से सम्बन्धित तात्कालिक प्राथमिक वचन बद्धताओं को पूरा करने के लिए हो चुका है। अत: स्थिति में सुधार होते ही और तिस्ता के आर-पार सड़क तथा रेलवे पुलों को चौड़ा करने का काम पूरा होते ही इस लाइन को फिर से चालू करने का विचार किया जायेगा।

Agencies for sale of oil, petrol and Gas allotted to ex-servicemen in Bareilly District of U.P.

3140. **Shrimati Savitri Shyam** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether only 91 ex-servicemen of Uttar Pradesh have been given agencies for the sale of petrol, oil and gas during the last two years;

(b) if so, the reasons for giving agencies to such a small number of ex-servicemen in Uttar Pradesh ;

(c) the number of agencies for the purpose given in Bareilly District of Uttar Pradesh; and

(d) if no such agency was given to the Ex-servicemen in Bareilly District, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Indian Oil Corporation appointed 91 ex-Servicemen as its dealers/distributors in Uttar Pradesh from the beginning of January, 1970 till the end of February 1973.

(b) The appointment of dealers/distributors is made by the IOC mainly on the basis of the market potential and the need for creating new dealerships/distributorships. Apart from this, prior to December 1971, IOC was awarding its agencies/distributorship to unemployed graduates from low income group families on a preferential basis. Since December, 71 onwards, the Corporation has been giving first preference in awarding its agencies to disabled defence personnel, widows/dependents of those killed or missing in action and ex-servicemen on the basis of recommendations made by the Director General of Resettlement in the Ministry of Defence.

(c) The number of dealerships/distributorships awarded by the IOC to ex-servicemen in Bareilly District of Uttar Pradesh is three.

(d) Does not arise.

Relation of Ministry of Petroleum and Chemicals with Indian Petroleum Institute, Dehradun

3141. **Shrimati Savitri Shyam:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the nature of relationship between the Ministry of Petroleum and Chemicals and the Indian Petroleum Institute, Dehradun ;

(b) whether the Ministry avails of any sort of technical assistance from that Institute and

(c) if so, the nature thereof and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) to (c) Since its inception in 1960, the Indian Institute of Petroleum has been assisting the Ministry of Petroleum and Chemicals in a number of studies, feasibility reports, experimental work, evaluation etc. and its advice has been extremely useful to the Ministry in arriving at decisions on various subjects concerning petroleum industry, for example, process schemes, evaluation of crude oils, development of new processes for products so far imported, demand projections for petroleum products and refining capacity, quality standards for products etc. Experimental work carried out in its laboratories has guided the Ministry in taking decisions on a number of issues.

उत्तर प्रदेश और पंजाब में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों की स्थापना

3142. **श्री भान सिंह भौरा : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए प्रयत्न किए जा रहे है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रयत्न को बढ़ावा दिया जायगा ?

पैटोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मैसर्स इण्डियन फार्मेरस टिलाइजर्स को-आपरेटिव (आई एफ एफ सी ओ) ने मथुरा (उ० प्र०) और भटिण्डा (पंजाब) में उवरक कारखानों की स्थापना के लिए अस्थायी प्रस्ताव प्रस्तुत किये है।

(ख) प्रस्तावों में इन दो कारखानों में से प्रत्येक के लिए सिद्धांत रूप में निम्नलिखित क्षमताओं का उल्लेख किया गया है :

अमोनिया . . .	1200 मीटरी टन प्रतिदिन
यूरिया . .	1200 ,, ,, ,,
नाइट्रो-फास्फेट . .	700 ,, ,, ,,
एन पी के उर्वरक . .	1500 ,, ,, ,,

प्रत्येक सन्यन्त्र पर लगभग 125 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और वह ईंधन तेल को सम्भरण माल के रूप में प्रयोग करेगा ।

(ग) सरकार ऐसे प्रस्तावों पर गुणावगुण आधार पर विचार करेगी ।

गुजरात में भावनगर और तारापुर के बीच रेलवे लाइन

3143. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भावनगर और तारापुर केबीच रेलवे लाईन बिछाने का अनुरोध किया है और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) इस रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए नये सर्वेक्षण करने का प्रश्न गुजरात राज्य सरकार के साथ परामशपूर्वक विचाराधीन है ।

Improvement in the supply of Indane Gas

3144. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether supply of Indane Gas is improving;

(b) if so, its present position in comparision to the last year; and

(c) whether Government have received complaints of discrimination being made in giving its agencies?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir S ngh) : (a) Yes, Sir.

(b) As against the supply of 74,400 tonnes in the year 1972, supplies in 1973 are anticipated to be approximately 94,800 tonnes.

(c) In accordance with the present policy of IOC, approved by the Government, IOC's dealerships/distributorships are being awarded preferentially to the disabled defence personnel, widows/dependants of those killed or missing in action and ex-servicemen on the recommendations of the Director General of Resettlement, Ministry of Defence. No specific complaints of any deviation from this policy have been received.

Setting on fire a passenger train at Khurda Road Railway Station

3145. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased o1 state :

(a) whether a crowd stoned a passenger train at Khurda Road Railway Junction (Bhubaneshwar) and set the train on fire;

(b) if so, the reasons therefor and Government's reaction thereto; and

(c) the estimated loss sustained?

The Dy. Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The duplicate 7Dn. Puri-Howrah Express was stoned at Khurda Road Railway Junction on 17-2-73. However, a bogie of 317 Up Howrah-Puri Passenger train was set on fire at Retang Station near Khurda Road Junction the same day.

(b) These incidents arose out of inter-provincial disharmony, following publication of an ditorial in the 'Hindustan Standard' of 5tn February 1973 under the caption 'Doctors rom Orissa'. Prompt action was taken by the Orissa State Government to bring the situation under control.

(c) Rupees 5 lakhs approximately.

Reduction in prices of medicinal preparations of common use.

3146. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum & Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to reduce the prices of medicinal preparations of common use; and

(b) if so, the names of those preparations and the extent to which their prices would be reduced?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) and (b) **:** The prices of all drugs and the formulations based thereon are controlled under the Drugs (Prices Control) Order 1970, (DPCO) the main objective of which is to see that all drugs and medicines inclusive of those in common use are available at reasonable prices. The DPCO contains special provisions regarding prices of "essential bulk drugs" to ensure their availability at fair prices. Lesser margins are generally allowed in fixing the prices of medicinal preparations in common use. The prices are constantly reviwed to effect reductions wherever justified.

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा बिजली परियोजनाओं का निर्माण

3147. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे तापीय और पनबिजली परियोजनाओं की संख्या क्या है जो बिना किसी बाहरी सहायता के केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के सहयोग से ही निर्मित की गई हैं अथवा निर्माणाधीन हैं ; और

(ख) देश में निर्माणाधीन बिजलीघरों को परामर्श देने के लिए केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने में क्या कठिनाइयां हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) 25 लघु जल विद्युत तथा 8 ताप प्रतिष्ठापनों के अतिरिक्त 30 विद्युत परियोजनाएं – ताप तथा जल विद्युत पूर्णत: केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की सहायता से निर्माण की जा चुकी हैं/की जा रही हैं । इनमें कोई बाह्य सहायता नही ली गई है।

(ख) सलाहकारी कार्य के लिए स्टाफ बढ़ाने तथा संगठन को पर्याप्त रूप में सुगठित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा होना

3148. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सभी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या है और प्रत्येक मामले में कितना विलम्ब हुआ है ; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, तथा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) **:** सिंचाई एक राज्य विषय है और राज्य सरकारें अपनी विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई

परियोजनाओं का कार्यान्वियन करती हैं। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष स्कीम, स्कीमों के ग्रुप अथवा विकास के शीर्षों से संबद्ध नहीं है।

चौथी योजना में 4.8 मिलियन हैक्टेर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का लक्ष्य रखा गया था। ऐसी प्रत्याशा है कि मुख्यत: नागार्जुनसागर, गण्डक, कोसी राजस्थान नहर और रामगंगा सिंचाई परियोजनाओं से जिनके प्रत्याशित लाभों में चौथी योजना के अंत तक दो से तीन वर्ष तक देरी हो जाएगी, परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण लगभग 1 मिलियन हैक्टर की कमी हो सकती है।

(ग) राज्य सरकारों को उन स्कीमों को पूर्ण करने के लिए जिन पर पहले से अच्छी प्रगति हो चुकी है, अधिकतम संभव आबंटनों की व्यवस्था करने के लिए सलाह दी गई है। परियोजनाओं की प्रगति का बार-बार पुनरवलोकन किया जाता है और सामने आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं। उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी जिनसे भविष्य में महत्वपूर्ण अतिरिक्त लाभ हो सकते हैं, योजना आयोग द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

पतरातु तापीय बिजली घर की एक यूनिट का बन्द होना

3149. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पतरातु तापीय बिजली घर की एक यूनिट कुछ फालतू पुर्जों के उपलब्ध न होने के कारण बन्द कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी अवधि तक बन्द रही;

(ग) इसमें प्रयुक्त होने वाले फालतू पुर्जों की लागत कितनी है तथा इन पुर्जों को कहां से प्राप्त किया गया था; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) टर्बाइन रोटर की मरम्मत के कारण पतरातु में एक 50 मेगावाट की यूनिट इस समय चालू नहीं है।

(ख) मशीन की 11 अप्रैल, 1972 से मरम्मत हो रही है।

(ग) मेसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में रोटर की मरम्मत हो रही है। सोवियत रुस से फालतू पुर्जों के आयात के लिए 7,69,634 रुपयो के बराबर की विदेशी मुद्रा भी नियुक्त कर दी गई है।

(घ) (1) राज्य बिजली बोर्डों को विदेशी मुद्रा की विशेष मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता तथा डी० जी० टी० डी० की स्वीकृति के बिना प्रत्येक परियोजना पर उपस्कर की कीमत के 0.1 प्रतिशत तक आपात्कालीन फालतू पुर्जों के आयात के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(2) फालतू पुर्जों को देश में निर्माण करने के लिए कदम उठाए जा रहे है।

(3) सरकारी क्षेत्र में बिद्युत संयंत्र और उपस्कर की भारी मरम्मतों की देशी विद्युत संयंत्र निर्माताओं द्वारा करने का प्रस्ताव किया गया है।

(4) बी० एच० ई० एल० / एच० ई० आई० एल० के कारखानों में विद्युत संयंत्र/उपस्कर की मरम्मतों में तेजी लाई जा रही है और ऐसे कार्यों को अधिक नियमित आधार पर गठित करने के लिए प्रबंध किये जा रहे है।

पांडिचेरी में तापीय बिजलीघर की स्थापना

3150. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांडिचेरी में एक तापीय बिजलीघर की स्थापना करने की संभावना के बारे में जांच कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की जांच इस समय किस स्तर पर की जा रही है ; और

(ग) प्रस्तावित तापीय बिजलीघर की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग पांडिचरी में 30 / 60 मैगावाट की क्षमता के साथ कोयले से चलने वाले विद्युत केन्द्र की स्थापना की संभाव्यता ही जांच पांडिचेरी प्रशासन के साथ परामर्श करके कर रहा है।

महानदी बेसिन में हसदिओं (वंगो) परियोजना की तकनीकी जांच

3151. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी बेसिन में प्रस्तावित हसदियों (वंगो) परियोजना की तकनीकी जांच पुरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो तकनीकी जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) से (ग) महानदी बेसिन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित हसद्यो परियोजना में, अन्तिम चरण में 6.46 लाख एकड़ को सिंचाई और 150 मेगावाट विरुद्ध के प्रतिष्ठापन करने के लिये, एक बांध का निर्माण परिकल्पित है। परियोजना को 58.92 करोड़ रुपये की अनुमनित लागत पर जून 1972 में प्राप्त किया गया था। परियोजना पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियां सितम्बर, 1972 में राज्य सरकार को भेज दी गई थीं। इनके उत्तर अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

गोदावरी बेसिन विवाद

3152. **श्री ई० वी० विखे पाटील :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित राज्यों के बीच उत्पन्न गोदावरी बेसिन विवाद सुलझ गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह विवाद इस समय किस स्थिति में है ; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिए सरकारने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) गोदावरी और कृष्णा से संबंधित जल विवादों को, जिनको बातचीत द्वारा हल नहीं किया जा सका था, दोनों के लिए बनाए गए न्यायाधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट किया गया था। न्याय-निर्णयन की कार्यवाही प्रगति पर है। जब कि न्यायधिकरण द्वारा विवाद पर बहस करने को अभी

तक हाथ में नहीं लिया गया है और जो इस समय कृष्णा विवाद पर कार्यवाही कर रहा है, यह बताना कठिन है कि गोदावरी जल विवाद पर न्यायाधिकरण का पंचाट कब उपलब्ध होगा। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को, जहां तक व्यवहार्य हो कार्य में तेजी लाने के लिये कहा गया है।

दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों के हैल्थ इन्सपैक्टरों को साप्ताहिक छुट्टी/समयोपरि भत्ता

3153. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और दिल्ली मेन स्टेशनों पर 8 घंटे की शिफ्ट में 'कांटीन्यूअस वर्क' के रूप में काम कर रहे हैल्थ इन्सपेक्टरों को इसके एवज में काम के घंटो संबंधी विनियमों के उल्लंघन में साप्ताहिक छुट्टी अथवा समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कार्य घंटा विनियोमों के सांविधिक उपबंधों के अधीन दिल्ली मेन और नयी दिल्ली स्टेशनों पर काम कर रहे स्वास्थनिरीक्षकों को 'पर्यवेक्षक' कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अत: ये कर्मचारी साप्ताहिक विश्राम अथवा उसके बदले समयोपरि भत्ता पाने के हकदार नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति को छोड़ कर जब कि काम की अनिवार्यता के कारण ऐसा न किया जा सकता हो, उन्हे एक पाक्षिक छुट्टी मनाने दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में सेवावधि के आधार पर टी० ए० जी० सी० क्लर्कों आदि की नियुक्ति

3154. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल मंत्री अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलव) में कोरियर्ज, टी० ए० जी० सी० और केश विटनेसिज की नियुक्ति के बारे में 9 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5544 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ टी० ए० जी० सी० लगभग गत 10 वर्षों से काम कर रहे हैं जब कि अन्य तीन वर्ष की सेवावधि के सिद्धांत के अनुसार बदले जाते हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो एक ही विभाग के कर्मचारियों के बीच भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) आबू रोड में काम कर रहे कुछ सहायक चल माल बाबुओं को नहीं बदला जा सका था क्योंकि उस स्टेशन पर 110–200 रुपये के वेतनमान में सहायक माल बाबुओं के कोई कार्यकारी पद नहीं हैं। फिर भी, रेल प्रशासन ने ये अनुदेश जारी किये हैं कि मण्डल के अन्य स्टेशनों पर काम कर रहे सहायक माल बाबुओं को बारी बारी से रखा जाये।

दक्षिण पूर्व रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण समिति के बारे में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

3155. श्री मधु दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलव कर्मचारी सहकारी ऋण समिति के अधिकांश निदेशक दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा नाम–निर्देशित हैं ;

(ख) ये निदेशक वहाँ कितने समय से हैं और उनके नाम क्या हैं ;

10—3 L.S.S.(ND)/73

(ग) क्या ऋण समिति के लेखों का पिछले कई वर्षों से मिलान नहीं हो पाया है ; और

(घ) क्या इस संबंध में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अंशधारियों को नहीं दी गई है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी, हां।

(ख) जिन तारीखों से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चार नामित निदेशक इन पदों पर काम कर रहे हैं, वे इस प्रकार है—

1. श्री आर० के० मित्तर, अध्यक्ष – 14–9–1972
2. श्री आर० दास, उपाध्यक्ष–(1)–27–5–1968
3. श्री एम० ए० एडरसन, निदेशक–25–3–1963
4. श्री एस० के० मुखर्जी, निदेशक–9–6–1967
5. श्री एम० परमशिवम, निदेशक–15–9–1967
6. श्री बी० बी० श्रीवास्तव, निदेशक – 14–9–1972

(ग) यह सही नहीं है कि समिति के लेखों का पिछले कई वर्षों से मिलान नहीं किया गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट निदेशकों के निमित्त थी और उनके समक्ष रख दी गयी थी।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे की व्यवस्था के लिय विदेशी मुद्रा की सहायता

3156. श्री सोमनाथ चटर्जी :
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में भूमिगत रेलवे का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(ख) निर्माण कार्य किस एजेंसी को दिया गया है ; और

(ग) इस परियोजना के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दमदम–टालीगंज भूगत रेल लाइन को 1979 में पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है।

(ख) यद्यपि खण्डवार निर्मण का काम भारतीय ठेका फर्मों को सौंपा जायेगा तथापि रेल मंत्रालय के अधीन महानगर परिवहन परियोजना संगठन पूरे काम के लिये उत्तरदायी है।

(ग) चुने गये उपस्करों के आधार पर विदेशी मुद्रा 24 करोड़ रुपये और 32 करोड़ रुपये के बीच रहने की संभावना है।

वेस्टकोस्ट फार्टीलायझर प्लांट के लिए स्थान की खोज

3157. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वेस्ट कोस्ट फर्टीलाइजर प्लांट के लिए स्थान खोज लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका नाम क्या है और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उन संभव स्थानों, जहां पांचवी पंच वार्षिय योजना अवधि के दौरान उर्वरकों की अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा सके, के बारे में इस समय अध्ययन किये जा रहे हैं। इन अध्ययनों में पश्चिमी तट के कुछ स्थान भी शामिल हैं।

कम्प्युटर लगाने के कारण कर्मचारियों की छंटनी को रोकने के लिये कार्यवाही

3158. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग में इस समय चौदह कम्प्युटरो का उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) ये कम्प्युटर कहां कहा पर लगाये गये हैं और जानकारी देने में ये कहां तक सहायक सिद्ध हुए हैं ; और

(ग) कम्प्युटर लगाने के कारण कर्मचारियों की छँटनी न हो इस दृष्टि से क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4484/73]

(ग) कर्मचारियों की फिर से काम पर लगाने की व्यवस्था कर दी गयी है बशर्ते कि निम्नलिखित बातें सुनिश्चित हो जायें :—

(i) कोई छंटनी न हो ;

(ii) परिलब्धियों में कोई कमी नई हो ;

(iii) भावी पदोन्नति की संभावनाएं (उच्चतर पदों की संख्या के रूप में) जो मशीन पद्धति लागु करने के समय थीं, वे कर्मचारियों के लिये पूरी तरह संरक्षित रहें; और

(iv) किसी भी कर्मचारी का उनकी सहमति के बिना उनके वर्तमान स्टेशनों से स्थानान्तरण न हो।

पहली तीन योजना अवधियों में रेल पर यातायात की मात्रा अत्यधिक बढ़ गयी । सूचना इकट्ठी करने का दस्ती तरीका बढ़े हुए काम को सम्हाल नही सका । इसलिए तुरंत "प्रबंध सूचना प्रणाली" सुनिश्चित करने के लिए कम्प्युटरों को लगाना पड़ा। रेलोपर लगाये कम्प्युटरों का उपयोग लेखा तैयार करने, सामान सूची नियंत्रण और कुछ परिचालनिक आंकड़ो, का संकलन करने के लिए किया जाता है। उत्पादन कारखानों में लगाये गये उपस्करो का उपयोग, उत्पादन अनुसूची बनाने, सामान सूची नियंत्रण, मशीन से लदान आदि के लिए किया जाता है। मुगलसराय विन्यास यार्ड में लगाये गये कम्प्युटर का उपयोग विन्यास गाडियो, मरम्मत लाइनों पर कार्यों का ब्यौरा और भाड़ायानो की रुकौनी से संबंधित सूचना इकट्ठी करने के लिए किया जाता है। बोर्ड कार्यालय में लगाये गये कम्प्युटर का उपयोग माल डिबों के संचलन और क्षेत्रीय रेलो के दिन प्रतिदिन के परिचालन के समन्वय से संबंधित परिचालनिक आंकडों का संकलन करने के लिये किया जाता है।

पंजाब के मनसा स्टेशन से मक्का की ढुलाई

3160. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मन्सा रेलवे स्टेशन पर 8 नवम्बर 1972 को ढुलाई के लिये मक्का की लगभग दो हजार बोरियां बुक करायी गयी थीं ; और

(ख) क्या इस तथ्य के बावजुद कि रेलवे अधिकारियों ने माल बुक कराने वालों को 8 नवम्बर, 1972 को ही रेलवे रसीद दे दी थी मक्का की उक्त बोरियां अभी तक स्टेशन पर पड़ी हुई हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 8–11–72 को मन्सा स्टेशन पर ढुलाई के लिये मक्का की केवल 964 बोरियां बुक की गयी थीं।

(ख) मक्का की ये 964 बोरियां माल डिब्बों की सप्लाई न होने के कारण निकासी के पड़ी हुई थीं कि इसी बीच 10–11–72 को पंजाब सरकार ने एक सिविल प्रतिबंध लागू कर दिया। पंजाब सरकार को तुरंत इस संबंध में लिखा गया था और उन्होंने 15–1–73 को इस आशय का उत्तर दिया कि रेलवे अथवा व्यापारी मक्का का यह स्टाक निर्धारित भाव पर भारतीय खाद्य निगम को दे सकते है। अतः परेषकों को नोटिस जारी किये गये थे कि वे या तो परेषणों को वापिस ले के या उन्हें भारतीय खाद्य निगम को दे दें। 8–11–72 को बुक की गयी मक्का की इस 964 बोरियों में से 724 बोरियां परेषकों द्वारा वापिस ले ली गयी हैं, लेकिन शेष 240 बोरियां अभी भी स्टेशन पर पड़ी हैं।

पश्चिम बंगाल में गांवों में बिजली लगाया जाना

3161. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1972 से अब तक पश्चिम बंगाल के कितने गांवों में बिजली लगाई गई है;

(ख) ईन गांवों में बिजली की अनुमानतः कुल कितनी खपत हुई है तथा बिजली की वास्तविक खपत कितनी है ; और

(ग) वर्ष 1973 के अंत तक कितने और गांवों में बिजली सप्लाई किये जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) पहली अप्रैल से 31 दिसम्बर, 1972 तक पश्चिम बंगाल में 1,328 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ।

(ख) जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है, औसत अनुमान 10 से 12 कि० वा० प्रति ग्राम था और वास्तविक मांग औसत रूप में 3 से 5 कि० वा० की थी।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोड क कार्यक्रम क अनुसार 1972–73 और 1973–74 के दौरान 10,000 गांवों के विद्युतीकरण की संभावना है, यदि समयानुसार साज सामान तथा धन उपलब्ध हो।

उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये न्यायाधीशों के पदों का आरक्षण

3162. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधिशों के कुछ प्रतिशत पद अनुसुचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के कितने न्यायाधिश नियुक्त किये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां गुणागुण और उपयुक्तता के आधार पर की जाती है। ऐसी नियुक्तियां में जाति और समुदाय का कोई ध्यान नहीं रखा जाता।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार आजकल विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों से संबंधित तीन न्यायाधीश हैं। उनमें से एक फरवरी, 1973 में नियुक्त किया गया था और अन्य दो जुलाई, 1965 और मार्च, 1968 में नियुक्त किए गए थे।

दातेवास रेलवे स्टेशन पर पानी की सप्लाई का प्रबन्ध

3163. **श्री मान सिंह मौरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता के अनेकों अभ्यावेदनों के उपरांत भी, दिल्ली–भटिंडा लाइन के दातेवास रेल स्टेशन पर पानी की सप्लाई का अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिये पानी की सप्लाई की व्यवस्था पहले से मौजुद है। यहाँ प्लेटफार्म पर एक हैण्ड पम्प लगा हुआ है और एक पानी वाला रहता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यात्रियों की भीड़ कम करने के लिये हावड़ा तथा समस्तीपुर के बीच एक्सप्रेस रेल गाड़ी का चलाया जाना

3164. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ बिहार तथा मिथिला एक्सप्रैस से हावड़ा तथा समस्तीपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलों में प्रतिदिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण अत्यधिक असुविधा होती है और क्या इस संबंध में उनको बहुत से अभ्यावेदन दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या हावड़ा और समस्तीपुर के बीच एक अन्य एक्सप्रैस अथवा मेल रेल गाड़ी चलाने का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी इस मार्ग के कुछ खंडो पर इन गाड़ियों में भीड़–भाड़ रहती है और इस संबंध में अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) मोकामा–बरोनी खंड पर लाइन–क्षमता और हावड़ा में टर्मिनल संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण, हावड़ा और समस्तीपुर के बीच डाक/एक्सप्रैस गाड़ी चलाना इस समय व्यावहारिक नहीं है।

इन्डियन रेलवेज टिकट-चैकिंग स्टाफ एसोसिएशन का संकल्प

3165. **श्री वी० पी० साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन रेलवेज टिकट चैंकिंग स्टाफ ऐसोसिएशन द्वारा भेजे गए संकल्पों की एक प्रति प्राप्त हो गई है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ;

(ख) क्या टिकट निरीक्षण कर्मचारियों को महत्वपूर्ण स्टेशनों पर "रनिंग रूम" सुविधाए प्रदान नहीं की गयी हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समाज विरोधी तत्वों से टिकट निरीक्षण कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) इस अमान्यताप्राप्त एसोसिएशन की मध्य रेलवे शाखा द्वारा स्वीकृत संकल्प जिसमें 13 मांग थी, मिले थे। ऐसे मसले मान्यताप्राप्त श्रम संगठनों द्वारा समय–समय पर उठाये जाते हैं और विभिन्न स्तरों पर वार्तातंत्र तथा संयुक्त परामर्श तंत्र की बैठकों में विचार–विमर्श के जरिए तय किये जाते है।

(ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार चल टिकट परीक्षकों को रनिंग कमरों का उपयोग करने की अनुमति है बशर्ते रनिंग कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उनमें फालतू जगह उपलब्ध हो; रेलों को भी कहा गया है कि जिन स्टेशनों पर रनिंग कमरों में फालतू जगह उपलब्ध न हो वहां एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर गैर रनिंग कर्मचारियों को कुछ कोटियों, जिनमें टिकट जांच कर्मचारी भी शामिल है, के लिए आराम कमरे की सुविधाओं की व्यवस्था करें।

(ग) रेलों पर कानून और व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, जो रेलवे स्टेशनों पर पुलिस तैनात करके इस दिशा में आवश्यक कदम उठाती है। सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा भी अधिकांश यात्री गाड़ियों की मार्गरक्षा की जाती है। इसके अलावा उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में चलने वाली मालगाड़ियों और रोकड़ इकठ्ठी करने वाली सवारी गाड़ियों की रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा मार्गरक्षा की जाती है। इससे कर्मचारियों की सुरक्षा रहती है।

तूतीकोरिन उर्वरक उद्योग समूह

3166. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत 'तूतीकोरिन उर्वरक उद्योग समूह' भारत में सबसे बड़ा उर्वरक समूह हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित समूह के मालिक कौन कौन है;

(ग) निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं; और

(घ) कुल कितनी पुंजी लगाई गई हैं और इसके निर्माण पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी और वित्तीयक पोषण के साधन क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। संयंत्र की प्रतिदिन 1100 मीटरी टन अमोनिया की क्षमता होगी।

(ख) मेसर्स सदन पैट्रोकेमिकल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि०

(ग) इस समय निदेशकों के बोर्ड का गठन निम्न प्रकार है:

1. श्री एम० ए० चिदाम्बरम
2. श्री के० आर० श्रीवास्तव
3. श्री वी० के० शाह
4. श्री एस० गोविन्द स्वामीनाथन
5. श्री ए० सी० मुथैया
6. श्री एम० जी० मेनन

7. श्री आर० नारासिम्हन
8. श्री वी० एन० सुब्बारायन
9. श्री के० टी० वी० मेनोन
10. श्री हरबन्स सिंह
11. श्री एस० वेंकटारामन
12. श्री एच० वी० एन० शेटी
13. श्री टी० एस० विजयाराघवन
14. श्री एम० एन० काले
15. श्री के० आर० पी० आय्यंगर

(घ) इस परियोजना के लिए 27.77 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 71 करोड़ रुपये की पूंजी लागत स्वीकृत की गई थी। कंपनी के अनुसार इस परियोजनापर अब 73.95 करोड़ रुपये लागत जो निम्नप्रकार से पूरी की जायेगी, आने का अनुमान है :

शेयर पूंजी	रुपये 19.00 करोड़
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	रुपये 18.00 करोड़
कन्सर्टियम या बैंकर्स से ऋण	रुपये 26.50 करोड़
परिमाणु शक्ति विभाग (उनकी हेवी वाटर परियोजना के लिए) से अंशदान	रुपये 3.00 करोड़
इण्टरनेशनल जनरेशन आफ कैश	रुपये 7.45 करोड़
कुल रुपये	73.95 करोड़

Pensionary benefits to Railway employees during 1972-73

3167. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway employees whose persion cases were decided during t h financial year 1972-73 ; and

(b) the number of cases pertaining to the said period which are still pending wit h Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

सिंचाई कार्यों के लिए त्रिपुरा को सहायता

3168. **श्री दशरथ देव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हाल की सूखा की स्थिति से निपटने के लिये केन्द्र ने त्रिपुरा सरकार को सिंचाई कार्यों के लिये कुल कितनी धनराशि दी है; और

(ख) क्या केन्द्र द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कोई बृहत सिंचाई परियोजना आरंभ की जाये गी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा): (क) निम्नलिखित सिंचाई स्कीमें जिनको चालू वर्ष 1972-73 के अन्दर पूर्ण होना परिकल्पित है, कार्यान्वयन के लिये त्रिपुरा सरकारने दीर्घकालीन ऋण के रूप में 21.40 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है :—

(1) कृषकों को 50% की आर्थिक सहायता पर 120 अतिरिक्त पम्प सैटों का वितरण

(2) सरकारी खाते मे पंप सैटों की प्रतिष्ठापना

(3) मौसमी बंधों का निर्माण

(4) 200 आर्टेसियन नलकूपों का निर्माण।

(ख) अब तक त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार कोई बृहत् अथवा मध्यम सिंचाई स्कीम प्रस्तुत नहीं की है ।

मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर रेल सम्पत्ति की चोरियां

3169. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय में रेल सम्पत्ति की चोरियों की घटनाओं में किसी प्रकार की कमी हुई है अथवा ऐसी घटनायें बढ़ रही हैं;

(ख) भूतपूर्व रेल मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ने जो प्रयास किए उन पर कितना व्यय हुआ और उनसे कितनी सफलता मिली; और

(ग) इस समस्या के उन्मूलन के लिय अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । मुगलसराय यार्ड और मुगलसराय क्षेत्र के निकटवर्ती खंडों में अपराध की स्थिति में सुधार हुआ है । 1971 और 1972 में निम्नलिखित तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलेगा कि स्थिति किसी हद तक सुधरी है :—

चोरियों की किस्म	पंजीकृत मामलों की संख्या 1971	1972
चलती गाडियों में चोरियां	80	31
या ों में चोरियां	56	14
माल गोदामों में/प्लेटफार्म पर चोरियां . . .	कोई नहीं	कोई नहीं
उठाईगीरी	11	6
	147	51

(ख) इस विशेष अभियान में हुए अतिरिक्त खर्च का कोई अलग हिसाब नहीं रखा गया है । लेकिन मुगलसराय में चोरियों और उठाईगीरी को कम करने के लिए भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा किये गये प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले है और स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।

(ग) (1) मुगलसराय के पूर्वी और पश्चिमी फ्लाइ ओवरों पर जहां तज ढलान है और जिसके कारण गाड़ियां बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती है जिससे अपराधियों को आसानी से अपराध करने का मौका मिल जाता है, बराबर सशस्त्र रक्षक तैनात कर दि गये हैं।

(2) यार्ड के भेद्य क्षेत्रों में सशस्त्र गश्त की व्यवस्था कर दी गयी है ।

(3) रात में चलने वाली सभी महत्वपूर्ण माल गाड़ियों की रेलव सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा मार्गरक्षा की जाती है ।

(4) पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली जांचों को तीव्र कर दिया गया है ।

(5) कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिये रेलवे सुरक्षा दल द्वारा स्वतंत्र रूप से, तथा सिविल पुलिस और सरकारी रेलव पुलिस के सहयोग से समय-समय पर अभियान चलाये जाते है ।

(6) रेल सम्पत्ति की उठाईगीरी में अंतर्ग्रस्त अनेक अपराधियों और रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया ।

(7) कुछ कुख्यात अपराधियों/रल सम्पत्ति को लेने वाले व्यक्तियों को आन्तरिक सरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत हवालात में रखा गया है ।

कक्काडोव तथा पयास्विनों सिंचाई परियोजनाओं के अनुमान

3170. श्री रामचन्द्र कडनापल्ली : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच केरल सरकार से कक्काडोव तथा पयास्विनों सिंचाई परियोजनाओं के अनुमान प्राप्त हो गए है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : ये सिंचाई परियोजनाए अभी तक केरल सरकार से केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में प्राप्त नहीं हुई है ।

Assault on petroleum workers in Calcutta

3171. Shri Ramavatar Shastri :
Shri S. A. Muruganantham :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether four Members of Parliament from West Bengal had sent him telegrams or checking murderous assaults alleged to have been made on the workers of Indian Oil Employees' Union in Calcutta and its neighbourhood;

(b) whether similar telegrams have also been sent to the Prime Minister and the Minister of State in the Ministry of Home Affairs; and

(c) if so, the action taken by Government to check such assaults?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) Yes, Sir.

(c) Government as well as the Indian Oil Corporation have been in close touch with the West Bengal Government in this regard. The local IOC management is also fully seized of the matter. All cases of violence were promptly brought to the notice of civil authorities and protection sought for the Corporations workers. West Bengal Government has been rendering full assistance in dealing with the matter and the situation has since become normal.

राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण को असमान प्रगति

3172. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भागीरथ भंवर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति अत्यन्त असमान रही थी;

(ख) क्या कुछ राज्यों के अधिकांश गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन राज्यों में बड़े पैमाने पर ग्रामीण विद्युतीकरण प्रारंभ करने के लिए कोई योजना बनाई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग): ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम विभिन्न घटकों यथा विद्युत उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में पारेषण तथा वितरण प्रणालियों, भूभाग, संसाधनों, संगठनात्मक संरचना इत्यादि पर निर्भर है । अतएव, देश के समस्त राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के मामले में एक समान प्रगति नहीं हो सकती ।

असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति, 31 दिसंबर, 1972 को 23.4% के, अखिल भारतीय औसत से कम है ।

ग्राम विद्युतीकरण के लिए योजनाएं विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार तथा कार्यान्वित्त की जाती है और इनकी वित्तीय व्यवस्था राज्य परियोजना परिव्यय के अन्तर्गत निधि से और वित्तीय व्यवस्था करने वाले संस्थानों जैसे जीवन बीमा निगम, वाणिज्यिक बैंकों, कृषि वित्त/पुनर्वित निगम, ग्राम विद्युतीकरण निगम इत्यादी से ऋण लेकर की जाती है । ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवस्था करने वाले संस्थानों द्वारा दिया गया धन राज्य योजना परिव्ययों से अलग होता है । उन राज्यों में जो पिछड़े हुए है, ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रगति तीव्र करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे है । चतुर्थ योजना के परिव्ययों से वृद्धि हुई है । ग्राम में विद्युतीकरण निगम ने उन राज्यों को जो कि पिछड़े हुए है, स्कीमें स्वीकृत करने पर भी बल दिया है । निगम द्वारा अब तक स्वीकृत की गई 394 स्कीमों में से 212 स्कीमें उन राज्यों से संबंधित है जो पिछड़े हुए है । 208.97 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता के प्रति 117.51 करोड़ रुपये की धनराशि इन राज्यों के निमित्त स्वीकृत की गई है ।

ग्राम विद्युतीकरण निगम के लिये दशक (1971-81) के निमित्त एक परिप्रेय योजना भारत सरकार द्वारा दश में विभिन्न राज्यों के लिये तैयार की गई है । यदि धन उपलब्ध हो गया तो यह परिकल्पना की जाती है कि मार्च, 1981 तक 3.40 लाख गांवों का विद्युतीकरण हो जायेगा । यह भी आशा की जाती है कि उस समय तक समस्त राज्यों में कम से कम 50 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो जायेगा ।

वाराणसी में आफिसर्स क्लब का निर्माण

3173. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा वाराणसी में लगभग दो लाख रुपयों की लागत से हाल ही में एक आफिसर्स क्लब बनाया गया है ;

(ख) क्या इसी रेलवे द्वारा उसी स्थान पर दूसरा आफिसर्स क्लब बनवाया जा रहा है, जो लगभग पूरा होने वाला है, और इस पर लगभग ढाई लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह भारतीय रेलवे अपेक्षित मितव्ययता के अनुरुप है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1970-71 में वाराणसी में लगभग 14970 रुपये की लागत से एक आफिसर्स क्लब की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सिम्लुगुरी स्टेशन के समीप रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक युवक की कथित हत्या

3174. श्री रोबिन ककोटी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सिम्लुगुरी स्टेशन, सिबसागर के समीप रेलवे सुरक्षा बलने एक चलती हुई माल गाड़ी से गोली चला कर 23 जनवरी, 1973 को एक युवक की हत्या कर दी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) 23-1-1973 को लगभग 17.30 बजे शिमलगुड़ी के सर्वश्री अबिदुर रहमान और अलकुर रहमान ने शिमलगुड़ी के स्टेशन मास्टर और सरकारी रेल्वे पुलिस के कमांडिंग अफसर को सूचना दी कि रेलबे सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने, जो टी एल/12 डाऊन माल गाड़ी की मार्ग रक्षा कर रहे थ, लगभग 15 वर्ष के एक लड़के को गोली से मार डाला है । जांच करने पर गोली से घायल लड़के का शव शिमलगुड़ी रेलवे स्टेशन के दिखाऊपुल के पास होम सिगनल और बाहरी सिगनल के बीच रेल पथ के बगल में पड़ा हुआ पाया गया । शिमलगुड़ी के सरकारी रेलवे पुलिस के कमांडिंग अफ़सर ने रेलवे सुरक्षा दल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत एक मामला नं० 9(1)/73 दर्ज किया है जिसकी अभी जांच की जा रही है । रेलवे सुरक्षा दल के तीन कर्मचारियों को इस अपराध से संबंधित होने के संदेह पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है ।

अमरीका में अध्ययन हेतु लम्बी अवधि के लिये छुट्टी पर गए यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा अंशकालिक रोजगार प्राप्त करना

3175. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **रेल** मंत्री कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारियों की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के बारे में 14 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस एजेन्सी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के जो अधिकारी इस समय अध्ययन के लिये लम्बी छुट्टी पर अमरीका में हैं उन में से कोई भी अंशकालिका रोजगार नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के उन अधिकारियों को, जो इस समय अध्ययन के लिए-लम्बी छुट्टी पर अमरीका में हैं, रिजर्व बैंक ने एक वर्ष से अधिक समय के लिये विदेशी मुद्रा नहीं दी ;

(ग) यदि हां, तो विदेश में रहने वाले इन अधिकारियों का गुजारा किन स्त्रोतों से हो रहा है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इस में से किसी अधिकारी ने अमरीका में अंशकालिक रोजगार प्राप्त नहीं किया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे के यांत्रिकी इंजीनियरी विभाग के जो अधिकारी अध्ययन के लिए छुट्टी पर संयुक्त राज्य अमरीका गये हुए हैं, उनमें से किसी ने भी कोई अंश-कालिक नौकरी करने की अनुमति लेने के लिए अर्जी नहीं दी है और न कोई एसी रिपोर्ट मिली है जिसमें अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में नियमों का अतिलंघन किये जाने का आरोप लगाया गया हो । अतः इस मामले में सत्यापन की कोई बात पैदा न ीं होती ।

(ख) और (ग) : साधारणतः जो अधिकारी अपनी छुट्टी लेकर विदेश पढ़ने जाते है उन्हें बिदेशी मुद्रा के प्राप्त करने की व्यवस्था स्वयं ही करनी होती है । अतः रेल प्रशासन के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, इस भाग में सुझायी गयी कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता। यदि नियमों के उल्लंघन का कोई विशिष्ट मामला नोटिस में आयेगा तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उपर्युक्त कार्रवाई की जायेगी।

बोम्बे हाई में छिद्रण कार्यों के लिये फ्लोटिंग प्लेटफार्म का परीक्षण

3176. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोम्बे हाई में छिद्रण कार्यों के लिये फ्लोटिंग प्लेटफार्म की कार्य कुशलता की पूरी तरह जांच कर ली गई है ;

(ख) यह कब तक बम्बई पहुंच जाएगा तथा कार्य के लिये स्थापित कर दिया जाएगा ; और

(ग) आगामी दो वर्षों में आरम्भ में किये जाने वाले कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। ठेके की शर्तों के अनुसार इस की उपयुक्तता का पूरी तरह से निर्धारण करने के लिये प्लेटफार्म का जापान में समुद्री-परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) यह समुद्री-परीक्षणों के सफलतापूर्वक मुकम्मल होने तथा प्लैटफार्म के प्राप्त होने की तारीख पर निर्भर करेगा।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा व्यधन के लिये बम्बई हाई तथा अरब सागर में अन्य संरचनाओं में कुल मिला कर 9 स्थान दिये गये हैं। आगामी दो वर्षों में इन में से कितनों का व्यधन किया जाना संभव हो सकेगा यह बात व्यधन की उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जब वास्तव में कार्य शुरू हो जाएगा।

बिजली बनाने वाली परियोजनाओं के लिये उपकरणों का उत्पादन

3177. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री हरी सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पांचवीं योजना के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक उपकरणों का उत्पादन करने की स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो उन अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जिन को यह कार्य सौंपा जाएगा तथा क्या निर्धारित समय पर सामान देने के लिये उन्हें पूरी तरह से समर्थ बना दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिन का आयात करना ही पड़ेगा तथा उन्हें प्राप्त करने के लिये की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) स्वदेशी निर्माण संयंत्रों से पांचवीं योजना के दौरान शुरू होने वाली प्रस्तावित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिये संयंत्र और उपस्कर के एक बृहद् भाग के निर्माण की आशा है।

(ख) मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और मेंसर्स हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड ये दो बृहत्तर औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनकी प्रति वर्ष निर्धारित क्षमता 4.235 मिलियन किलोवाट

है । 1975-76 तक इन दोनों संयंत्रों की निर्धारित क्षमता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान उत्पादन में वृद्धि हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) उपस्कर की मदें, जहां स्वदेशी निर्माताओं द्वारा की गई सुपुर्दगी की नियम तिथि से परियोजना की प्रचालन तिथि क्षमता नहीं है या जहां कि स्वदेशी में संयंत्र, संसंत्र की वांछित किस्म का निर्माण करने में असमर्थ है जैसे अल्प संचय उपस्कर उच्च शोर्य जलीय यूनिटें और बृहत्तर आकार की डीज़ल उत्पादन यूनिटों का आयात किया जा सकता है। इनमें से कुछ मदें पहले से ही आयात के लिये स्वीकृत कर दी गई है और इनमें से अन्य मदों के आयात की स्वीकृति के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लुमिडंग डिवीजन में कर्माशियल क्लर्कों की कमी

3178. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लुम्डिग डिवीजन में कर्मशियल क्लर्कों की भारी कमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो लुम्डिग डिवीजन – एक जनवरी, 1973 को कर्मशियल क्लर्कों की कुल कितनी संख्या थी तथा छुट्टी रिजर्व सहित प्रत्येक ग्रेड में अलग-अलग कार्माशियल क्लर्कों के कडर में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी है ; और

(ग) यदि कोई कमी है, तो कितनी तथा दूसरे क्या कारण हैं तथा कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर सीमा रेल के लुमडिंग मण्डल में वाणिज्यिक लिपिकों की स्वीकृत संख्या और वास्तविक संख्या नीचे दी गयी है :–

ग्रेड	स्वीकृत संख्या	लगे हुए
(रुपये)		
250–380	10	10
205–280	39	36
150–240	171	171
110–200	287	246

सेवानिवृत्ति जैसी सामान्य क्षमता के कारण खाली हुए पदों और सृजन किये गये कुछ अतिरिक्त पदों को अनुमोदित व्यक्तियों के अभाव के कारण, न भर सकने के कारण यह कमी है । फिर भी रेल प्रशासन द्वारा रिक्तियों को भरने के लिये आवश्यक कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं ।

आल इण्डिया रेलवे कर्माशियल क्लर्कस् एसोसिएशन के जोनल सेक्रेटरी द्वारा मुख्य कार्माशियल सुपरिन्टेडेंट पूर्वोत्तर रेलवे को दिया गया ज्ञापन

3179. श्री चंद्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवे कर्मशियल क्लर्क्स ऐसोसिएशन, पूर्वोत्तर रेलवे, के जोन सेक्रेटरी ने 12 जनवरी, 1973 को पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य कर्मशियल सपरिन्टेडेंट से मुलाकात की थी तथा एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इस एसोसियेशन ने 12 जनवरी, 1973 को मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक को जो ज्ञापन दिया था उसमें पेश की गयी मुख्य मार्गों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) रेल प्रशासन द्वारा मांगों पर यथा शक्य कार्रवाई की जा रही है ।

विवरण

(i) वाणिज्यिक क्लर्कों को वाणिज्यिक निरीक्षकों और क्लेम ट्रेसरों के रूप में पदोन्नति देने के लिए अधिक अच्छे अवसर प्रदान किये जाये ।

(ii) वाणिज्यिक नियंत्रकों के पदों को संवर्ग बाह्य पदों के रुप में वर्गीकृत न किया जाये ।

(iii) सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों के वाणिज्यिक क्लर्कों को मंडल वाणिज्यिक अधीक्षकों के साथ मासिक बैठकें करने के लिए बुलाया जाये ।

(iv) वाणिज्यिक क्लर्कों की व्यावहारिक कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाये ।

(v) रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग न होने दिया जाये ।

(vi) सामान और पार्सलों की चोरी और उठाईगीरी के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व ठीक-ठीक निर्धारित किया जाये और रेलवे सुरक्षा दल को पुनर्गठित किया जाये ।

(vii) ऊंचे ग्रेडों में वरिष्ठ क्लर्कों के लिए विश्रामदाताओं की व्यवस्था की जाये ।

(viii) वाणिज्यिक विवरणियां तैयार करने के लिए अलग वाणिज्यिक क्लर्कों की व्यवस्था की जाये ।

(ix) तीन महीने बीत जाने पर वाणिज्यिक क्लर्कों के नाम वाणिज्यिक नाम खाते नहीं चढ़ाय जाने चाहिये ।

(x) किफायत के रूप में वाणिज्यिक क्लर्कों के जिन पदों को कम कर दिया गया था, उन्हे फिर से स्थापित किया जाय ।

(xi) वाणिज्यिक संवर्ग में उन कर्मचारियों को आमेलित न किया जाये जिन्हें डाक्टरी जांच में अनुपयुक्त पाया गया हो ।

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में बिजली विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश रद्द किये जाने के बारे में जांच

3180. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में बिजली विभाग के काफी कर्मचारियों को गत तीन वर्षों के दौरान स्थानान्तरित करने के आदेश दिए गए थे और बाद में उनके स्थानान्तरण आदेश स्थगित या रद्द कर दिए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केंद्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा उड़ीसा को आनन्दपुर बांध परियोजना को अनापत्ति पत्र देना

3181. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा के क्योझर जिले में स्थित आनन्दपुर बांध परियोजना के बारे में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने हाल में अनापत्ति पत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) आनन्दपुर बराज परियोजना आयोग द्वारा उडीसा को विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिये मई, 1972 में स्वीकार की गई थीं । परियोजना पर 21.94 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है और इसको योजना की सालन्दी परियोजना के साथ समंजित किया गया है । और इसमें आनन्दपुर पर बैतरणी नदी के पार एक बराज तथा एक नहर प्रणाली का निर्माण परिकल्पित है । समंजित परियोजना 2.28 लाख हेक्टर क्षत्र की सिंचाई को लाभ पहुंचाएगी । परियोजना के पांचवीं योजना के अन्त तक काफी हद तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

उड़ीसा द्वारा तलचर तापीय बिजली घर के बारे में प्रतिवेदन

3182. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने तलचर तापीय बिजलीघर में 120 मैगावाट की क्षमता वाले दो और यूनिट लगाने के लिय इसके दूसरे चरण का ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन केंद्रिय जल और विद्युत आयोग को प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने स्वदेशी स्त्रोतों से 110 मैगावाट के सैटों की उपलब्धता शीघ्र होने को ध्यान में रखते हुए, उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित 120 मैगावाट के प्रति तालचिर में 110-110 मैगावाट की दो यूनिटों को प्रतिष्ठापना करने की स्वीकृति दी है ।

45 अप हावड़ा-हैदराबाद एक्सप्रैस में खतरे की जंजीर खींचने के मामले

3183. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 45 अप हावड़ा-हैदराबाद एक्सप्रैस में बालासोर और भद्रक रेलवे स्टेशनों के बीच असंख्य बार खतरे की जंजीर खींचने के मामले हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दिसम्बर, 1972 के दौरान बालासौर भद्रक खण्ड पर खतरे की जंजीर खींचने की 248 घटनाएं हुई ; इनमें से 72 मामलें 45 अप गाड़ी पर हुए।

(ख) खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओंकी रोकथाम के लिए रेल प्रशासन द्वारा निम्न लिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

1. तीसरे दर्जे के डिब्बों में सादे लिवास में चल टिकट परीक्षकों और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को तैनात किया जाना;

2. खतरे की जंजीर खींच निरोधी दस्तों द्वारा, जिनमें चल टिकट परीक्षक और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी होते हैं, अचानक जांच की व्यवस्था करना ।

3. अनधिकृत रूप से जंजीर खींचने के लिए बदनाम स्थानों पर घात लगाकर बदमाशों को पकड़ने के लिए अचानक जांचों की व्यवस्था करना ।

4. समाचार पत्रों में, इश्तहारों, सिनेमा स्लाइडों आदि के माध्यम से और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लगे लाउडस्पीकरों से घोषणा करके शैक्षिक अभियान चलाना ।

5. सेवा निवृत्त या सेवारत वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में भाषणों की व्यवस्था करके खतरे की जंजीर खींचने की बुराई के विरुद्ध विद्यार्थियों में चेतना जाग्रत करना ।

6. जंजीर खींचने वालों को पकड़वाने वालों को इनाम देना ;

7. जहां जरुरी हो, वहां गाड़ियों से खतरे की जंजीर वाले उपस्कर को हटा देना ;

8. कानून और व्यवस्था की इस समस्या से जूझने के लिये राज्य सरकार से निकट सम्पर्क रखना ।

खुरदा रोड डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के डिवीजनल सुपरिटेंडेंट को जटनी यूथ कांग्रेस द्वारा दिया गया ज्ञापन

3184. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुरदा रोड डिवीजन के डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट को जटनी यूथ कांग्रेस द्वारा गत आगस्त में दिये गये ज्ञापन में क्या क्या मांग की गई है ; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जटनी युवक कांग्रेस द्वारा पेश किये गये ज्ञापन में समाविष्ट मांगें और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया सलग्न विवरण में दी गयी है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**—4485/73]

पौंग बांध क्षेत्र से विस्थापित हुए लोगों को पुनः बसाना

3185. **श्री विक्रम महाजन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौंग बांध क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) से विस्थापित हुए लोगों में से कितने लोगों को फरवरी 1973 के अंत तक बसा दिया गया था ; और

(ख) फरवरी, 1973 और मई, 1973 के दौरान पौंग बांध क्षेत्र से विस्थापित हुए लोगों को बसाने के लिए क्या लक्ष निर्धारित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) अब तक राजस्थान नहर क्षेत्र में 572 पौंग बांध विस्थापितों को उनके पुनर्वास के हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है ।

(ख) जुलाई, 1973 तक लगभग 7000 विस्थापितों को पुनर्वास करने का लक्ष्य है । मई, 1973 तक लकभग 3000 व्यक्तियों के चले जाने की आशा है ।

Charging of Express fare even when Train runs as Passenger Train on a Section

3186. **Sri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether passengers are charged fare for express train irrespective of the fact that the train runs as express train on a certain section only and on other sections it runs as passenger train; and

(b) whether Government propose not to charge full express fare in such cases?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Fares are charged according to classifications of a train as Mail, Express or Ordinary. For trains classified as Express, 'Express' fares are charged and for those classified as Passenger trains, 'Ordinary' fares are charged. If a train is classified as Express over a Section only while on other section it is classified as Passenger train, the fares are express-cum-ordinary for the respective distances.

(b) Does not arise.

Supply of wagons to Small traders

3187. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether priority is given in supplying wagons for transportation of chemical fertilizers and steel to big factories but small factories face difficulty in getting wagons for the purpose; and

(b) if so, the arrangements being made by this Ministry to remove this discrimination?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shati Qureshi) : (a) No discrimination is made by the Railways between big and small factories as such in the supply of wagons for movement of chemical fertilizers and steel. Pooled fertilisers sponsored by the Ministry of Agriclture/ Food Corporation of India are moved in item 'B' priority Wagons supplies for fertilisers from domestic manufacturers in accordance with the programm submitted by the Ministry of Agriculture are arranged in item 'C' priority. Finished product from the different Steel producing units and foundaries on the basis of the programme furnished by the Iron and Steel Controller are cleared in item 'C' priority.

(b) Does not arise.

Formulation of 15-20 years plan by railways

3188. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Department is formulating a 15-20 years plan;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) the time by which difficulties of passengers, hurdles in transportation of goods and financial losses are likely to be removed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes. The Indian Railways have started preparation of a Corporate Plan covering the period up to the year 1988-89.

(b) The processes of Corporate Plan consist of making traffic projections for the period in question and thinking out the best possible steps to meet the traffic demands efficeintly.

(c) The Corporate Plan is expected to reach some degree of finalisation at the end of this year. However, it is always the objective of the Railways to remove the difficulties of passengers, etc. as expeditiously as possible.

दिल्ली विदयत प्रदाय संस्थान को अपने हाथ में लेना

3189. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्यत प्रदाय संस्थान को सरकार द्वारा अपने हाथ में लन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कर्यवही की गई है ; और

(ग) इस समय मामले की क्या स्थिति है तथा इससे समस्या का क्या समाधान होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). अन्य राज्यों के अनुरूप दिल्ली में विद्युत आपूर्ति के लिए एक एकीकृत संगठन बनाने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि इस संघीय क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन पारेषण और वितरण को अधिकार में लेने के लिए एक राज्य विद्युत बोड का गठन किया जाए। अनिवार्य विधान प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गोमिया स्थित इण्डियन एक्सप्लोजिव बारूद कारखाने में विस्फोट का समाचार

डा० हरि प्रसाद शर्मा: (अलवर) श्रीमन्, मैं औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"गोमिया स्थित इण्डियन एक्सप्लोजिव बारुद कारखाने में विस्फोट से 25 कर्मचारियों की मृत्यु का समाचार"

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : दिनांक 3 मार्च, 1973 को प्रातः 6 बजकर 40 मिनट पर गोमिया (बिहार) स्थित भारतीय विस्फ़ोट कारखाने के जेड़ 1 टाली मिक्सिग शेड में एक विस्फ़ोट हुआ। फौरमैन सहित सात कर्मचारी उसी जगह मर गये व दो गंभीर रूप से आहत हुए। उसी दिन आहत व्यक्ति हवाई जहाज द्वारा कलकत्ता पहुचाएं गये वे विशेष उपचार हेतु नर्सिंग होम में दाखिल किये गये किन्तु ऐसा बताया गया है कि दुर्भाग्यवश बाद में वे भी मर गये।

गोमिया के विस्फोटक उपनियंत्रक ने विस्फोट होने के तुरन्त बाद जांच प्रारंभ कर दी है। उप प्रधान नियंत्रक, विस्फोट (पूर्वी सर्किल) 3 मार्च के अपराह्न में गोमियां पहुंच व मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक 4 मार्च को वहाँ पहुंचे व दोनों ने मिलकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहाँ अधिष्ठापित टाली मिक्सिग शेड और अन्य मशीनें तथा उपकरण सभी पूरी तरह नष्ट हो गए। जिधर विस्फोट हुआ था उधर की ओर प्रेज़ाइल नार्था लाइटों में तथा सीमेंट की अनेक एसबेसट्स की चादरों में थोड़ी बहुत क्षति हुई पाई गई। सौभाग्य से किसी अन्य शेड़ में करुणाजनक विस्फोट नहीं हुआ।

विस्फोट विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण से ऐसा नहीं मालूम होता कि कोई उल्लंघन अथवा उपेक्षा हुई है। उप आयक्त, गिरीडीह भारतीय विस्फोट अधिनियम की धारा 9 के अधीन एक मेजिस्टेरियल जांच करगे तथा उप प्रधान नियंत्रक, विस्फोट (पूर्वी सर्किल) कलकत्ता भी इस जांच से संबंध रहगे।

कंपनी द्वारा मृत व्यक्तियों के परिवारों की तत्कालिक आवश्यकताओं की और ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मृत व्यक्तियों के परिवांरों के लिए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के अधीन देय ग्रेच्युइटी (उपदान) तथा मुआवजा तथा अनुग्रह-भगतान करने की भी घोषणा की गई है।

सम्पत्ति तथा उपकरणों की लगभग 20 लाख रु० की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

15 वर्षों के कार्य में गोमियां में यह पहली घातक दुर्घटना है।

डा० हरिप्रसाद शर्मा : गोमिया स्थित इण्डियन एक्सप्लोजिव कारखाने में अत्यंत गम्भीर दुर्घटना हुई है। पहले समाचारों में 7 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना दी गई, उसके बाद अन्य 18 की।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मृतकों की संख्या 9 है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : विस्फोट के कारणों के बारे में कुछ नहीं बताया गया तथा कारखाने को हुई क्षति का भी ब्यौरा नहीं दिया गया। इस प्रकार होने वाली घटनाओं से हुई क्षति का पहले-पहले बहुत कम ब्यौरा दिया जाता है तथा वास्तविक क्षति का हमें स्वयं पता लगाना पड़ता है।

पूर्व जानकारी के अनुसार मृत सात व्यक्तियों में से तीन कर्मचारी थे तथा चार राहगीर थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन चार व्यक्तियों के मुआवजे के बारे में सरकार की क्या नीति है?

क्या मुआवज के संबंध में स्थायी ौर अस्थायी कर्मचारियों में भी कोई अंतर रखा गया है? क्या उस कारखाने के कर्मचारियों को खतरे के लिय भी कुछ विशेष व्यवस्था है?

उक्त कारखाने के प्रबन्धकों ने बताया है कि इस घटना के कारण व्यापारिक विस्फोटक पदार्थों की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कारखाना रक्षा संबंधी सामग्री का भी उत्पादन करता है और यदि हाँ, तो क्या रक्षा सामग्री की सप्लाई पर कोई प्रभाव पड़ा है?

इसके अतिरिक्त सुरक्षा को खतरा और तोड़फोड़ करने वाले तत्वों का प्रश्न भी उतना ही गम्भीर है। सभी को ज्ञात है कि ब्लैक दिसम्बर दल की ओर से धमकियां दी गई है जिसका उल्लेख उसी समाचारपत्र में हुआ हैं जिसमें इस घटना का। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस प्रकार की धमकियों से डरना नहीं चाहिए तथा इस संबंध में समुचित जांच करानी चाहिए।

इन कारखानों में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, जिससे कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : प्रश्नों से ज्ञात होता है कि सम्भवत: माननीय सदस्य समझा रहे हैं कि यह सरकारी कारखाना है। वास्तव में वह गैर सरकारी कम्पनी है। कम्पनी ने क्षति का अनुमान 20 लाख रुपया बताया है। इसके साथ ही मुझे यह जानकारी देनी है कि बाहर का कोई व्यक्ति नहीं मारा गया। मरने वाले व्यक्ति शैड में कार्य कर रहे थे जिनमें से 7 कर्मचारी घटनास्थल पर मरगये तथा शेष 2 इलाज के लिये कलकत्ते ले जा गए तथा उनकी वहीं मृत्यु हो गई।

श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत देय मुआवजे की राशि के साथ उनकी सेवावधि के हिसाब से उपदान और भविष्य निधि की राशि भी दी जाएगी। कम्पनी ने जानकारी दी है कि मृतकों के परीवारों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के साथ-साथ लगभग चार वर्ष का वेतन मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक मृतक के परिवार को 500 रुपयों की तुरंत राहत दी गई है। अंतिम संस्कार आदि का खर्च भी कम्पनी ने वहन किया है। बारुद कारखाने में कार्य करने वाला की सुरक्षा के लिये विशेष विनिमय हैं क्यों कि वहाँ दुर्घटना की आशंका रहती है। गत 15 वर्षों

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

में इस कारखाने में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। इससे ज्ञात होता है कि वहाँ समुचित उपाय किये गए है। अतः इस संबंध में ऐसी कोई आशका नहीं होनी चाहिए कि इसमें किसी समाज विरोधी तत्व का हाथ है। दुर्घटना के कारणों पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच से सम्भवतः कुछ प्रकाश पड़ेगा। यह भी प्रयत्न किया जाता है कि ऐसी कम्पनियां उन उपायों का दृढता से पालन करें जिनसे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

जहाँ तक उत्पादन में कमी का सवाल है, कम्पनी ने सामान्यरूप से कार्य करना आरंभ कर दिया है। उसके पास फालतू कलपुर्जे थे तथा उत्पादन में कमी होने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उन तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं किया है जो हमें गोमियों मजदूर यूनियन की ओर से प्राप्त हुए है। मंत्री महोदय ने बताया है कि सात कर्मचारियों की मत्यु हुई है किन्तु हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत व्यक्तियों की संख्या अधिक है तथा कुछ व्यक्तियों के शवों को वहां से हटा दिया गया। गैर–सरकारी उपक्रमों में इस प्रकार की घटनाएं प्रायः होती है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 2 मार्च 1973 को एक तकनिशियन न सुपरवाइजर श्री बी० एन० प्रसाद तथा शिफ्ट सुपरिंटेंडेट श्री सेठी को यह बताया था कि वहां कुछ खतरा है किन्तु प्रबन्धकों ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उक्त कर्मचारी को काम पर जाने अथवा अस्पतालमें भर्ती होने को कहा। उक्त कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हो गया तथा इस प्रकार उसका जीवन बच गया। क्या इन बातों की जानकारी बिहार सरकार को दी जाएगी? हम यह भी चाहते है कि मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाए। जांच कार्य उच्च-न्यायालय के किसी न्यायधीश को सौंपा जाना चाहिये तथा उक्त कर्मचारी श्री कांडू का बयान लिया जाना चाहिए। क्या सरकार ये कदम उठाएगी?

क्या यह भी सच है कि 15-20 दिन पूर्व खतरे की सूचना दी गई थी तथा यदि उसपर ध्यान दिया गया होता तो इस दुघटना को टाला जा सकता था? क्या इस बात की ओर भी उच्च शक्ति प्राप्त जांच आयोग का ध्यान दिलाया जाएगा?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने बहुत उपयोगी जानकारी दी है तथा इस जानकारी से जांच अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए समचित जांच कराई जाएगी। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि सभी तथ्यों और आरोपों का उल्लेख करते हुए वह एक नोट बनाकर दें दे जिसे जांच अधिकारियों को सौप दिया जाएगा।

अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराये जाने की व्यवस्था है। यदि उसकी रिपोर्ट संतोषजनक प्रतीत नहीं हुई तो सरकार विशेष जांच का आदेश देने में नहीं सकुचाएगी। 20 दिन पहले खतरे की सचना संबंधी बात को ध्यान में रखा जाएगा। जांच की रिपोर्ट मिलने पर आगे कोई कदम उठाया जाएगा।

Shri M.C. Daga (Pali) : May I know w ether it was not obligatory on the part of the hon. Minister to visit the spot? I want to know the basis on which it has been stated by him that any evidence of violation or negligence has not been found when the report is yet to come.

In view of the fact that Deputy Commissioner is not a technical hand, may I also know the justification for entrusting him with enquiry into the accident taken place in an explosives factory? I also want to know the fact contained in the report of explosives officers. Has the recorded the statements of the workers on the spot or not? May I also know whether

the dead bodies of the workers were removed from that place in his presence or they were removed from there before he had reached the spot. Who were the labourers examined on the spot? There is nothing mentioned here.

In view of the serious risk involved in the duties of the workers of explosives factories. I would like to suggest that life insurance scheme should be made compulsory for every worker. I am sorry to say that Government have provided a meagre amount of compensation for the families of workers who lost their valuable lives. The lives of workers have been computed at the rate of Rs. 500 or 1,000.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह सच है कि मुझे घटनास्थल का दौरा करना चाहिये था किन्तु मुझे बाद में सूचना मिली। मैंने बाद में वहां जाने से कोई लाभ नहीं समझा।

जहां तक जांच का संबंध है डिप्टी कंट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव्ज घटना स्थलपर विस्फोट के 15 मिनट पश्चात् पहुंच गया। डिप्टी चीफ कंट्रोलर वहां दोपहर बाद पहुंचा तथा चीफ कंट्रोलर चार तारीख को वहां पहुंचा। उन्होंने मिलकर जांच की तथा यथासम्भव साक्ष्य एकत्र करने के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि असावधानी अथवा उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं है। यह जांच प्रारम्भिक थी तथा इसी लिये अभी न्यायिक जांच कराई जाएगी जिसमें अधिक तथ्यों का पता चल सकता है। प्रस्ताविक जांच के पश्चात् ही सरकार कोई निष्कर्ष निकाल सकती है। मेरा विचार है कि हमें पहले ही यह अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि इसमें कोई असावधानी का मामला निहित है।

मुझे आशा है कि इन अधिकारियों ने जांच करते समय उचित रिकार्ड बनाया होगा जिसे जांच अधिकारी को सौंपा जाना चाहिये। तकनीकी मामले की जांच के लिये डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति के औचित्य के संबंध में मेरा निवेदन है कि उसकी सहायता के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्तियों को उसके साथ रखा जाएगा।

जहाँ तक इन श्रमिकों के बीमा का संबंध है, मैं चाहता हूं कि खतरनाक स्थानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के साथ सभी श्रमिकों का सामान्य बीमा होना चाहिये। कर्मगार मुआवजा अधिनियम में इन कार्यों में निहित खतरों की भी व्यवस्था किया है तथा इसी आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाता है। मुझे विश्वास है कि इन श्रमिकों के परिवारों को उक्त कम्पनी उस मुवावजे के अतिरिक्त जिसके वे अधिकारी है, कुछ अतिरिक्त सहायता भी कर रही है।

यह सच है कि इस दुर्घटना में 9 व्यक्तियों का जीवन नष्ट हो गया है। इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिये। उक्त कम्पनी का पिछला रिकार्ड बहुत अच्छा है तथा मुझे विश्वास है कि यह कम्पनी स्वयं इस बात का ध्यान रखेगी कि आगे कोई दुर्घटना न हो, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े।

मंत्री द्वारा दिये गये कथित गलत वक्तव्य के बारे में
RE: ALLEGED WRONG STATEMENT BY MINISTER

श्री ज्योतिमय बसु (डायमण्ड हार्बर) : महोदय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस महीने की 7 तारीख को जब इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा था......

अध्यक्ष महोदय : निदेश 115 के अन्तर्गत........

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): May I know whether it is not a question of privilege if a Minister deliberately misleads the House?

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : यदि इस प्रकार के मामलों पर सदन गम्भीरता से निर्णय नहीं लेगा, तो उनकी पुनरावृत्ति को रोका नहीं जा सकता। सम्भवत: आप यह समझते है कि सदन में पहले ऐसे प्रश्न नहीं उठाये गये। मैं इस प्रकार के कई उदाहरण दे सकता हूँ जब सदन में ऐसे प्रश्न उठाने की अनुमति दी गई है। कुछ मंत्री सभा के समक्ष गलत जानकारी देते है जिससे हमें अपने कर्तव्यों के पालन में बड़ी कठिनाई होती है तथा जनता के सामने हमारी स्थिति खराब होती है। मैं अभी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और अभी विशेषाधिकार का प्रश्न भी उठा रहा हूँ।

श्री बसु ने जिन बात पर असंतोष व्यक्त किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा उसका संबंध चुनाओ तथा प्रजातंत्र प्रणाली से है । उस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जान बूझकर गलत जानकारी दी है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : महोदय ! यदि कोई मंत्री गलत जानकारी देता है तथा उस गलती को सुधारा नहीं जाता, तो इसका अर्थ है कि देश की जनता को अंधरे में रखा जाता है। हम सम्बद्ध मंत्री को यह अवसर देते रहे है कि वह अपनी गलती को सभा में स्वीकार कर ले तथा जनता के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत कर सके। विशेषाधिकार का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब मंत्री अपनी गलत बयानी को स्वीकार नहीं करता ।

अत: मेरा निवदन है कि देश की जनता को अंधरे में नहीं रखा जाना चाहिये । इस बात की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये कि मंत्रीगण सभा में कोई गलत जानकारी न दे सके।

श्री भोगेन्द्र झा (जामनगर): इस प्रश्न को राजनीतिक दृष्टि या दलगत भावनाओं से नहीं देखना चाहिये । वह प्रश्न सीधा था तथा उत्तर भी इतना ही स्पष्ट था जिसपर श्री बसु ने विरोध किया। . .

वास्तव में यह मामला स्पष्टरूप से विशेषाधिकार का मामला है। यदि मंत्री महोदय खेद व्यक्त करते है, तो सभा उस पर निर्णय कर सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय ! मैंने पूछा था कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि नवम्बर, 1969 से पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा चुनावों तथा दल के कार्यों के लिये किये गये दौरों का खर्च उनकी पार्टी ने किया किंतु उसके बाद उनका भुगतान सरकारी खजाने से किया गया? किंतु श्री एफ० एच० मोहसिन ने बताया कि यह सच नहीं है। मैंने इसका विरोध किया था और अब मैंने सम्बद्ध पैराग्राफ तथा संशोधित पैराग्राफ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है ।

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई सदस्य मंत्री द्वारा सदन में दिए गए वक्तव्य को गलत बताता है तो इसे निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए न कि विशेषाधिकार का विषय बनाया जाये, विवाद ग्रस्त मामलों में मैं अपना निर्णय नहीं दे सकता हूं। यह बिलकुल स्पष्ट प्रथा है और हाउस आफ कामन्स की पद्धति पर आधारित है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : विशेषाधिकार समिति इसका पता लगा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जी नही, यदि तथ्य विवादग्रस्त ह अथवा इसकी व्याख्या की जानी है तो म इस पर अपने विचार नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए निदेश संख्या 115 लाया गया है। कोई भी सदस्य मंत्री महोदय को पत्र लिखकर सदन में हुए वक्तव्य के बारे में पूछ सकता है और मंत्री महोदय उसे उत्तर दे सकते है, यदि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट नहीं है तो वह सदन में अपनी राय व्यक्त कर सकते है । मंत्री महोदय यदि स्वीकार करते है कि वे गलती पर है तो वे सदन में इस पर खेद प्रकट कर सकते है। मैं इसी प्रथा का अनुसरण कर रहा हूं । मुझे सदन द्वारा इस विषय पर वाद-विवाद करने पर कोई आपत्ती नहीं है, वे इस विषय पर वाद-विवाद कर सकते है ।

मैंने हाउस आफ कामन्स तथा अन्य देशों से इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। यदि माननीय सदस्य तथा मंत्री महोदय किसी विषय पर सहमत नहीं होते है तो इस विषय पर सदन में चर्चा की जाए तथा वही इसका निर्णय करे, यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं बन सकता है। इसको अन्य प्रस्ताव का रूप दिया जा सकता है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम आपसे सहमत है परंतु यदि यह सदन को जानबूझकर गुमराह करने वाला वक्तव्य हो तो . . .

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सदन पर छोड़िये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हमने यह सिद्ध कर दिया है कि उनका वक्तव्य सदन को गुमराह करने वाला था।

अध्यक्ष महोदय : यहां सभा में इस संबंध में नियमित प्रस्ताव लाया गया था न कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था। मैंने इस संबंध में विस्तार से चर्चा की है और मुझे इस प्रक्रिया के अलावा अन्य प्रक्रिया का उदाहरण नहीं मिला है, यदि आप ऐसा पूर्व उदाहरण ला सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : स्वेतलाना के संपूर्ण मामले पर चर्चा करने की अनुमति दी गई थी, इसी प्रकार . .

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कर सकते है परंतु विशेषाधिकार प्रश्न के रूप में नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने श्री चव्हाण के विरुद्ध विशेषाधिकार मांग का प्रस्ताव रखा था जो स्वीकृत हो गया था।

अध्यक्ष महोदय : जब आप इससे सहमत नहीं है तो मुझे सदन द्वारा इस पर चर्चा करने पर कोई आपत्ती नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैंने उनके आशय के बारे में पूछा है न कि वैधता के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपका आशय अन्य प्रकार से लगाता हूं तो मैं सही नहीं हूं अगर यदि मैं आपके वक्तव्य के अनुसार आशय लगाता हूं तो मैं ठीक हूं, मेरा कार्य तथ्यों की जाँच करना है न कि आशय जानना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इनको प्रलेखों से सत्यापित किया जा सकता है।

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : यदि मंत्री महोदय के वक्तव्य में कोई गलती है तो वे निदेश 115 के अंतर्गत प्रश्न उठा सकते है, **(व्यवधान)** यदि मंत्री महोदय जान-बूझकर तथ्यों को दबा रहे है तो विशेषाधिकार प्रस्ताव के अंतर्गत मामला उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय और माननीय सदस्म सहमत नही है तो सदन में उस पर चर्चा की जा सकती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I konw whether the majority of the House will decide the facts.

अध्यक्ष महोदय : इस में बहुमत अथवा अल्पमत का कोई प्रश्न नहीं है। विवादग्रस्त मामले पर सभा में चर्चा की जा सकती है। इस प्रश्न पर और अधिक समय बर्बाद न कीजिए।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : आपने हमें यह नहीं बताया है कि यदि मंत्री महोदय गलत वक्तव्य देते है तो हमें क्या करना चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : यह एक स्थापित प्रथा है कि यदि कोई मंत्री अथवा सदस्य सदन को गुमराह करता है तो उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। संसदीय प्रथा के अनुसार यह देखना अध्यक्ष महोदय के ऊपर है कि क्या यह मामला विशेषाधिकार का बनता है या नहीं; आप संबंधित सदस्य तथा मंत्री महोदय के कथनों का अध्ययन कर सकते है, कि क्या यह मामला विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मैंने नियम 115 के अंतर्गत मामला उठाया है। मंत्री महोदय के उत्तर के प्राप्त होने पर मैं इसे श्री जोतिर्मय बसु को दे दूंगा, यदि वे इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो यह मामला सदन में उठाया जा सकता है।

श्री श्याम नन्दन मिश्रा : निदेश 222 के अंतर्गत मामला उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 222 के अंतर्गत मामला नहीं उठाया जा सकता है। यदि आप कहते है क ऐसा किया जा सकता है तो आप उदाहरण दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं आपकी टिप्पणीयों को समझ नही सका हूं। आप यह ठीक कहते है कि मंत्रीजी से उत्तर प्राप्त होने पर उसे श्री बसु को दे दिया जायेगा और यदि श्री बसु इस पर संतुष्ट न हुए तो . . .

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर अपने विचार रख सकते है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष होने के नाते क्या आपका कर्तव्य मंत्रीजी का उत्तर प्राप्त होने पर उस पर अपनी टिप्पणियाँ देने का नहीं है ?

Mr. Speaker: Before giving my comment, I will have to listen both of them.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप दोनों को सुनने के बाद यह निर्णय करेंगे कि क्या यह विशेषाधिकार का मामला बनता है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया है, यदि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण है तो आप कृपया बताए, मैं उसी प्रक्रिया का अनुसरण करूंगा। मैं मंत्रीजी और माननीय सदस्य के वक्तव्यों को सुनकर ही निर्णय कर सकता हूं कि क्या यह विशेषाधिकार का मामला बनता है या नहीं।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : The Dave Commission have submitted an interim report against Akali and Jansanghi Minister of Punjab. May I know whether it will be laid on the table of the House.

Mr. Speaker : This question pertains to Punjab Government.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERSLAID ON THETABLE

रक्षा सेवा अनुमान, 1973–74

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री यशवंतराव चव्हाण की ओर से रक्षा सेवा अनुमान, 1973–74 (हिंदी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4475/73]

मृत्यु के पश्चात् अर्जित सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क और लोक सेवाओं से सेवानिवृत्त सदस्यों की पेंशन के लिए मुकदमा करने के अधिकार के संबंध में विधि आयोग का प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी) : मैं सभा पटल पर रखता हूं —

(1) मृत्यु के पश्चात् अर्जित सम्पत्ति पर संपदा शुल्क के सम्बन्ध में विधि आयोग के 52 वें प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) लोक सेवाओं से सेवा-निवृत्त सदस्यों की पेंशन के लिए मुकदमा करने के अधिकार के सम्बन्ध में पेंशन अधिनियम 1871 के प्रभाव के सम्बन्ध में विधि आयोग के 53 वें प्रतिवेदन की एक प्रति।

[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०** 4476/73]

दामोदर घाटी निगम का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री के० एल० राव) : मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा तत्संबंधी लेखेपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०** 4477/73]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1971–72 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971–72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षत लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०** 4478/73]

सभापती तालिका के लिए नियुक्त

APPOINTMENT TO PANET OF CHAIRMAN

अध्यक्ष महोदय : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियम के नियम 9(1) के अंतर्गत सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने श्री एस० ए० कादर को श्री आर० डी० भण्डारे के स्थान पर, जो लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, सभापतियों की नामिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया है।

लोक लेखा समिती

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

71 वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकाणम) : मैं सीमा शुल्क के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 43 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 71 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदनों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4479/73]

वक्तव्य

जैसा कि सदस्यों को ज्ञात ही है, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कृषि आयोग से कहा गया है कि वह अपने विचारार्थ विषयों की ऐसी मदों पर अंतरिम सिफ़ारिश प्रस्तुत करे जिसे वह उचित समझता हो। आयोग ने अब तक निम्नलिखित विषयों पर दस अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है :

1. संकर धान्य की अधिक उत्पादनशील किस्मों के अच्छे बीजों का वर्धन और वितरण ।
2. उर्वरक वितरण ।
3. कृषि अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण के कुछ पहलू ।
4. लघु तथा सीमांत कृषकों और कृषि श्रमिकों के लिए ऋण संबंधी सेवायें ।
5. लघु तथा सीमांत कृषकों और कृषि श्रमिकों के जरिये दुग्ध-उत्पादन ।
6. कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि-मौसम विज्ञान प्रभागों की स्थापना ।
7. मानव द्वारा लगाए गए बनों का उत्पादन ।
8. भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए आवासीय भू-खण्ड ।
9. मृदा सर्वेक्षण तथा भारत का मृदा मानचित्र ।
10. आलू के बीज ।

इन रिपोर्टों की प्रतियां पहले ही संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

इस आयोग ने आज भारत सरकार को निम्नलिखित चार अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी है :

1. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के संगठनात्मक पहलु ।
2. सिंचाई पद्धतियों को आधुनिक बनाना और कमांड क्षेत्रों का समेकित विकास ।
3. समग्र ग्राम-विकास कार्यक्रम ।
4. जिन्स विकास परिषदों तथा निदेशालयों का संगठन और उनके कार्य ।

ये रिपोर्टें संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है । इन अंतरिम रिपोर्टों में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सार सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

मैंने अपने विभाग को निदेश दिया है कि इन सिफारिशों की शीघ्र ही जांच की जाये, ताकि सरकार इन मामले में आगे कार्यवाही कर सके ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा दिनांक 13-3-73 को प्रस्तुत की गई चार अंतरिम रिपोर्टों की महत्वपूर्ण सिफारिशों का सार

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत सरकार को आज निम्नलिखित चार अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :—

(1) अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के संगठनात्मक पहलू;

(2) सिंचाई की पद्धतियों का आधुनिकीकरण तथा कमांड क्षेत्रों का समेकित विकास;

(3) समग्र-ग्राम विकास कार्यक्रम; तथा

(4) जिन्स विकास परिषदों तथा निदेशालयों का संगठन तथा उनके कार्य ।

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के संगठनात्मक पहलुओं पर अंतरिम रिपोर्ट

अखिल-भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना सम्बन्धी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में आयोग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तीय सहायता दी जाने वाली इन परियोजनाओं के संगठनात्मक पहलुओं पर विस्तार से विचार किया है और उसके आधार पर सिफारिश की है कि कृषि अनुसंधान समग्र प्रशासन की जिम्मेदारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय तथा राज्यों की अनुसंधान संस्थाओं तथा राज्य के विभागों में पुनः बांटी जायें। आयोग महसूस करता है कि बागवानी, पशु-पालन, मीन-उद्योग, वानिकी आदि सहित कृषि-क्षेत्र की अनुसंधान सम्बन्धी केवल उन समस्यायों का (चाहे उनका संबंध मूल-सिद्धांतों से हो या व्यावहारिक स्वरूप से) जो राष्ट्रीयी दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, उत्तरदायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को संभाल देना चाहिये। इसके अतिरिक्त, समन्वित अनुसंधान कार्यक्रमों का निरुपण एवं उनके कार्यान्वियन की पद्धतियों तथा कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थाओं और वहां क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं एवं योजनाओं में वैज्ञानिकों द्वारा किये जा रहे सब प्रकार के अनुसंधान कार्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आयोग सिफारिश करता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को छोटे छोटे दलों की नियुक्ति करनी चाहिये। ये दल अनुसंधान कार्य की भावी गुंजाइश तथा आवश्यकता अनुसंधान के स्वरूप एवं इन मदों के सम्बन्ध में कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि अनुसंधान संस्थानों की धन राशि सम्बन्धी आवश्यकता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली धन-राशि एकमुश्त अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए।

जिन पर समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा उतरना चाहिए। आयोग ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित चार मापदंड निर्धारित किये हैं:––(i) इन परियोजनाओं में परिचित ज्ञान तथा कृषि-जलवायु सम्बन्धी विस्तृत विभिन्न स्थितियों की समस्याओं के समाधान के लिये व्यावहारिक अनुसंधान किया जाना चाहिये, (ii) अध्ययन की जाने वाली समस्याएं राष्ट्रीय महत्व की होनी चाहिये चाहे उनका सम्बन्ध एक विषय से हो या अनेक विषयों से, (iii) ये समस्याएं इस ढंग की होनी चाहिएं कि एक ही समस्या पर अनेक वज्ञानिकों को ध्यान केन्द्रीत करना पड़े, (iv) इन परियोजनाओं का उद्देश्य यह होना चाहिये कि कृषि उत्पादन बढाने के लिये कम से कम समय में सिफारिशें प्रस्तुत की जाएं। आयोग ने सिफारिश की है कि भारतीय कृषि अनुसंधान को इन मापदंडों के आधार पर वर्तमान अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं की संवीक्षा करनी चाहिये और परियोजनाएं को ऐसी सीमाओं के अन्तर्गत रखा जाय कि ये निश्चित मापदण्ड पूरे हो सकें। उपरोक्त समस्त मापदंडों के संबंध में पूर्ण संतुष्टि होने पर ही नई अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृति की जानी चाहिये।

उन अनुसंधान सम्बन्धी समस्याओं को जिनके लिए बहुमुखी दृष्टिकोण की आश्यकता है और जो समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के लिये निर्धारित की गई कसौटी के अन्तर्गत नहीं आती और जहां सम्बन्धित अनुसन्धान एक से अधिक केन्द्र में करना आवश्यक है समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत सुलझाया जाना चाहिए। इसके लिये धनराशि और समन्वय की व्यवस्था की जानी चाहिए। समन्वित परियोजनाओं से बाहर के अनुसन्धान कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आयोग का मत है कि क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को इकट्ठा होकर कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं का आपस में उपयुक्त वितरण करते हुए एक समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करना चाहिये। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को एक दूसरे से मिलते जुलते क्षत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों का पता लगाने और उनकी अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के समन्वयन के लिये उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में भी सहायता करनी चाहिए।

कृषि विश्वविद्यालयों और राज्यों के विभागों को स्थानीय महत्व का समस्त अनुसंधान सम्बन्धी कार्य अपनी निजे संस्थाओं के माध्यम से करना चाहिये। सामान्य तौर पर ऐसे कार्य के समन्वयन के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को संस्थागत व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

[श्री फखरुद्दीन अली अहमद]

समन्वित कार्यक्रमों और परियोजनाओं के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को वैज्ञानिकों द्वारा भेजी गई उन अलग-अलग योजनाओं के लिये जिन्हें महत्वपूर्ण समझा जाता है, तदर्थ आधार पर वित्तीय सहायता देने की अपनी प्रक्रिया को तेज करना चाहिये। आयोग का दृढ़ मत है कि कृषि से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य का अधिकांश भाग समन्वित और विशिष्ट कार्यक्रमों के अन्तर्गत समन्वित परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।

आयोग ने अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के भावी कार्यकलापों के बारे में भी विस्तृत सिफारिशें की है जिसमें योजनाओं की स्वीकृति, वर्कशापों के आयोजन, कर्मचारी भर्ती करने आदि की प्रक्रिया आदि भी शामिल है। उदाहरण के लिये आयोग ने समन्वित परियोजनाओं के मुख्य कार्यालयों और इन परियोजाओं के अधीन विभिन्न केन्द्रों और उप-केन्द्रों की स्थिति के बारे में एक मानदण्ड निर्धारित किया है। आयोग का विचार है कि परियोजना में नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिये, प्रतिनियुक्ति आदि मामलों से संम्बन्धित उनके हितो की यथा सम्भव अधिक से अधिक रक्षा की जानी चाहिए। परियोजना के तकनीकी कर्मचारी सम्बन्धि विश्वविद्यालय या संस्थान के संवर्ग में होने चाहिये ।

प्रत्येक परियोजन का तिमाही आधार पर निरन्तर मूल्यांकन करने और सक्रिय रूप से उसका निर्धारण करने पर बल दिया गया है। परियोजना को न केवल नियमित वित्तीय लेखा-परीक्षा होनी चाहिए, बल्कि उसके कार्यनिष्पादन की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जब तक कि परियोजना समन्वयक यह प्रमाण-पत्र नहीं दे देता कि इसका कार्य सन्तोषजनक है, तब तक किसी विशेष परियोजना के लिये धनराशि नहीं दी जानी चाहिय। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि समन्वित परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये, विशेषकर राज्य विभाग या कृषि विश्वविद्यालय स्तर पर, सुगम और द्रुतगामी प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त धनराशि के निर्धारण में भी कुछ लचीलापन होना चाहिये।

आयोग ने प्रकट किया है कि नई प्रोद्योगिकी का बड़े पैमाने पर परीक्षण करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य विशेष सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रोद्योगिकी के अन्तरण की परिचालन संबंधी समस्याओं का पता लगाना है। आयोग ने सुझाव दिया है है कि कृषि विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों को विकास ऐजन्सियों के साथ निकट सम्पर्क और सहयोग से इस प्रकार का परिचालन संबंधी अनसंधान कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए।

कृषि प्रणालियों के आधुनिक बनाने तथा कमांड क्षेत्रों के समेकित विकास के संबंध में अन्तरिम रिपोर्ट

कृषि प्रणाली को आधुनिक बनाने और कमांड क्षेत्रों के समेकित विकास संबंधी अन्तरिम रिपोर्ट में आयोग ने यह कहा है कि देश में प्रचलित बहुत सी पुरानी कृषि प्रणालियां आधुनिक कृषि की आवश्यकता को पूरा नहींकरती और इसलिए उन्हें आधुनिक बनाने की जरुरत है। आयोग ने यह भी कहा है कि जो वर्तमान कृषि परियोजनाएं संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही हैं और जिनमें सुधार किया जा सकता है, और जो कसी भी तरह अधूरी परियोजनाओं से बेहतर स्थिति में नहीं है, उनकी ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए आयोग ने योजनापूर्व और इससे पहले की योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का वितत पुनरीक्षण करने पर जोर दिया है। इस पुनरीक्षण में इन केवल इंजीनियरी कार्यों की रक्षा और उनपर बेहतर नियंत्रण के कार्य में सुधार करना शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि अन्य अनेक पहलुओं की दृष्टी से भी यह पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। इनमें जहां पानी की कमी हो वहां उसकी सप्लाई बढ़ाना पानी के सुचारू रूप से खतों तक पहुचाना, पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पानी देना और फसलों की ऐसी पद्धतियां अपनाना भी शामिल किया जाना चाहिए जिनसे आर्थिक दृष्टि से अधिकतम लाभ हो आयोग ने यह सुझाव दिया है कि यह पुनरीक्षण सिंचाई इंजीनियरी, शल्य-विज्ञान और मृदा विशषज्ञों के दल द्वारा किया जाना चाहिए सिंचाई विभाग को इन पुनरीक्षणों के लिए जिम्मेदार

बनाया जाना चाहिए और इस काम में कृषि विभाग को उसकी मदद करनी चाहिए । आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण यह हो सकता है कि किसी परि-योजना में एक साथ सभी सुधार करना व्यावहारिक न हो, फिर भी इसमें जो कुछ सुधार किय जाने जरूरी है; उनका चित्र स्पष्ट होना चाहिए और उसके एक एक पहलू के कार्य को इस प्रकार हाथ में लिया जाना चाहिए वह सुधार की पूरी योजना के अनुकूल हो । आयोग ने ऐसे पुनरीक्षणों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त भी सुझायें हैं ।

वर्तमान कृषि प्रणालियों में आवश्यक सुधारों के मुख्य पहलुओं पर विचार करते समय आयोग ने नहरों और जलमार्गों को पक्का बनाने पर जोर दिया है । आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि इस सारे कार्यक्रम पर 600 करोड़ से 700 करोड़ रुपये तक की पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी और इससे 10 लाख श्रम वर्षों से अधिक के रोजगार की व्यवस्था हो सकेगी । जलमार्गों को पक्का करने का काम परि-योजना लागत से किया जाना चाहिए । ऐसे जलमार्गों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए, जबकि कच्चे जलमार्गों के लिए पहले की ही तरह किसान ही जिम्मेदार होने चहिए ।

आयोग ने सिंचाई कमान्ड क्षेत्रों से पानी के पर्याप्त निकास की व्यवस्था करने पर जोर दिया है और यह सिफारिश भी की है कि 40 हैक्टर खण्ड तक नालियों के निर्माण की जिम्मेदारी जल मार्गों की ही भांति परियोजना प्राधिकारी की होनी चाहिए । किसी खण्ड के भीतर के जलमार्ग की तरह ही उसके अन्दर की नालियों का निर्माण भी किसानों को स्वयं करना चाहिए और विस्तार कर्मचारियों की इस मामले में आवश्यक तकनीकि मार्गादर्शन करना चाहिए ।

एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों के समेकित विकास की आवश्यकता संबंधी है । आयोग ने जोर दिया है कि पांचवी योजना में कमाण्ड क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत विपणन के लिए वित्त-व्यवस्था भण्डारण और संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने में तेजी लाई जाय ।

आयकर विकास कार्यक्रम के लिये वित्त व्यवस्था के ढांचे के बारे में, जिसमें कि अब तक ऋण की मुख्य रूप से कठिनाई रही है आयोग ने दो वैकल्पिक सुझाव दिये है । राज्य भूमि सुधार निगमों का गठन करके भूमि को आकार देने, जलमार्गों और नालियों के निर्माण और भूमिगत जल यूनिटों के निर्माण के पूरे काम को हाथ में ले सकते हैं और एक स्वीकृति फार्मुले के आधार पर प्रति हैक्टर उत्पादन से इन कार्यों पर लगाई गई पूंजी ब्याज सहित वसूल कर सकते हैं । दूसरा विकल्प यह है कि यह कृषक सेवा समिति की अवधारणा अपने सकते हैं । आयोग ने लदु और सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए ऋण सेवा संबंधी अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की है । आयोग के अनुसार समेकित कमाण्ड क्षेत्र कार्यक्रम की सफलता के लिए दीर्घ, मध्यम और अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

सम्पूर्ण-ग्राम विकास कार्यक्रम संबंधी अंतरिम रिपोर्ट

संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम संबंधी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में आयोग ने सामुदायिक दृष्टिकोण तथा कार्यवाही के आधार पर ग्राम विकास के एक कार्यक्रम की सिफारिश की है । इस कार्यक्रम की मुख्य बातें यह है--चकबंदी, अधिकाधिक जल नियंत्रण करने और शुष्क क्षेत्रों में नयी परिरक्षित करने हेतु समग्र रुप से भूमि विकास योजना तैयार करना, सिंचाई को सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग में लाने, और सिंचाई तथा जल विकास के पूर्ण नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये ग्राम हेतु सिंचाई सहायता और फसलो कार्यक्रम को अधिकाधिक बढ़ाना ।

सामाजिक न्याय संबंधी उपाय इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग है । इनमें भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का वितरण, कृषि श्रमिकों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दहें दरे निश्चित करना. सिंचाई विकास में जोखिम का सामना करने के लिये राज्यों का सहयोग. तकनीकी विशषज्ञता, चकबन्दा तथा बटाईदारों

[श्री फखरुद्दीन अली अहमद]

को संरक्षण, राजसहायता और विभिन्न आर्थिक वित्तीय शामिल है। ऐसे कार्यक्रमों के लियें दी जाने वाली राजसहायता इस कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले अलग-अलग व्यक्तियों को नहीं दी जाती, बल्कि कार्यक्रम के अन्तर्गत जोखिम से बचने के लिये कार्यान्वियन प्राधिकारियों, संस्थात्मक ऋणों का उपयोग किये जाने की दृष्टि से सीमांत धन के लिये एक निधि बनाने और उस संस्था के, जो सामुदायिक कार्य के लिये राजसहायता प्राप्त करनी है, विकास के लिए उपलब्ध की जाती है ।

आयोग ने छोटे तथा सीमांत किसानों पर कर्जदारी के हानिकारक प्रभाव की ओर ध्यान आर्कषित किया है और सिफारिश की है कि राज्य सरकार की सहायता से यह बोझ कम किया जाना चाहिए ताकि विकास के लाभ कर्जा देने वालों को न मिला सकें। कार्यान्वियन प्राधिकारी ग्राम स्तर पर ऋणदाताओं के साथ ऋणों के बारे में फैसला करते हैं और उपयुक्त किश्तों में किसानों से धन राशि वसुल करते है। इस काम के लिए राज्य सरकार कार्यान्वियन प्राधिकारीयोंको नाम मात्र के व्याज पर या बिना ब्याज के काफी धनराशि प्रदान करती है। ग्राम स्तर पर अग्रिम रुपसे ऋण देने के लिए केन्द्र ने निधी की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव किया गया है ।

आयोग ने ग्रामीणों से आवश्यक समझौते करने और कार्यक्रम को चलाने के लिए ग्राम स्तर पर परियोजना (कार्यान्विति) समितियां स्थापित करने का सुझाव दिया है। नीति और कार्यवाही की एक रूपता को ध्यान में रखते हुए एक परियोजना (कार्यान्विति) संघ, जिससे ग्राम स्तरीय समितियां संबद्ध होंगी, स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है। केन्द्रीय संगठन विकास, सेवा, आपसी लाभ के लिए सप्लाई और विपणन के कार्यक्रमों का संगठन करेगा और उनकी देखरेख करेगा और सरकार से प्राप्त धन को कार्यक्रम में लगाएगा। समितियां और संघ रजिस्टर्ड सोसाइटियों के रूप में कार्य करेंगे कि और उनका कानूनी अस्तित्व भी अलग-अलग होगा।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि जहां कहीं स्वैच्छिक और समर्थ संगठन मौजूद है वहां उनको इस कार्यक्रम को कार्यान्विति का कार्य सौंप दिया जाना चाहिये। अन्य उपायों के साथ साथ-यह भी सुझाव दिया गया है कि विभिन्न विभागो और एजेन्सियो की गतिविधियों को समन्वित करने के लिए राज्य या जिला स्तर पर समन्वयन समितियां और कार्यक्रम की मार्गदर्शी अवस्था के दौरान समय-समय पर पुनरीक्षण करने के लिए योजना आयोग के अधीन राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय समिति गठित की जानी चाहिए ।

शुरू में, चौथी योजना के अंतिम वर्ष में बिहार, उड़ीसा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में चार मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरु करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं का कार्यक्रम चलाने के लिये लगभग 2 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यह सिफारिश की गई है कि चौथी योजना के अंतिम वर्ष में इस राशि में से 30 लाख रु० और शेष राशि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में लगाई जानी चाहिए। पांचवी योजना में मार्गदर्शी आधार पर इस कार्यक्रम का विस्तार करने का भी प्रस्ताव किया गया है और उसके लिए 10 करोड़ रु० की एक मुश्त राशि की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है ।

जिन्स विकास परिषदों तथा निदेशालयों के संगठन और कार्यों संबंधी अंतरिम रिपोर्ट

जिंस विकास परिषदों तथा निदेशालयों के संगठन और कार्यों पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में आयोग ने परिषदों और निदेशालयों को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इनके कार्य का विश्लेषण किया है। आयोग ने सलाह दी है कि इन परिषदों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि न की जाये और सिफारिश की है कि अखिल भारतीय स्तर पर जिन्स विकास परिषदों का कार्यक्षेत्र केवल उन फसलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिये जो औद्योगिक और/अथवा निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। कपास, तिलहन, तम्बाकू, लाख, पटसन, गन्ना और वागवानों के लिये अलग अलग परिषदें जारी रहें। किन्तु काज, नारियल,

सुपारी तथा मसालों से संबंधित वर्तमान परिषदें उत्पादन और विपणन की समान समस्याओं वाली बागान फसलों की परिषद के साथ मिला कर एक कर दी जायें। चावल और दालों की परिषदों को समाप्त कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आयोग ने यह भी सलाह दी है कि गेहूं और मोटे अनाजों के लिए विकास परिषदों का गठन न किया जाये।

इस रिपोर्ट में परिषदों के कार्यों का वर्णन किया गया है और सलाह दी गई है कि वे विपणन, परिसंभरण, भंडारण और जिन्सों के परिवहन तथा उनके व्यापार और मूल्य तथा इस संबंध में सरकार को सलाह देने की समस्याओं की जांच पड़ताल के लिए अधिक गतिशील भूमिका निभाएं। इन समस्याओं की गहराई से जांच करने के लिए प्रत्येक परिषद के अंतर्गत 'व्यापार, मूल्य तथा निर्यात समिति' नायक एक समिति होनी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि उत्पादन की विभिन्न तकनीकी समस्याओं के पुनरीक्षण के लिए सभी विकास परिषदों में तकनीकी समितियों का गठन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों अनुसंधान संगठनों तथा तकनीकी समितियों में निकट सम्बन्ध कायम रखने के लिये कहा गया है।

विकास तथा विपणन में बेहतर समन्वय की दृष्टि से आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि ऐसी फसलों के लिए जिनकी देखरेख केन्द्रीय विकास परिषदों में होती है, राज्य विकास परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए। इन राज्य परिषदों के कार्य केन्द्रीय परिषदों जैसे हो होंगे इसके अलावा, केन्द्रीय परिषदों की सिफारिशों पर विचार करने का विशेष कार्य भी उनके सुपुर्द होगा और स्थानीय परिस्थितियोंको आवश्यकतानुसार ये उन्हें अपनायेंगा और उनके कार्यान्वियन की निगरानी करेंगे। केन्द्रीय जिन्स परिषदों की देखरेख की फसलों के अलावा क्षेत्र को प्रमुख फसलों के लिये प्रत्येक राज्य में एक या एक से अधिक जिन्स परिषदें होनी चाहिये। इन परिषदों में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व होगा जिनका सक्रिय सहयोग विशेषकर प्रगतिशील किसनों का, आवश्यक है।

जिन जिन्सो के लिये कोई केन्द्रीय परिषद नहीं होगी उनके लिए आयोग का कोई जिन्स विकास निदेशालय गठित करने का विचार नहीं है। जारी रहने वाले निदशालयों को जिन्स के विपणन, व्यापार और मूल्य सम्बन्धी आंकड़ों के विश्लेषण को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये निदेशालय अलग अलग फसलों के विकास कार्यक्रमों का नियोजन और समन्वयन भी करते रहेगे तथा सम्बधित विकास परिषदों के सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। किन्तु उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे क्षेत्र में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में, जिसकी जिम्मेदारी राज्य की है, स्वयं भाग लेंगे सम्बंधित परिषदों की भांति काजु, नारियल, सुपारी और मसाला निदेशालयों को एक साथ मिलाया जाना है।

जिन फसलों को देख-रेख के लिये कोई केन्द्रीय विकास परिषद अथवा निदेशालय नहीं होगा केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के फसल प्रभाग में विभागीय तौर पर की जायेगी। उन फसलों तथा ऐसी शेष समस्याओं के पुनरीक्षण के लिए, जो विकास परिषदो अथवा निदेशालयों के अंतर्गत नहीं आती, राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के एक वार्षिक सम्मेलन का प्रस्ताव किया गया है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि ऐसी महत्वपूर्ण फसलों के लिए, जिनकी ओर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ा है, कृषि मंत्रालय और राज्यों के कृषि निदेशालयों में सुदृढ यूनिटों का सृजन किया जाना चाहिए। आयोग नें विशेष रूप सें सुझाव दिया है कि दालों और चावल के लिये कृषि मंत्रालय के फसल प्रभाग में ऐसी यूनिटों को स्थापना की जाय।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANY (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति में एक सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ;

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा कम्पनी आधिनियम, 1956 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारों और अवरोधक व्यापारिक

[श्री नवल किशोर शर्मा]

व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में, उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता से श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : संयुक्त समिति कम्पनी अधिनियम को संशोधन करने के बारे में अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी, हम जानना चाहत हैं कि यह कब तक सदन में प्रस्तुत की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात मंत्री महोदय तक पहुँचा दूंगा। प्रश्न है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारों और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में, उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता से श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई पुन: शुरु करने के प्रश्न पर अमरीका द्वारा विचार करने के समाचार के बारे में

RE. REPORTED CONSIDERATION BY U.S. RESUMPTION OF ARMS SUPPLY TO PAKISTAN

श्री एस० एम० बानर्जी (कानपूर) : मैं आप की अनुमति से एक ऐसा मामला उठाना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज समाचार-पत्रों में लिखा है कि अमरीका पाकिस्तान को हथियार देने के संबंध में पुनः विचार कर रहा है। यह बहुत ही अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही है। इन साम्राज्यवादी देशों से हम यही आशा कर सकते थे। इसकी निन्दा की जानी चाहिए। हमें आशा है कि मंत्री महोदय इस संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, you should have admitted a Calling Attention on this subject.

सूती और नायलन धागों के मूल्यों में वृद्धि के समाचार के बारे में

RE. REPORTED RISE IN PRICES OF COTTON AND NYLON YARNS

श्री धामनकर (भिवंडी) : सूती धागे, नायलोन धागे और सभी प्रकार के कृत्रिम (सिंथेटिक्स) धागों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है। बम्बई तथा अन्य केन्द्रों के व्यापारी इस धागे का भन्डार बना रहे हैं। हथकरघों और विद्युतचलित करघों के मालिकों को धागा मिल ही नहीं रहा है। हथकरघों और विद्युतचालित करघों के बुनकर बेरोजगार हो गये हैं और उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह सूती धागे, नायलान धागे

और कृत्रिम धागे के भण्डार को, जो व्यापारी तथा सूती कपड़ा मिलों, कताई करने वालों आदि के पास पड़ा है, तब तक के लिये जब्त कर ले जब तक सरकार सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरण की योजना क्रियान्वित नहीं करती।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Minister of Health was expected to make a statement on Faridabad Medical College. This is a serious matter.

Mr. Speaker : The negotiations are taking place. He needs more time.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) **:** I had sent a question regarding murder of a Harijan.

Mr. Speaker : Please give me in writing, I shall look into it.

Shri Jharkhande Rai : I had sent it yesterday.

Mr. Speaker : It might have not been accepted. But I shall see.

सामान्य बजट, 1973-74—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET, 1973-74—GENERAL DISCUSSION

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): गत वर्ष की तरह मंत्री महोदय ने इस वर्ष भी कहा है कि बजट के बाद मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। परन्तु हमने अभी अभी महाराष्ट्र के एक माननीय सदस्य से सुना है कि वहां पर धागे के वितरण का काम सरकार द्वारा आपकी हाथ में लिये जाने संबंधी आदेश के परिणामस्वरूप धागे के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

पिछले वर्ष अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बजट में उल्लिखित प्रस्तावों के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि ही रही है। बार बार घाटे की अर्थव्यवस्था करना और अधिकाधिक कराधान मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण हैं। गत वर्ष वित्त मंत्री ने वचन दिया था कि बजट में 251 करोड़ रुपये से अधिक की कमी नहीं होगी जबकि वास्तव में 551 करोड़ रुपये की कमी रही। वित्त मंत्री घाटे के बारे में सदा गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। इस वर्ष भी वित्त मंत्री ने कहा है कि 85 करोड़ रुपये की कमी होगी परन्तु एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने से 200 करोड़ रुपये की कमी होगी। वित्त मंत्री फिर कोई चाल चल कर वर्ष के अन्त में 500 करोड़ रुपये की कमी दिखा देंगे। इसके परिणामस्वरूप मुद्रा उपलब्धि अधिक होगी और रुपये की कीमत और घट जायेगी। यह कहना अनुचित है कि प्रत्यक्ष कर लगाने का प्रभाव आम जनता पर नहीं पड़ता है। यदि कच्चे माल पर शुल्क लगाया जाता है तो निर्माता उसका बोझ उपभोक्ता पर डाल देता है। इस प्रकार मूल्यों में और वृद्धि हो जाती है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये अनुसंधान और विकास के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन और अन्य रियायतें दी जाती हैं। इसके साथ ही उनको निर्यात के लियों अनौपचारिक रूप से राजसहायता भी दी जाती है। विनियन्त्रण की नीति से बड़े व्यापारियों के लिए आम जनता की मेहनत की कमाई को लूटने की काफी गुंजाइश होगी। चीनी के उद्योगपति खुले बाजार में चीनी बचकर दुगुना लाभ कमाते है।

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग धनवान हैं उनपर कोई कर नहीं लगाया गया है। कराधान का ढांचा भी इस बजट से स्पष्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष करों से पूरे वर्ष में 18–19 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जबकि उत्पादन और सीमा शुल्क में वृद्धि से क्रमशः 156 करोड़ और 180 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जिसका प्रभाव देश की आम जनता पर पड़ेगा।

25 वर्ष की योजना के बाद भी हमारे देश के अधिकांश भाग को प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक ओर महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कुछ भागों में सूखे और अकाल की स्थिति है और दूसरी ओर जब भारी वर्षा होती है तो बाढ़ के कारण काफ़ी जान और माल की हानि होती है। सूखे और बाढ़ राहत कार्यों के लिये थोड़ी सी धन–राशि नियत कर देने से काम नहीं चलेगा और मुझे विश्वास है कि यह राशि भी प्रभावित व्यक्तियों तक नहीं पहुँचेगी। हमारी सरकार जमींनदारों के हितों को समाप्त न करके उनके साथ समझौता करना चाहती है। भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त और देहातों में गरीबी कम करने के लिये विशेष कार्यक्रम को कोई ठोस रूप नहीं दिया जा रहा है। एक ओर गरीबी दूर करने की दुहाई दी जाती है और दूसरी ओर बजट में राजाओं और महाराजाओं के लिये 10 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है।

इस वर्ष रोजगार के नये अवसर उपलब्ध करने के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण से पता चलता है कि हर साल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में 10 लाख की वृद्धि हो जाती है। सरकार इस गम्भीर समस्या को किस प्रकार हल करेगी? मैं जानता हूं कि यह सरकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकती क्योंकि वे पूंजीवाद के समर्थक हैं, समाजवाद के नहीं। यदि सरकार समाजवाद लाना चाहती है तो उसे वही नीतियां अपनानी चाहियें जो समाजवादी देशों द्वारा अपनाई जाती हैं। वहाँ की सरकार ने जो श्रमजीवी वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा चलायी जाती है; सर्वप्रथम उत्पादन के सभी साधन अपने नियंत्रण में ले लिये थे। उनकी नीती के अनुसार यदि सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कर पाती तो वह बेरोजगार लोगों को राहत के रूप में कुछ धन–राशि दे सकती है। परन्तु यहां की सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। उनका तर्क यह है कि साधनों के अभाव के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते। उद्योगपति सरकार से करोड़ रुपये प्राप्त करके ऐसी एसी मशीनों का उपयोग करने लगे हैं जिनके चलने से हजारों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। अब कम्प्यूटर मशीनें बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने की योजना है जिनके बनने से बेरोजगारी और बढ़ जायेगी। यह दावा गलत है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वस्तुतः हमारे मंत्री आय दिन विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिये विदशों की यात्रा करते हैं। हमारा देश विदेशों की सहायता पर निर्भर करता है। सरकार की नीति का लाभ उठाते हुए, 75 एकाधिकार गृह करोड़ों रुपये अर्जित कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट प्रस्तावों से भी देश की स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिखाई देता। लोगों की आवाज़ को दबान के लिय नये से नये कानून पास किये जाते हैं।

रुपये का मूल्य घटता जा रहा है और वास्तविक मजूरी कम होती जा रही हैं। सरकार कर अपवंचकों के संबंध में कोई सख्त कार्यवाही क्यों नहीं करती? इस समय 7,000 करोड़ रुपये का काला धन है जो समानान्तर अर्थव्यवस्था के रूप में चल रहा है। यदि सरकार इस राशि को वसूल कर ल तो उन्हें गरीबों पर अथवा आवश्यक वस्तुओं पर कर लगनें की कोई आवश्यकता नहीं हंगी।

विदेशी कम्पनिया हर वष कराड़ा रुपय स्वदेश भेजती हैं; सरकार उसको रोक नहीं सकी है। सरकार को 75 उच्च औद्योगिक गृहों को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये। इसी प्रकार सरकार को अनाज का थोक व्यापार भी अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये। यदि सरकार ने इस प्रकार के मदक न उठाये तो जनता इस सरकार को बदल देगी

Shri B.P. Maurya (Hapur): I would like to know whether Government have taken any steps to achieve the objects envisaged in the Budget? I have full sympathy with the Finalnce Minister who has prepared this Budget in spite of the problems created by the burden of one crore refugees of Bangla Desh, natural calamity, has created by reactionary oppoa sition parties, opportunism and communal hatred and the destruction of property as result thereof. He said that there would be a deficit of Rs. 85 crores but it has also been said that it will go up to 200 crores of rupees as a result of the implementation of the report of the Third Pay Commission. Moreover, Government will be required to spend a sum of Rs. 400 crores on taking over the wholesale trade in foodgrains or on giving subsidy in this respect, which has not been mentioned in the Budget. In view of this I feel that deficit will be to the tune of about Rs. 80.0 crores. The result of deficit financing is rapid increase in the prices. Monopolists have welcomed this socialist Budget. The assets of Monopolists have been increased by about ten percent during the last 2-3 years. The corporate sector has been left out while imposing tax and on the other hand, certain special facilities have been provided for the corporate sector. I am happy that a part of Raj Committee report regarding imposition of tax on agricultural income has been accepted. But the way in which the tax has been imposed, big landlords will not be covered because only small farmers would be affected by it. It would have been better had all the recommendations of Raj Committee and Wanchoo Committee been accepted.

The common man has to bear the burden of taxes amounting to Rs. 292 crores. Cigarettes and Tobacco have been taxed whereas liquor has been left untouched. It is not proper. Government should have imposed more tax on liquor. The middle class people have to suffer more. I do not know why cosmetics have been left untouched. If they had done so, they need not have to impose duty on shaving cream.

The problem of unemployment is taking a serious turn. The number of unemployed is rapidly increasing. The amount allocated for social welfare is too small. It will not serve any useful purpose. We have heard a lot about green revolution but if we ask about it now they say monsoon was not favourable. It is a matter of shame that we depend on rains even in the twentieth century.

श्री सुरेन्द्र महंतो (केन्द्रपाड़ा) : इस बजट में समस्याओं का समाधान करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है ; केवल व्यापारी वर्ग और उद्योगपतियों ने इस बजट का भरपूर स्वागत किया है। आज निगमित क्षेत्र सब से अधिक प्रसन्न है जबकि निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग इस बजट से बहुत दु:खी हुआ है। वर्ष 1971-72 में जब राष्ट्रीय आय $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 2 प्रतिशत हुई थी, तो बजट में 750 करोड़ रुपये का घाटा था जबकि वर्ष 1972-73 में यह 550 करोड़ रुपये का था। परन्तु 'इकनामिक सर्वे' के अनुसार एक वर्ष में मुद्रा उपलब्धि में 7-8 प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए, यदि वास्तविक उत्पादन में 5 प्रतिशत वृद्धि भी हो तो मूल्यों पर कोई विशेष दबाव नहीं पड़ना चाहिये। परन्तु जब प्रगति की दर कम हो रही है और मुद्रा उपलब्धि में वृद्धि हो रही है, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है? यदि मुद्रास्फीति की वर्तमान बढ़ती हुई दर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कीमतें अत्यधिक बढ़ जायेंगी और उसके परिणाम घातक होंगे।

यह मानना होगा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कुछ रचनात्मक सुझाव दिये हैं। ये सुझाव हैं: (क) बचत और पूंजी-निवेश में वृद्धि (ख) बाह्य अर्थक्षमता में सुधार (ग) अधिक रोजगार और सामाजिक न्याय (घ) मूल्य वृद्धि पर रोक।

वर्ष 1973-74 के बजट का मूल्यांकन करते समय दो प्रश्न सामने आयेंगे: (क) क्या बजट में रखे गये प्रस्तावों से मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति रुक सकेगी और (ख) 85 करोड़ रुपये की कमी कहां तक वास्तविक है।

288 करोड़ रुपये के कुल कराधान में से सरकार ने प्रत्यक्ष करों के रूप में लगभग 18.6 रुपये के कराधान का प्रस्ताव रखा है और 275 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष करों का प्रस्ताव है।

[श्री० सुरेन्द्र महंतो]

वस्तुओं के मूल्यों पर इन 275 करोड़ रुपयों के करों का प्रभाव अभी से दिखाई देने लगा है। गत तीन वर्षों में वित्त मंत्री ने अतिरिक्त करों के रूप में 1,000 करोड़ रूपये वसूल किये हैं। अगर यही समाजवाद है तो हमें समाजवाद के अर्थ फिर से देखने होंगे।

यह कहा गया है कि बजट का मुख्य उद्देश्य मूल्य वृद्धि को रोकना है। यह उचित ही है कि एक वर्ष तक मूल्यों में वृद्धि के बाद बजट का उद्देश्य घाटे की अर्थ व्यवस्था को न्यूनतम रखना हो। वित्त मंत्री ने यह परिकल्पना की है कि घाटे की अर्थव्यवस्था 85 करोड़ रूपये की होगी। लेकिन यह परिकल्पना भ्रामक प्रतीत होती है क्योंकि इसमें वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विती के बाद 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भार की गणना नहीं की गई है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि फुटकर स्तर पर वस्तुओं को नियंत्रित मूल्यों पर बेचा जाये।

थोक व्यापार को अधिकार में लेने का परिणाम यह होगा कि परिचालन लागत में और अधिक वृद्धि हो जायगी, जिसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

बजट में राज्यों को मार्गोपाय अग्रिम धन देने के लिये 421 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसका अर्थ यह है कि राज्य सरकारों के घाटे की पूर्ति केन्द्रीय बजट से होगी। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ऐसे राज्यों को जो निश्चित राशियों से अधिक मात्रा में निकाली गई राशियों का भुगतान नहीं करेंगे उन्हें केन्द्रीय सहायता नहीं दी जायेगी। लेकिन अभी भी अनेक राज्यों ने जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, निश्चित राशियों से अधिक मात्रा में निकाली गई राशियों का भुगतान नहीं किया है।

यह दुःख की बात है कि हमारी विकास की दर कम हो रही है। वर्तमान बजट में वर्ष 1972–73 में विकास के लिये आबंटित राशि की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है। लेकिन साथ ही साथ कीमतों में 13 प्रतिशत वृद्धि हो जाने के कारण वास्तव में यह वृद्धि केवल — 4 प्रतिशत होगी।

केन्द्रीय स्तर पर वार्षिक योजना के लिये बजट में 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि बजट में इसके लिये 8 प्रतिशत अधिक राशि की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह भ्रामक है क्योंकि कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन और संचार का परिव्यय 6 से 8 प्रतिशत कम होगा।

वर्तमान बजट के कारण राज्यों की वास्तव में बड़ी दुर्दशा होगी क्योंकि उनको संसाधनों का हस्तान्तरण आगा : वर्ष में बहुत कम होगा। वर्ष 1972–73 के दौरान राज्यों को अनुदान और ऋण के रूप में 2928 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। 1973–74 में यह राशि कम होकर 2,223 करोड़ रुपये रह जायेगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें भुगतान संबंधी अधिक दायित्वों को निभाना होगा। इसका परिणाम यह होगा कि कमजोर राज्य और कमजोर हो जायेंगे। वित्त मंत्री को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि कमजोर और अल्पविकसित राज्यों को हानि न हो।

यद्यपि राजस्व की प्राप्ति मूल अनुमानों से 718 करोड़ रुपये अधिक है फिर भी चालू वर्ष के दौरान 251 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे की अपेक्षा वास्तविक घाटा 550 करोड़ रुपये होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार अभी भी अनुत्पादक व्यय करने में लगी है।

सरकार ऐसी कोई योजना अभी तक तैयार नहीं कर पाई है जिससे बेकार के व्यय में कमी की जा सके ।

मैं वित्त मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वह पहले ही करों के भार से दबे करदाताओं को करों में कुछ छूट दें और सूती धागे और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं पर लगाया गया शुल्क वापिस ले लें ।

Shri Narendra Singh Bisht (Almora) : I was hoping for some revolutionary measures on the part of the Finance Minister this time. The rich prople have been exempted from taxation this time also. Nothing has been done to remove disparity.

The Planning Commission has stated that more than 40 percent people in our country are living below poverty line. They should at least be brought upto poverty line.

During the last elections the Government got the peoples' mandate because they proismised that they would implement the policy of economic development in the country. But nothing has been done by the Government in this respect. The Government is wholly responsible for not bringing about effective changes in the country. The way Our Country is progressing, the goal of socialism cannot be attained even after hundred years.

Two kinds of Control are not proper. The people are getting sugar in the open market as well as from fair price shops. The grain is not available on fair price shops. The people have to wait in queues for hours before they are able to get food grains.

There is a great shortage of foodgrain in hilly areas. The Government should make transport arrangements for sending them to hilly areas. The prices of every essential goods is higher in hilly areas as compared to planes. The Government should take necessary action in this matter.

I congratulate the Government for formulating employment and crash programmes. Only productive works should be taken under crash programmes.

There is a lot of difference in the price of sugar in the open market and its control rate. There should not be much difference in these two prices.

There are no backward regions in other countries. If the Government wants to bring socialism in the real sense, it should look into all these aspects.

There are several areas in my constituency which are still backward and where we can witness the civilization of 12th and 13th century. We cannot expect any basic change with the meagre grants which have been sanctioned. I will request the Government through you, Sir, to report to planning at district level. Only then we will be able to solve the problems of these areas. For the development of these areas, we should adopt scottish pattern. Ninety percent should be given as grant and the remaining ten percent as loan.

The case of the Kumaon University is pending for the last fifteen years. I would request the Government to establish our University for these areas at Nainital.

Not even a single penny has been given for the development of Mausari and Dharuchala blocks. These areas are inhabited by the Tribals, Harijans, Ex-servicemen and landless labourers should be allotted land in the Terai area.

There are several minerals in the hilly areas which are not being exploited. Deposits of Magnesite have been found in Almora and Pithoragarh. The Pithoragarh deposits should be exploited under the public sector.

Special attention should be paid to Parcheshtwari and Tehri Dams.

Cottage industries should be set up in these areas. Raw material for the purpose is available in abundance in these areas.

Some concession should be given in the matter of recruitment of Jawans from these areas

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : देश में बेरोजगारी 26 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। अतः यह सरकार रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने में असफल रही है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यह सरकार बढ़ी हुई विकास दर को बनाये रखने में भी असफल रही है। आर्थिक सर्वेक्षण से पता लगता है कि विकास दर बहुत कम थी और पूंजी निवेश की दर भी बहुत कम थी। 1972-73 में मूल्य 15 से 17 प्रतिशत बढ़ गये हैं।

कम्पनी कार्य मंत्री ने बताया है कि एकाधिकार में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। इससे सरकार की कार्यकुशलता का पता लगता है। यदि समाजवाद यही है तो जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पा लें, उतना ही अच्छा है। इस समय हमारी अर्थव्यवस्था बिलकुल उलटी ओर चल रही है। इसका कारण यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था नगरों पर तथा सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता पर आधारित है। वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने मूल्य स्थिर रखने के बारे में जो आश्वासन दिये थे उसको पूरा नहीं किया गया है, मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

माननीय मंत्री ने बजट में गत वर्ष जो घाटा दिखाया था वास्तव में घाटा उससे बहुत अधिक था। इस वर्ष के बजट में 85 करोड़ रुपय का घाटा दिखाया गया है। परन्तु वास्तविक घाटा इससे अधिक होगा और मुद्रास्फिति और बढ़गी। इससे जन साधारण की स्थिति और बिगड़गी।

आर्थिक सर्वेक्षण से पता लगता है कि गत वर्ष सरकार ने अपने गोदामों से लगभग 40 लाख टन अनाज बाजार में दिया था। माननीय मंत्री ने सदन में अनेक बार कहा है कि सरकार के पास 95 लाख टन अनाज का फालतू भण्डार है। सरकार को देश की खाद्य स्थिति स्पष्ट करके बतानी चाहिए। 1949–65 की अवधि में खाद्य उत्पादन में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी परन्तु 1965–66 से 1970–71 तक की अवधि में यह घट कर 2.7 प्रतिशत रह गई है। अतः उत्पादन में निश्चित ढंग से कमी हुई है। न तो आद्योगिक उत्पादन और न ही कृषि उत्पादन बढ़ा है। वास्तव में 1965–66 से 1972–73 तक की अवधि में दालों तथा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन कम हुआ है। केवल गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस बार वर्षा नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मैसूर तथा कुछ अन्य राज्यों में या सूखा पड़ा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस समय गुजरात में प्रति मास प्रति व्यक्ति ढाई अथवा तीन किलोग्राम अनाज ही सप्लाई किया जाता है। लोगों की क्रय शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है और वे खुले बाजार से अनाज खरीदने की स्थिति में नहीं है। कमी वाले राज्यों की फालतू अनाज वाले राज्यों से अनाज नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की स्थिति इस समय इस देश में है। गुजरात ने फालतू अनाज वाले राज्यों से अनाज लेने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु उसके प्रयास सफल नहीं हुए।

बजट में कोई नया दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। काले धन और कर अपवंचन को खत्म कर के अथवा अमीरों पर नये कर लगाकर नये साधन जुटाये जाने चाहिएं थे। सरकार ने काले धन के प्रभाव को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। बजट में अपनाई गई कर प्रणाली से साधारण व्यक्ति पर धीरे धीरे बोझ बढ़ता जा रहा है। लोगों को बजट का प्रभाव मई के महीने में महसूस होगा।

सरकार ने देश की आर्थिक समस्याओं पर तुरन्त ध्यान नहीं दिया, जिस कारण देश की आर्थिक स्थिति और खराब हुई है।

नर्मदा सम्बन्धी विशेषज्ञ आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया था। उसके पश्चात् यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपा गया था। अब यह मामला न्यायाधिकरण से लेकर प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपना निर्णय अगस्त, 1972 को देना था। फिर आशा थी कि शायद प्रधानमंत्री जनवरी, 1973 में अपना निर्णय दे दें। परन्तु अभी तक प्रधानमंत्री ने अपना निर्णय नहीं दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा अपना निर्णय घोषित करने में जो विलम्ब हो रहा है उससे गुजरात के लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो रही है। वे यह सोच रहे हैं कि शायद यह निर्णय उनके हितों के विरुद्ध जाये। मुझे आशा है कि सरकार लोगों को इस प्रकार सोचने का अवसर नहीं देगी।

यह समाचार मिला था कि परमाणु बिजलीघर बनाने के लिए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कोई स्थान चुना गया है; परन्तु अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बिजली की देश में अत्यधिक कमी है। अतः इस बारे में निर्णय लेने में विलम्ब से बहुत चिन्ता उत्पन्न होती हैं। बिजली न मिलने से औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि उत्पादन में बाधा पड़ती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं नहीं समझ सका कि सरकार परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिए निर्णय लेने में क्यों विलम्ब कर रही है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : जहां तक मेरी जानकारी है पंजाब से न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि गैर-सरकारी स्तर पर भी गुजरात को अनाज भेजा गया है। हमने 95 प्रतिशत अनाज सरकार को दिया है। जो 5 प्रतिशत पंजाब के पास बचा था उसमें से भी हमने कमी वाले राज्यों को अनाज सप्लाई किया है। पंजाब में गेहूं के उत्पादन में 9.9 प्रतिशत तथा चावल में 33.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कपास के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। तिलहनों के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई हैं। इसी प्रकार हरियाणा तथा अन्य राज्यों में भी अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

यह प्रथम अवसर है कि घाटे की अर्थव्यवस्था इतनी कम रखी गई है। आशा है भविष्य में यह अन्तर बिलकुल खत्म कर दिया जायेगा।

प्रथम बार बजट में कृषि आय को और अन्य साधनों से होने वाली आय को मिलाया गया है। इसके लिए हमें वित्त मंत्री को बधाई देनी चाहिए। माननीय मंत्री की नीति मुद्राफिति के दबाव को कम करने, उत्पादन को बढ़ाने तथा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की है। इस बारे में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है। यद्यपि 5,000 शाखाएं खोली गई है तथापि 50 प्रतिशत क्षेत्रों में बैंक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

[**श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुई**]
[SHRIMATI SHILA KAUL *in the Chair*]

मुझे आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी।

देश की 75 से 85 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। परन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वाणिज्यिक बैंकों की केवल 2.2 प्रतिशप्र जमा राशि कृषि पर लगाई गई है। लघु क्षेत्र में केवल 494 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है। इस क्षेत्र में रोजगार की बड़ी क्षमता है। एक लाख रुपया लगाने से 55 लोगों को रोजगार मिलता है। जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में एक लाख रुपये लगाने से केवल छः व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। मेरा निवेदन यह है कि बैंक अभी भी पुरानी नीति का अनुमान कर रहे हैं। यह नीति आज की परिस्थितियों में उचित नहीं है। बैंक अभी भी सामान गिरवी रखकर ऋण देते हैं। उद्यमकर्ताओं की तकनीकी जानकारी को ध्यान में रखते हुए लघु क्षेत्र को ऋण दिया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उद्योग निर्यात प्रधान हो।

खाद्यान्नों की वसूली के लिए प्रभावशाली व्यवस्था की जानी चाहिए। तथा वितरण प्रणाली भी ठीक हो सकती है। राज्यों को खाद्यान्नों की वसूली के लिए केन्द्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनको वसूली की अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। वसूली के साथ अनाज के भण्डार के लिए भी व्यवस्था करना आवश्यक है। भण्डार क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए।

अनाज को लाने ले जाने के लिए परिवहन की कमी है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

पंजाब में बैंकों में जमा राशि लगभग 255 करोड़ रुपय है परन्तु वहां पर केवल 96 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है। इसी प्रकार जीवन वीमा निगम भी पंजाब में पर्याप्त पूंजी नहीं लगा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि पंजाब को आवश्यक सहायता दी जाय ताकि वह विकास कार्य को तेज कर सके।

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : बजट का सर्वप्रथम प्रभाव यह पड़ा है कि शेयर बाजार में शेयरों के भावों में वृद्धि हो गई हैं । वस्तुओं के थोक भाव भी बढ़ गये हैं और सूचकांक 254.7 से बढ़कर 255.1 हो गया है । इसका एक कारण यह भी है कि खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई है । बजट के पेश होने के पश्चात् साधारण व्यक्ति ही उदास दिखाई देता है । इस बजट से बड़े उद्योग गृहों तथा सट्टा करने वालों को ही संतोष हुआ है । बजट प्रस्तावों से साधारण व्यक्ति और उपभोक्ताओं को धक्का लगा है । भुवनेश्वर में लोकतंत्रात्मक समाजवाद की बात कही गई थी । यह भी कहा गया था कि इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक विकास से आय में विषमता और नहीं बढ़नी चाहिए और कि धन का कुछ हाथों में जमाव भी नहीं होना चाहिए । इन नारों को बार बार दोहराया गया है । परन्तु इन वर्षों में बड़े औद्योगिक गृहों की प्राप्तियों में निरन्तर वृद्धि हुई है । 6 वर्षों में बिड़ला बन्धुओं की प्राप्तियों में 119 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी प्रकार अन्य उद्योगपतियों की प्राप्तियों में भी वृद्धि हुई है । इससे सिद्ध होता है कि सरकार एकाधिकार को बढ़ने से रोकने में असफल रही है । मफतलाल ग्रुप की प्राप्तियों में 260 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अर्थात् बजट के माध्यम से सरकार धन को कुछ हाथों में जमा होने से नहीं रोक सकी है । अतः उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में हैं ।

अखिल भारतीय आधार पर 1960-61 में ग्रामीण उपभोग का स्तर प्रति व्यक्ति 261.2 रुपये प्रतिवर्ष से कम था और शहरी आबादी की खपत का स्तर 359.2 रुपये प्रति वर्ष था । यह सब औसत स्तर से कम था ।

मद्रास स्थित टक्नो-इकनामिक स्टडीज द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता लगता है कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खपत औसत खपत से बहुत कम है । औसत खपत से कम खपत करने वालों की संख्या 1961 में 66.5 से बढ़कर अब 72 हो गई है । कुल ग्रामीण जन संख्या का औसत उपभोक्ता व्यय योजना आयोग द्वारा सिफारिश किये गये व्यय से भी कम है । अतः गत दशक में धन और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण पर नियंत्रण नहीं किया गया है और आय की असमानता को भी कम नहीं किया गया है । प्रतिवदन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि 1961–1971 के दशक के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निर्धन लोग और अधिक निर्धन हुए हैं ।

जहां तक नियोजित अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है यह बजट इस अर्थव्यवस्था का एक अंग मात्र है । योजना के अन्तर्गत दो बातें आती हैं । एक वित्तीय उपबन्ध और दूसरी वास्तविक लक्ष्य जो हम प्राप्त करना चाहते हैं । चौथी योजना में देखा गया है कि वित्तीय उपबन्धों को तो सदा पूरा किया गया है । किन्तु वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में हम पीछे रहे हैं । उदाहरणार्थ चौथी योजना में केन्द्र द्वारा संसाधन जुटाने के लिये 2100 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था । हमें आशा है कि केन्द्र द्वारा 3150 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाये जाने की आशा है । बाजार से 900 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु अब सरकार ने 1485 करोड़ रुपये एकत्रित कर लिए हैं । छोटी बचतों के लिए 750 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थी किन्तु 1050 करोड़ रुपये एकत्रित कर लिए हैं । चौथी योजना में घाट की अर्थव्यवस्था के लिए 850 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, किन्तु प्रथम चार वर्षों में ही यह राशि बढ़कर 1,677 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई है । किन्तु इस वर्ष सरकार ने केवल 85 करोड़ रुपये का ही अन्तर रखा है । किन्तु वेतन आयोग के कारण यह अन्तर बढ़कर 300 करोड़ रुपये से भी अधिक हो जायेगा ।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के लिए 15900 करोड़ रुपये के परिव्यय की योजना बनाई थी जो बढ़कर चौथी योजना में 18027 करोड़ रुपये हो गई । राष्ट्रीय आय की 5.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु यह केवल 3.5 प्रतिशत ही हो पाई है । सरकार ने अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त किया है किन्तु इसके बदले में दिया क्या है ? इसका परिणाम यह हुआ है कि राष्ट्रीय आय की दर कम होकर केवल 3.6 प्रतिशत रह गई है । वित्तीय परिव्ययों को तो पूरा किया है किन्तु लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है । यदि सरकार 24000 करोड़ से अधिक खर्च करके 62.5 प्रतिशत

लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि 9000 करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते में चली गई जिसका उचित लाभ लोगों को नहीं हुआ है । जहां तक खाद्यान्न के उत्पादन का सम्बन्ध है, सरकार ने बताया है कि चौथी योजना के अन्त तक 12.7 करोड़ मीटरिक टन का उत्पादन किया जायेगा किन्तु वस्तुतः यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया है । इस्पात कारखानों में बहुत अधिक घाटा ही रहा है ।

गैर-कृषक के कर का निर्धारण करने हेतु कृषि-आय की जोड़ने की बात है । किन्तु यह प्रस्ताव असवैधानिक है । केन्द्रीय सरकार राज्य के विषय पर अतिक्रमण कर उसे अपने हाथ में ले रही है । संविधान की सातवीं अनूसूची में दी गई संघ सूची (युनियन लिस्ट) की यह संख्या 82 के अन्तर्गत संसद को कृषि से होने वाली आय के अतिरिक्त ही अन्य आय पर कर लगाने की शक्ति दी गई है । सूची 2 की मद संख्या 46 के अन्तर्गत कृषि-आय राज्य का ही विषय है, और यदि केन्द्रीय विधान मंडल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि आय पर कर लगाने का विचार करे तो यह स्पष्ट रूप से राज्य के विषय पर केन्द्र का अतिक्रमण है । इस सम्बन्ध में सरकार ने संसद और देश को धोखा दिया है । मैं सरकार से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हू कि इस सम्बन्ध में राज समिति की सिफारिशों को राज्यों के पास भेजा गया है और इस बारे में उनकी कोई सलाह ली है और उनकी सलाह लिए बिना इसे यहां पर क्यों पेश किया गया है । मैं मांग करता हू कि वित्त विधेयक पर विचार करने से पूर्व महान्यायवादी को सभा के समक्ष बुलाया जाए उन्हे अपना मत व्यक्त करना चाहिए जैसा कि पहले सिफारिश की गई है । अन्यथा यह संविधान के विरुद्ध होगा ।

जब तक कृषि-आय को कुल-आय में शामिल करने हेतु और कुल आय की परिभाषा का और आयकर अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक इसे वैध नहीं माना जा सकता, इसे वसूल नहीं किया जा सकता और सरकार इसे कुल आय में शामिल नहीं कर सकती अतः यह न केवल असवैधानिक ही है, अपितु कानून की दृष्टि से भी इसका प्रारूप ठीक प्रकार से तैयार नहीं किया गया है ।

प्रशासनिक सुधार आयोग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन सम्बन्धी कार्यकार दल ने कर की दर के प्रयोजन से कृषि आय को शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया था और 1968 में प्राप्त की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उद्योग पतियों द्वारा कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादनों की आवश्यकता दिखा कर करों का अपवचन करते हैं और कर-योग्य आय को कृषि से प्राप्त हुई आय घोषित करते हैं । उद्योगों से प्राप्त आय को कृषि-आय बताकर कर अपवचन करते हैं । लेकिन अब दल इस कर को हिन्दू अविभाजित परिवारों और व्यक्तियों पर लगा रहे हैं परन्तु कम्पनियों पर नहीं । कम्पनियों को अब भी इस कर से छूट मिली हुई है । कम्पनियां अब भी इस कर का अपवचन कर सकती हैं । अतः जिस प्रयोजन के लिए कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, वह ही निष्फल हो जाता है । बड़े बड़े उद्योगपति इस प्रकार से भारी-कर-अपवचन कर रहे हैं । कम्पनियों को भी वर्गों में बांट दिया जाना चाहिए ताकि वे इससे बच न सकें ।

अत्यधिक और बेकार के खर्चों को रोकने के लिए व्यय कर लगाया जाता था । हम सुन रहे हैं कि बहुत मंत्री शादियों पर अत्यधिक खर्च करते हैं । यदि व्यय-कर जारी रहता तो ये खर्चे बहुत कम हो जाते । इस अधिनियम को स्थगित कर दिया गया है । इससे पुनः लागू किया जाना चाहिए ।

1957 में धन कर लगाया गया था । इसे लागू करते समय कम्पनियों पर भी लागू किया गया था । किन्तु 1960 में कम्पनियों को इस कर से छूट दे दी गई । इस कर को पुनः लगाया जाना चाहिए । क्योंकि जब एक व्यक्ति से यह कर लिया जाता है तो कम्पनियों के क्यों छूट दी गई है ? यदि एकाधिकार को समाप्त करना है और धन के केन्द्रीयकरण को रोकना है तो व्यय कर और धन कर को पुनः लगाया जाना चाहिए ।

चीथड़े काण्ड के बारे में, चीथड़ों के रूप में, सिले हुए कपड़े, पुलओवरों, स्वैटरों, जनाने-कोटा का देश में आयात किया गया । साढ़े तीन करोड़ रुपये के मुल्य के चीथड़ों के सामान्य आयात की तुलना में इस

[श्री सेझियान]

वर्ष 6 करोड़ रुपये के चीथड़ों का आयात किया गया है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस खण्ड में कड़ी और स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है क्योंकि जब कपास, हाथकरघा, रेशम आदि की बात की जाती है तो इसमें उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

इस सामान्य बजट में 125 करोड़ रुपये समाज कल्याण और 100 करोड़ रुपये बेरोजगारी की समस्या के लिए आबंटित किए गए हैं। इस धन को कैसे खर्च किया जायेगा यह नहीं बताया गया है। रोजगार की योजनाएं रोजगार के अवसर बनाने होंगे और बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देना होगा। केवल मात्र धन का आबंटन करने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। अतः जब तक इस सम्बन्ध में योजनाएं नहीं बनाई जायेंगी तब तक इस उपबन्ध से कोई सहायता नहीं मिलेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। किन्तु जब शिक्षा और स्वास्थ्य के अलग अलग विभाग हैं तो फिर इनके लिए अलग से धनराशि क्यों आबंटित की गई है।

पांचवी योजना के अग्रिम कार्य के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह विचित्र विचार है। इससे पहले तो किसी अनवर्ती पंचवर्षीय योजना के अग्रिम कार्य के लिए कभी कोई राशि आबंटित नहीं की गई। योजना तो जारी है और चली आ रही है। प्रत्येक योजना आगामी योजना के लिए अग्रिम कार्य है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का आबंटन करना हास्यास्पद विचार है जबकि चौथी योजना अभी पूरी नहीं हुई है।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I am one of these members who believe that there are the problems of unemployment, corruption, and high prices but these cannot be solved by mere shouting. All the political parties should discuss the budget keeping in view the facts and realities. For the last 25 years we have not followed Gandhiji path faithfully. Need of the hour is to do away with corruption.

Gandhiji had written in "Young India" on 26th March, 1931 that Swaraj of his dreams would be the swaraj of the poor. All the facilities of life should be available to the poor as they are available to the rich.

Our dream of socialism was shattered that very day when our President occupied President's House. Gandhiji had asked the people to lead a simple life.

Despite all this, I would like to say that, under the present circumstances, there could not have been a better budget than the one proposed. But it requires certain modifications. Irrigation facilities and opportunities of employment should be inreased, but unless employment is provided to 50 lakh people this problem is not going to be solved.

The Government should not waste funds, over take over of sick mills. It should start new industries. The problem does not relate to only 29000 cities, but to the 5 lakh villages where 80 per cent of our people live.

I do not believe in figures. According to figures, 60% of the people are living below the subsistence level. The country has no doubt made progress and there has been a rise in the standard of living of the people, but problems have also increased simultaneously. Whenever tax is imposed on one variety of goods, traders increase the prices of all the varieties.

I would like to put certain suggestions before you—the expenditure of Rs. 50 lakhs on Rashtrapati Bhavan should be reduced. The people would have faith in simplicity only if it is acted upon at the top level.

Tax should have been increased on liquor. The levy on petrol and cloth should not be raised.

*श्री एस० ए० मुरुगनन्तम (तिरुनेलवली) : माननीय सभापति महोदया, 1973-74 के बजट में औद्योगिक विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों का ध्यान नहीं रखा गया है। एकाधिकारियों का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर अधिपत्य है और इस बजट में उनको मुक्त छोड़ दिया गया है।

वांछु समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में बड़े मुद्रा नोटों के विमुद्रीकरण की सिफारिश की थी जिससे काले धन को समाप्त किया जा सके। वांछु समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि 5,000 रुपये से अधिक का नकद लेनदेन नहीं होना चाहिए। सरकार ने इनमें से एक भी सिफारिश नहीं मानी, अब यह गरीबों पर अन्धाधुन्ध कर लगाकर उनकी गरीबी को स्थायी बना रही है। शेविंग क्रीम, स्टेनलैस स्टील और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाने मे आम जनता पर कुप्रभाव पड़ेगा। पम्प सेटों की संचालन लागत बढ़ जाने से किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

गरीब जनता मँहगाई के कारण पिस रही है। इसके तीन कारण हैं। पहला यह कि सरकार ने 274 करोड़ रुपये के उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बढ़ा दिए हैं; दूसरे, वेतन आयोग की रिपोर्ट के कारण बजट में घाटा बढ़कर 285 करोड़ रुपये हो जायेगा; तीसरे, हमारी अर्थ-व्यवस्था पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डालर की कीमत गिर जाने के कारण, सरकार माने या न माने, रुपये की कीमत में 10 प्रतिशत की गिरावट आ गई है।

नियोजित विकास के लिए 220 रुपये करोड़ की राशि आबंटित की गई है। वर्ष 1972-73 में नियोजित विकास पर पूंजी परिव्यय में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि इस वर्ष के बजट में केवल 10 प्रतिशत की ही वृद्धि दिखाई गई है। सरकार ने बढ़ती हुई मँहगाई का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए 220 करोड़ रुपये की राशि इस्पात और लोहपिण्डों की बढ़ी हुई कीमत में ही चली जायेगी।

इस वर्ष प्रत्यक्ष करों से केवल 18 करोड़ रुपये की ही आय होगी। अफसोस की बात तो यह है कि कर वसूल भी तो नहीं हो पाते। मै जे० जे० के० सुन्दर राजन और उनके भाईयों ने तमिलनाडु के कोमारापालयम में एक एसोसिएशन 1 अप्रैल, 1963 को बनाया और 31 मार्च, 1964 को इसे समाप्त कर दिया। वस्तुओं का निर्यात करके 11.35 लाख रुपये कमीशन के रूप में अर्जित किये और आयकर अधिनियम की धारा 143 के अधीन 10.15 लाख की आय पर उन्होंने केवल 60 प्रतिशत राशि ही कर के रूप में अदा की।

बिक्री कर की अदायगी करने के लिए उन्होंने 1.20 लाख रुपये की शेष राशि अपने पास ही रख ली। इस राशि पर आयकर 85,000 रुपये बनता है और अगर शत प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता, तो 85,000 रुपये और वसूल किये जाने चाहिए थे। यही नहीं, 60 प्रतिशत का आयकर उन्होंने अपने भागीदारों सुन्दरम मिल्स और अंगप्पन चेट्टियार पर 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1962 की अवधि में दिखाया, जब कि एसोसिएशन शुरू ही 1 अप्रैल, 1963 से हुई थी। अगर उस पर धन-कर छिपाने के लिए जुर्माने किया जाता तो उसकी राशि 19.20 लाख रुपये होती। वर्ष 1961 से 1964 की अवधि के दौरान, कोमारापालयम कोलम्बो स्टोर्स ने श्रीलंका और सिंगापुर को 17,04,183.79 रुपये मुल्य की वस्तुओं का निर्यात किया और उन्हें 6,81,367.50 रुपये इन देशों से प्राप्त हुए थे। इस राशि को वर्ष 1964-72 की अवधि के दौरान, धन-कर विवरणी में नहीं दिखाया गया। अगर सरकार 200 प्रतिशत जुर्माना करती, तो सरकार को 1,22,64,000 रुपया धन-कर के रूप में प्राप्त हो जाता। इण्डियन लैदर एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि०, मद्रास ने पंजाब, नेशनल बैंक और सेन्ट्रल बैंक से साढ़े चार करोड़ रुपये का ऋण लेकर चमड़ा निर्यात किया। इस निगम को डेढ़ करोड़ रुपये की राशि विदेशी ग्राहकों से प्राप्त होनी थी।

*तमिल में दिए गये भाषण के अँग्रेज़ी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on the English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री एस० ए० मुरुगनन्तम]

रिजर्व बैंक ने इस निगम को चमड़ा बेचने के लिए एक शाखा कम्पनी लन्दन में खोलने की अनुमति दी थी, परन्तु वहाँ उन्होंने एक स्वतन्त्र कम्पनी इण्डियन ओवरसीज लैदर ट्रेडिंग कारपोरेशन के नाम से खोल ली। भारत को लाभांश की राशि भेजे बिना ही अन्य युरोपीय देशों में शाखा कम्पनियाँ खोल दीं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस कम्पनी के कार्यों की पूरी जाँच की जाय।

पिछले साल अक्तूबर में सरकार ने माचिस निर्माण उद्योग को संरक्षण देने सम्बन्धी योजना की घोषणा की थी। परन्तु इस योजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

आयकर विभाग में प्रथम श्रेणी के विभागीय पदोन्नति प्राप्त ऐसे अधिकारी हैं, जो 1961 से अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं। वांछु समिति की सिफारिश के अनुसार पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को सीधी भर्ती से आये अधिकारियों की अपेक्षा 18 महीने की वरिष्ठता दी जानी चाहिए।

Smt. Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : Madam Chairman, I would like to say that the honourable Finance Minister could not have presented a better budget than the present one under such difficult circumstances.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K.N. TIWARY *in the chair*]

I would like to congratulate the honourable Finance Minister for this efforts to open more industries in the industrially backward areas so that more people may get employment in such areas.

I would like to urge the honourable Finance Minister to see that the exemptions given to the big industries this time should be the last and if they do not increase production and fulfil the social objectives, the government should take them over.

I would also request the Finance Minister to strengthen the tax-collection machinery. The Government should make more efforts in collecting taxes from big industrialists instead of small tax assesses.

Tax on domestic electric appliances should not have been raised. These goods have become necessities of life now. The Government should keep a strict watch over the element which take undue advantage of the peoples problems and raise the prices of other commodities.

There should be a strong machinery to deal with the operation of food trade take over. There should not be any carelessness in the take over of food grains as this is a question of peoples life and death. The Government should also take the responsibility of the small labourers and workers so that they may not be rendered jobless.

The funds earmarked for improvement of shuns in Delhi are too meagre to meet this problem. Delhi being the capital, it should be a model for other cities. There should be proper machinery for looking after evacuee property and the property of the corporation.

After allotting funds for certain schemes or for a public sector unit, the Ministry of Finance should not interfere later on.

The honourable Finance Minister has said that we are fully committed to the objective of economic development with self sufficiency and social justice. The Government should keep a watch over the elements which are indulging in agitations in various parts of the Country on provincial, religious and linguistic issues. The Government should ban the organisations which indulge in agitations and disturbances over communal issues.

श्री पीलू मोदी (गोधरा): सरकार को देश की जनता लगभग 7,600 करोड़ रुपये करों के रुप में देती है, जिनमें से 2,700 करोड़ रुपये की राशि सरकारी कर्मचारियों पर खर्च कर दी जाती है, इसमें वतन आयोग की रिपोर्ट की क्रियान्विती से होने वाला अतिरिक्त व्यय भी शामिल है। 1,600 करोड़ रुपयें के लगभग राशि रक्षा सेवाओं पर व्यय की जाएगी। 300 करोड़ रुपये बंगला देश और कश्मीर एवं कुछ अन्य योजनाओं के लिए रखे गए हैं। 300 करोड़ रुपये नोटों के रुप में मिलेंगे, जिससे जनता को तो कोई लाभ नहीं। इस प्रकार जनता पर केवल 2,500 करोड़ रुपये ही व्यय किये जायेंगे।

एक सम्पादकीय में कहा गया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार इस देश के लगभग 60 प्रतिशत बच्चों का कुपोसण हो रहा है। 10 करोड़ बच्चों में से 1 से 6 वर्ष तक की आयु के 50 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो प्रोटीन की कमी के शिकार हैं, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विटामिन ए की कमी के कारण लगभग ढाई करोड़ बच्चों के अन्धे हो जाने की आशंका है।

बजट पेश करते समय कोई न कोई बहाना पेश किया जाता है कि यह संकटकालीन बजट है, या गम्भीरतम मुद्रास्फीति के दौरान पेश किया गया बजट है। कराधान प्रक्रिया का विकास अथवा सामाजिक परिवर्तन से कोई सम्बन्ध नहीं है। भारत विश्व के सबसे गरीब देशों में से है।

वित्त मन्त्री ने कहा कि यह बजट समाजवाद के प्रति आस्था, तीव्र आर्थिक विकास और आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर होती हुई अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में पेश किया जा रहा है। अगर यह सरकार आर्थिक विकास करे और आत्म निर्भरता ला सके तो वे जिसे समाजवाद समझते हैं, वह अपने आप आ जायेगा।

वित्त मन्त्री ने कहा है कि मुद्रास्फीति के दबाव को नियन्त्रित किया जायेगा, परन्तु इस बात को कोई भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है कि इस बजट से मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी। वित्त मन्त्री बचत और पूंजी निवेश की दर में वृद्धि कर के विकास सम्बन्धी प्रयासों में तीव्रता लाना चाहते हैं, परन्तु बचत और पूंजी निवेश के लिये कोई प्रोत्साहन या सुझाव तो दिया ही नहीं गया। हाँ, पिछड़े क्षेत्रों के लिए राज सहायता की राशि में वृद्धि करके और करों में छूट देकर सराहनीय कार्य किया गया है। वित्त मन्त्री ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए धन की व्यवस्था की है, परन्तु कोई कार्यक्रम तो सामने रखा ही नहीं गया है।

आर्थिक समीक्षा में कहीं भी वास्तविक लक्ष्यों अथवा उनकी पूर्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। 550 करोड़ रुपये के घाटा की अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया है। वास्तविक घाटा करीब 950 करोड़ रुपये का बैठता है। पिछले वर्ष के 400 करोड़ रुपये के कर और 250 करोड़ रुपये का जनता से लिया गया ऋण भी घाटा बढ़ाये के लिये खर्च कर दिए गए। वेतन आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने और खाद्यान्न के थोकव्यापार के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करने पर होने वाले व्यय को मिलाकर 85 करोड़ रुपये का वर्तमान घाटा बढ़कर 600 से 700 करोड़ रुपये के करीब हो जाएगा।

पिछले बारह महीनों के दौरान वित्त मन्त्री 1387 करोड़ रुपये का बैंक ऋण चुपचाप लेते रहे हैं मुद्रा-स्फीति के लिए यही बैंक ऋण उत्तरदायी है, ऐसा बहुतों का विश्वास है। मुद्रा सप्लाई की दर में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जब कि विकास की दर में केवल 2 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है और यह विकास की दर भी आबादी बढ़ने के कारण निस्प्रभावी हो जाती है।

मुद्रा-स्फीति एक ऐसा कर है जो छिपे तौर पर कोई सरकार गरीबों पर लगाती है। इसी के कारण रुपये के मूल्य में गिरावट आ रही है।

बिना कार्यक्रम बनाये बजट में धन की व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिये। बाद में किसी की इच्छानुसार वित्त मन्त्री राय बरेली या सतारा या किसी अन्य स्थान पर किसी परियोजना के लिए इस धन का उपयोग कर सकेगें।

[श्री पीलू मोदी]

गरीबों के लिए 125 करोड़ रुपये रखे गए हैं पर साथ ही वित्त मन्त्री द्वारा 1,000 करोड़ रुपये के कर भी लगा दिए गए है जो गरीबों से ही वसूल किए जाएंगे। अत :समझ में नहीं आता कि वित्त मन्त्री कराधान सामाजिक न्याय और अपने दल के समाजवाद के आश्वासन में कैसे सन्तुलन रख सकेंगे।

देश के लिए मुद्रास्फीति अत्यंत खतरनाक है। इसका असर सब लोगों पर बड़ा बुरा पड़ता है। मैं यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय और कुछ करें न करें, पर मुद्रास्फीति को बढ़ने न दें।

सरकार से दो बातों की अपेक्षा की जाती है : एक तो शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना और दूसरे रुपये के मूल्य को स्थिर रखना। यदि सरकार इन दोनों मामलों में सफल होगी तो निश्चय ही जनता प्रसन्न एवं सुखी रहेगी।

वित्त मन्त्री ने इस वर्ष 292 करोड़ रुपये के कर लगाए है और यह राशि वर्ष के अन्त तक 305 करोड़ रुपये हो जाएगी। सरकार का यह प्रयत्न तो रस निकले सूखे नींबू को बार-बार रस प्राप्त करने की आशा से निचोड़ने के समान है। इसमें से उन्हें क्या मिल रहा है। वास्तव में इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। श्री चव्हाण शायद सोचते हैं कि उन्होंने संसोधन जुटाये है। परन्तु धन के रूप में उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया है उसे उन्होंने मूल्य के रूप में खो दिया है। अत: यह कहा जा सकता है कि इस बजट में नई बात कोई भी नहीं है और इससे देश को कोई लाभ नहीं होगा।

यदि वित्त मन्त्री संसाधन जुटाना चाहते हैं तो इसके लिए दो बहुत लाभकारी तरीके हैं : एक है सरकारी क्षेत्र को लाभ कमाने योग्य बनाया जाना। देश की 5,200 करोड़ रुपये की राशि सरकारी क्षेत्र में लगी हुई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने तीन इस्पात संयंत्र स्थापित किए जोकि 15 वर्ष के उपरान्त भी कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारी 8 अतिरिक्त इस्पात संयंत्रों की योजनाएं हैं, जिसमें 90 प्रतिशत कार्य निष्पादन होने पर "न हानि न लाभ" की स्थिति पैदा होने का अनुमान दे। संसार के किस इस्पात संयंत्र में 90 प्रतिशत कार्य निष्पादन हो सकता है ? मैं नहीं जानता कि इस्पात मन्त्री ने ऐसी प्रयोजनाओं को स्वीकृति क्यों दी है। हमें सरकारी क्षेत्र से 500 करोड़ रुपये आसानी से मिल सकते हैं।

दूसरा साधन आयात लाइसेंसिग का है। इस समय हो यह रहा है कि 10 प्रतिशत राष्ट्रीय धन गरीबों की जेबों से निकाला जा रहा है और लाइसेंस धारियों की जेबों में डाला जा रहा है। यदि आयात लाइसेंस केवल बेचे जाते हैं या नीलाम कर जाते हैं तो वित्त मन्त्री को प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपय से 1,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे।

मे एक और सुझाव देना चाहता हूं। वित्त मन्त्री को 12,000 रुपये तक आयकर से छूट की सीमा निश्चित करनी चाहिए। इससे उन्हें लाखों करदाताओं से छुटकारा मिलेगा जो राजकोष में बहुत कम अंशदान कर रह हैं किन्तु उनके कारण काफी धन व्यय हो रहा है, जिसमें बहुत से आदमी लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को असली करापवंचकों को खोजने में लगाना चाहिये। यह एक मार्ग है जिससे वह कर वसूली में सुधार कर सकते हैं। एक और तरीके से वित मन्त्री इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं और वह है करों में कमी करना। आप ऐसे कर ढांचे का निर्माण कर रहे हैं जो केवल काले धन में वृद्धि करेगा।

योजना आयोग को हमारी योजनाओं की प्राथमिकताओं को बदलना चाहिए। हमें अपने देश के ग्रामीण ढ़ाँचे को शक्तिशाली बनाना है। इस देश में किसी भी उद्योग के स्थापित होने से पहले हमें अपनी ग्रामीण व्यवस्था को व्यवहार्य बनाना है। हमें छोटी सिंचाई योजनाओं पर बल देना होगा। आपने पाँचवी योजना में छोटी सिंचाई योजनाओं हेतु 250 करोड़ रुपये का आबंटन किया है जबकि मारुति कार की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को 280 करोड़ रुपये के ऋण देने की व्यवस्था की है। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार का प्राथमिकता निर्धारित करने का ढ़ंग कैसा है। यहि समाजवादी सरकार है जिसका 'गरीबी हटाओं' बड़ा शानदार नारा है, आप लोगों के हाथों में धन देकर गरीबी नहीं हटा सकते।

यदि निर्धनता को हटाना है तो लोगों को उत्पादक कार्यों में लगाना होगा। उन्हें शिक्षा के साथ-साथ अवजार भी देने होंगे।

जहाँ तक रोजगार प्रदान करने का प्रश्न है, मेरा सुझाव है कि बजाय नगरों में उद्योग स्थातिप करने के ग्रामों में उद्योग स्थापित करने चाहिए। यदि आपको चावल प्राप्त हो जाए तो आपको भूमी से क्या लेना है। आप ग्रामों से लोगों को नगरों में जाने से क्यों नहीं रोकते ? ग्रामीण क्षत्रों में किसी भी व्यक्ति को बसाना इतना महंगा नहीं पड़ता जितना कि शहरों में। ग्राम में प्रति व्यक्ति पुनर्वास पर 500 रुपये ही व्यय होंगे पर शहर में पांच दस हजार भी कम पडेंगे।

बिदा के विषय में अवश्य कुछ किया जाना चाहिए। नहीं तो पश्चिम भारत की सारी अर्थव्यवस्था जर्जर हो जाएगी। वहां पर अनाज सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है। भयंकर सुखा पडा हुआ है। एक व्यक्ति को एक महीने में कम से कम 30 किलो अनाज की जरूरत पड़ती है पर मेरे क्षेत्र में सरकार ने 7 किलो प्रति व्यक्ति को देना मंजूर किया है और असलियत यह है कि उन्हें 3 किलो ही प्राप्त हो रहा है।

Shri Kushak Bakula (Laddakh) : Sir, I have gone through this Budget and in view of the present problems, I feel that this is really useful and I thank the hon. Finance Minister for it.

In Laddakh, the development has not taken place as rapidly as in other pa s of the country. There is no degree college for the students and the proposal of starting a degree college in Laddakh. has not been implemented so far with the result that students have to go to Jammu and Kashmir for higher studies. The scholarship for college student is not adequate. It should be raised from Rs 75 to Rs. 100 and the scholarship for graduate students should be raised from Rs. 100 to Rs. 150.

Previously, and extensive budget was prepared for propagation of Budhhist Philosophy but was reduced later on, which should not have been done because there is no hostels for students and Professors. Scholarships and lands should also be given to the dependents of such soldiers of Laddakh as were killed in action, Laddakh should be declared as a scheduled area just like Lahul-Spiti for the purpose of educational advancement

[**श्री सेझियान** पीठासीन हुए
Shri Sezhiyan *in the chair*]

I want to say a few words about roads also. Srinagar-Leh road is a good one, but Leh-Manali road is not in a good condition. This road should be made *pucca* road and should be opened for general traffic.

More roads should be constructed in rural areas and the existing roads should be repaired.

There is scarcity of electricity in Laddakh Satkana project in Laddakh and Suru Nala project in Kargil Tehsil should be completed as early as possible. It is being said that it will be completed by 1977, but the manners in which work is going on is quite unsatisfactery and I doubt whether it will be completed within the scheduled time.

There are only two hospitals in Laddakh, whereas its area is more than Jammu and Kashmir State. In view of the area of Laddakh, and the absence of good roads, more hospitals and health centres should be started there

Central funds for Laddakh are not being utilised fully. Previously Government used to appoint six I.A.S. and I.F.S. Officers there, but as no such officer is working there now-a-days work is not being done efficiently. I request that at least One I.A.S. Officer should be posted in Laddakh district as a Deputy Commissioner-*cum*-development commissioner.

Similarly, one Assistant Commissioner should also be appointed there to look after the welfare of refugees who have come to Laddakh.

Laddakh is a backward area and so, special attention should be paid towards it Restrictions have been imposed on tourists to visit Laddakh, which should be withdrawn.

[Shri Kushak Bakula]

Whosoever wants to visit Laddakh or Leh for the purpose of seeing temples and Monasteries he shold be given all the facilities. This will encourage the tourist traffic, which will help in the development of this region.

With these words, I support the Budget.

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) : Mr. Chairman, Sir, I am in a fix as to how to characterise this budget. Some members have called it a socialist budget and some have termed it as a reactionary budget but I think it to be just a *statuas quo*, Budget. There was no need to resort to such a heavy taxations, if extravagant expenditure of the Government were avoided. Ultimately, the poor section suffers whether it is a direct tax or an indirect tax.

There are still many institutions which indulge in various kinds of malpractices and earn black money. I they are detected, taxes worth crores of rupees can be realised.

I am not criticing all the taxation proposals certain taxes, such as tax on cigarettes are quite justified. But the tax on utensils should be with drawn. Tax should have been imposed on liquor also. There is a lot of corruption because of it only Government should not spare liquor.

Government has imposed control on white coarse cloth but all the cloth has slipped into black market and poor people are not being benefitted by this control.

Government has taken a decision to take over the wholesale trade in foodgrains, but the agriculturists in Madhya Pradesh are not getting a good price for their produce. There is a good deal of burgling in this field. If the situation is not improved, the common man will have to pay higher price for wheat and the other foodgrains.

The condition of Government godowns is not satisfactory and Government officials are trying to make protect out of it. This should be looked into.

I belong to Madhya Pradesh and my area has been badly affected by drought. It is deplorable that irrigation is only 8 percent after 25 years of independence. In this conncection an immediate decision should be taken in regard to Narmada project and, if possible, provision should be made in this budget for this purpose.

Although many parts of the country have been badly affected by drought this year, but the condition of my area is the worst Relief works are not conducted properly. The Finance Minister has made a statement in the Assembly that no funds have been provided by Central Government as a result of which the relief works could not be started on a large scale. The State Government says that the Central Government has not supplied any foodgrains while the Central Government says it has done so. What repurcussions such statements would have on the poor People? Prices are rising day by day and they are in a miserable plight Government should take some active steps to see that relief works are effectively undertaken there.

In order to provide employment to local people there, new railway lines can be laid. The hon. Railway Minister has said that if the State Governments can provide land free of cost, Railways would start laying lines there. If he means it we will buy or acquire land against reasonable compensation payable by the state Government. In my State, railway line can be laid from Baroda to Indore, Dahad to Indore, Dahad to Khargaon and Khansiva and thus thousands of people can get employment.

***श्री अप्पला नायडू** (अनकपली) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझें इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। मैं वित्त मंत्री को यह बजट प्रस्तुत पर बधाई देना

*तेलुगू मे किए जाए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।
Summerised translation version based on English translation of the speech delivered in Telagu.

चाहता हूं क्योंकि इसमे आम जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली रोजगारी की वस्तूयों पर कोई नए कर नही लगाए गए है। उन्होंने राज समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे हम सब प्रसन्न हैं।

कई लोग अपनी आय को कमी आय के रूप में दिखाकर करापवंचन करते और अब कृषि पर आय भी कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है जोकि एक उत्तम प्रस्ताव है। पर इस सम्बन्ध में एक स्पष्टकरण चाहता हूं। क्या उनके प्रस्ताव में सम्पूर्ण कृषि आय सम्मिलित होगी अथवा यह प्रस्ताव केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनसे पहले ही कर लिया जा रहा है। अगर यह सब कृषकों पर लगाया जाएगा तो इससे छोटे किसानों को बड़ी कठिनाई होगी। अतः छोटे किसानों को इस कर से छूट दी जानी चाहिए।

हमारी 80 प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है और पूर्णतया कृषि पर निर्भर है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्ष उपरान्त भी राज्य सरकारें ग्रामों की दशा सुधार नही सकी है और इसका कारण है संसाधनो का अभाव। इसलिए हमारे आर्थिक ढाचे में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। हमारी आयोजना गलत है। जन संख्या में दिन प्रति दिन वृद्धि होती जा रही है और प्रति व्यक्ति आय उस अनुपात से बढ़ नहीं रही। एक अन्य गंभीर समस्या कीमतों में वृद्धि की है। सरकारी कर्मचारी या कारखानों के कर्मचारी तो इस स्थिति के समाधान के लिए सरकार से लड़ लेते है पर निर्धनकृषक तो हर तरफ से मारा जाता है, क्योंकि वह प्रकृति पर निर्भर रहता है। यदि वर्षा हो गई तो फसल हो जाएगी अन्यथा फिर उसे ऋण लेना पड़ेगा। अतः मैं सूझाव देता हूँ कि फसल बिमा की सुविधा कृषक को अवश्य प्रदान की जाए। इससे उसे सहायता मिलेगी। साथ ही पशु बीमा की संभाव्यता का भी अध्ययन किया जाना चाहिये। योजनाएं कृषि प्रधान बनानी चाहिए। जिससे हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को सहायता मिले और हम आत्म निर्भर हो सकें।

तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चौथी समाप्त होने जा रही है। फिर भी समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता बढ़ती जा रही है। यदि सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति की जाँच करें तो उसे आसानी से इस बात का अंदाजा लग जाएगा।

मेरे क्षेत्र विशाखापतनाम में कई बड़े बड़े उद्योग है, पर फिर भी उस क्षेत्र के लोग बहुत पिछड़े हुए है। इसका कारण यह है कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने से इनकार किया जाता है। स्थानीय लोगों के साथ बहुत अन्याय किया जाता है और यही कारण है कि रोजगार हेतु उन्हें अपना क्षेत्र छोड़कर अन्य राज्यों की शरण लेनी पड़ती है। हमारी योजना प्राथमिकताएं इस ढ़ंग से निर्धारित की जानी चाहिएं कि विशाखापतनम जैसे पिछड़े हुए जिलों की आर्थिक प्रगति हो सके।

मेरे क्षेत्र में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए इस बजट में करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करें ताकि इस्पात संयंत्र चालू किया जा सके और उत्पादन शरू हो। बिजली की कमी के कारण हमें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस जिले की अराक घाटी में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में सिंचाई तथा पीने के पानी का भी अभाव है। अतः पावलरम नामक स्थान पर गोदावरी नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाए और वहां से इस क्षेत्र को पानी दिया जाए। इससे केवल विशाखापतनम् के लोग ही लाभान्वित नहीं होंगे अपितु जहां तक यह नहर जाएगी वहां के लोग इससे लाभ उठाएंगे। इस जिले की अराक घाटी में पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक सुविधाएं है। इस घाटी में बौक्साईट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अतः इस क्षेत्र में एक एल्यमीनियम संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इससे वहां के आदिवासी लोगों का आर्थिक जीवन अन्य क्षेत्रों के लोगों के आर्थिज जीवन के समकक्ष हो जाएगा।

श्री० पो० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैंने सामान्य बजट पर हुई चर्चा को बहुत ध्यान से सुना है। मुझे एक बात का आश्चर्य है कि सतारूढ़ दल के प्रायः कई सदस्यों ने प्रारम्भ में बजट प्रस्ताओं की कटु आलोचना की, पर अन्त में बजट का समर्थन कर वित्त मन्त्री को बधाई दी है। मेरी समझ में नहीं आता

[श्री पी० जी० मावलंकर]

कि अगर सरकार उनकी आशाओं के अनुरूप वस्तुएं जनता को नहीं दे रही तो फिर सरकार का समर्थन करने के लिए वे इतने कर्तव्यनिष्ठ क्यों है ?

निःसंदेह बजट में कई अच्छी बातें भी है । पर क्या इन्हें कार्यरूप दिया जाएगा ? सदन अथवा देश वित्त मन्त्री द्वारा बताई जाने वाली अर्थव्यवस्था की परिस्थिति में उतनी रूचि नहीं रखता जितनी कि उसके परिणामों में । केवल आशा करने से कुछ लाभ नहीं होगा । हमें यथार्थ की कटुभूमि पर उतर कर सच्चाई का सामना करना है ।

मेरे विचार में न तो यह पूंजीवाली बजट है और न समाजवादी । यह हमेशा की तरह से घिसा-पिटा बजट है । इसमें साहस और कल्पना से नए आधार बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है । ऐसी कौनसी बात है जो वित्त मन्त्री को एक समतावादी, न्यायपूर्ण और सद्भावपूर्ण समाज की स्थापना करने से रोक रही है । यदि यह सरकार भारी बहुमत के होते हुए भी इस चरण पर जनसमुदाय की भलाई करने में असफल है तो देश के विनाश में कोई देर नहीं है । अतः इससे पहले की समय निकल जाए, वित्त मन्त्री महोदय को देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सही उपाय करने चाहिए ।

वित्तमंत्री ने तीन बातों को अर्थात् आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने की बात कही है । बजट प्रस्ताव से इन बातों को प्रोत्साहन देने की कोई आशा प्रतीत नहीं होती है ।

बार-बार बताया जाता है कि बंगला दश के संकट के कारण सरकार को बहुत सी बातें करनी पड़ी हैं । सदन में बार-बार यही कहा जाता है "हमें देश में बार-बार बंगला देश का संकट नहीं लाना चाहिए"। हमने प्रधान मन्त्री की राजनैतिक विजय की सराहना की है परन्तु इसके आर्थिक परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं । सरकार स्पष्ट आर्थिक नीति लाने में निरन्तर असफल रही है ।

मैं वित्त मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए क्या कार्य-वाही कर रही है ? क्या सरकार काले धन को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठा रही है ? क्या वह लालची स्वार्थी एकाधिकारवादी उद्योगपतियों पर नियंत्रण रख रही है ? क्या भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है ? क्या विलासितापूर्ण जीवनव्यापन रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है ? क्या सरकारी प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है ? आज विश्व में लोगों की इच्छाओं में वृद्धि हो रही हैं । भारत में भी यही स्थिति है । परन्तु इसके उत्तर में उपलब्ध क्या होता है ? उपलब्ध होता है मूल्य वृद्धि, न्यूनतम भोजन, बेरोजगारी तथा निराशापूर्ण शिक्षा सुविधाएं । मुझे विश्वास है, यदि स्थिति इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही लोगों के आक्रोष का भयानक विस्फोट होगा ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि एक वास्तविक सारगर्भित आर्थिक नीति बनाई जाये जो विचार-धारा पर आधारित न होकर परिणाम पर आधारित हो वित्तमंत्री औद्योगिक विकास चाहते है परन्तु यह किस प्रकार संभव हो सकता है जब लोगों को यही पता नहीं कि आगामी पांच वर्षों में क्या होने वाला है । सरकार निर्णय करे, समाजवादी नीतियों को गति देने के लिए निर्णय करे परन्तु उन पर दृढ़ रहे और उन्हें सच्चाई से क्रियान्वित करें । दुसरे बजट प्रस्तावों में अधिक औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाए । तीसरे कठिन परिश्रम करने, अधिक उत्पादन करने तथा समान वितरण करने के बारे में इसमें पर्याप्त रूप से नहीं कहा गया है । चौथे शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है । रोजगार इस प्रकार का होना चाहिए कि इसमें उत्पादन में भी वृद्धि हो सके । पांचवे हमारे ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े हुए हैं अतः वहाँ कुटीर तथा लघु उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है । अन्त में मेरे विचार से कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र को इस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे दोनों का विकास संभव हो सके ।

अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह बजट निराशाजनक है। हमें प्रसन्नता है कि शरणार्थी राहत शुल्क पहली अप्रैल से हटाया जा रहा है। इस बात की भी प्रसन्नता है कि बजट में सीधे कर नहीं लगाए गए हैं। परन्तु अप्रत्यक्ष करों का बोझा भी अन्तत; सामान्य व्यक्ति पर ही पड़ता है। पैट्रोल तम्बाखू पर कर लगाने से सामान्य व्यक्ति पर बोझ नहीं पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। गरीब लोगों को भी इससे बहुत कठिनाई होगी। 292 करोड़ रुपये की राशि के लिए विभिन्न मदों पर कर लगाए गए है। इससे ज्ञात होता है कि वित्तमंत्री के बजट प्रस्ताओं में कराधान सम्बन्धी कोई सुनियोजित योजना नहीं है।

शिक्षित लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में यह नहीं बताया गया है कि क्या किया जायगा। ढ़ाई लाख लोगों को किस प्रकार रोजगार प्रदान किया जायेगा। मुझे संदेह है कि अधिक शोर मचाने वाले नगरीय क्षेत्र के लोगों में यह राशि उड़ा दी जाएगी। उन्हें शिक्षित लोगों को रोजगार देने वाले अपने विशिष्ट प्रस्ताव बताने चाहिये। पांचवी योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु नियत की गई 150 करोड़ रुपये की राशि को व्यय करने का भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है।

कराधान, तर्कपूर्ण तथा न्यायसंगत पद्धति से किया जाना चाहिये। प्रत्यक्ष करों की दरें इतनी ऊंची है कि लोग कर के भुगतान से बचना चाहते हैं और बचने का मार्ग वे जानते हैं। मन्त्री महोदय को इस बात पर गंभीर रूप में विचार करना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कर वसूल करने में अपनी कुशलता प्रदर्शित करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मंत्री महोदय कर न देने वालों के प्रति इतने उदार क्यों हैं तथा सच्चे लोगों के प्रति इतने कठोर क्यों? मंत्री महोदय सरकारी विभागों में मितव्ययता लाने के लिये तैयार क्यों नहीं हैं? क्या वह अपने साथियों को रुष्ट न होने देने के लिये सरकारी व्यय में कमी नहीं करना चाहते हैं? इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

नर्मदा के मामले पर न्यायोचित पंचाट देने में काफ़ी विलम्ब हो चुका है। यह मामला राज्यों तक ही सीमित नहीं है। यह समस्त देश का मामला है। इसका पंचाट देने में जितना विलम्ब होगा देश को इसका उतना ही अधिक मूल्य देना पड़ेगा।

देश का आर्थिक विकास मानवों पर निर्भर है। इस क्षेत्र में शिक्षाका बड़ा महत्व हैं। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के 25 वर्षों में प्रगतिशील लोकतंत्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि इन बजट प्रस्तावों से देशवासियों के दलितवर्ग की इच्छा और उपभोग की वस्तुएं पूरी नहीं होंगी।

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : The root cause of that the problems, the Country is facing at present inter regional inbalances. If the regional inbalances are done away with the problems will automatically be solved. Funds allocated for the development of backward areas are being diverted to develop other areas. This is the root cause of all the troubles that start in the name of language community or state. The only remedy to eradicate this evil is that the Government of India should immediately start district level planning. There should be a planning board in each district which should be constituted of the Members of Parliament and the state legislatures. Funds should be allotted to these boards and the Government should exercise a watch over them. The Board should be responsible to the Parliament.

I would request the Finance Minister to allocate at least Rs. 10,000 crores for the economic development of backward districts. A good number of small scale industries should be set up in backward districts.

(Shri Md. Jamilurrahman)

If Finance Minister has said that 5 lakhs people will be provided employment. It is a commendable effort. I would like to request that at least one thousand people in each district should be provided this facility. Special attention should be paid towards backward districts in this regard.

The Government should make effort to establish at least one or two small scale industries in each block.

As regards green revolution production of foodgrains have increased beyond doubts. But the small farmers are facing difficulties in getting loans from the nationalized banks because the branches of the banks are located at very far off places and even after paying several visits they do not find themselves able to get money. One branch in each block of state bank or of any of the nationalized banks should be opened to cater the needs of small farmers.

The money allocated to Bihar by the central bank is not properly utilised. It is due to fact that there is no financial controller of the Central Government in the state. A Financial Controller should be appointed there so that the money given to Bihar is properly utilized.

The nation is in the grip of severe drought. Bihar, Gujarat, Andhra Pradesh, Assam and Rajsthan are facing this natural calamity. we have not taken any permanent step to remedy it. The Government should form a drought Control Board to see the requirement of the area where the drought conditions are forecast. This should be a permanent fecture which may fight the evil on war footing.

As regards taking over of foodgrains trade the interests of the producers should not be overlooked.

Purnea district of Bihar is well known for production of good quality of Jute. It is regrettable that no Jute industry has been set up there. There is no transportation facility in the state. In the absence of this facility there is under utilization of this produce. The Railway Minister has said that railway line from Nirmali to Forbisganj would be provided. This line should be extended to Galgania via Jokihat and Bahadurganj so that the raw material of these areas may have marketing facilities.

The Government should not be liberal to tax evaders. We should have proper arrangements to protect the lives and properties of the minorities.

In the end I would like to say something about textile policy. The Government should have rural oriented textile policy. Our Textile mills should produce cloth which is require by our rural folk.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : In the year 1972-73 revenue realisations increased from 8 to 13 percent but the production did not increase accordingly. Had their been an increase in production also we would not have faced the problem of price rise.

The Government have taken a commendable step, no doubt a difficult one, by deciding to take over wholesale trade of foodgrains. It is the duty of the Government to take upon themselves the responsibility of providing basic needs of the people. The distribution of those things which are produced in private sector should also be taken over so that profitering, boarding and black marketing could be arrested. We should advance with the basic concept of self generating economy to justify our headway towards development.

All the improductive investments should be stopped forth with at least for coming five years and the food supply should be assured by the Government on first priority. We should increase our agricultural production for this purpose. To provide irrigation facilities is also an important step towards increasing agricultural production. Besides this proper

arrangements should also be make to make available other agricultural imputs. the water available from assured rainfalls should be stored and supplied for irrigation purposes. The Government should give considerable attention to the agricultural sector.

The Hon. Finance Minister deserves congratulations for making efforts to reduce the budgetary deficit. there was a deficit of Rs. 710 crores in 1971-72 In the Year 1972-73 the deficit has been reduced ot the tune of 550 crores and in 1973-74. to 377 crores. Our direct taxes contribute about 20 percent of the total revenue. This percentage should be reduced. We should think in terms of imposing Capital levy on assets of the value of Rs. 50 to 100 crores.

The finance Minister has promised to provide 5 lakh jobs to educated youths. It is good decision. the Government should try to make all possible efforts to implement the decision.

Population increase at galloping speed is a matter of deep concern to the nation. Something should be done to arrest this increase.

श्री० पी० गंगादेव (अंगुल) : बजट में पिछड़े क्षेत्रों के विकास अनुसंधान कार्यों तथा निर्यात को प्रोत्साहित देने आदि के लिय जो व्यवस्थायें की गई हैं वे सरकार के सामाजिक आर्थिक नीति से सामंजस्य रखती है। वैसे तो बजट में बहुत सी सराहनीय बाते भी हैं परन्तु मेरा विचार यह है कि इस बजट से मुद्रास्थिति बढ़ेगी। हम सभी बढ़ते हुए मूल्यों के प्रति चिंतित हैं। वस्त्रों अल्यूमीनियम तथा इस्पात भट्टियों पर शुल्क लगानेसे और मशीनों के आयात पर उंचे आयात शुल्क कर देने से अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से मुद्रा स्थिति आयेगी यद्यपि अतिरिक्त कराधान करके घाटा कम किया गया है फिर भी वेतन आयोग की सिफ़ोरिशों को लाग करने के कारण घाट गतवर्ष के समान ही रहेगा। यदि खाद्योंनें के उत्पादन में वृद्धि होती रही तो मुद्रास्थिति कम हो सकती है।

औद्योगिक क्षेत्र में स्थिति अच्छी प्रतीत नहीं होती है। हाल के महीनों में बिजली की कमो के कारण उत्पादन में भारी कमी हुई है।

बजट में बचत तथा पूंजीनिवेश बढ़ाने के लिये बहुत कम छूट दी गई हैं। बचत के लिये केवल भविष्य निधि तथा जीवन बीमे के क्षेत्र में छूट दी गई हैं। मंहगाई के कारण लोगों की बचत क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये।

आर्थिक तथा प्रशासनिक कारणों से औद्योगिक विस्तार बहुत कम हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के पूंजीनिवेश में कई वर्षों से गतिविरोध चल रहा है। बड़ी तथा मध्यस्तरीय सार्वजनिक कम्पनियों में सरल पूंजी 1966-67 में 11 प्रतिशत से घटकर 8.7 प्रतिशत रह गई है।

निगमित क्षेत्र की पूंजी में भी कमी हुई है। यह तभी बढ़ सकती है जब कराधान सम्बन्धी नीति कम्पनियों के हित में हो जिससे व बचत कर सकें और पुन: पूंजीनिवेश कर सकें।

मेरा सुझाव है कि कुछ और प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जिनको उद्योगों के विस्तार में पुन: लगाया जा सके। सरकारी उपक्रमों के निरीक्षण के लिए हमें यह देखना होगा कि परियोजना को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है और इसके क्या परिणाम निकल रहे हैं अत: प्रशासन चाहे वह सरकारी कार्यालयों के हो अथवा सरकारी उपक्रम मे हो की सारी शक्ति और उनके संसाधन इसी समस्या को हल करने के लिये लगाये जाने चाहियें।

हमारा प्रशासनिक ढाँचा इस प्रकार का होना चाहियें कि वह समय की चुनौतियों का सामना कर सके प्राक्कलन समिति के पांचवे प्रतिवेदन में बताया गया है कि गत वर्ष के प्रारम्भ में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए 1000 आवेदन पत्र सरकार के पास विचाराधीन पडे थे। सरकार को इस स्थिति में सुधार लाना चाहिए।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है.... ....सभा में गणपूर्ति हो गई है अब माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री० पी० गंगादेव : यदि प्रशासन में कुशलता न लाई गई तो हम पाँचवीं योजना के लक्ष्यों को कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे।

आजकल कार्यालयों में लालफीताशाही का बोलबाला है। विभागों में आपसी समन्वय की कमी है। मेरा सुझाव है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के आधिपत्य वाली पुरानी नौकरशाही व्यवस्था का स्थान अब प्रगतिशील तकनीकीकरण को लेना चाहिए ताकि बिना किसी भय और पक्षपात के तुरन्त निर्णय लिए जा सकें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रजातंत्रात्मक प्रणाली सामाजिक न्याय पर आधारित है। अतः कर उन्हीं पर लगाए जाने चाहिए जो उनका भुगतान करने में समर्थ हो।

Shri Onkar Lal Berwa : Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब कोरम हो गया है। नटवरलाल पटेल।

Shri Natwar Lal Patel (Mehsana) : Sir, I rise to support the Budget. presented by Shri Chavan. Budget proposals cannot satisfy everyone, We ought to book at them from the point of view of development of our economy and the country.

I don't want to say much about budget proposals as I am not an economist. But I must say that this is a bold and straight forward budget which can be presented here. The Finance Minister could not have done better in the present circumstances, Therefore I am supporting these proposals.

As we all know agriculture is the biggest industry in our country. It has assumed greater importance in view of the present shortage of foodgrains. I therefore suggest that the allocation in respect of agriculture in this Budget should be increased.

It is a regrettable fact that even after 25 years of our independence there are a number of villages where even drinking water is not available. I am not only talking about my state of Gujarat Government should see that every village in the country should be provided with drinking water. The centre should provide adequate funds to this state for this purpose.

It is a matter of great satisfaction that Finance Minister has given certain tax concessions for establishing industries in the backward regions of the country. This will contribute to the rapid development of these regions.

Most of the parts of the country have been badly stricken by drought, I think that it is not a man-created situations. It is our ill luck that rains have not come but similarly by chanting that rain has not come, will not solve our problem. The Members from opposition should come out with the ways to tackle the situation. Import duties on certain raw materials have been enhanced in the present budget. This will creat a problem for industries requiring those materials. Government should look into it and see that the industries concerned do not suffer.

Wheat trade has been taken over by the Government and the procurement price of the wheat as fixed by the Government is around Rs. 75 per quintal while the prevailing market price is about Rs. 150 per quintal. Government should therefore, increase the levy price of wheat otherwise the farmers will not grow wheat and the productin of wheat might suffer.

[श्री० एस० ए० कादर पीठासिन हुए]
[SHRI S. A. KADAR *in the chair*]

The cost of production of wheat per acre varies from state to state. This factor should also be taken into consideration while fixing the procurement price of the wheat.

With these words I congralutate the hon. Minister that he has presented this Budget with a valoure.

Shri Achal Singh (Agra) : Sir I rise to support the Budget. During these 25 years of our Indpendence this country has faced a number of difficulties. Among others we had to fight a war with China and two wars with Pakistan. We had to shoulder the burden of Bangla Desh refugees. All these things created economic difficulties for us. The present budget is the best budget under the circumstances.

Our country is an agricultural country. 80 percent of the population is earning their livelihood through it. For increasing the agricultural production we need many inputs like seed, fertiliser water etc. Unfortunately today the country is badly stricken by drought. There is scarcity of water eveywhere and irrigation is of utmost importance to increase agricultural production. Western Agra needs irrigation facilities very badly. Ram Ganga Dam should be completed urgently and I tell you that with the completion of this Dam, Agra, Rajasthan and Gurgaon all will get water for irrigation.

The country is facing an acute shortage of power. As a result of it the industrial production is suffering. We should make all out efforts to step up power generation.

Strikes have become quite common know a days. Agitated people do not mind destroying the public property. There are a number of cases of destruction of public property. This way the country suffers great loss. Therefore a law should be passed so that punitives tax should be imposed on the people who destroy public property so that they may not dare to do so.

Our plans are good but their implementation is far from satisfaction. Steps should be taken to ensure proper implementation of plans, so that the condition of the people may improve and the country moves forward.

It is good that the Government is taking over whole sale trade in foodgrains. This scheme should be carefully implemented so that the consumers get foodgrains at reasonable prices. Retail traders in foodgrains should also be given work in the scheme.

Foreign currencies are being devalued. Specially the price of the dollar has reduced a lot. But the currencies of Japan and west germany is much steble. I suggest that we should try to develop our economy on their lines so that our currency may also become stable.

At Present the exemption limit of income tax has been fixed at Rs. 5000. It should be increased to Rs. 7,500.

The Government has imposed control on cloth so that the people get cloth at controlled rate. But this cloth is being sold in the black market. The Government should take steps to check this.

There is huge unaccounted money in our country. The Government should take steps to unearth this money and should announce some concessions to those who have invested this unaccounted money in Government securities and shares.

श्री. वसंत साठे (अकोला) : वित्त मंत्री ने एक समाजकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। यद्यपि वह बजट को पूरी तरह संतुलित नहीं कर पाए हैं फिर भी हाल के वर्षों में प्रस्तुत किए गए सभी बजटों में से यह सर्वोत्तम है।

वृत्तमंत्री ने तम्बाकू पर कर लगाया है लेकिन मदिरा को अछुता छोड़ दिया है। हमें यह देखना है कि क्या मंत्री महोदय अपनी कार्यावधि के दौरान उन कार्यों को करने में सफल हुए हैं जो उन्होंने राष्ट्र के सम्मुख रखे हैं। मैं इनको तीन भागों में विभाजित करता हूं। पहला सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण और आर्थिक सत्ता, दूसरा क्षेत्रीय असंतुलन और बेरोजगारी, तीसरा किस हद तक हमारे बजट गरीबी और अमीरी के बीच का अन्तर कम करने में सफल हुए है। मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत वृद्धि हुई है और 20 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। अब एक न्यायोचित प्रश्न उठता है कि यह आय कहाँ गई। 'आर्थिक समीक्षा' के अनुसार यद्यपि राष्ट्रीय आय जोकि 1960-61 में 13200 करोड़ रुपये थी, वर्ष 1972 में बढ़कर 19200 करोड़ रुपये हो गई है अर्थात इसमें 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथापि प्रतिव्यक्ति आय 1961-62 में 308 रुपये से बढ़कर 1972 में 348 रुपये हुई है अर्थात् इसमें केवल 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि हम यह मान लें कि जनसंख्या में 10 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है तो भी यह 29 प्रतिशत वृद्धि कहाँ चली गई। इसका उत्तर स्पष्ट है और वह यह है कि वह काले धन के रूप में और बाजारियों के हाथों में चली गई।

वर्ष 1966-67 से 1969-70 तक के तीन वर्षों के दौरान केवल 8 व्यापारिक गृहों की आस्तिय 1597.49 करोड़ रुपये से बढ़कर 2085.2 करोड़ रुपये हो गई हैं। 209 उद्यमों ने 1968-69 और 1970-71 के दो वर्षों के दौरान अपने लाभ को 45 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 97 करोड़ रुपये कर लिया है।

इस अवधि में सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस क्षत्र को लिए गए ऋण की राशि 86 करोड़ रुपये से 162 करोड़ रुपये अर्थात् दुगुनी हो गई है। निजी क्षेत्र के अधिग्रहण के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहने के बावजूद भी अभी वह वहीं पर कायम है। आज भी देश का 86.4 प्रतिशत उत्पादन गैर सरकारी क्षेत्र में हो रहा है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोकसभा बुधवार, 14 मार्च, 1973/23 फाल्गुन, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 14th March, 1973/Phalgun 23, 1894 (Saka)

GIPN—S6—3 L. S. S. (ND)/73—19-6-73—490.

PARLIA... LIBRARY
No. R. 72(1)
DATE 18-8-73

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]